C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. IX, Fourth Session, 2015/1937 (Saka)
No. 26, Tuesday, April 28, 2015/Vaisakha 08, 1937 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 481 to 486	13-61
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 487 to 500	62-114
Unstarred Question Nos. 5521 to 5750	115-562

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE **563-569**

MESSAGE FROM RAJYA SABHA **570**

COMMITTEE ON ESTIMATES
2nd to 4th Reports **570**

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
3rd to 6th Reports **571**

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
5th and 6th Reports **571**

STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION
Statements **572**

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
11th to 14th Reports **572**

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE
117th and 118th Reports **573**

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
268th and 269th Reports **573**

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
218th to 222nd Reports **573**

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE
75th and 76th Reports **574**

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

Shri Ram Vilas Paswan 574

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 35th and 40th Reports of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Department of Disability Affairs (now Department of Empowerment of Persons with Disabilities), Ministry of Social Justice and Empowerment

Shri Thawar Chand Gehlot 574

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 39th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on `Pricing of Fertilizers', pertaining to the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers

Shri Hansraj G. Ahir 575

MATTERS UNDER RULE 377 600-612

(i) Need to take suitable steps for release of allocated share of waters of Ravi and Beas rivers to Rajasthan

Shri Rahul Kaswan 600

(ii) Need to convert National Highway No. 98 into four-lane

Shri Sushil Kumar Singh 601

(iii) Need to enact the Seeds Bill, 2004 and take suitable measures for conservation of indigenous seeds

Shri Satyapal Singh 602

(iv) Need to expedite the gauge conversion work of Loharu-Jhunjhnu-Sikar-Jaipur railway line in Rajasthan

Shrimati Santosh Ahlawat 603

(v) Need to run the Rajdhani Express Train Service between Ranchi and New Delhi on daily basis and also increase the frequency of flight between Ranchi and Delhi/Mumbai

Shri Vishnu Dayal Ram 604

(vi) Need to extend train service between Ahmedabad and Khedbrahma upto Abu via Ambaji and also convert it into broad-gauge line in Rajasthan

Shri D. S. Rathod 605

(vii) Need to provide dialysis facility in all the private hospitals for patients belonging to lower income group and below poverty line

Shri Ramesh Bidhuri 606

(viii) Need to provide subsidized foodgrains and kerosene to saffron card holders under public distribution system in Maharashtra

Shri Nana Patole 606

(ix) Need to permit use of Tamil as an official language in the High Court of Madras

Shri S.R. Vijaya Kumar 607

(x) Need to establish a temporary Rescue Centre for stray crocodiles attacking human and livestock in Cuddalore Parliamentary Constituency, Tamil Nadu

Shri A. Arunmozhithevan 608

(xi) Need to allot adequate number of IPS officers in Odisha

Shri Bhartruhari Mahtab 609

(xii) Need to develop Bhagalpur Airport, Bihar for operation of domestic flight

Shri Shailesh Kumar 610

(xiii) Need to provide proper uniform to NCC cadets in Bihar particularly in Nalanda parliamentary constituency

Shri Kaushalendra Kumar 610

(xiv) Need to send a central team to assess the crop-damage caused due to recent unseasonal rains in Karimganj parliamentary Constituency, Assam

Shri Radheshyam Biswas 611

(xv) Need to formulate a policy for rehabilitation of Indian paramedics evacuated from strife-torn countries

Shri Jose K. Mani 612

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 2015-16

(i) Ministry of Home Affairs	614-685
Shrimati Darshana Vikram Jardosh	614
Shri S.R. Vijaya Kumar	615-616
Shri Arjun Ram Meghwal	617
Shri Bidyut Baran Mahato	618
Shri Devji M. Patel	619-621
Shri S.P. Muddahanume Gowda	622-623
Dr. Virendra Kumar	624-626
Shri R. Dhruvanarayana	627-630
Shri Gajendra Singh Shekhawat	631-632
Shri Arka Keshari Deo	633-634
Shri Rameshwar Teli	635-636
Shri Vishnu Dayal Ram	637-641
Shri Sunil Kumar Singh	642-643
Shri B.N. Chandrappa	644-645
Shri Gajanan Kirtikar	646
Shri Pralhad Joshi	647-650
Shri Rajnath Singh	651-682
Cut Motions – Negatived	683-684
Demands-Voted	685
(ii)Ministry of Environment, Forests and Climate Change	687-945
Shri Ninong Ering	687-689
Cut Motions	691-695
Shri Bhagat Singh Koshyari	696-699
Shri Shivkumar Udasi	700-704
Shri Sudheer Gupta	705
Shri Nishikant Dubey	706-712

Shri Rabindra Kumar Jena 713-720
Shri G. Hari 721
Dr. Kirit P. Solanki 722
Shri Nalin Kumar Kateel 723-725
Shri T. Radhakrishnan 726-729
Shrimati Rama Devi 730-731
Dr. Mamtaz Sanghamita 732-734
Shri Gaurav Gogoi 735
Shri P. Kumar 736
Dr. Virender Kumar 737-739
Shri Shrirang Appa Barne 740-743
Shri Ram Prasad Sarmah 744
Shri Tathagata Satpathy 745-749
Kumari Shobha Karandlaje 750-753
Shri Nagendra Kumar Pradhan 754-757
Shri K. Parasuraman 758-760
Shri Adhalrao Patil Shivajirao 761-763
Shri Rattan Lal Kataria 764-767
Shri Rahul Shewale 768-770
Shri Thota Narasimham 771-773
Shri Konda Vishweshwar Reddy 774-777
Shri Ladu Kishore Swain 778-782
Shri S.R. Vijaya Kumar 783-784
Shri V. Elumalai 784-785
Shri M.B. Rajesh 786-789
Shri P.P. Chaudhary 790-791
Shri R. Dhruvanarayana 792-795
Shri C.R. Chaudhary 796-797
Shri P.V. Midhun Reddy 798-800

Shri Naranbhai Kachhadia	801-802
Shri S.P. Muddahanume Gowda	803-804
Shri B.N. Chandrappa	805-806
Kumari Sushmita Dev	807-809
Shri Prasanna Kumar Patasani	810-811
Shri Dushyant Singh	812-814
Shrimati Supriya Sule	815-819
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	820-821
Shri Dharam Vira Gandhi	822-823
Shri Prem Singh Chandumajra	824-825
Shri T.G. Venkatesh Babu	826-831
Yogi Adityanath	832-834
Shri P.R. Sundaram	835-836
Shri Bhairon Prasad Mishra	837
Shri Virender Kashyap	838
Shri Devji M. Patel	839-842
Shrimati Jayshreeben Patel	843-848
Shri Dushyant Chautala	849-850
Shri Kaushalendra Kumar	851-852
Shri Asaduddin Owaisi	853-854
Shri N. K. Premachandran	855-858
Shri Arka Keshari Deo	859-860
Shri C.N. Jayadevan	861-862
Shri Ajay Tamta	863
Shrimati Santosh Ahlawat	864
Shri Ajay Misra Teni	865-866
Shri Sumedhanand Saraswati	867-868
Shri Gajendra Singh Shekhawat	869-876

Shrimati Darshana Vikram Jardosh 877-878
Shri D.K. Suresh 879-884
Adv. Joice George 885-887
Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank 888-893
Shri Bidyut Baran Mahato 894
Shri Ramesh Chander Kaushik 895
Shri Badruddin Ajmal 896-898
Shri Daddan Mishra 899-900
Shri Devendra Singh Bhole 901-902
Shri Sunil Kumar Singh 903-905
Shri Om Birla 906-908
Shri Sharad Tripathi 909-911
Shri Arjun Ram Meghwal 912
Shrimati Kamla Paatle 913-914
Dr. Kulamani Samal 915-916
Shri Prakash Javadekar 917-943
Cut Motions – Negatived 944
Demands-Voted 945

OBSERVATION BY THE SPEAKER 946

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 947
Member-wise Index to Unstarred Questions 948-953

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 953
Ministry-wise Index to Unstarred Questions 954

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, April 28, 2015/Vaisakha 08, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Shri P. Karunakaran, Shri Gaurav Gogoi and Shri Adhir Ranjan Chowdhury.

The matter though important enough does not warrant interruption of Business of the Day. The matters can be raised through other opportunities.

I have, therefore, disallowed the notices of Adjournment Motion.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, I have discussed with the Secretariat. (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please do not interrupt. I am not allowing anybody to speak.

… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam Speaker, through you, I would like to tell hon. Members, as we discussed yesterday, I have suggested and the Congress Party Leader has agreed that all of us will be contributing our one month's salary to the relief operations for the affected people in Nepal and India. I am told that there is no need for any Resolution because everybody has agreed to it. I will be writing a letter to all the hon. Members requesting them to contribute their one month's salary to the Prime Minister's Relief Fund. We would be sending it to a foreign country. There will be legal complications. That is why we are referring it to the Prime Minister's Relief Fund.

SEVERAL HON. MEMBERS: Madam, we are fully supporting it.

11.01 hrs.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Now, we will take up Question Hour. Question no. 481 – Shrimati Rama Devi.

(Q. 481)

श्रीमती रमा देवी: अध्यक्ष महोदया, मुझे बड़े विस्तार से प्रश्न का उत्तर मिला है, मैं इससे संतुष्ट हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि जम्मू एवं कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए न सिर्फ देश, बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। हम भारतीय इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। संविधान की धारा 370 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है। हम जब भी जम्मू एवं कश्मीर की चर्चा करते हैं तो खूबसूरती के साथ-साथ हिंसा, आतंकवाद एवं अलगाववाद का मामला भी हमारे मन में आ जाता है। पाकिस्तान की साजिश से 1947 से लगातार शुरू हुआ आतंकवाद और अलगाववाद का सिलसिला आज तक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

श्रीमती रमा देवी : कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने कश्मीर मुद्दे को ठीक ढंग से देश हित में हल नहीं किया। परिणामस्वरूप हजारों निर्दोष लोग एवं सुरक्षा बलों के जवानों की जानें चली गईं। हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने देश की बागडोर संभालने के बाद जम्मू एवं कश्मीर पर विशेष ध्यान दिया और कश्मीरियों को देश की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से वहां गठबंधन की सरकार बनाई तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों को निष्क्रिय कर दिया। 14 अप्रैल को जब एक देशद्रोही ने पाकिस्तान समर्थक नारे लगाये तो उसे जेल भेज दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : यह क्या भाषण हो रहा है?

श्रीमती रमा देवी : मैं सवाल पूछ रही हूं कि जम्मू एवं कश्मीर के अंदर पिछले पांच वर्षों में कितने लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह के मामले चलाये गये हैं और उनमें से कितने लोगों को सजा मिली है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): अध्यक्ष महोदया, जो समस्या माननीय सदस्या ने उठाई है, वह तो बहुत पुरानी समस्या है। उन्होंने जो देशद्रोह का सवाल पूछा है, वहां पर अलग-अलग कानूनी प्रावधान हैं, जिसके तहत कोई भी समस्या और कोई गतिविधि सामने आती है तो उसका केस दर्ज होता है। मैं

उसका पूरा ब्योरा तो अभी नहीं दे पाऊंगा, माननीय सदस्य अलग से अगर मांगेंगे तो उसका प्रावधान कर के दिया जाएगा।

श्रीमती रमा देवी: महोदया, मैं उत्तर से संतुष्ट हूँ लेकिन मैं यह जानना चाहती हूँ कि पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से क्या सहायता पहुंचाई गई और कैसे उन लोगों का जीवन-यापन चल रहा है? आंतकवादी घटनाओं में मारे गए लोगों की जो लिस्ट है, उसमें आम नागरिक मरे हैं, घायल हुए नागरिक मरे हैं, सुरक्षाबलों के कर्मी मरे हैं, जितने लोग मरे हैं, उनके परिवारों को किस तरह की सुरक्षा मिली है, जो देश के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ते रहे हैं, उनको कैसी सुरक्षा मिली है, उनके परिवारों की किस तरह से देख-रेख हो रही है?

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदया, सरकार की विभिन्न प्रकार की जो स्कीम्स हैं, उनके तहत लोगों को मुआवज़ा मिलता है। एक चीज़ मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि क्रॉस फायरिंग जो होती है, उसमें मारे गए परिवारजनों के लिए अभी तक अलग से कुछ प्रावधान नहीं किया गया था। भारत सरकार की एक नीति है, जिसमे चाहे लेफ्ट विंग एक्ट्रिमिज्म हो, बाद में कम्युनल वॉयलेस में भी मरने वालों के परिवारजनों को, नैक्ट टू किन एण्ड किथ को मुआवज़ा देने का प्रावधान है। सरकार के पास यह प्रस्ताव है, जिसके तहत क्रॉस फायरिंग में जो मारा जाता है, उसके परिवारजनों को भी मुआवज़ा देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

SHRI V. ELUMALAI: Madam, there are no signs of any curtailment in the menace of terrorism in Jammu and Kashmir as well as naxal attack in naxal-infected districts. Recently there were three or more naxal attacks on one day itself in Chhattisgarh causing several casualties. Since the Question pertains to Jammu and Kashmir, I would like to confine my supplementary pertaining to Jammu and Kashmir only.

Terrorism can be tackled in Jammu and Kashmir only when the military, paramilitary forces and the State Police function in tandem. The intelligent inputs from all other sources should be enforced strictly. Therefore, I would like to know whether the Government is considering directing all these forces jointly, share the intelligent report and enforce it immediately.

SHRI KIREN RIJIJU: Madam, all the agencies, whether they belong to the Central Government or the State Government, are working effectively together in

close coordination. I can inform the hon. House that with their efforts, in the year 2014-15 alone, 80 terrorists in total – they were foreign terrorists, not indigenous terrorists – had been eliminated. These were the result of the joint efforts of all the intelligence and security forces working together. Now, with the new State Government in place in Jammu and Kashmir, we are working in a better coordination.

SHRIMATI MAUSAM NOOR: Madam, through you, I would like to ask the hon. Minister whether the Government is intending to implement a Border Fencing Policy or an Integrated Border Management Policy for land borders with other nations.

SHRI KIREN RIJIJU: Madam, this Question is related to the general border management and is related to Jammu and Kashmir. We are putting all efforts to manage our borders in an effective manner through physical fencing, security deployment as well as using intelligence report and technology. We are taking full efforts to secure our international borders.

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि देश के सरहदी क्षेत्रों में आतंकवादी एवं घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या विशेष कदम उठाए हैं? जैसे कि गुजरात का कच्छ जिला है, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, जो कि जमीन एवं सामुद्रिक सीमा से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र की विशेष सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई खास कदम उठाए हैं?

श्री किरेन रिजीजू : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह कोस्टल सिक्योरिटी से संबंधित है। वह इस प्रमुख सवाल से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर भी कोस्टल सिक्योरिटी का मामला भी गृह मंत्रालय के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं और पूरा काम कर रहे हैं।

(Q. 482)

श्री गोपाल शेट्टी: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे मैं समाधानी जरूर हूँ, लेकिन संतुष्ट नहीं हूँ। ...(व्यवधान) क्योंकि पूछे गए प्रश्नों का उतर मिलने से किसानों की समस्या हल होने वाली नहीं है। महाराष्ट्र की समस्या हो या फिर देश भर के किसानों की समस्या हो, गन्ना उत्पादन करने वाले सभी किसानों की समस्या एक जैसी है। कभी बारिश का कम होना, कभी बारिश का ज्यादा होना, कभी उत्पादन कम होना तो कभी उत्पादन का बढ़ना। लेकिन मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि किसान अधिकतर परेशान इसलिए भी है क्योंकि सरकार के भिन्न-भिन्न मंत्रालय द्वारा अनेक प्रकार के टैक्सेज़ किसानों पर लगाए जाते हैं। इससे भी किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि खास कर चीनी उत्पादन करने वाले किसानों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार चाहे वहां की नगर पालिका, महानगर पालिका हो या अन्य मंत्रालयों द्वारा कितने प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं? क्या सरकार आने वाले दिनों में टैक्सेज़ के संदर्भ में किसी प्रकार की राहत देने वाली है? क्या जीएसटी आने के बाद किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत ही जटिल प्रश्न है और गन्ना से डायरेक्ट इसका संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी यह बात सही है कि अलग-अलग राज्यों में जो टैक्सेज़ प्रणाली है, वह अलग-अलग तरीके से हैं। इसके कारण एक ही जगह पर, जहां चीनी ही नहीं, जहां प्याज़ की उपज जयादा होती है, जैसे नासिक में, वहीं दूसरी जगह पर उसकी दिक्कत भी हो जाती है, तो इसलिए एक नैशनल कॉमन मार्केट बने, यह हम लोगों के दिमाग में है और जीएसटी का जो मामला आपने उठाया हे, मैं समझता हूँ कि इससे समास्या का पूरी तरह से तो समाधान नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक हो जाएगा।

श्री गोपाल शेट्टी: अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री देवेंद्र फणनवीस एक शक्कर कंपनी का उद्घाटन गत सप्ताह जब कर रहे थे, तब उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को इस प्रकार से संबोधित किया कि आने वाले दिनों में एफ.आर.पी. कायदा में बदलाव लाने के बारे में महाराष्ट्र की सरकार सोच रही है। क्या केंद्र सरकार भी इससे सहमत है और उसमें अन्य राज्यों को केंद्र सरकार मदद करेगी? साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ी चिंता भी व्यक्त की है कि गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या बढ़ने की वजह से आने वाले दिनों में गन्ना उत्पादन ज्यादा होगा और किसानों की समस्या बढ़ने वाली है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि बहुत सालों से एक प्रश्न हम सबके सामने है। शक्कर के माध्यम से, गन्ना उत्पादन के माध्यम से, इथनॉल एवं अन्य प्रकार डिस्टिलरी

और बाय प्रोडक्ट बनाने के बारे में कुछ सोच विचार हो रहा है? क्या केंद्र सरकार गंभीरता से सभी राज्य सरकारों को साथ में ले कर इसके बारे में तुरंत कोई कदम उठाएगी?

श्री राम विलास पासवान : महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूँ कि इस संबंध में बहुत शीघ्र ही हम लोग निर्णय लेने वाले हैं। माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी हमसे मिले थे और उन्होंने चार-पांच पॉइंट हमारे सामने रखे थे और एक मैमोरेंडम भी दिया था, जिसका जिक्र इन्होंने कवेश्चन में किया है। वे चार-पांच बिंदु इस प्रकार थे -

- Subsidy for export and raw materials;
- Excise Duty on loan;
- Increase import duty on raw sugar;
- Ethanol blending programme
- Creation of buffer stocks;
- Restructuring of the terms of sugar loan;
- Soft loan.

जैसाकि मैंने उस दिन भी बताया था कि हमने किसानों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी और उसके बाद राज्यों के भी जितने मंत्री थे, हालांकि हमने मुख्य मंत्रियों को बुलाया था, लेकिन महाराष्ट्र के भी मिनिस्टर आए थे और यही चार-पांच पॉइंट हैं। इंपोर्ट ड्यूटी को हम लोगों ने बढ़ा कर 15 % से 25 % कर दिया है। मांग है 40% की। वह सरकार के एक्टिव कंसिड्रेशन में है। दूसरा सॉफ्ट लोन का मामला है। सॉफ्ट लोन ऑलरेडी दिया जा रहा है। उसमें रीस्ट्रक्चरिंग का सब्जेक्ट है। तीसरा, जो इथनॉल का मामला है, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 5% कंप्लसरी और 10% तक किया है। दूसरा जो सब्सिडी का मामला है, जिसको आप उठाना चाहते हैं, लेकिन एक्प्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि जो बायोप्रोडक्ट्स हैं, उसी के मुताबिक एथनॉल पर भी सब्सिडी दी जाए। वह भी सरकार के अंडर कंसिड्रेशंस में है। एक्पोर्ट इंसेटिव्स या सॉफ्ट लोंस के संबंध में है, एफआरपी के संबंध में भी आपने कहा है। उस पर हम इसलिए विचार नहीं कर सकते हैं कि हम एफ.आर.पी. तय करते हैं और यदि कोई राज्य सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है, वह किसान को अधिक कीमत देना चाहे और अपने खजाने से देना चाहे तो उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है।

HON. SPEAKER: Prof. K.V. Thomas Ji, you ask only about sugarcane.

SHRI K.C. VENUGOPAL: He was a former Minister.

HON. SPEAKER: I know.

PROF. K.V. THOMAS: Madam, the sugarcane farmers, the millers and the industry have been facing the worst crisis for the last 15 years. As I understand, as on today the arrears to be given to the farmers are to the tune of Rs.16,000 crore and half of that is in U.P. The hon. Minister, Paswan Ji knows the subject very well. We have discussed many a time. The Government has already put forward some proposals. Apart from those suggestions to which the hon. Minister answered, my question is, whether a buffer stock can be formed by the FCI by procuring some stock from the millers? This is my first question.

Now, in the PDS system, you are supplying 500 grams through the States. Can it be enhanced to one kilogram per family? And, third, can some mechanism be found out so that an export incentive can be given and some sugar can be exported? These are my suggestions apart from what you have answered now.

श्री राम विलास पासवान : महोदया, जो माननीय सदस्य ने कहा है, मैं उसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा कि जो आपने 16 हजार करोड़ कहा, वह बकाया बढ़कर के 21 हजार करोड़ हो गया है और जितने आप चिन्तित हैं, सदन चिन्तित है, हम सब लोग चिन्तित हैं कि किसान की बकाया राशि का भुगतान कैसे किया जाए। भारत सरकार में हाई लेवल तक, मैं प्राइम मिनिस्टर के लेवल की बात कर रहा हूँ, कोई मेरे लेवल की बात नहीं है, जितना भी हम लोगों से बन पा रहा है, उस पर दिन-रात हम मंथन कर रहे हैं। आपने बफर स्टॉक का मामला कहा, उसमें डिमांड आई भी थी कि कम से कम 10 परसेंट बफर स्टॉक के लिए रख दिया जाए। अब उसमें कई एक मामले हैं कि बफर स्टॉक जो है, एफ.सी.आई. खरीदकर उनके पास रखे या वे अपने पास में रखें, उनका जो सूद होगा, वे बैंक से लोन लें और बैंक का सूद हम दें। ये सारे के सारे मामले हैं, उस पर अध्ययन हो रहा है और उसके ऊपर सरकार विचार कर रही है।

तीसरी चीज आपने एक्सपोर्ट इन्सेन्टिव्स की कही। आपको मालूम है कि एक्सपोर्ट इन्सेन्टिव पहले 3300 रूपए देते थे, अब बढ़ाकर हम लोगों ने 4000 रूपया कर दिया है। उसमें री-स्ट्रक्चरिंग की माँग वे लोग कर रहे हैं कि जो अभी पाँच साल का है, उसे बढ़ाकर के एकआद साल और कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि वह हमारे सामने मुद्दा है, लेकिन उस पर हम कोई एश्योरेंस अभी नहीं दे सकते हैं।

PROF. K.V. THOMAS: You have not answered to my suggestion for enhancing sugar from 500 grams to one kilogram per family.

श्री राम विलास पासवान : हम गेहूँ देते हैं और जहाँ-जहाँ राज्य सरकारें चीनी देती हैं, उस चीनी के ऊपर साढ़े अठ्ठारह रूपए हम सब्सिडी देते हैं और साढ़े तेरह रूपया उपभोक्ता से लिया जाता है।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: महोदया, पहले चीनी बेचने के लिए खाद्य विभाग द्वारा चीनी मिलों के लिए रिलीज मैकेनिज्म के तहत चीनी बेचने का निर्णय होता था। इसके कारण सरकारी कारखानों को चीनी बेचना आसान होता था। डी-कंट्रोल करने से चीनी होने के बावजूद सरकारी मिल चीनी नहीं बेच सकती हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार सरकारी चीनी मिलों की हालत देखते हुए डी-कंट्रोल हटाकर रिलीज मैकेनिज्म लाना चाहती है?

श्री राम विलास पासवान : इस पर हम लोगों ने बहुत विस्तार से अध्ययन किया है और मुझे लगता है कि यह सम्भव नहीं है। एक तरफ डी-कंट्रोल हो गया है, फिर उसको कंट्रोल करके फिर उसमें डी-कंट्रोल मैकेनिज्म को लागू करना, मैं समझता हूँ कि अभी यह सरकार, मतलब हमारे पास डिमांड्स आई हैं, लेकिन अभी वे हमारे विचाराधीन नही हैं।

योगी आदित्यनाथ: महोदया, देश के गन्ना किसानों की स्थिति अत्यंत खराब है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के उस क्षेत्र से आता हूँ, जिसे कभी "चीनी का कटोरा" कहा जाता था। वहाँ की चीनी मिलों ने उस क्षेत्र के पलायन को रोका था और किसानों को काफी समृद्ध किया था। गोरखपुर मंडल में आज से 20 वर्ष पूर्व तक 36 चीनी मिलें चलती थीं। आज मात्र 13 चीनी मिलें चल पा रही हैं और उन पर भी किसानों का हज़ारों करोड़ रुपया पिछला गन्ना मूल्य का बकाया है। वर्तमान सीज़न का गन्ना मूल्य का भुगतान अभी तक किसानों को नहीं हो पाया है।

माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि सरकार चीनी मिलों के जीर्णोद्धार के बारे में, उनके पुनरुद्धार के बारे में, शुगर डैवलपमैंट फंड से उनको ऋण आदि मिलने के बारे में यथोचित समय पर यथोचित निर्णय लेगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वह यथोचित निर्णय सरकार कब लेगी क्योंकि किसान आज तबाह है? उसके घर में शादी नहीं हो पा रही है। वह हर प्रकार से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि यथोचित निर्णय का समय कब आएगा जिससे किसानों को ठीक समय पर सही सहायता मिल सके और वहाँ की चीनी मिलों का पुनरुद्धार हो सके और किसान के पलायन को रोकने में पहले चीनी मिलों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उसी प्रकार किसानों के पलायन को रोका जा सके।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदया, अभी तक हमारे पास टोटल 709 चीनी मिलें हैं। इन 709 में से कार्यरत चीनी मिलें 529 हैं। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, वहाँ कार्यरत चीनी मिलें 118 हैं और बंद

चीनी मिलें 40 हैं। इनके अलग अलग आँकड़े हैं। माननीय सदस्य ने जो सवाल किया, हमने कहा कि हमारे सामने जो डिमांड आई थी, वह एक ही आई थी। किसान की भी वही डिमांड थी, मिल मालिक की भी वही डिमांड थी और जो स्टेट के मिनिस्टर को बुलाया था, उनकी भी वही डिमांड थी। कुल मिलाकर पाँच डिमांड्ज़ थीं कि आप ड्यूटी फ्री कर दीजिए 40 परसेंट तक, हम उस पर विचार कर रहे हैं और पॉज़िटिव तरीके से कर रहे हैं। दूसरा था सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन आलरेडी दिया जा रहा है। तीसरा था इथनॉल, वह आलरेडी हम कर रहे हैं। सब्सिडी का मामला है। हमने कहा कि वह अंडर एक्टिव कंसिडरेशन में है। चौथा बफर स्टाक का मामला है, वह हमारे विचाराधीन है। एफ.आर.पी. का मामला है। तो उसमें हमने कह दिया कि एफ.आर.पी. हम तय करते हैं, लेकिन राज्य सरकार यदि एक्स्ट्रा देती है तो हम उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। इन पर हम काम कर रहे हैं। और भी छोटी-मोटी डिमांड्ज़ हैं, लेकिन अंततोगत्वा जो मिल मालिक है, उनसे बकाया पैसे का भुगतान करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। राज्य सरकार के पास इतनी पावर है कि बैंक ज़ब्त कर सकता है, उसको जेल भेज सकता है, उसके सामान को बेचकर किसान को पेमेंट कर सकता है। इसलिए जब हम पिछली बार आए थे, तो हम समझते हैं कि हमारी सरकार ने इसमें जितना इनीशियेटिव लिया है, वह हम मैक्सिमम कर रहे हैं। हम जब पिछली बार आए थे, तो उस समय वह 53 करोड़ रुपये था, अंत में 1600 करोड़ रुपये बचे। इस बार भी 2100 करोड़ रुपये है। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हमारे पास जितने प्रपोज़ल्स आए हैं, उन सारे प्रपोज़ल्स को मान भी लिया जाए तो किसान को पेमेन्ट होने वाला है या नहीं। क्योंकि हमें दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि किसान को मिल रहा है या नहीं। चूँकि एक तरफ मिल मालिक हैं और दूसरी तरफ किसान हैं। इसलिए जो प्रपोज़ल है, उसमें जो यथोचित शब्द है, यथोचित का मतलब हम यथोचित नहीं रखते हैं। यथोचित का मतलब हो गया तत्काल कार्रवाई।

श्री हुकुम सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि चीनी वाला मामला बहुत महत्वपूर्ण है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लिखकर दे दीजिए, तो हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं।

श्री हुकुम सिंह: हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमने सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछने के लिए नाम भी दिया हुआ है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको किसी प्रकार की चर्चा चाहिए तो लिखकर देना पड़ेगा, फिर चर्चा होगी।

…(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: यह महत्वपूर्ण मामला है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, इस तरीके से नहीं होता है।

...(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग चर्चा मांगेंगे तो मिलेगी। चिल्लाकर क्या होगा?

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go in record.

… (*Interruptions*)… *

माननीय अध्यक्ष : आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? ऐसा नहीं होता है प्रश्न काल में।

प्रश्न 483, श्री राजेश कुमार दिवाकर।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

(Q. 483)

श्री राजेश कुमार दिवाकर: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या स्वतंत्र निदेशक और गैर सरकारी निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों को केवल और केवल नियमों, योग्यता और ईमानदारी के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है ताकि वे अपनी योग्यता के आधार पर कंपनियों को लाभान्वित कर सकें, तथा निदेशकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्षा जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद दूंगा कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न को उन्होंने आज इस सदन में उठाया है। जो इंडिपेंडेंट डायरैक्टर्स की नियुक्ति होती है, उस सन्दर्भ में जैसी अपेक्षा सदस्य ने की है, उसी प्रकार से यह नियुक्ति होती है। जो भिन्न-भिन्न हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं, उन उपक्रमों के लिए आवश्यक जो अनुभव उस इंडीपेंडेंट डायरैक्टर को होना चाहिए या उस उपक्रम के बारे में या उसके उत्पादन के बारे में जो जानकारी उसे होनी चाहिए, इन सारी बातों को देखते हुए जो उपक्रम के लिए हितकारी है या हो सकता है, इसी प्रकार के जो इंडीपेंडेंट डायरैक्टरों की नियुक्ति की जाती है और यह लगातार सरकार की ओर से प्रयास किया जाता है।

श्री राजेश कुमार दिवाकर: आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या पिछले कुछ वर्षों में नियुक्त किए गए कुछ स्वतंत्र निदेशक अथवा गैर-सरकारी निदेशक योग्यता के आधार पर नियुक्त हुए हैं या उन्हें किसी दबाव के चलते हुए इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है? क्या ऐसे नियुक्त किए गए गैर-सरकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का सम्बन्धित कम्पनी के साथ कोई आर्थिक सम्बन्ध था? इसमें निर्धारित संहिता कोड के साथ-साथ व्यावहारिक आचार, भूमिका, कार्यों आदि की जांच हेतु कोई नीति निर्धारित की जा सकती है?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्षा जी, जितने भी इंडीपेंडेंट डायरैक्टर्स नियुक्त किए गए हैं, वे योग्यता के अनुसार ही किए गए हैं। किसी भी इंडीपेंडेंट डायरैक्टर का यदि उस उद्योग के साथ या उस सार्वजनिक उपक्रम के साथ कोई रिश्ता है तो ऐसे इंडीपेंडेंट डायरैक्टर को वहां नियुक्त नहीं किया जाता है और इसीलिए जितने भी इंडीपेंडेंट डायरैक्टर्स अब तक नियुक्त किए गए हैं, वे सारे के सारे योग्यतानुसार ही किए गए हैं। इसमें किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई आशंका नहीं है।

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA: Madam Speaker, in spite of the best appointments in the Board of Directors, as Chairman and Managing Director to various Central public undertakings, a lot of public undertakings are running in losses. Or, they are moving virtually towards the verge of closure despite the best

appointments in the Board of Directors, as independent Director, Managing Director and Chairman.

The Government of India is seriously propagating the 'Make in India' programme. If that is so, in spite of the decision of the Government of India to close down many of the public undertakings which have got the best infrastructure and valuable land and property, in view of the 'Make in India' concept of the Government of India, can the Government of India think of rejuvenating and reviving the undertakings in respect of which they have already taken the decision to close them down?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्षा जी, यह जो मूल प्रश्न है, इससे इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है। यह प्रश्न मर्यादित है, जो सार्वजनिक उपक्रमों में इंडीपेंडेंट डायरैक्टर्स की नियुक्ति होती है, उसको लेकर है। फिर भी सदस्य ने जो चिन्ता यहां पर जताई है, यह वास्तविकता है कि हमारे कई उद्योग हैं, वे आज बीमार हैं और कितने दिन तक सरकार इन बीमार उद्योगों को चलाए, इस पर सरकार विचार कर रही है और उसी दिशा में कुछ निर्णय सरकार के द्वारा किए जाते हैं। यदि किसी विशेष पी.एस.यू. के बारे में सदस्य जानना चाहें, तो वे अलग से यह सवाल कर सकते हैं। उसका उत्तर निश्चित रूप में दिया जायेगा।

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Madam, all of us know that family jewels are preserved and safeguarded by every family. There is a company called NALCO, which is in my constituency, in Angul, Odisha. The company has had the bad fortune or misfortune of constantly getting Managing Directors who have been caught carrying huge amounts of black money / cash. There was a chain of CMDs who were caught doing very many wrong things and had been punished for which a 25 year old company -- which has been the pride of this country, I would say -- has had to suffer a lot.

Today, because of terrible mismanagement, the Government, it seems, is talking in terms of selling NALCO, this pride of all CPSUs, without trying to revive the company because NALCO has one of the best bauxite mines in Odisha. It has all the wherewithal, but NALCO has been repeatedly pillaged and plundered by its own Directors. I would like to know from the hon. Minister

whether the Government is thinking of selling all the family jewels or whether they are interested to bring about a change in the Management of the company by which NALCO can be revived; it will remain with the Central Government; and it will be a pride. I would like to know whether there are any such plans to make it into a professionally-managed company with professional Directors. I am talking about NALCO.

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्षा जी, मैं एक बार फिर से यह कहूंगा कि माननीय सदस्य काफी अनुभवी हैं। वे स्वयं जानते हैं कि यह प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है। यह नाल्को से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं उनकी एक बात से सहमत हूं कि हमारे जितने भी केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम हैं, ये एक तौर से हमारे देश के लिए ज्वेल्स के बराबर हैं। इन ज्वेल्स को प्रिज़र्व करने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाने आवश्यक हैं, वे सरकार द्वारा उठाए जाते हैं और भविष्य में भी उठाए जाएंगे। इस स्पेसिफिक सवाल का जवाब मैं इस समय उन्हें नहीं दे पाऊंगा। वे अलग-से इस प्रश्न का उत्तर पूछें तो निश्चित रूप में इसका उत्तर दिया जाएगा।

श्रीमती रक्षाताई खाडसे: मैडम, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पी.एस.यूज़ में गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक में प्राधान्य से महिला की नियुक्ति हेतु कोई नीति सरकार के विचाराधीन है?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्षा जी, मैं माननीय सदस्या को धन्यवाद दूंगा। कम्पनी एक्ट के मुताबिक़ सारे उपक्रमों में गैर सरकारी महिला निदेशक की नियुक्ति करना अनिवार्य है। इस दिशा में मेरे मंत्रालय की ओर से, सार्वजनिक उपक्रम, लोक उद्यम विभाग की ओर से सारे सी.पी.एस.यूज़ को इसकी सूचना दी गयी है। निश्चित रूप में, हर पी.एस.यू. में गैर सरकारी महिला निदेशक की नियुक्ति होना आवश्यक है और इस दिशा में सही कदम उठाए जा रहे हैं।

DR. SHASHI THAROOR: Madam, please allow me a supplementary.

SHRI M.I. SHANAVAS: Madam, please allow me to ask one question.

माननीय अध्यक्ष : इस समय दो बड़े-बड़े लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं।

डॉ. शशि थरूर जी।

DR. SHASHI THAROOR: Madam, my question is related to the question asked by the hon. Member. While, 64 of the 68 PSUs in our country have met the independent Director requirement at the end of March 2015, but the fact is that PSUs are still struggling with the appointment of women Directors, which is a mandate given by the Securities and Exchange Board of India (SEBI). There was a circular on 17 April last year directing the mandatory appointment of at least one woman Director on the Board of Directors. The deadline was supposed to be 1 October 2014, which was then extended to 1 April 2015 to ensure compliance by all the listed companies including all the PSUs. But the 1 April deadline is long gone, Mr. Minister, and of the 68 listed PSUs on the National Stock Exchange about 30 have failed to appoint a woman Director on the Board. Have you thought about initiating any action against these PSUs for non-compliance with this requirement? What has been the primary reason for this delay? When is the Government actually going to meet the requirement? You have given an answer to the lady MP saying that you have given a directive, but if the directive is not being followed, then what are you going to do about it, Mr. Minister? Thank you, Madam Speaker.

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्षा जी, सदस्य ने जो प्रश्न के माध्यम से जानकारी दी है, मैं उस जानकारी से पूरी तरह सहमत हूं। सेबी के निर्देश भी हैं, कंपनी एक्ट में भी इस प्रकार का प्रोविजन है और जो मेरा विभाग सार्वजनिक लोक उद्यम है, इस विभाग ने भी सारे सीपीएसयूज को महिला गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति के बारे में सूचनाएं दी हैं। मैं सदस्य से सहमत हूं कि समय पर यह नियुक्ति होनी आवश्यक थी, नहीं हो पाई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदस्य और सदन को भविष्य के लिए विश्वास देना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इसकी ओर विशेष ध्यान देकर समय-सीमा के तहत महिला संचालकों की नियुक्ति की जाएगी। मैं सदन को यह विश्वास देता हूं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्वतंत्र निदेशक की जो सूची दी गई है, इसके अलावा भी महारत्ना और नवरत्ना कंपनियां ऐसी हैं, जहां स्वतंत्र निदेशक

नहीं हैं। वे कंपनी लॉ में भी हैं। अगर नवरत्ना और महारत्ना कंपनीज में डॉयरेक्टर नहीं है तो उनका स्टैटस छिन सकता है। इस लिस्ट के अलावा ऐसी नवरत्ना और महारत्ना कंपनियां हैं जिनमें स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक नहीं हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई करेंगे?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदया, स्वतंत्र निदेशक न होने के कारण, हमारे कई अच्छे सीपीएसयूज हैं, जैसे महारत्ना और नवरत्ना का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, उनके लिए अपने क्रियान्वयन और कार्रवाई में बाधा आती है, मैं इससे सहमत हूं। मैं सदन और सदस्य को आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आने वाले समय में हर पीएसयू के ऊपर गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति हो जाएगी और उसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे।

HON. SPEAKER: Q. 484,
Dr. Heena Vijaykumar Gavit – Not present;
Shrimati Supriya Sule.

(Q. 484)

SHRIMATI SUPRIYA SULE : What happened in Ghaziabad was a very shameful and a very unfortunate incident. As per the reply, the Ministry seems to have taken action. I want an assurance from the hon. Minister that this sort of a thing never ever happens because differently-abled people are very important and relevant people in our society who are trying to participate with very little help, infrastructure and coaching. I would ask the hon. Minister that all the infrastructure in future, all of it, pan-India, should be inclusive and cater to all our differently-abled sportspersons. They should have enough access to it. Does the Ministry have any plan for giving special coaching to them because they do like to go but there is really no coaching facility available?

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Madam Speaker, first of all, I would like to thank the hon. Member of Parliament for bringing this particular sensitive issue to the notice of the House. Whatever had happened in Ghaziabad is a sorry state of affairs on the part of the National Sports Federation. It was a demonstration of the act of mismanagement, negligence and irresponsibility. We do agree with you on this issue. That is why, on our part, we have immediately taken action against them. We have suspended the Federation. At the same time, we have issued a show-cause for de-recognition.

In the near future, to ensure that para athletes do not suffer from this kind of a mismanagement or inconvenience, I have a special appeal to all the State Governments and, at the same time, to the National Sports Federation also, to take special care. As you know, 'sports' is a State subject for the development of infrastructure facilities is the primary responsibility of the State Government. In this regard, on our part, whatever best possible is there, we will always do it to the fullest extent.

At the same time, for their better coaching, we have decided to set up a coaching camp in Gandhinagar, Gujarat. It will provide international facilities for all the para athletes in the country and also we have decided to include para

athletes in the SAI Training Centre as well as Special Area Games Centre so that in the near future they get all possible facilities like the other athletes.

As you know the Government always gives equal importance to both – able athletes as well as physically challenged athletes. Whatever cash award is given, it is equally given. Whatever amount we give to the able sportspersons, the same amount is given to the differently-abled athletes also.

For your information, as my hon. senior Colleague, Shri Tomar, has informed me just now, in South Africa, when the Blind Cricket Team of India won the World Cup defeating Pakistan, at that time, our hon. senior Colleagues, Shri Ananth Kumar, Shri Tomar and myself went to the airport to receive them, and also on the same day, we have given the a cash prizes to 17 Cricketers. Similarly, when they won 33 medals at Incheon Asian Games, they have also been given cash awards on the same line.

HON. SPEAKER: Very good.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: One of the blind boys of that Cricket Team, which you mentioned, was from my constituency and he was a part of that team. I know that he was felicitated by you.

One feels that 'differently-abled' means just one ramp is good enough. There are a lot of other requirements. So, would you get some special experts to improve your infrastructure or at least give some guidelines to the States on how you can make every sports facility available with the right interventions because just a ramp is not enough? We all believe that just adding one ramp means it is a solution for all the problems being faced by the differently-abled people. We have to make sure that they really feel included in this sports programme.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Madam Speaker, the Government is also running Special Centres for the Disabled in the country.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Not 'disabled', but 'differently-abled'.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: We are running the Special Centres for the differently-abled and physically challenged athletes. As you have suggested, in the

near future, whatever best modern facilities are there, they will be provided to the differently-abled athletes. That would be specially taken care of and that is a matter which would be looked into.

श्री कीर्ति आज़ाद: यह प्रश्न 'ड' भाग से जुड़ा हुआ है कि उन सब को रोकने के लिए आगे सरकार क्या कार्रवाई करेगी? केवल विकलांगों को ही तकलीफ नहीं होती है, बल्कि जो विकलांग नहीं हैं उनको भी तकलीफ होती है। स्पोर्ट्स का कोई भी डिसिप्लिन हो सबके साथ यह होता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उन्होंने पहले भी हमें एश्योरैन्स दिया था, मैं पूर्व के खेल मंत्री अजय माकन जी का धन्यवाद करता हूं कि वह 'नेशनल स्पोर्ट्स डेवेलपमेन्ट बिल', लेकर आये थे। वह किन कारणों से कैबिनेट में पास नहीं हुआ है, मुझे वह मालूम नहीं है, लेकिन जो 'नेशनल स्पोर्ट्स डेवेलपमेन्ट बिल' तैयार किया गया है, अगर उसे लाया जायेगा तो आपको उन समस्याओं का समाधान मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष सबको अपने कार्यक्रमों के बारे में बताना पड़ेगा।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि खेल जिसका न कोई जात होता है और न कोई मजहब होता है, लोग अपने देश और टीम के लिए खेलते हैं, ऐसे 'नेशनल स्पोर्ट्स डेवेलपमेन्ट बिल' को सरकार कब ले कर आयेगी, जिससे कि हो रही गंदगियां थम सकें?

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह ब्लाइंड प्लेयर्स को लेने गये थे, यह खुशी की बात है। जब मैंने इन्हें आई.पी.एल. के ओपनिंग सेरेमनी में देखा था तो मुझे और प्रसन्नता हुई थी।

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Madam Speaker, let me inform the House that some more consultations are required on this Bill. Therefore, this august House will have to wait for some more time because this consultation stage is still on.

DR. RATNA DE (NAG): There were media reports about the pathetic infrastructure at the venue and lack of basic amenities for the athletes during the entire period of the event. This has disturbed many. What to talk of giving extra assistance to help the differently-abled sportspersons, they have not even been provided with fans, water, ramps, disabled-friendly toilets and lodging facilities. Of course, the President of the Para Olympic Association was suspended. Is this enough? Would the hon. Minister highlight as to what innovative efforts have

been made in the aftermath of such shocking incident concerning differently-abled sportspersons during the National Para Athletic Championship Meet?

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Madam Speaker, this particular matter has deeply affected us and that is why we have immediately conducted an inquiry. We have sent a SAI team to the spot. They have assessed the whole situation and reported back to us. On the basis of their report, we have suspended the Federation and also issued show-cause for de-recognition.

This is a teaching which they should learn from their own misdeeds. In this august House, I would like to request all the respected National Sports Federations to get united, in spite of having the infighting within themselves. It is better to get united for the betterment of the sports in the country. Despite their infighting, our Government is always helping the players through SAI sending them to the different competitions. Whatever is taking place, it is because of the infighting within the Federations. That is why, the people of the country want that Federations should get united. The four important pillars of sports fraternity are the Central Government, State Governments, Indian Olympic Association and Federations. We must get united; we must move together. Yesterday - you must have gone through the report - the President of the International Olympic Committee, Mr. Thomas Bach came to India. During our introduction, he has also emphasised that autonomy and good governance should be ensured. Autonomy and good governance must go hand in hand. That is why, the Government and our Ministry is always respecting the autonomy of the Federation. But, at the same time, the transparency and accountability must be there in the day-to-day affairs. This is the desire of the people of the country, the sports lovers of the country.

(Q. 485)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि देशभर में जहां स्किल सैंटर्स या रीहैबिलिटेशन सैंटर्स फार पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का विषय है, क्या हम उसे एडीआईपी जो एड्स और असिस्टैंस का प्रोग्राम है, उससे जोड़ने का कोई प्रावधान कर रहे हैं क्योंकि पूर्व में देखा गया कि तकरीबन 43 प्रतिशत डिफरेंटली एबल्ड लोगों को रोजगार प्राप्त होता था। अभी वह घटकर 38 प्रतिशत से भी कम हो चुका है क्योंकि 38 प्रतिशत का आंकड़ा भी वर्ष 2001 का है। आज के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। किस प्रकार ऐसा प्रावधान हो कि स्किल ट्रेनिंग सैंटर्स तक डिफरेंटली एबल्ड लोग पहुंचें और उनके रोजगार में उसे तब्दील किया जाए। क्या उसके लिए मंत्रालय का कोई प्रावधान है?

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है, निश्चित रूप से इस प्रकार की सुविधा मेरे विभाग की ओर से अशक्त जनों को सिपडा योजना के माध्यम से, दीनदयाल उपाध्याय पुनर्वास योजना के माध्यम से, विकलांग वित्त विकास निगम के माध्यम से, हमारे सात राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से और श्रम विभाग की ओर से विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र की योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। हमने देशभर में इस प्रकार के कौशल प्रशिक्षण के लिए थोड़ा सक्रिय प्रयास प्रारंभ किया है। कौशल मंत्रालय के माननीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी जी के साथ 21 तारीख को हमने एक एमओयू भी किया है। लक्ष्य तय किया है कि इन तीन वर्षों में 5 लाख लोगों को प्रशिक्षित करेंगे और पांच वर्षों या वर्ष 2020 तक 25 लाख लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। राष्ट्रीय कार्य योजना में 70 प्रतिशत रोजगार लक्ष्य रखा गया है और हम इस रोजगार लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कारगर कदम उठा रहे हैं। मेरे पास आंकड़े भी हैं कि हमने अभी तक केवल 2014-15 में 52,650 लोगों को लाभान्वित किया है। दिल्ली का आंकड़ा मेरे पास है, राज्यवार आंकड़ा भी मेरे पास है। अगर माननीय सदस्या चाहेंगी तो मैं उसे उपलब्ध करवा दूंगा।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: माननीय अध्यक्ष जी, सरकार स्कीम डेवलपमेंट प्रोग्राम को रिवैम्प करने की कोशिश कर रही है। नेशनल काऊंसिल एंड स्किल ट्रेनिंग प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत पूर्व सरकार द्वारा चलाई जा रही रही थी। क्या इस कार्यक्रम के साथ उसे इंटीग्रेट करने का कोई प्रावधान है? आप हर डिस्ट्रिक्ट में आईआईटी बनाना चाहते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में उन्हीं आईआईटी के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए क्या अलग से प्रावधान होगा या उनके लिए अलग से आईआईटी की स्थापना होगी? क्या इस पर सरकार ने विचार किया है?

श्री थावर चंद गहलोत : महोदया, हम आवश्यकतानुसार और नित्य नई तकनीकी प्रणाली को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से परिवर्तन करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पुनर्वास योजना को जिला स्तर पर संचालित करते हैं। सिपड़ा और फाइनेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। दीनदयाल उपाध्याय पुनर्वास केन्द्र के माध्यम से इस प्रकार की कार्ययोजना को संचालित किया जा रहा है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: अध्यक्ष महोदया, भारत के विभिन्न राज्यों के गांवों में स्किल डेवलपमेंट की मजबूत संभावनाएं हैं। हाथ की कारीगीरी में बिहार को महारत हासिल है। मधुबनी की पेंटिंग और भागलपुर में रेशम की कढ़ाई की जाती है। मुंगेर और हवेली खड़गपुर में चांदी की मछली तराशी जाती है। बांका और मुंगेर में जो चांदी की मछली बनती है उसे बिचौलिए गजरे के भाव से उठा लेते हैं। उसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए क्या कार्यक्रम है? बिहार को इस बाबत क्या विशेष सुविधा दी जा रही है?

श्री थावर चंद गहलोत: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य सामान्य प्रकृति का प्रश्न पूछ रहे हैं। जिस कारोबार में वे लोग लगे हैं अगर वे विकलांगता की श्रेणी में आते हैं तो हम उनको विकलांग वित्त विकास निगम के माध्यम से सस्ते ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं।

डॉ. मनोज राजोरिया : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने विशेष योग जनों की समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं विशेषकर स्किल डेवलपमेंट का विस्तृत विवरण दिया है। जिसमें सिपड़ा, दीनदयाल उपाध्याय रिहैबिलिटेशन स्कीम, एनएचएफडीसी योजनाओं के माध्यम से राज्यों को सहायता दी जाती है या एनजीओ के माध्यम से दी जाती है। सरकार की भावना है कि विशेष योग जनों को किसी विशेष कार्य के लिए ट्रेनिंग दी जाए। सरकार का अंतिम उद्देश्य उनको नौकरी देने का है, लेकिन उनकी नौकरी सुनिश्चित करने का कहीं जिक्र नहीं है। विशेष योग जन जो जन्म से ही प्राकृतिक मुसीबत झेलता है, अपमान झेलता है और अपनी मेहनत से ट्रेनिंग करके रोजगार पाने की कोशिश करता है, क्या सरकार राष्ट्रीय स्तर पर विशेष योग जनों का राज्यवार विवरण तैयार करके सरकारी और प्राइवेट नौकरी सुनिश्चित करने के लिए कोई मोनिटरिंग सिस्टम बना रही है जिससे उनकी नौकरी सुनिश्चित की जा सके?

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, हम निश्चित रूप से इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं और ट्रेनिंग के बाद लाभान्वित व्यक्ति की नौकरी लगी है या नहीं, इसका भी हम पता लगाने का प्रयास करते हैं। इसका हमें बहुत कठिनाई से पता लगता है, फिर भी मेरे पास राज्यवार बेनीफिशरीज की संख्या है। अगर आप अनुमति दें, तो उसे मैं पढ़कर भी सुना सकता हूं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप उन्हें यह जानकारी उपलब्ध करा दीजिए।

श्री थावर चंद गहलोत : मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन इस अवसर पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमने इस पर गंभीरता से विचार करके यह निर्णय लिया है कि जिन लोगों को हम आर्थिक सहायता देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, वे प्रशिक्षण के बाद कुशल हो जाते हैं। अब कुशल होने के बाद वे कारोबार में लगे हैं या नौकरी में लगे हैं, उनका भी हम पता लगायेंगे। हम भविष्य में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनका पता लगाकर उन्हें और अधिक सुदृढ़ करने की कोशिश करें।

(Q. 486)

SHRI P. SRINIVASA REDDY : Thank you very much.

Global climate change is already violently affecting communities not just across India but around the world. India is the third largest carbon polluter behind Chine and the United States. It accounts for about six per cent of the country's total emissions. That share is expected to rise in the coming decades as Indian population leaps from 1.2 billion to 1.6 billlion by 2050 and as the country adds more fossil fuel fired power plants to meet the soaring energy demand. So, my first question is, what measures has the Government taken to harness the potential of natural resources like wind energy, solar energy, tidal energy and other conventional natural resources at an affordable budget at village level.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: It is a very important issue for all. Let me tell you that first let us not consider only the one figure of six per cent being India's contribution to current emissions. What matters in the global climate change debate and global warming debate is what have been the historical and cumulative emissions; ours are very less. We are not the third. We may be the hundredth or even much below that. So, that is the position on cumulative emissions of India in comparison to other countries of the world.

Secondly, and more importantly, every person has a right to carbon space. That is the terminology we use because everybody has a right to development also and so he must occupy that space. Therefore, *per capita* emission is important; and our per capita emission is much lower with only 1.79 tonnes per annum. Our *per capita* emission is much lower than those of developed countries. Other countries are much ahead of us but our emission is growing.

As the Prime Minister always says, there is no pressure but there is pressure of climate change and there is pressure of the future generations. Therefore, we have decided to upscale our renewable targets. The Prime Minister has already announced one lakh megawatts of solar energy. This is a huge program which also involves 60,000 megawatts of wind energy, 10,000 megawatts of biomass energy

and 5,000 megawatts of small hydro-electric energy; all put together coming to 1,75,000 megawatts. This means an investment of $ 150 billion and savings of carbon emissions to the tune of 350 million tonnes. So, we are taking the most pro-active action. This is precisely pre-2020 action, which we are not mandated under the Kyoto Protocol but we are doing it as our own commitment. Therefore, upscaling of targets and changing the energy mix is the way forward.

We are now replacing all the streetlights into LED. With this action also, we can reduce our emissions and increase our energy efficiency. So, all put together, we are on a very ambitious road to clean energy, clean India and green India.

12.00 hrs

SHRI P. SRINIVASA REDDY: Madam, I would like to know from the hon. Minister the measures Government has taken to strengthen the implementation of existing policies so as to meet its mitigation goals and also to ensure adequate finance and institutional capacity as well as better coordination of national, State and local Governments.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: It is also a very important issue. We have eight national missions. Now we have added four new initiatives. All put together, it is to be implemented by the State and local bodies. So, it involves the capacity building of local bodies as also States. So, we have asked all the States to prepare their State Action Plans. We are helping them out. We are launching a big programme of capacity building in adaptation and other areas. At the same time, the best practices are also shared. We recently had a Conference of all the Environment Ministers and all the Secretaries of the States concerned with pollution, environment and forest. We have also adopted a national programme with regard to what the States and the local bodies will do.

SHRI KIRTI VARDHAN SINGH: Thank you, respected, Speaker Madam. This is referring to part (d) of the answer as given by the Minister where the Government has set a very realistic target to reduce the greenhouse emission by 20

to 25 per cent by 2020. In this regard I would like to ask the hon. Minister that since burning of petroleum products is a significant contributor to the emission of greenhouse gases…

HON. SPEAKER: It is okay. We have not much time left.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: We are on the road to achieve our target of reducing the greenhouse emission up to 20-25 per cent by 2020. IPCC Emission Gas Report has certified that India is on road to achieve the targets.

HON. SPEAKER: Question Hour is over.

12.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be Laid on the Table.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-6 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library. See No. LT 2366/16/15]

(दो) सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड तथा सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के बीच वर्ष 2015-16 के लिए हुआ समझौता।

[Placed in Library. See No. LT 2367/16/15]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 जो 20 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 127(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2015 जो 27 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 127(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library. See No. LT 2368/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI SARBANANDA SONOWAL): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Youth Affairs and Sports for the year 2015-2016.

[Placed in Library. See No. LT 2369/16/15]

(2) Outcome Budget of the Ministry of Youth Affairs and Sports for the year 2015-2016.

[Placed in Library. See No. LT 2370/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Notification No. S.O.606(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 24th February, 2015, making certain amendments in the Notification No. S.O.93(E) dated 29th January, 1998 under Sections 6 & 25 of the Environment Act, 1986.

[Placed in Library. See No. LT 2371/16/15]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 2372/16/15]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 2373/16/15]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) कर्नाटक एंटिबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक एंटिबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 2374/16/15]

(5) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च, हैदराबाद के वर्ष 2007-08 से 2012-13 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 2375/16/15]

(7) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 2376/16/15]

(9) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 2377/16/15]

(11) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-16 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 2378/16/15]

HE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI G.M. SIDDESHWARA): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited, Ootacamund, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited, Ootacamund, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. LT 2379/16/15]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the Engineering Projects (India) Limited and the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises for the year 2015-2016.

[Placed in Library. See No. LT 2380/16/15]

(ii) Memorandum of Understanding between the Hindustan Paper Corporation Limited and the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises for the year 2015-2016.

[Placed in Library. See No. LT 2381/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Enemy Property Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 205(E) in Gazette of India dated 19th March, 2015 under sub-section (3) of Section 23 of the Enemy Property Act, 1968.

[Placed in Library. See No. LT 2382/16/15]

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Disaster Management Authority, New Delhi, for the year 2012-2013.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library. See No. LT 2383/16/15]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फॉर दि फिजिकली हैण्डीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथ लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फॉर दि फिजिकली हैण्डीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 2384/16/15]

(3) कंपनी अधिनियम, 19576 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 2385/16/15]

5) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की धारा 15 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ,नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेख।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 2386/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (DR. SANJEEV BALYAN): Madam, I beg to to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Goa Meat Complex Limited, Panjim, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the Goa Meat Complex Limited, Panjim, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library. See No. LT 2387/16/15]

(b) (i) Review by the Government of the working of the West Bengal Livestock Development Corporation Limited, Kolkata, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the West Bengal Livestock Development Corporation Limited, Kolkata, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (b) of (1) above.

[Placed in Library. See No. LT 2388/16/15]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) विद्यारणा, बंगलौर के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विद्यारणा, बंगलौर के वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 2389/16/15]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड तथा सामाजिक नयाय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-16 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library. See No. LT 2390/16/15]

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जातिंया वित्त और विकास निगत लिमिटेड तथा सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library. See No. LT 2391/16/15]

(4) (एक) अरुण इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, ढेंकानाल के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अरुण इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, ढेंकानाल के वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 2392/16/15]

(6) कलइसेल्वी करुणालय सोशल वेलफेयर सोसायटी, चेन्नई के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 2393/16/15]

(8) कलइसेल्वी करुणालय सोशल वेलफेयर सोसायटी, चेन्नई के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 2394/16/15]

12.03 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I have to report a message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

"I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on 27th April, 2015 has adopted the following motion:

MOTION

"That this House recommends to the Lok Sabha that the Lok Sabha do agree to leave being granted by the Rajya Sabha to withdraw the Bill to provide for allocation of coal mines and vesting of the right, title and interest in and over the land and mine infrastructure together with mining leases to successful bidders and allottees with a view to ensure continuity in coal mining operations and production of coal, and for promoting optimum utilization of coal resources consistent with the requirement of the country in national interest and for matters connected therewith or incidental thereto which was passed by the Lok Sabha on the 12th December, 2014 and laid on the Table of the Rajya Sabha on the 15th December, 2014."

12.03 ½ hrs

COMMITTEE ON ESTIMATES
2nd to 4th Reports

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (कानपुर) : मैं प्राकल्लन समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित "ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों का मूल्यांकन" के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(2) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित "राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम"विषय के बारे पन्द्रहवीं लोक सभा की प्राकल्लन समिति (2013-14) के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित ''राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम'' विषय के बारे में पन्द्रहवीं लोकसभा की प्राक्कलन समिति (2013-14)के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

12.04 hrs

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
3rd to 6th Reports

श्री शान्ता कुमार (कांगड़ा) : मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के बारे में 26वें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विषट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकर द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(2) कोल इंडिया के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(3) 2011-12 के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन संख्यांक 3 के पैरा 2.5 पर आधारित भारत सरकार की ओर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण-मुम्बई इंडिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट (पी) लिमिटेड द्वारा न्यासीय हैसियत में धारित एस्क्रो खाते से अप्राधिकृत वापसी के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (पन्द्रहवीं लोक सभा) के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विषट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

(4) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के बारे में छठा प्रतिवेदन।

12.05 hrs

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
5th and 6th Reports

डॉ. शशि थरूर (तिरुवनन्तपुरम) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) वर्ष 2015-16 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में पांचवां प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा)।

(2) वर्ष 2015-16 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में छठा प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा)।

12.05 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION
Statements

SHRI J.C. DIVAKAR REDDY (ANANTAPUR): I beg to lay on the Table the Final Action Taken Statements (Hindi and English versions) showing action taken by the Government on the recommendations contained in Chapter I and final replies in respect of Chapter V of the following Action Taken Reports of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution (2014-15):-

(1) Twenty-fourth and Thirty-second Action Taken Reports on Demands for Grants (2012-13) and (2013-14) (15th Lok Sabha) of the Department of Food and Public Distribution (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution).

(2) Twenty-second, Twenty-fifth and Thirty-first ActionTaken reports on Demands for Grants (2011-12), (2012-13) and (2013- 14) (15th Lok Sabha) of the Department of Consumer Affairs (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution).

12.06 hrs

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
11th to 14th Reports

श्री रमेश बैस (रायपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (नि:शक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में बारहवां प्रतिवेदन।

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन।

(4) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन।

12.06 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE
117th and 118th Reports

SHRI SULTAN AHMED (ULUBERIA): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Commerce:-

(1) 117th Report on Demands for Grants (2015-16) of Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry.

(2) 118th Report on Demands for Grants (2015-16) of Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry.

12.07 hrs

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
268th and 269th Reports

SHRIMATI SANTOSH AHLAWAT (JHUNJHUNU): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Human Resource Development:-

(1) 268th Report on Demands for Grants 2015-16 (Demand No. 108) of the Ministry of Women and Child Development.

(2) 269th Report on Demands for Grants 2015-16 (Demand No. 109) of the Department of Sports.

12.07 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
218th to 222nd Reports

श्रीमती अर्पिता घोष (बालूरघाट) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:-

((1) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में 218वां प्रतिवेदन।

(2) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में 219वां प्रतिवेदन।

(3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में 220वां प्रतिवेदन।

(4) पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में 221वां प्रतिवेदन।

(5) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में 222वां प्रतिवेदन।

12.08 hrs

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE
75th and 76th Reports

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice:-

(1) 75th Report on Demands for Grants (2015-16) of the Ministry of Law and Justice.

(2) 76th Report on Demands for Grants (2015-16) of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

12.08 ½ hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)Status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution*

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देता हूं।

12.09 hrs

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 35th and 40th Reports of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Department of Disability Affairs (now Department of Empowerment of Persons with Disabilities), Ministry of Social Justice and Empowerment**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं नि:शक्तता कार्य विभाग (अब नि:शक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 35वें और 40वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देता हूं।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2395/16/15

** Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2396/16/15

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 39th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on `Pricing of Fertilizers', pertaining to the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers*

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय सं संबंधित ''उर्वरकों का मूल्य निर्धारण'' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देता हूं।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2397/16/15

माननीय अध्यक्ष : मैं दे दूंगी। यह परिपाटी मत बनाओ कि तुरंत दे दूंगी। मुझे मालूम है। बैठिए।

… (*Interruptions*)

SHRI GUTHA SUKENDER REDDY (NALGONDA): Hon. Speaker, I would like to draw the attention of the hon. Minister for Road and Transport about the matter of upgradation of Kodad-Miryalaguda-Devarakonda-Kalvakurti road to a national highway. This is a long pending request which has been proposed by three former Chief Ministers and also by the present Chief Minister. It will help in opening up large tracts in backward areas and will help to promote industrial and tourist centres and thereby contribute to the economic development of the State, besides providing inter-State connectivity. It is essential to develop the road infrastructure to cover all important pilgrim centres, major ports and industrial hubs. It will help in providing connectivity from the capital city to other important cities and towns in the neighbouring States bringing about an accelerated growth in the region. This is necessary to avoid accidents also. In spite of repeated correspondence and appeals being made to the hon. Minister for his approval, nothing has happened so far. The new Government of Telengana has also sent this proposal afresh. In view of the above I would like to sincerely request the hon. Minister to kindly explore the possibilities of declaring the above road as a national highway by making necessary allocations in the Budget in this financial year.

SHRI C. GOPALAKRISHNAN (NILGIRIS): Hon. Speaker, before raising this issue I extend my sincere gratitude to my leader Puratchi Thalaivi Amma.

Madam, Tamil is a Dravidian language spoken predominantly in Tamil Nadu and Sri Lanka. It has an official status in the Indian States of Tamil Nadu, Puducherry and Andaman and Nicobar Islands. Tamil is also an official and national language of Sri Lanka and one of the official languages of Singapore. It is also legalized as one of the languages and is a medium of instructions in schools in Malaysia. It is also chiefly spoken in South India as one of the secondary

languages. It was the first Indian language to be declared as a classical language by the Government of India in 2004.

There are thunderous voices in Tamil Nadu for making Tamil language as language for trial courts and the High Court language. But the Madras High Court Bench dismissed arguing in Tamil in courts and held that the Constitution clearly states that the language of the Supreme Court and the High Courts "shall be in English".

The Constitution is clear. English is used in all official documents. This makes sense. The language of the law in India is English. But so far only four High Courts – in the States of Rajasthan, Bihar, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh – have used Hindi language. The unique allowance for Hindi in some High Courts is a disadvantage for the country Tamil speakers who have long resented Hindi encroachment from the North.

Our hon. Leader Amma earlier called upon the national lawmakers to allow Tamil to be introduced as an official language in the Madras High Court. Amma also insisted that if we are to take the administration of justice genuinely closer to the people, then it is absolutely imperative that the local language is used in High Court as is already being done by the State Government and the Legislature.

Madam, hence I would like to urge upon the Government to amend the Constitution to incorporate Tamil language as a court language in Madras High Court.

माननीय अध्यक्ष : इस पर अभी बहस नहीं हो सकती है, अगर आप एसोसिएट करना चाहें, तो कर सकते हैं। श्री केशव प्रसाद मौर्य ।

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया। जैसा कि सम्पूर्ण सदन जानता है, इलाहाबाद में विश्वप्रसिद्ध, संसार का सबसे बड़ा कुम्भ मेला लगता है, जहां दस करोड़ से अधिक संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। प्रत्येक वर्ष वहां माघ मेले का भी आयोजन होता है जिसमें पांच करोड़ से अधिक संख्या में तीर्थयात्री अलग-अलग स्नान पर्वों पर एकत्र होते हैं, लेकिन वहां की व्यवस्था सदैव बहुत खराब रहती है। जब भी कोई बड़ा मेला होता है तो वहां ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं घटती हैं जिनसे तीर्थयात्रियों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश सरकार के माध्यम से वहां की व्यवस्था संभलती नहीं है। चूंकि यह बहुत बड़ा मेला क्षेत्र हैं, इसलिए मैं मांग करता हूं कि शहरी विकास मंत्रालय केन्द्र के अधीन वहां व्यवस्था कराए और वहां के लिए संगम मेला प्राधिकरण का गठन किया जाए।

वहां पर एक किला है, जहां अक्षयवट है, जहां बिन्दुमाधव का...(व्यवधान) वह किला सेना के कब्जे में है। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि उसे खाली कराया जाए। इसी तरह से प्रयाग में नेहरू पार्क भी सेना के कब्जे में है, उसे भी खाली कराने की मांग करता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आपकी बात हो गयी है।

श्री केशव प्रसाद मौर्य: अध्यक्ष महोदया, हेतापट्टी से सलोरी, कुड़ेसर घाट से फतेहपुर घाट, मलाकराड़ से टी.पी. नगर के लिए गंगा जी पर छः लेन के सेतु का निर्माण हो एवं असरावे पूर्व से इलाहाबाद-चित्रकूट मार्ग को जोड़ने के लिए छः लेन के सेतु का निर्माण किया जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इतनी मांगें एक साथ नहीं रखिए।

श्री केशव प्रसाद मौर्य: अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह, आप बोलिए - नहीं बोल रहे हैं।

श्री गौरव गोगोई, आप बोलिए।

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Madam Speaker, the Telecom Regulatory Authority of India initiated a consultative process on net neutrality. … (*Interruptions*)

श्री कृष्ण प्रताप (जौनपुर): मैडम, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपका नाम दो बार बुलाया है। अभी बैठिए।

SHRI GAURAV GOGOI : The process had focused on a controversial proposal where telecom providers get to choose the kind of content that Internet users want. The Congress Leader, Shri Rahul Gandhi had said that this proposal infringes upon the basic right of every Indian citizen to free Internet. His voice lends support to one million people who have written to the Telecom Regulatory Authority of India demanding net neutrality.

Yesterday, in a grave error, TRAI had published the names and e-mail addresses of all these one million activists. The seriousness of this crime can only be gauged if the House imagines what happens if a bank leaks the names and account details of all its account holders. That is the same damage that has been done to these one million activists. The names and e-mail addresses are now exposed to hackers, online criminals, cyber crimes, spamming, etc. Therefore, it has increased the burden for these one million activists who were demanding the basic right to net neutrality.

I request the Ministry of Information Technology and Communications to launch a strict investigation into the body, identify the lapses in the security procedures and why they have compromised upon the right of security and online privacy for these one million citizens. TRAI should be investigated into and the Ministry should stand by on the side of these one million activists who are campaigning against big corporates on net neutrality.

I request the Government to stand by the masses and not by the big corporates. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You can associate with Shri Gaurav Gogoi.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri P.K. Biju, Shri Sankar Prasad Datta, Shri Jose K. Mani, Adv. Joice George, Dr. A. Sampath, Shrimati P.K. Shreemathi Teacher, Shri Rabindra Kumar Jena and Prof. Sugata Bose and Shri Md. Badaruddoza Khan are permitted to associate with the issue raised by Shri Gaurav Gogoi.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Krishna Pratap Singh.

… (*Interruptions*)

श्री कृष्ण प्रताप: अध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Krishna Pratap Singh says.

… (*Interruptions*)… *

HON. SPEAKER: All of you can associate with Shri Gogoi. ऐसे नहीं होता है।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Nishikant Dubey, please take your seat. Nothing will go on record. I am sorry.

… (*Interruptions*)… *

श्री कृष्ण प्रताप: अध्यक्ष महोदया, आज किसानों की फसलों का प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हुआ है।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप बैठिए। मैं आप लोगों की बात समझ गयी हूं। आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री कृष्ण प्रताप: वहां किसानों को सौ- दो सौ रुपये के चेक दिए जा रहे हैं।...(व्यवधान) वे चेक भी बाउंस हो गए हैं।...(व्यवधान) राजस्व विभाग और लेखपालों की मिलीभगत के कारण, भ्रष्टाचार के कारण उत्तर प्रदेश में एक ही क्षेत्रफल पर, एक जैसी भूमि पर कहीं अधिक मुआवजा दिया जा रहा है और कहीं पर कम मुआवजा दिया जा रहा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : निशिकांत दुबे जी, आप बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है। आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री कृष्ण प्रताप: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से इसकी जांच कराने की मांग करता हूं। इसके लिए एक कमेटी गठित करने की मांग करता हूं। भविष्य में किसानों का ऐसा नुकसान न हो, इसके लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर कोई कमेटी बनाए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, you may please instruct the hon. Minister to give a statement… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You can associate with him. मैं जीरो ऑवर में इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती। प्लीज, बैठिए। ऐसा होता है।

… (*Interruptions*)

श्री कृष्ण प्रताप: भविष्य में किसानों को इस तरह के नुकसान से बचाने के लिए कोई कमेटी केन्द्र सरकार बनाए, जिससे किसानों को मुआवजा सीधे पहुंचाया जा सके, किसानों को सीधे लाभ मिल सके और उत्तर प्रदेश में जो इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी केन्द्र सरकार किसी केन्द्रीय समिति द्वारा जांच कराए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको इश्यू उठाने का मौका दिया था, आपने अपनी बात कह दी है। मैं हर समय सरकार को कम्पैल नहीं कर सकती। आपने अपनी बात कह दी है अब आप बैठ जाएं। If the Government wants to respond, they will respond on their own.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am not allowing you. You can associate.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM): Madam speaker, thank you. The issue is about my constituency.

Siruseri is located between Navalur and Kelambakkam along Old Mahabalipuram Road and is a south-eastern suburb of Chennai in Kancheepuram District.

State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu (SIPCOT) was established in 1971 to develop industrial growth in Tamil Nadu. Now, Siruseri has the largest IT Park in Asia in an area of around 100 acres. This Park has all the basic infrastructure facilities, like separate sub-station for power supply, separate telephone exchange, etc.

Various multi-national IT companies, like the Cognizant Technology Solutions Limited, TCS with more than 30,000 employees, educational institutions, like the Institute for Technology and Management; academic institutions, like the Chennai Mathematical Institute; health institutions, like the Madras Diabetes Research Foundation and Chettinad Hospital and Research Institute are located here. People from all over India come to Siruseri and are living here.

HON. SPEAKER: That is all. You need not read out the whole thing.

SHRIMATI K. MARAGATHAM: Though Siruseri is well connected by bus, there is no railway facility. The nearest railway station is Velachery which is at a distance of 17 kms and Chennai at 30 kms. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It is enough. You have made your point.

SHRIMATI K. MARAGATHAM: Setting up of a Railway Reservation Centre at Siruseri will boost Railways and its revenue as it is an essential need of the hour. I draw the attention of Hon'ble Railway Minister to this issue and take immediate steps for setting up of a Railway Reservation Centre at Siruseri at the earliest. … (*Interruptions*)

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं समाज के एक बहुत ही दलित और पिछड़े वर्ग की आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोरी जाति संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति में आती है। परन्तु कुछ स्थानों पर उसे अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। इस कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में सहारनपुर में कोरी जाति के लोगों को हमारे प्रयासों के बावजूद भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है।

उसका परिणाम यह हो रहा है कि न तो इन जाति के बच्चों को एडमिशन मिल पा रहा है और न ही उन्हें नौकरियों में आरक्षण की सुविधा मिल पा रही है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं, वे भी इन्हें नहीं मिल रही हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किए जाएं और जो अधिकारी उनके हक को छीनने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवम् श्री देवजी एम. पटेल को श्री हुकुम सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Shrimati M. Vasanthi. You are not supposed to read out the whole paper. All of you are reading like this.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI M. VASANTHI (TENKASI): I would like to represent the difficulties faced by the beedi workers in my constituency. Makkal Mudalvar Puratchi Thalaivi Amma has introduced several welfare schemes for the upliftment of the beedi workers.

Beedi rolling is an important occupation of the poor family who are below the poverty line in my constituency. Thousands of school going children are also engaged in this collective family occupation after their school hours. The education scholarship given to the school children is very less and only a few children are benefited by that. This creates a disparity among the workers. These poor children of beedi workers are now languishing in abject poverty and deprivation due to the insufficient scholarship amount paid to them. They are unable to continue their studies because this amount is being spent for their daily bread.

Hence, I urge the Union Labour Welfare Ministry to increase the amount of educational scholarship and the number of children immediately. … (*Interruptions*) Please give me one more minute. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, not one minute. You are not supposed to read out. I am always saying this to you.

SHRIMATI M. VASANTHI: It is also necessary to upgrade the dispensaries at Alangulam, Surandai meant for beedi workers as it deprives these workers and family members to get timely medical assistance easily without being referred to the other hospitals. Further, I would request the Government to construct more dwelling habitations for the beedi workers. Each dwelling unit should have facilities, like electricity, drinking water and water for sanitation.

Hence, I urge upon the Union Health Ministry and Labour Welfare Ministry to initiate action in this regard at the earliest. Thank you.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष जी, आपने सुरेश जी का अडजर्नमेंट मोशन भी स्वीकार नहीं किया है, फिर कॉलिंग अटेंशन भी नहीं आया है, उनको जीरो ऑवर में बोलने का मौका दे दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं उनको बोलने का मौका दूंगी। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Many Members are there. I will allow you.

… (*Interruptions*)

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Madam, I thank you for calling me to speak.

A new Highway has already been declared by the Government in my constituency named as NH-183A.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am not saying 'no' to you. Why are you saying this?

… (*Interruptions*)

SHRI ANTO ANTONY: It is passing through my constituency for a stretch of more than 110 kms.

HON. SPEAKER: Otherwise, I will not allow you.

… (*Interruptions*)

SHRI ANTO ANTONY: The importance of the new Highway is that it is passing near the Sabarimala holy shrine. You know that every year more than four crore pilgrims visit Sabarimala. The recent visit of our hon. Minister Shri Nitin Gadkari

to Kerala took place. During that visit, he gave an assurance to the Government of Kerala and the Chief Minister that this Highway, which is passing near Sabarimala, work would definitely start this year and the full amount of money would be sanctioned this year itself. He openly declared it so in Kerala.

Madam, I would request the Government, through you, to make sure that the construction of the new Highway NH-183A starts this year itself. I want the Government to give an assurance regarding that.

माननीय अध्यक्ष : आप सभी से निवेदन है कि शॉर्ट में बोलें, तभी सभी बोल पाएंगे, क्योंकि गृह मंत्री जी को भी रिप्लायी देना है।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय अध्यक्षा जी, गंगा अनादि काल से मानव जीवन के लिए जीवनदायिनी और प्रेरणा का स्रोत रही है। गंगा जीवन है, लेकिन आज गंगा प्रदूषित हो रही है। गंगा का जल अमृत है और इसकी एक बूंद हजारों-लाखों व्याधियों से लड़ने की क्षमता रखती है। आज गंगा लगभग 46 जिलों से होकर गुजर रही है। 15 लाख शौचालय विहीन घर हैं, ऐसी स्थिति में गंगा के जितने भी तट हैं, वहां पीने के पानी की गुणवत्ता गिर रही है। पीने का सही पानी नहीं है, क्योंकि उसमें सीवरेज गिर रहा है। यह स्वास्थ्य के विरुद्ध भी है, इसलिए स्थानीय निकाय और पंचायतों के साथ मिल कर निजी क्षेत्र की सहायता से शौचालय विहीन क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर शौचालय बनाए जाएं। इसके अलावा गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र बनाए जाएं, जिससे गंगा का जल स्वच्छ और पवित्र रखा जा सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री पी.पी.चौधरी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री संतोख सिंह चौधरी।

श्री अधीर रंजन चौधरी।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, the House is acquainted with the horrific episode that took place in West Bengal in the run-up to the local Municipal and Corporation elections…. (*Interruptions*)

HON. SPEKAER: No. I am sorry. You have asked for urgent electoral reforms. You should raise only that issue.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Dr. Virednra Kumar. Nothing will go on record.

… (*Interruptions*)… *

HON. SPEAKER: It is all right. Nothing will go on record.

… (*Interruptions*)… *

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों की कठिनाइयों के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।…(व्यवधान) आज विकास की अंधी और भौतिक दौड़ में ईंट और पत्थर के विशालकाय जंगल खड़े होते चले जा रहे हैं…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing is going on record.

… (*Interruptions*)… *

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग कृपया करके बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry Virendra ji, Santokh ji is there. संतोख जी आप नाम बुलाने पर खड़े नहीं हुए थे।

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) : अध्यक्षा जी, मैं आपका ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और मैं पंजाब प्रांत से आता हूं, जहां 70 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर हैं। पिछले महीने बहुत भारी बारिश और ओले पड़े थे, जिसकी वजह से किसानों की फसल को बहुत भारी नुकसान हुआ था। लेकिन एक बड़ी चिन्ताजनक स्थिति यह उत्पन्न हो गयी है कि मण्डियों में किसानों ने जब अपनी फसल लानी शुरू की तो पंजाब की मण्डियों में लाखों किसान अपनी फसल को लेकर बैठे हैं, लेकिन उनकी परचेज नहीं की जा रही है। जो थोड़ी-बहुत परचेज हुई भी है तो लाखों की तादाद में बोरियां लिफ्ट नहीं हो रही है। 10.88 परसेंट की कट लगा कर फसल की खरीद हो रही है। एक बड़ा भारी कंफ्युज़न प्रांतीय सरकार और केन्द्रीय सरकार में चल रहा है। एफसीआई के साथ एक टसल चल रही है, जिसके कारण फसल को लिफ्ट नहीं किया जा रहा है। एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है और पंजाब का किसान सड़कों पर आ गया है। कल सारे किसानों ने रेल पटरियों पर बैठकर रेल यात्राएं ठप की हैं।

---

* Not recorded.

अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि फौरी तौर पर इस तरफ ध्यान दिया जाए और किसानों की फसल उठाई जाए तथा उसका जायज मूल्य दिया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भगवंत मान को श्री संतोख सिंह चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान ईंट भट्टा मजदूरों की समस्याओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आज विकास की भौतिक और अंधी दौड़ में ईंट और पत्थरों के विशालकाय जंगल खड़े होते जा रहे हैं। अवैध रूप से लगने वाले इन ईंट भट्टों के जो कारखाने हैं, इनके कारण न केवल हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में जीव-जंतुओं के अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। संगठित क्षेत्र में लगभग आठ प्रतिशत मजदूर हैं और असंगठित क्षेत्र में 92 प्रतिशत मजदूर काम करते हैं। ईंट-भट्टों मे काम करने वाले मजदूर भी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सरकार ने चालीस कानून बनाये हैं, लेकिन ईंट भट्टा उद्योग में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए कोई कारगर कानून नहीं बनाया गया है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक ईंट-भट्टा में दसियों तरह के काम किये जाते हैं, जिसमें लगभग 175 श्रमिक काम करते हैं और उसमें लगभग चालीस प्रतिशत महिलाएं काम करती हैं। चार साल से पांच साल का उनका बच्चा भी वहां पर काम करता है, लेकिन ईंट-भट्टों में काम करने वाले मजदूरों के अशिक्षित होने के कारण उन्हें श्रम कानूनों की जानकारी नहीं होती है, इसके कारण वहां जो काम करने वाले स्थान होते हैं, वहां न तो आंगनबाड़ी होती है, न बालबाड़ी होती है, न स्कूल होता है और न पालनाघर होता है और वहां जो मजदूर काम करते हैं, वे अनेक तरह के चर्म रोगों और टी.बी. के शिकार हो जाते हैं और उनकी चिकित्सा की वहां कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 कहता है कि कोई मजदूर एक स्थान पर यदि छः महीने तक लगातार काम करता है तो उसके अस्वस्थ होने पर उसकी चिकित्सा की व्यवस्थाएं वहां के प्रबंधन को करनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत ईंट भट्टों में काम करने वाले मजदूरों के लिए श्रम सुरक्षा कानूनों के पुख्ता प्रबंध किये जाएं और उनकी चिकित्सा की तथा उनके बच्चों की शिक्षा की वहां पर उचित व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री नाना पटोले, श्री देवजी एम.पटेल, डा.किरीट सोलंकी, श्री नारणभाई भिखाभाई काछड़िया, श्री निशिकान्त दुबे, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री पी.पी.चौधरी, श्री श्रीरंग

आप्पा बारणे,, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को डा.वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

I am giving you a chance. Please wait for some time.

SHRI B. SENGUTTUVAN (VELLORE): Madam, I would thank you for affording me this opportunity to raise an important issue relating to the drinking water problem in Vellore District.

Vellore District is facing chronic water shortage crisis. In order to tide over the crisis, our Party Chief Dr. Puratchi Thalaivi Amma conceived of a scheme called the Combined Water Supply Scheme fetching water from the Chekkanur Dam in Salem District to Jolarpet, Tirupatthur, Vaniyambadi, Ambur, Gudiyattam, Vellore, Katpadi, Ranipet, Walajapet and Arakonam over a distance of 313 kms. which will be benefiting a total population of about 20 lakh people residing in Vellore Corporation, 11 Municipalities, five Town Panchayats as well as 944 village habitations. Though the Scheme has almost been completed, yet, at certain places, along and across the National Highways NH-46, NH-4 and NH-234, the pipelines have to be laid. The TWAD Board, which is entrusted with the job of execution of this project, approached the National Highways Authority of India as well as the National Highways Department to secure permission to lay the pipeline along and across the road at certain important sections. The National Highways Authority of India, particularly, the Chief Engineer and the Project Director at Krishnagiri declined permission on the ground that when a similar project was executed between Kancheepuram and Sriperumbudur, an outlay to the tune of Rs.3 crore was yet to be paid by the TWAD Board.

Now, the situation is very grim in Vellore District which comprises three Parliamentary Constituencies of Thiruvannamalai which falls in Vellore District as well as Arakonam Constituency. The people are faced with an acute water shortage problem. Because of the bickering between the NHAI and the TWAD Board, people are not able to fully realize the fruits of this wonderful scheme which was a challenging one and which was executed within a record short time.

The National Highway Department besides is sitting over the application claiming that there is shortage of manpower in disposing of the application. Therefore, I would request the concerned Ministry to look into the problem and immediately find a solution.

SHRI P. SRINIVASA REDDY (KHAMMAM): Emu birds came in India in 1996. The Central Government and the united Andhra Pradesh State have made high level propaganda encouraging farmers to come forward for Emu bird farming. The Government of India and NABARD have given assurance to the enthusiastic farmers that Emu farming will be very encouraging and high level profits will be derived by the farmers. Attracted by the propaganda of the Government, about 20,000 farmers have come forward to take up Emu birds farming. There is no market facilities to sell the birds, meat, oil and its products, etc. The Central and State Governments have totally ignored providing market facilities due to which farmers faced irreparable losses. Due to this miserable situation, some of the farmers are attempting to commit suicide. All this happened because of not creating market facilities to Emu birds farming and their products. I, therefore, earnestly appeal to the Government through this august House to think over this issue seriously and address the farming community of Emu birds to save the farmers.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र बाँका उत्तरायण गंगा, अजगैवीनाथ से भोलेनाथ तक का दूरी तय करता है, उसी बीच में है। विश्व प्रसिद्ध 107 किलोमीटर की लंबी काँवड़ यात्रा के साथ पांव पैदल उत्तरायण गंगा, सुल्तानगंज से झारखण्ड के बैद्यनाथ धाम देवगढ़ तक की आस्थावान श्रद्धालु लोग यात्रा करते हैं। लगातार चार माह की यात्रा 50 लाख से 1 करोड़ के बीच के नर-नारी, भाई-बहन, बूढ़े एवं बच्चे करते हैं। देश-विदेश से आस्थावान लोग लाखों की संख्या में आते हैं। बगल से नेपाल और भूटान से तथा देश के सभी राज्यों से लोग पांव-पैदल यात्रा करते हैं। यह यात्रा सुल्तानगंज, तारापुर, बेलर, सुरिया, कटोरिया, चांदन, देवगढ़ होते हुए की जाती है। यह आस्था यात्रा की है, लेकिन वहां शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय, यातायात सुविधा, सराय और अन्य व्यवस्था वहां बेहतर तरीके से नहीं हो पाती है। मेरी मांग है कि इसे राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए। यह मांग बार-बार सदन में उठायी

जाती है। केंद्र और राज्य सरकारें मिल कर के इस विश्व प्रसिद्ध मेला की गरिमा को बढ़ाएं और साथ-साथ इसे राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। यह उत्तरायण गंगा से ले कर के देवगढ़, झारखण्ड तक की यात्रा 107 किलोमीटर तक की है और यह विश्व प्रसिद्ध मेला है, इसीलिए हम इसे राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI P.R. SENTHILNATHAN (SIVAGANGA): Sivagangai district in the South Central region of Tamil Nadu is a traditional agricultural area, a rain-fed region. To overcome the scarcity of water for irrigation, conservation of rainwater has been taken up by way of maintaining channelised village tanks across the district. In order to increase the groundwater potential, and to effectively harvest the rainwater, the Government of Tamil Nadu has proposed to link rivers - Cauvery, Vaigai, Manimuttar, and Kundar. The Government of Tamil Nadu, guided by our hon. *Amma,* has sent a proposal with the Detailed Project Report with a request to the Centre to provide the project cost of Rs.5,166 crore. The said project would irrigate 79,374 hectares of land in eight districts – Sivagangai, Madurai, Virudunagar, Tiruchi, Pudukottai, Tutikudi, Thanjavur and Ramanathapuram. This project would link 17 rivers in Tamil Nadu. Hence, I urge upon the Centre to give its approval and release the funds at the earliest for benefiting the large number of agriculturists in Tamil Nadu.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance relating to Dalit atrocities in the country.

Madam, the hon. Home Minister is present here and the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs are also being discussed in the House. The atrocities on Dalits and Adivasis are increasing day by day. New cases are surfacing everyday and the proactive steps which are needed to be taken by the Government are missing.

Madam, I fear untouchability, in various forms, is coming up now. After the NDA Government came to power, the cases of atrocities on Dalits are increasing. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please do not make any allegation.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Madam, recently in Uttar Pradesh near Mathura, a 13-year old girl was gang raped. This is a very serious issue and also in Tirunelveli District of Tamil Nadu, … (*Interruptions*) Madam, in Tirunelveli District of Tamil Nadu, some Dalit students were used by the school management for cleaning of toilets. … (*Interruptions*) These two incidents which happened recently are very serious and are condemnable. … (*Interruptions*) Madam, I have not completed. The issue is very important. … (*Interruptions*) How can we tolerate any form of untouchability 67 years after the Independence of our Republic? … (*Interruptions*) Untouchability is rampant in many parts of our country. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: He is saying something in a general way. Why are you objecting to it?

… (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Madam, why are they angry? Why are they disturbing me? … (*Interruptions*) Dalit atrocities are rampant in Tamil Nadu. In Tamil Nadu, atrocities on Dalits are going on. … (*Interruptions*) Why are they angry? … (*Interruptions*) Atrocities on the Scheduled Castes are going up in Tamil Nadu day by day. … (*Interruptions*) These are newspaper reports. … (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, 20 tribal people have been killed in Andhra Pradesh. Why is he not raising that issue? If he is so sincere, he should raise that issue also. … (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Madam, I mentioned these two recent incidents just as examples. In Uttar Pradesh near Mathura, a 13-year old young girl was raped by some gangsters. I mentioned that also. I have not mentioned only about

Tamil Nadu. These kinds of atrocities are happening everywhere. That is why I am raising this issue.

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रहलाद सिंह पटेल।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: He has said something in a general way. Every now and then explanation is not required. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr. Suresh, you have completed now. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr. Suresh, please listen to me.

… (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Madam, Dalit atrocity is a national issue. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, whatever he said, he said it in a general way that these things are happening everywhere in the country. Now the Home Minister is going to reply to the discussion on Demands for Grants of the Home Ministry. Let him say what he wants to say. Please take your seats.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr. Suresh, you have completed now. But don't say this State or that State. Don't refer to any particular State. You can say whatever you want to say in a general way. Why are you referring to any particular State? Then, everybody need not get up and give explanation here. Please take your seats.

… (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Madam, atrocities on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are happening everyday in our country. Where will they go? … (*Interruptions*) Madam, I have given notice for an Adjournment Motion and I have given notice for Calling Attention. You have not allowed me. But at least give me a chance to raise this issue in 'Zero Hour'? … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I just don't understand why all of you are standing. He is saying that some incidents have happened in Uttar Pradesh, Tamil Nadu and other places. Why are you so angry?

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please take your seats.

… (*Interruptions*)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : महोदया, मैं देश के बीस हजार नौजवान छात्रों के भविष्य को लेकर सदन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप भी बोलने लगे। जरा एक सेकेंड रूकिए, पहले इनको शान्ति से बैठने तो दीजिए।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am not saying anything.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Everybody is saying something. You come and sit here. Why are you so angry?

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr. Suresh, you have made your point. Now the Home Minister will reply to the debate on the Demands for Grants of the Home Ministry. He may take note of it. That is all. Why are you referring to a particular State?

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Madam, let him complete his statement because you have allowed everybody to complete. Let him complete his statement; then the Home Minister should respond.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am allowing him.

… (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Madam, this is a burning issue. … (*Interruptions*) Everywhere in Tamil Nadu, untouchability is there.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not the way. All of you are saying; Shri Kharge is saying.

… (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI: Only Tamil Nadu he is telling. What about Kerala? … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing is going on record.

… (*Interruptions*)… *

HON. SPEAKER: Like this, nothing will go on record. This is not the way. What are all these things happening? Do you want to go it on record or not?

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not the way. मैंने कहा किसी भी प्रदेश का नाम लेने की बजाय इन जनरल आप बात करो और कंप्लीट करो। क्यों किसी प्रदेश का नाम ले रहे हैं? Please do not do that. नहीं तो मैं किसी को अलाऊ नहीं कर सकती।

… (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Madam, within two minutes I am going to complete. This is a burning issue. As far as dalit adivasi community is concerned, it is a very important issue.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not the way. I am sorry.

… (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Madam, I am going to complete within two minutes.

HON. SPEAKER: This is 'Zero Hour'. No two minutes; only half a minute you have to take.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Half a minute is not sufficient, Madam. Give me two minutes.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Then, you sit down. You have completed.

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

HON. SPEAKER: Shri R. Dhruvanarayana and Shri P.K.Biju are permitted to associate with the issue raised by Shri Kodikunnil Suresh.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record. Only Shri Prahlad Patel's statement will go on record.

… (*Interruptions*) … *

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदया, मैं राष्ट्रीय स्तर पर 20 हज़ार छात्रों के भविष्य का मामला उठाना चाहता हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग ने जो परीक्षा के लिए एक कट ऑफ डेट 1 जनवरी, 2015 से बढ़ाकर 1 अगस्त, 2015 की है, उसके कारण देश के 20 हज़ार छात्रों का भविष्य खतरे में है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कर्मचारी चयन आयोग ने एक कंबाइंड ग्रैजुएट लैवल के एक्ज़ामिनेशन की बात कही है जिसमें 1 जनवरी, 2015 के कट ऑफ डेट के बजाय 1 अगस्त, 2015 कर दिया गया है। इससे 20 हज़ार परीक्षार्थी उस परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। वे छात्र मुझसे मिले थे। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि 1 जनवरी, 2015 ही तारीख रखी जाए। यह परीक्षा 2 मई को है और इसमें समय कम है। इसलिए भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि इसमें हस्तक्षेप करे ताकि 20 हज़ार छात्रों का भविष्य बच सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, श्री पी.पी.चौधरी एवं श्री अश्विनी कुमार चौबे को श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई) : अध्यक्ष महोदया, मैं स्ट्रीट वैंडर्स एक्ट 2014 में कुछ संशोधन करने का निवेदन करने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। मैं एक ऐसे शहर से आती हूँ जहाँ डैंसिटी के रूप में शहर बहुत बड़ा है लेकिन वह फैल नहीं सकता और हर वक्त ऊँचाई से बड़ा बनता है। वहाँ गत दो महीने से रैज़िडैंट्स एसोसियेशंस और हाकर्स एसोसियेशंस में बहुत बड़ा शीत युद्ध चल रहा है। वह इसलिए चल रहा है कि जिस तरीके से स्ट्रीट वैंडर्स एक्ट बनाया गया है, वह पापुलेशन डैंसिटी पर आधारित न करते हुए ईक्वली पूरे देश के लिए बनाया है। उससे मुम्बई जैसे शहर में और बहुत से ऐसे शहर जो बढ़ रहे हैं, उनमें दिक्कत है। हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़ है तो मुम्बई की जनसंख्या करीब 2 करोड़ है। आने वाले सन् 2030 तक मुम्बई की जनसंख्या 3 करोड़ तक बढ़ेगी और वर्ल्ड्ज़ फोर्थ लार्जैस्ट सिटी के रूप में मुम्बई शहर बनेगा। इस एक्ट में संशोधन की जरूरत इसलिए है कि यूडीपीएफआई ने आइडियल स्क्वैयर मीटर पर

---

* Not recorded.

कैपिटा स्पेस रेशियो परसन को 10 स्क्वैयर मीटर रखा है। लेकिन मुम्बई में वह 0.99 है, मात्र 1 परसेंट भी वह पर परसन कैपिटा स्क्वैयर मीटर जगह नहीं है। जब मुम्बई इस रूप से बढ़ नहीं सकती और लोग मुम्बई में हैं चूँकि आर्थिक राजधानी है और लोग यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन जब मुम्बई में आते हैं तो घर भी छोटे होते हैं, रास्ते भी छोटे होते हैं, बढ़ नहीं सकते। तो स्टेशनों पर, छोटी छोटी गलियों में खुद स्ट्रीट वैंडर्स रहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि प्रधान मंत्री जी ने स्ट्रीट वैंडर्स को एक प्रकार का मुद्रा बैंक के रूप में स्ट्रीट एंटरप्रैन्योर्स बनाने की कोशिश की है। लेकिन दोनों का सम्मान हो, रहने वाले रेज़ीडेंशियल एसोसिएशन का भी हो तो इस संशोधन के लिए मैंने श्री वेंकैया नायडू जी को खत भेजा है। मुम्बई जैसे शहर में उस संशोधन में डेंसिटी के रूप से वे एक्ट बनायें तो ही म्युनिसिपल कारपोरेशन उस एक्ट को आगे बढ़ा सकती है और हॉकर्स जोन को उस रूप से मुम्बई में विस्तारित रूप दे सकती है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रहलाद सिंह पटेल, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री अरविंद सावंत, श्री राहुल शेवाले और श्री पी.पी.चौधरी को श्रीमती पूनम महाजन के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): Thank you Madam Speaker, for allowing me to speak on an important issue of too many lapses in coastal security.

The coastal security is a very sensitive subject to be taken care of by the Indian Navy. Too many lapses were found in the coastal security by the CAG which revealed in their report in March, 2014. The report says that sufficient coastal police stations or check posts are not available along the coastal line with trained technical staff.

The CAG has also observed that GPS system which helped the crew understand navigational channel and locations of the boats in the sea is not being installed effectively. The patrolling boats are not being utilized properly. Long back in 2005 the Central Government had approved 19 CPS in Maharashtra State. The CAG observed that only one check post has been constructed during nine years and is not being used properly due to non-availability of basic facilities like water and electricity. Madam, four high quality marine boats were procured from

New Zealand after 26/11 attack, which are lying unused due to maintenance problem.

I request the hon. Defence Minister to look into this matter urgently and take action on the lapses pointed out by the CAG.

HON. SPEAKER: Shri Arvind Sawant, Shri Vinayak Bhaurao Raut, Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu and Shri Shrirang Appa Barne are permitted to associate with the issue raised by Shri Rahul Shewale.

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Thank you hon. Speaker. Madam, Hosur to Bangalore Road is the part of NH-7. It falls under my constituency. Bangalore-Hosur Road connects town of Hosur in Krishnagiri district. It is a four to six lane National Highway.

There are a lot of factories situated at Zuzuvadi which is about eight kilometers away from Hosur bus stand. It is opposite of Ashok Leyland Unit-I. The factory workers and general public are crossing the road either sides. There are about 200 factories, five villages and 3000 employees working in Ashok Leyland Unit-I. It is the left side of the National Highway. On the right side of it, there are about 500 industries and small factories and 10 Middle and Higher Secondary schools.

People living both the sides are crossing the road without any life security. The high speed vehicles may cause many problems such as death and causalities to the office going staff and other people. Due to non-availability of divider, pedestrians are finding it very difficult to cross the road.

Therefore, I request the Government to issue instructions to NHAI to construct a flyover or an under pass at this particular point.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, I would like to place before this House some very serious issues with regard to EPF pensioners.

Thousands of EPF pensioners have come in Delhi. They are agitating. They have been agitating for a long time for the introduction of minimum pension. When they were in service, a portion of their salary was deposited in their pension account. It was in the belief that they would get better income after their retirement. They are getting very low pension. As far as the beedi workers in Kasargod and Kannur districts are concerned, they are not getting even Rs. 10 or Rs. 12. The Standing Committee on Labour had visited that place and seriously criticized the Government. But the Report of the Standing Committee was not accepted by the Government.

After long agitations, the earlier Government had come to a conclusion and a Group of Ministers taken a decision that Rs. 1000 should be the minimum pension. But it was not implemented. Most of the pensioners are not getting this pension. About 17 lakh pensioners are not getting this pension because they are getting other benefits. Their agitation is to introduce the minimum pension.

Therefore, I request the Government to take a serious note on this issue. When they were in service they had contributed to this country but after their retirement no one is there to look after them. All the MPs have met the Minister and the Prime Minister in this regard. I would urge upon the Government to take it as a serious issue because it is the question of their survival.

HON. SPEAKER: Prof. Sugata Bose, Shri P.K. Biju, Dr. A. Sampath and Shrimati P.K. Shreemathi Teacher are permitted to associate with the issue raised by Shri P. Karunakaran. Hon. Members, there will be no Lunch break today.

12.55 hrs

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over text of the matters at the Table of the House within twenty minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matters have been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

(i) Need to take suitable steps for release of allocated share of waters of Ravi and Beas rivers to Rajasthan

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : दिनांक 31.12.1981 को पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी-व्यास नदियों के आधिक्य जल के बंटवारे के बारे में एक समझौता हुआ था । इस समझौते के अनुसार राजस्थान राज्य का हिस्सा 8.60 एम.ए.एफ. निर्धारित किया गया था, लेकिन राजस्थान को अभी तक उक्त समझौते के मुताबिक पूरा पानी नहीं मिल रहा है । इन्दिरा गांधी नहर प्रणाली के तीव्र विकास के कारण राजस्थान पिछले कई वार्षों से अपने संपूर्ण हिस्से के पानी को उपयोग करने की स्थिति में है, इसके बावजूद भाखड़ा-व्यास प्रबंधन मण्डल राजस्थान को 8.00 एम.ए.एफ जल ही आवंटन कर रहा है । राजस्थान ने अपने हिस्से के शेा 0.6 एम.ए.एफ. जल को देने के लिए केन्द्र, पंजाब सरकार तथा भाखड़ा व्यास प्रबंधन मण्डल को कई बार प्रतिवेदन दिए हैं, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा राजस्थान को उनके हिस्से का पूर्ण पानी नहीं दिया जा रहा है । पंजाब विधान सभा द्वारा पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम, 2004 पारित कर रावी-व्यास जल से संबंधित सभी समझौतों को रद्द कर दिया गया है जिसमें 31.12.1981 को सम्पादित समझौता व रावी-व्यास जल से संबंधित सभी समझौते शामिल हैं । भारत सरकार द्वारा इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रेसीडेन्शियल रेफरेन्स द्वारा पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैद्यता के परीक्षण हेतु भिजवाया है तथा राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि उक्त रेफरेन्स की एक विशेष पीठ का गठन किया जावे । मेरी सरकार से मांग है कि भारत सरकार पंजाब सरकार/भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल को राजस्थान के शेष 0.6 एम.ए.एफ. पानी दिए जाने संबंधी आवश्यक निर्देश जारी करें तथा

* Treated as laid on the Table.

साथ ही रावी-व्यास जल पर प्रेसीडेशियल रेफरेंस पर शीघ्र निर्णय हेतु एक विशेष पीठ गठित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निवेदन करें ।

(ii) Need to convert National Highway No. 98 into four-lane

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : एनएच-98 बिहार की राजधानी पटना से शुरू होकर दो जिला मुख्यालयों अरवल और औरंगाबाद (बिहार) एवं दो-दो अनुमंडल मुख्यालयों दाऊदनगर एवं छतरपुर (झारखंड) को जोड़ते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ (जिला सरगुजा, अम्बिकापुर) को जाती है अर्थात् यह सड़क तीन-तीन राज्यों तथा बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ का संपर्क पथ है ।

वर्तमान में यह पथ KM-15 (नौबतपुर) से लगभग KM-33 (पतूत, पटना) तक मात्र 12 फीट चौड़ी है । KM-33 से KM-50 तक सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है । KM-70 से KM-132 तक सड़क लगभग 16 फीट चौड़ी है, जिसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती और KM-132 से KM-156 तक यानी बिहार, झारखंड की सीमा से आगे झारखंड राज्य में भी इसकी स्थिति अत्यंत जर्जर है, जिसके कारण आम लोगों को यात्रा करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है साथ ही हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है ।

यह राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड को जोड़ने वाला मुख्य पथ ही नहीं वरन् उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तथा मध्य प्रदेश के भोपाल को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग होने के कारण पांच राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को सड़क मार्ग से जोड़ती है । इस पथ पर छोटे-बड़े, निजी और व्यावसायिक गाड़ियां काफी संख्या में चलती है, इसलिए आग्रह करना चाहूंगा कि एनएच-98 के महत्व को देखते हुए जनहित में इसे चारपथीय सड़क (फोर लेन) बनाने की महती कृपा की जाए ।

अभी दो लेन का काम हो रहा है -

1. निर्माण कार्य की गुणवत्ता अच्छी नहीं कही जा सकती ।
2. कार्य की गति भी काफी धीमी है ।

(iii) Need to enact the Seeds Bill, 2004 and take suitable measures for conservation of indigenous seeds

श्री सत्यपाल सिंह (सम्भल) : मैं सरकार का ध्यान हाईब्रिड बीजों से भरे पटे बाजारों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं जहां देशी परंपरागत बीज विलुप्त होते जा रहे हैं । किसानों को अपने अन्न, सब्जी और फलों के लिए हाईब्रिड विदेशी बीज ही खरीदना पड़ता है और यह बीज किसान स्वयं अपने खेत में पैदा नहीं कर सकता जिस कारण किसान को हर फसल के लिए बीज खरीदने के सिवा कोई विकल्प नहीं है । यह बीज काफी महंगा होता है जिस कारण किसान को सब्जी या अन्य उत्पादन में लागत मूल्य काफी बढ़ जाता है । इस स्थिति में भी किसान को सही प्रमाणित बीज भी नहीं मिल पाता है । कभी-कभी बीज खराब या फेल भी हो जाता है और फसल बेकार हो जाती है जिसके कारण किसान की मेहनत, परिश्रम, खेत की जुताई, पानी बेकार चला जाता है और किसान बीज महंगा होने के कारण पुनः बीज खरीदने की स्थिति में नहीं रह पाता । बीज फेल होने के कारण सब्जी कृषि का कार्य और लगातार घाटे का सौदा होता जा रहा है । बाजार में दुकानदार कंपनी का फर्जी पैकिंग कर नकली बीज बिना प्रमाणित सख्त कानून न होने के कारण खुले आम बेच रहे हैं । किसान अपना परंपरागत देशी बीज अपने खेत में स्वयं अगली फसल के लिए पैदा कर लेता था और ज्यादा होने पर उसे बीज के रूप में अन्य को बेच भी देता था जिससे किसानों को हर फसल के लिए बीज खरीदना नहीं पड़ता था और किसानों को अपना बीज होने के कारण, बीज खराब या फेल होने की संभावना नहीं रहती थी । देशी बीज के द्वारा उत्पादित अन्न, सब्जी, फल आदि में स्वाद भी होता है और शरीद को ऊर्जा भी ज्यादा मिलती है । विदेशी हाईब्रिड के द्वारा उत्पादित अन्न, फल, सब्जी आदि में न तो स्वाद ही होता है और न ही शरीर को उचित मात्रा में ऊर्जा मिलती है, केवल पेट ही भरता है।

अतः सरकार से प्रार्थना है कि किसानों और स्वास्थ्य की चिंता करते हुए विलुप्त होती जा रही परंपरागत देशी बीज के संरक्षण के लिए कोई ठोस व्यवस्था की जाए और सन् 2004 से लंबित बीज विधेयक को सदन में ऐसा बीज विधेयक लाकर जिसमें सख्त कानून का प्रावधान हो जिससे किसानों को फर्जी, नकली बीज देकर विक्रेता द्वारा ठगा न जा सके, बीज फेल या खराब निकलने पर किसान की मेहनत, जुताई, पानी, खाद आदि की भी भरपाई हो सके ।

(iv) Need to expedite the gauge conversion work of Loharu-Jhunjhnu-Sikar-Jaipur railway line in Rajasthan

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): मेरे संसदीय क्षेत्र झूंझूनू से गुजरने वाली रेल लाईन लोहारू-झूंझुनू-सीकर-जयपुर रेलवे ट्रैक का आमान परिवर्तन का कार्य काफी लंबे समय से लंबित है, जिसका कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है । जिसका कारण क्षेत्रीय लोगों को काफी असुविधा हो रही है । इसके साथ ही साथ निर्माण कार्य की लागत भी बढ़ रही है ।

अतः रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इस कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कर रेलगाड़ियाँ चलवाने की कृपा करें ।

(v) Need to run the Rajdhani Express Train Service between Ranchi and New Delhi on daily basis and also increase the frequency of flight between Ranchi and Delhi/Mumbai

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : झारखंड की गिनती आज देश के पिछड़े राज्यों में होती है । इसके अनेक कारण हैं । उनमें से एक कारण यातायात की सुविधा का अभाव भी है । आज देश के अधिकांश राज्यों में सुपरफास्ट ट्रेन तथा राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस आदि चलती है । परंतु झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां से प्रतिदिन राजधानी एक्सप्रेस नहीं है । सप्ताह में 4 दिन ही राजधानी एक्सप्रेस रांची से खुलकर नई दिल्ली आती है वह भी दो विभिन्न मार्गों से होकर ।

झारखंड राज्य के चक्रधरपुर डिवीजन एवं धनबाद डिवीजन देश में सबसे अधिक रेलवे को रेवेन्यू देने वाले डिवीजन हैं । अनेकों थर्मल पॉवर स्टेशनों को कोयला की आपूर्ति करने वाला राज्य झारखंड है । बावजूद इसके रांची - नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सप्ताह में प्रत्येक दिन नहीं है ।

यही स्थिति वायुयानों की है । फ्लाइट्स की संख्या इतनी कम है कि कोई भी व्यक्ति सुबह रांची पहुंचकर दिनभर अपने कार्यों को निपटारा कर रात्रि में वापस दिल्ली/मुम्बई नहीं जा सकता है । नतीजा यह है कि एक्स एल आर आई जमशेदपुर जैसे इंस्टीट्यूट से उत्तीर्ण छात्र बड़ी-बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट से वंचित रह जाते हैं ।

उपरोक्त परिस्थिति में मेरा सरकार से अनुरोध है कि कम से कम राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में प्रतिदिन चलाया जाए एवं वायुयानों की संख्या बढ़ाई जाए एवं ऐसी व्यवस्था की जाए कि कोई भी व्यक्ति सुबह जाकर अपने कार्यों का निपटारा कर दिल्ली/मुम्बई रात्रि में वापस हो सके ।

(vi) Need to extend train service between Ahmedabad and Khedbrahma upto Abu via Ambaji and also convert it into broad-gauge line in Rajasthan

श्री डी.एस.राठौड़ (साबरकांठा) : मेरे साबरकांठा लोक सभा क्षेत्र में अहमदाबाद-खेडब्रह्मा रेलवे चल रही है। यह विस्तार के नजदीक सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ अम्बाजी मंदिर है जो समग्र भारत में आस्था का केन्द्र है और अम्बाजी के बिल्कुल नजदीक राजस्थान में माउंट आबू की तलहटी में विश्व प्रसिद्ध शांति केन्द्र है जहां पूरे भारत और विश्व के लोग आते हैं । माउंट आबू स्वयं एक सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल है । गुजरात और दक्षिण भारत के लोग अहमदाबाद से गुजरकर अम्बाजी और आबू जाते हैं । इसलिए अहमदाबाद से खेडब्रह्मा की रेलवे लाइन को अम्बाजी से आगे आबू रोड तक विकसित करने की जरूरत है जिससे धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोड़ ट्रैफिक कम करने में लाभदायी रहेगा ।

मेरी खेडब्रह्मा से अम्बाजी और आबू तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन शुरू करने की मांग है ।

(vi) Need to provide dialysis facility in all the private hospitals for patients belonging to lower income group and below poverty line

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : मैं सरकार का ध्यान एक ऐसे विषय/प्रक्रिया 'डायलिसिस' पर आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि करोड़ों गरीब मरीजों के स्वास्थ्य से जुड़ा है! आज दिल्ली के साथ सम्पूर्ण भारत वर्ष में लोग मधुमेह की बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनकी संख्या दिल्ली देहात के इलाकों में कुछ ज्यादा ही है । मधुमेह की बीमारी से किडनी फेल होने की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसमें मरीज को जिंदा रखने के लिए डायलेसिस की आवश्यकता पड़ती है । उच्च आय वर्ग वाले मरीज तो अपना इलाज कराने में समर्थ हैं, लेकिन गरीब परिवार डायलेसिस कराने में असमर्थ हैं । सरकारी अस्पतालों में जब निम्न आय वर्ग/बीपीएल कार्ड धारक गरीब मरीज जाते हैं तो उन्हें वहां से डायलेसिस की मशीन खराब है या यह सुविधा यहां उपलब्ध नहीं है, कहकर टाल दिया जाता है, जिसके कारणवश उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार तो इलाज में देरी होने से मरीज की मृत्यु तक हो जाती हैं ।

मेरे संसदीय क्षेत्र में सैंकड़ों लोग मेरे पास ऐसी शिकायतें लेकर रोज आते हैं । यह हाल तो दिल्ली राजधानी का है, तो सम्पूर्ण भारतवर्ष के गरीब वर्ग का क्या हाल होग, अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश में ऐसे डायलेसिस केन्द्रों की संख्या में विस्तार किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ देश के सभी मेट्रो शहरों के निजी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी करे, जिससे निम्न आय वर्ग/ बीपीएल कार्ड धारक गरीब मरीज को फ्री डायलेसिस कराने की सुविधा उपलब्ध हो सके ।

(viii) Need to provide subsidized foodgrains and kerosene to saffron card holders under public distribution system in Maharashtra

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा किफायती दर से मध्यमवर्गीय गैरलाभार्थी (केशरी कार्ड धारक) ग्राहकों को आवंटित किए जाने वाले अनाज की आपूर्ति बंद करके और केरोसीन में 38 फीसदी कटौती करने का नवंबर 2014 से निर्णय लिया है । इससे देश के विशेषकर महाराष्ट्र के मध्यमवर्गीय गैरलाभार्थी 2 करोड़ ग्राहक जनता प्रभावित हुई है और उन्हें इससे असुविधा प्राप्त हो रही है । इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा ध्यान देकर गैर लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ देने हेतु शीघ्रता से कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

(ix) Need to permit use of Tamil as an official language in the High Court of Madras

SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL): There is a long standing demand from the general public for authorizing use of Tamil as an official language in the High Court of Madras.

Way back in 2013, during the Joint Conference of the Chief Ministers and the Chief Justices of High Courts, Hon'ble Makkalin Mudalvar, Idhya Deivam, Puratchi Thalaivi Dr. Amma urged the Centre and the Supreme Court to take steps so that Tamil is authorized to be used as an official language in the High Court of Madras. To take the administration of the justice genuinely closer to the, it is absolutely imperative that the local language is used in the high court.

Every right-thinking person of the country will concur that if justice is to be administered in a people-friendly way, then the best thing to do is to encourage the use of the local language of the State in the High Court.

If Tamil is allowed to be used as an official language in the High Court of Madras, vast majority of the poor litigants of the State will be greatly benefited since they will actually be able to understand the actual court proceedings and also be able to easily understand the judgments. Legal fraternity of the State also supports this move.

I would, therefore, urge the Centre to take appropriate steps and also involve the Supreme Court so that Tamil is authorized to be used as an official language of the High Court of Madras.

(x) Need to establish a temporary Rescue Centre for stray crocodiles attacking human and livestock in Cuddalore Parliamentary Constituency, Tamil Nadu

SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN (CUDDALORE): I would like to draw the attention of the Government on an important issue regarding establishment of temporary rescue centres for stray crocodiles in Neyveli, Tamil Nadu.

Stray crocodiles are found in large numbers in Kollidam River, Veeranam lake and its canals. Due to aggressive attacks of these stray crocodiles found in water bodies, there have been a number of incidents of loss of precious human lives and that of animals. In the early morning of 8th April at Velakudi in Cuddalore District, one native of Saliyanthope village, Chidambaram Taluk was attacked by a huge crocodile. His body has not been traced so far. People who witnessed the incident are still reeling under fear psychosis. There is an urgent need to control this crocodile menace. I have already submitted a proposal to establish immediately a Temporary Rescue Centre. I have written to the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change. The District Collector, Cuddalore has also taken up the matter with the authorities concerned. I, therefore, urge upon the Union Government to set up immediately a Temporary Rescue Centre for stray crocodiles at Neyveli in my Cuddalore Constituency to protect the precious lives of both human and livestock.

(xi) Need to allot adequate number of IPS officers in Odisha

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The IPS cadre strength of Odisha provides a total strength of 188 posts out of which 131 posts are meant for the Direct Recruits and 57 posts under the promotion quota for promotion of State Police Service offices to the IPS cadre. Out of 131 posts provided for the direct recruits, 107 officers are now in position with a shortfall of 24 officers. All the 57 posts under promotion quota are lying vacant due to non-availability of eligible State police service officers for promotion to the IPS cadre and there is also less chance of these vacancies getting filled up within next 8 to 10 years. Out of 107 officers, 21 officers are now under Central Deputation and 7 are under going training. Therefore, only 79 officers are actually available in the State as against 128 Senior Duty Posts.

Due to acute shortage of IPS officers particularly at the level of Superintendent of Police, State Police Service Officers in the rank of Addl. SP, are being deployed as SP (in-Charge) against IPS cadre posts to manage police administration of many districts.

Keeping in view the Maoist violence in the State, it is now felt imperative to post young and energetic officers in the rank of SP to effectively combat the increasing Maoist activities. I would urge upon the Government to allot at least 7 IPS officers from CSE-2013 and subsequently 7/8 officers in each year for the coming five years.

(xii) Need to develop Bhagalpur Airport, Bihar for operation of domestic flight

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): मेरा संसदीय क्षेत्र भागलपुर हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है । भागलपुर के लिए सबसे नजदीक हवाई अड्डा पटना है, जिसकी दूरी 270 किलोमीटर है । सड़क मार्ग से जाने में लगभग सात घंटे का समय लगता है । भागलपुर एशिया का एक महत्वपूर्ण रेशम उद्योग नगरी है इसलिए भागलपुर सिल्क नगरी के रूप में भी जाना जाता है । देश के विभिन्न भागों से रेशम के कपड़े के व्यापार के लिए लोगों का आना-जाना लगा रहता हे । भागलपुर आने के लिए नजदीक में हवाई अड्डे का कोई अन्य विकल्प नहीं है । रेलगाड़ी से आने में काफी समय लगता है । यहां कई ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं । जैसे विक्रमशिला, मन्दार हिल, तिलका मांझी, श्रींचंपापुर दिगम्बर जैन सिद्ध क्षेत्र आदि सहित कई पर्यटक स्थलों को देखने की दृष्टि से भी लोग आते हैं । लेकिन हवाई मार्ग से जुड़े नहीं होने के कारण व्यापारी वर्ग तथा पर्यटकों को काफी असुविधा होती है । गंभीर रूप से बीमार अथवा दुर्घटना में घायल व्यक्ति को आपात स्थिति में सड़क मार्ग से पटना ले जाना पड़ता है । इस दौरान समय पर इलाज नहीं होने से रोगियों की मृत्यु भी हो जाती है ।

अतः उपरोक्त सभी परिस्थितियों के आलोक में भारत सरकार से मेरी मांग है कि भागलपुर स्थित हवाई अड्डे को विकसित कर अंतर्देशीय हवाई यात्रा के लिए विमानों का परिचालन प्रांरभ कराने हेतु नागर विमानन मंत्रालय को आदेश देने की कृपा करने का कष्ट करें ।

(xiii) Need to provide proper uniform to NCC cadets in Bihar particularly in Nalanda parliamentary constituency

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : नालंदा सहित पूरे बिहार में नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) छात्र-छात्राओं के लिए विगत 8 वर्षों से पोशाक नहीं मिली है । कभी-कभी 10-20 की संख्या में जूता मिल जाता है जबकि हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बिहार शरीफ में 38वीं बिहार बटालियन का एन.सी.सी. कैम्प है, जिसमें नालंदा, नवादा, बाढ़ व बख्तियारपुर के लगभग 2 हजार 5 सौ छात्र-छात्रायें जुड़े हैं ।

एन.सी.सी. सेना की लघु इकाई मानी जाती है और सरकार कैंडेटों के कैम्प, नाश्ते तथा ट्रेनिंग में भी काफी खर्च करती है ।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि यथाशीघ्र जांच कराकर उन्हें पोशाक यानी शर्ट, पैंट, पी.टी. जूते, टोपी, मोजा और पी.टी. ड्रेस अतिशीघ्र दिया जाये ।

(xiv) Need to send a central team to assess the crop-damage caused due to recent unseasonal rains in Karimganj parliamentary Constituency, Assam

SHRI RADHESHYAM BISWAS (KARIMGANJ): Entire Parliament is in favour of providing compensation to the agriculturists. Agriculture is the major source of income for the people of my constituency, Karimganj, Assam. Due to recent unseasonal rains, 4000 hectares of agricultural land in Sonbill, 1500 hectares in Ratabill, 400 hectares in Tapang block area, 300 hectares in Chatla & 100 hectares in Bakrihawar, Boro, crop was submerged and got damaged totally. The local growers are now in a very miserable position both economically and mentally. Like other parts of India, it is highly imperative to provide financial help to farmers as there is no source of income available to them at present.

So, I request the Union Agriculture Minister to send a survey team to the above-mentioned badly affected areas and provide full financial help as per announcement of the government in the House recently.

(xv) Need to formulate a policy for rehabilitation of Indian paramedics evacuated from strife-torn countries

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): I wish to congratulate the Indian Government for its swift and efficient operation in Yemen rescuing close to 5000 people. Kerala has been the worst affected state in such situations, which are recurring now in its unfailing regularity. Thousands of Indian citizens have been evacuated from the conflict zones in Libya, Iraq, Yemen etc through the years. In this backdrop, I welcome the decision of the government to allow qualified paramedics to be recruited only through the government agencies. I hope this move is also extended to other sectors like Infrastructure/Construction and Energy.

It is important to consider that most of the people who go abroad for the purpose of employment are professionals; mostly paramedics have loans to repay and also the brokerage they pay to the agents to get placed abroad. The same is true for the labour community. It becomes a compulsion for them to go abroad and work irrespective of how dangerous the situation might become in those countries. In Kerala, people are registered with Norka which is a government agency. The central government should come up with a policy which along with the state government should ensure rehabilitation of people registered with state agencies by way of providing reservations in public and private hospitals and other relevant places or giving them temporary rehabilitation packages. This would also encourage the people to register with state agencies so that they can be tracked in case of emergencies and prevent them from falling prey to dubious agents.

12.56 hrs

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 2015-16

(i)Ministry of Home Affairs – Contd.

HON. SPEAKER: Now, we shall take up Item No. 26 – Further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs for 2015-16.

***श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत):** मैं मान्यवर मंत्रीजी का ध्यान आजकल बढ़ रहे साइबर क्राईम की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। पिछले कुछ समय से साईबर क्राइम की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी का एक कारण यह है कि आम जनता में जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है एवं फाइनान्सीयल इन्सटीट्यूशन एवं पुलिस विभाग के बीच, एक पुलिस स्टेशन और एक बैंक की ब्रांच के स्तर पर जो तालमेल होना चाहिए उतना तालमेल हमारे देश में अभी तक बैठा नहीं है। मेरा मंत्रीजी से सुझाव है कि पुलिस विभाग में पुलिस स्टेशन के स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारी एवं अधिकारियों को भी इस विषय की जानकारी देने की योजना बनाई जानी चाहिए। साथ ही साथ, साईबर क्राइम के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की भी आवश्कता है, क्योंकि कई बार एक ही व्यक्ति से दो या तीन बार चीटींग के भी केसीस सामने आते हैं। तब एक व्यक्ति पहले बैंक में सूचना देता है और उसके बाद पुलिस स्टेशन में सूचना देने जाता है। तब उसे पता चलता है कि इस पुलिस स्टेशन की ज्यूरीसडीक्शन में वह ब्रांच नहीं आती। जब वो उस पुलिस स्टेशन में जाता है तब तक आरोपी नौ दो ग्यारह हो चुका होता है। इसलिए यह जरूरी बनता है कि बैंक में सूचना जाने के बाद बैंक की ओर से तुरंत उस विस्तार का जो भी पुलिस स्टेशन है उसमें फोन द्वारा इस क्राइम की सूचना दी जानी चाहिए। बाद में आम व्यक्ति उस दिन में कभी भी पुलिस स्टेशन पर संपर्क कर सके। इसलिए बैंकों के साथ तालमेल बढ़ाना और आम जनता में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता लाने हेतु कार्यक्रमों की योजना बनाना और साईबर क्राईम की डीटेक्शन इन तीन बातों पर विशेष मुहिम चलाई जाए।

---

* Speech was laid on the Table.

*__SHRI S.R. VIJAYAKUMAR (CHENNAI CENTRAL):__ I thank our beloved leader Honourable Makkalin Mudalvar Idhaya Deivam Puratchi Thalaivi Dr. Amma for having given me an opportunity to represent Central Chennai Lok Sabha Constituency in this august House and also for enabling me to express my views on the Demands for Grants for the Ministry of Home Affairs for the year 2015-16.

The Ministry of Human Resource Development comprises the Department of Internal Security, Department of States, Department of Home, Department of Jammu & Kashmir Affairs, Department of Border Management, Department of Official Language. The Office of the Registrar General and Census Commissioner of India also come under this Ministry.

The Budget Estimates for the Ministry of Home Affairs stands at Rs. 62,124.52 crores out of which Rs. 7,371.90 crores for Plan outlay and Rs. 54,752.54 crores for Non-Plan outlay. The total Budget Estimates for this Department has seen a modest increase of 10.2 per cent over the outlay of the last fiscal 2014-15. Special focus has been given to women safety, rehabilitation of Kashmiri Pandits and Internal Security. Extra allocation of Rs. 1000 crore to the Nirbhaya Fund Corpus is a welcome step. Any step in safety of women is welcome by us as the AIADMK party led by Dr. Amma has always championed the cause of safety of women and girl children. Cradle Baby Scheme of Dr. Amma was to ensure the safe upbringing of unfortunate unwanted abandoned children. The scheme is to ensure that even if the biological parents disown the infants, the Government will take care of them.

The hike in allocation for the Central Armed Police Forces (CAPF) is a welcome step. These Forces deployed at times of extreme civil disturbance, violence due to terrorist, communal and naxal elements play a commendable role and the hike in outlay is deserving.

---

* Speech was laid on the Table

Increase in outlays of CBI and Lokpal by 10 and 7 per cent respectively is a progressive step.

Narcotics Control Bureau under this Ministry should be modernized and should be equipped to meet the growing challenges from the drug traffickers.

The Home Ministry has written to tell the State Governments that no fresh proposal under the modernization of police forces (MPF) will be entertained in the fiscal. It is a sad development. This crucial area of police modernization, in fact, needs enhancement of allocation. I would urge the Government to rethink on this issue and continue to allocate substantial funds to continue the Police Modernization work of the State Governments. Here I would like to mention that Tamil Nadu Government guided by Honourable Dr. Amma has been doing a commendable work like setting up of All Women Police Stations and it is on record that the Tamil Nadu Police is highly sensitized about women safety. I would like the Centre to take a cue from the vigilant Tamil Nadu Government in ensuring communal harmony.

Coastal Security is a major issue. Tamil Nadu with a long coastline require more central assistance to strengthen coastal security. More funds may be allocated to Tamil Nadu for setting up of more Marine Police Stations, jetties, Marine Operation Centres, Boats, Rigid Inflatable Boats, Four Wheelers and Motorcycles etc.

The need of the hour is to ensure unity and integrity of the country by following the best practices of internal security measures.

*SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): I want to lay the following points on the Demand for Grants for Home Affairs:-

(1) The BADP should be reviewed properly. The limit from Border 1-10 km. should be increased upto 20 km. or whole Block should be made eligible under BADP.

(2) Police Reforms should be taken on priority.

* Speech was laid on the Table.

***श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर):** मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे गृह मंत्रालय की वर्ष 2015-16 की अनुदानों की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। हमारा देश बहुत बड़ा है और भारतवर्ष को यह सौभाग्य प्राप्त है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन मैं समझता हूं कि विगत कुछ वर्षों में हमारे देश के सामने कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, साम्प्रदायिक दंगे तथा कानून व्यवस्था से संबंधित अनेक समस्याएं हैं। यह हम सबका दायित्व बनता है। अगर देश में इसी तरह की राजनीति की जाती रहेगी, तो देश की जो राष्ट्रीय समस्या है, जिस समस्या पर किसी सरकार का नहीं, किसी एक दल का नहीं, बल्कि सब लोगों को मिल करके इस समस्या का निदान करना पड़ेगा, वरना देश की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। आज अपराध बढ़े हैं, समस्याएं हमारे सामने हैं।

पूरे झारखंड में नक्सलवाद ने व्यापक ढंग से घर करने का काम किया। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में दुखद घटना घटी। उड़ीसा में भी यह घटना घट रही है। कई ऐसे इलाके हैं, जहां नक्सलवाद की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। इस समस्या का निदान कैसे होगा, क्या इस पर हमने गहन चिन्तन करने का काम किया है? हमारे देश में कई तरह की असमानताएं हैं। गरीबी और अमीरी में इतना अंतर आ गया है, जिसकी वजह से वहां के लोग, किसान, बेरोजगार नौजवान अपनी हालत सुधारने के लिए इन सब गतिविधियों में आने का काम कर रहे हैं। जब तक देश में असमानता रहेगी, तब तक हम नक्सलवाद की गतिविधियां बंद नहीं कर सकते। हमारी असमानता में समानता कैसे आए, गैर-बराबरी कैसे दूर हो, विकास कैसे हो। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, जहां आज भी सड़कों, जल, बिजली एवं शिक्षा का अभाव है। इसलिए यह चिन्ता का विषय है और इस पर निश्चत तौर पर कारगर कदम उठाने चाहिए।

---

* Speech was laid on the Table.

[*]**श्री देवजी एम. पटेल (जालौर):** गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगें, 2015-16 पर अपने विचार व्यक्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि पुलिस अनिवार्यतः एक सार्वजनिक सेवा है और लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेह होती है। यह ऐसी सार्वजनिक संस्था है जो सरकार की किसी भी अन्य एजेंसी की तुलना में जनसंख्या के बड़े हिस्से को उनके रोजमर्रा के जीवन में व्यापक रूप से प्रभावित करती है। पुलिस, नागरिक के लिए संपर्क का पहला प्रत्यक्ष बंन्दु है। यह एकमात्र एजेंसी है जिसके पास लोगों के साथ संपर्क का सबसे व्यापक अवसर है। इसलिए सार्वजनिक संस्था के रूप में पुलिस का गठन तथा सशक्तीकरण कानून द्वारा होता है। अतः पुलिस को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

राजस्थान में आम लोगों के बीच पुलिस की छवि को लेकर हुए एक अध्ययन से निम्न तथ्य उजागर हुआ। लोगों का मत था कि 11 प्रतिशत लोग ही कभी पुलिस से मिले जबकि 89 प्रतिशत लोगों का पुलिस से कभी सामना नहीं हुआ। इनमें से 24 प्रतिशत लोग शहरी और 17 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र के थे। केवल 5 प्रतिशत महिलाएं ही पुलिस से कभी मिली थी। यह जाहिर करता है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा पुलिस से मिलने या बात करने से हिचकता है। इसमें 87 प्रतिशत लोगों ने कहा कि पुलिस से कार्य कराने के बदले उन्होंने पुलिस को घूस दी है। अध्ययन में बताया गया कि लोग जब अपनी शिकायतें लेकर पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस का रवैया बहुत उदासीन रहता है। इस कारण पैसा देकर अपना काम कराने को मजबूर होते हैं। मजेदार बात यह है कि इनमें 70 प्रतिशत लोगों ने घूस देने के अतिरिक्त पुलिस से अपना काम सीधे नहीं बल्कि ऊपर से दबाव डालकर अथ्वा दलाल के माध्यम से करवाया। आज भ्रष्टाचार से पुलिस के प्रति जनता का विश्वास घटता है साथ ही कानून के शासन की प्रतिष्ठा गिरती है और कई अपराधों को बढ़ावा मिलता है। इससे किसी पुलिस कर्मी के साथ पुलिस संगठन की छवि और प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है। मेरा मानना है कि जब पुलिस राज्य सरकार के किसी अन्य सार्वजनिक कार्यालय यथा राजस्व नगरपालिका जलविभाग और विद्युत विभाग की तरह ही एक सार्वजनिक सेवा है तब लोग पुलिस थाने जाने और पुलिस से मिलने से डरते क्यों हैं? आज पुलिस स्टेशनों को ऐसे जन स्वागत केन्द्र में तब्दील करने की आवश्यकता है जहाँ लोग अपनी जरूरत पड़ने पर जा सके। अब समय की मांग है कि थानों का आधुनिकीकरण किया जाए। जहां सभी सुविधा उपलब्ध हो। इसी के अंतर्गत हमारी सरकार ने गृह मंत्रालय को पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अधिक धन दिया है। यह आवंटन महिलाओं की सुरक्षा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और आंतरिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए किया गया है। जागरूकता के कार्यक्रम को समर्थन देने के प्रयासों के तहत निर्भया फंड के लिए और 1000 करोड़ रुपए

---

[*] Speech was laid on the Table.

देने का फैसला किया गया है। हमारी सरकार 17 राज्यों के 104 जिले के 367 ब्लॉकों में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के अंतर्गत राज्यों को निधियां अवसंरचना, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि से संबंधित विकास के कार्य पर जोर दिया जाता है परन्तु कुछ तकनीकी कारणों से मेरे संसदीय क्षेत्र स्थित सांचौर तहसील को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है जबकि सांचौर तहसील को दिनांक 12 मार्च 1996 को सांचौर चितलवाना सर्वना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत स्थित क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था। साचौर और चितलवाना प्रखंड के नागरिकों को प्रवेश और निकास पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 1.5 किमी की दूरी पर चार गांव हैं, 10-15 किमी पर आठ गांव तथा 15-20 किमी पर 13 गांव स्थित हैं। इन गांवों में मूलभूत सुविधा का नितांत अभाव है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बजट वर्ष से सांचौर तहसील को इस फंड से विकास कार्य प्रारम्भ हो जाएंगे।

ठीक इसी प्रकार, देश की सीमाओं की निगरानी व देश के अंदर विभिन्न तरह से सुरक्षा में लगे अर्द्धसैनिक बल राष्ट्र की सेवा में समर्पित सेवा बल है। पाक, बंगलादेश, चीन, श्रीलंका, नेपाल, भूटान से लगी सीमा की सुरक्षा पूर्ण रूप में अर्द्धसैनिक बल हर जगह मुस्तैदी से तैनात है। हमारे देश के एक सजग प्रहरी है। देश के अंदर भी आतंकवाद, नक्सलवाद, दंगा, प्राकृतिक विपदा, तीर्थ स्थलों की सुरक्षा एवं विषम परिस्थितियों में ये जवान राष्ट्र सेवा में डटे हुए हैं। लेकिन इन जवानों को वो सुविधा नहीं मिलती है जो सेना के जवानों को मिलती है। अतः मेरा आग्रह है कि अर्द्धसैनिक बलों को निम्न सुविधा जल्द से जल्द देने के लिए सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए।

10 वर्ष पूर्व अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों को कैंटीन सर्विस डिपार्टमेंट के तहत सेना के डिपो से दैनिक जरूरत का सामान मिलता है, परन्तु आजकल ये सुविधा बंद है जिससे अर्द्ध सैनिक बल के जवानों को काफी असुविधा होती है। यह सुविधा गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के तालमेल नहीं होने के कारण बहाल होने में देरी हो रही है। अतः कैंटीन सर्विस डिपार्टमेंट से अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों व उनके परिवार को दैनिक उपयोग के सभी समान उपलब्ध कराए जाए।

अर्द्ध सैनिक बलों के जवान हमेशा परिवार से दूर रहते हैं। अतः इनके बच्चों को नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय और सैनिक विद्यालय में कोटा देकर इनका सतप्रतिशत नामंकन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों के लिए प्रत्येक जिला में अर्द्ध सैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए, जिससे रिटायर्मेंट के बाद इनके पुनर्वास का पूरा ख्याल रखा जाए। सरकार की सभी योजनाओं की

जानकारी समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो, जिससे इनको पेंशन स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराने में पूरी मदद हो सके।

[*] **SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR):** The Ministry of Home Affairs is one of the most important Ministries which play a vital role in the administration of this country. This is a flagship Ministry and it comes under priority sector because the question of maintenance of peace and harmony in the country is very important for any democratic country. Unfortunately, the Government of India, in this present budget for the year 2015-16, has reduced the allocation of funds to the various schemes of the Ministry of Home Affairs.

The most important area where the Ministry of Home Affairs has to take things into consideration is the modernization of police force in the country. The facilities given for the police and the arms and ammunitions provided to them to cope with the uphill task of maintenance of peace and harmony in the country has to be looked into very seriously. Again, unfortunately, in this year's budget, not much funds are allocated for the national scheme of modernization of police force.

If we look at the problems being faced by the police personnel in the country, not much youngsters are preferring to enter this field because the facilities provided to them is not attractive or lucrative. Young and energetic people should be appointed for the police force. One of the major problems being faced by the police is the housing problem. People generally do not give houses for the police personnel on rent. In all the places, the Government of India is not providing housing facilities to the police personnel. To make the police personnel work effectively, it is also very important that they should be given housing facility.

The Government of India has also not provided sufficient funds for the border area development programme for the border management. More funds ought to have been allocated for this programme for creating good infrastructure and also facilities because the personnel working in this area generally faces very

---

[*] Speech was laid on the Table.

tough situation. As such, it is the duty and responsibility of the Government of India to take care of the personnel who are working in the border area. Hence, more and sufficient funds should be allocated for the border management keeping in views the interest of the nation into consideration.

The Ministry of Home Affairs is not fully equipped to face the situation which arises from the natural disaster, like cyclones, earthquakes, etc. If we look at the allocation of funds for this natural disaster management, once again there is an utter disappointment. Recently, we have faced a tough situation during the cyclone Huddud in Orissa, Andhra Pradesh, West Bengal, etc. And also in the recent earthquakes in West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh, etc., lot of losses to the lives and properties occurred, though the respective State Governments managed the situation well, much expectations and responsibilities were also there on the Union Government. Hence, it is necessary for allocation of more funds for the disaster management also.

The naxal activities in some portions of the country is also another alarming factor which creates fear among the general public. The Government of India should also take more interest in strengthening the anti-naxal force by providing and allocating more money.

[*]**डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़)**: जैसाकि हम सभी जानते हैं कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियों में प्रमुख रूप से आंतरिक सुरक्षा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, केन्द्र-राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन और आपदा प्रबंधन आदि शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ का यह कर्त्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करें और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करें।

गृह मंत्रालय के उत्तरदायित्वों में राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, मानवाधिकारों के सिद्धांतों का संरक्षण एवं उन्हें बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटवर्ती रेखा का प्रभावी रूप से प्रबंधन, आपदाओं से पैदा होने वाली कठिनाइयों को कम करना तथा राहत प्रदान करना, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए कार्य करना, 10 वर्षीय जनगणना करना, मादक पदार्थों के अवैध व्यापार एवं दुरूपयोग की रोकथाम एवं नियंत्रण करना एवं राजभाषा नीति का कार्यान्वयन के साथ-साथ भारतीय पुलिस सेवा नियमों के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग का उचित प्रशासन सुनिश्चित करना है।

किसी भी देश में व्यक्तियों के विकास, समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एवं मजबूत, स्थिर एवं खुशहाल राष्ट्र के निर्माण के लिए शांति एवं सद्भावना अनिवार्य अपेक्षाएं होती हैं। इस उद्देश्य के लिए यह परिकल्पना की गई है कि गृह मंत्रालय निम्नलिखित बातों के लिए पूरा प्रयास करेगा।

इसके तहत किए जाने वाले भावी कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा को होने वाले सभी खतरों को समाप्त करना, समाज को अपराधमुक्त वातावरण मुहैया कराना, सामाजिक और सामुदायिक सौहार्द का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नयन, कानून का शासन लागू करना और एक प्रभावी अपराधिक न्याय प्रणाली उपलब्ध कराना, मानवाधिकारों के सिद्धांतों की मर्यादा को बनाए रखना, केन्द्र राज्य संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाना तथा सुशासन को बनाए रखना, प्राकृतिक तथा मानव जनहित आपदाओं के परिणामस्वरूप कष्टों का प्रशमन करना तथा सरकारी काम-काज में राजभाषा का प्रयोग अनुकूल बनाना है।

सरकार के लिए वर्तमान में वामपंथी उग्रवाद एक चुनौती बना हुआ है। इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों से समग्र तरीके से निपटने का है जो कि एक प्रशंसनीय कदम है। क्योंकि किसी भी तरह की विध्वंसक गतिविधि से किसी भी राष्ट्र के विकास को आघात पहुंचना है। दशकों पुरानी इस समस्या से निपटने में संबंधित राज्य सरकारों से विचार-विमर्श और बातचीत के बाद यह उचित समझा गया है कि इस संबंध में एक ऐसी एकीकृत योजना बनाई जाए जिसके अपेक्षित परिणाम निकले और इस दिशा में सरकार पूरी प्रतिबद्धता से अपना काम कर रही है।

---

[*] Speech was laid on the Table.

अंतर्राष्ट्रीय घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़ लगाने का काम तेजी से कर रही है और सड़कों, सीमा चौकियों का निर्माण एवं तेज रोशनी करने का कार्य भी तीव्रता से कर रही है।

इस बार केन्द्रीय बजट में गृह मंत्रालय को 62124.52 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के आवंटन से 10.2 प्रतिशत ज्यादा है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। यह आवंटन महिलाओं की सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और आंतरिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता के कार्यक्रमों को समर्थन देने के प्रयासों के तहत निर्भया फंड के लिए एक हजार करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है।

जम्मू-कश्मीर के प्रवासियों के राहत और पुनर्वास के लिए बजट में 580 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जो कि पिछले वित्त वर्ष में 342.50 करोड़ रुपए का था। विश्व के विशालतम अर्द्ध सैनिक बल सीआरपीएफ जिन्हें अक्सर नक्सल विरोधी अभियान सहित आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है, को 14089.38 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान इस बल को 12866.12 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस लिहाज से इस बार के आवंटन में काफी वृद्धि की गई है।

भारत-पाक और भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा करने के लिए तैनात किए जाने वाले बीएसएफ को इस बार 12517.72 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि इस बल के लिए पिछले वित्त वर्ष में आवंटन 11717.46 करोड़ रुपए था। इसी तरह भारत-चीन सीमा पर सुरक्षा के लिए तैनात आईटीबीपी के लिए पिछले वर्ष 3404.93 करोड़ रुपए के मुकाबले इस बार 3736.47 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही, सरकार ने देश के ज्यादातर हवाई अड्डों, औद्योगिक आधारभूत ढांचों, परमाणु केन्द्रों, दिल्ली मेट्रो के अलावा कई अन्य की सुरक्षा के लिए भी तैनात किए जाने वाले सीआईएसएफ के लिए पिछले वर्ष के 4937.91 करोड़ रुपए की अपेक्षा इस बार 5196.65 करोड़ रुपए का आवंटन किया है जो कि एक स्वागतयोग्य कदम है।

इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी तथा माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ, मैं गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2015-16 की अनुदान मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूं।

*__SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR):__ Ministry of Home Affairs is one of the most important Ministries of the Government. It has the most wide ranged responsibilities in terms of ensuring security, and safety of citizens. Its budgetary allocation has increased by 11.52% as compared to revised estimates of 2014-15. Even as compared to budgeted estimates, the allocation has been increased by 4.78%. However, there are various issues that I want to bring to the notice of the Government.

First and foremost, is the issue of Left Wing Extremism, which is the most pressing security issue that the country is dealing with today. In 2014 alone, there were 1,091 instances of Left Wing Extremism from across the country. Most of these happened in Jharkhand (384) and Chhattisgarh (328). In these incidents numerous lives have been lost year after year. In 2014, Left Wing Extremism left 222 innocent civilians and the 87 security forces dead. Again, in just the first one and a half months of 2015, 28 civilians and 8 security personnel have lost their lives.

The government has deployed paramilitary forces to tackle violence but the focus on development seems to be lacking. In 2008, the Experts' Group report to the Planning Commission on 'development challenges in extremist-affected areas' made an assessment of the causes and nature of the growing Maoist violence and recommended that LWE be looked as a development issue. I urge the Minister to work with other Ministries as well to ensure that in LWE areas, development and governance is made a priority. Most of the areas where LWE is prevalent are absolutely cut off from the country. The Government's focus on the issue is not comforting. As per NHAI, in the case of road projects in Left Wing Extremism (LWE) impacted areas, about 60 out of 100 projects faced delay. This covered about 2,200 km and the cost comes close to Rs. 3,418 crore.

UPA Government had brought forth an extremely important policy - Additional Central Assistance, to counter Left Wing Extremism through creation

---

* Speech was laid on the Table

of crucial infrastructure in 10 states. However, the Government has conveniently transferred the scheme to the States. This move is condemnable and even the Ministry's Home Secretary has admitted, in the Standing Committee Report that such a move is a compromise on security. The Ministry itself does not agree with the Ministry of Finance on the issue. How can a scheme that is critical to the internal security situation of the entire country, be left to the responsibility of states?

Another disturbing trend is the situation of increasing instances of crimes against civilians and exploitation of tribals by naxalites. Numerous instances of sexual exploitation, forced marriage, molestation and forced recruitment of children from families of poor and marginalized segments of the society have been reported from Odisha, Maharashtra, Bihar, Jharkhand. What is the Government doing to deal with these issues?

In the year 2013, crimes against persons belonging to scheduled caste and schedule tribes have increased by 17.1% as compared to 2012 and the total number of cases reported has been 39,408. This increase has been under all major crime heads including dacoity, rape, hurt, kidnapping and under the SC/ST prevention of atrocities Act. It is very unfortunate, that even today such crimes are taking place and are in fact increasing. Amidst this trend of increasing atrocities against scheduled castes and scheduled tribes, the responsiveness of police administration is very important. It is very important to ensure that the police machinery and justice system are sensitive to these communities.

As per the Standing Committee report and case studies of the National Commission for Schedule Caste's report, there have been instances of delay in reporting crimes against SCs and STs or failure to register such crime, delay in visits to the scene of offence and delays in charge sheeting. There have also been instances where cases have not been filed under the stricter Prevention of Atrocities Act and have instead been filled under other sections. Failure to register first information reports in these cases has led to perpetrators being let off with

lesser sentences and victims not getting compensation. I hope the Ministry would take not of the issue and take appropriate action so that the various law enforcement agencies act to eliminate atrocities against scheduled caste and scheduled tribes.

Modernization of Police Forces is one of the most important aspects that the Ministry of Home Affairs has been taking up. Infact, it has been seen in the past that given constraints of the states and their consequent low allocation to police force, the Ministry of home Affairs has been a prime force in strengthening their efforts on the front of modernization of police forces. However, this budget comes as a huge disappointment on that front. The Standing Committee Report has pointed out that although there is an increase of 10.2% in budgeted expenditure 2015-16 in comparison to revised estimates 2014-15 for police forces, 89.13% of total allocation is utilized for salaries and ration and only 10.87% is being utilized for various schemes. How will the ministry sustain its operational efficiency in such a case?

This year onwards, the Government has also transferred the National Scheme for Modernization of police and other Forces' to the States, except for its Natural Disaster Component. Thus, at present there is no scheme of the Ministry of Home Affairs focused on development or modernization of police forces. There is also no guarantee that the state Governments would channelize a portion of these funds into the requirements of policing or public order or security. This can be a huge problem for the state in the long run. Thus, I urge the Minister to take up the issue with the Ministry of Finance again, so that the scheme can be continued again with budgetary support from the Center.

Coastal security is a major area of concern for all states on the coast, including Karnataka, which has a coastline of 320 kms. After the 26/11 attack at Mumbai, most states including Karnataka have prioritized coastal security. However, this is one area where a lot of support from the Center is required.

Recently, a CAG audit in Maharashtra on coastal security found glaring loopholes. 57% of the non-technical staff posted in the coastal police stations did not possess even swimming skills. The report added that the five coastal districts had a manpower shortage of 40.02% posts with the gap in deployment of technical staff for boat operations being 51.21%. The audit also observed that GPS systems, which could have helped the crew understand the navigational channels and locations of the boats in the sea, were not installed in 34 of the 69 operational boasts.

The fact is that similar situations exists across states, especially in terms of facilities such as jetties and manpower requirements. An important issue, such as this, must not be left only to the states. I urge the minister to take note of the issue, allocate funds and monitor the developments on coastal security in the country.

*__SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT (JODHPUR):__ In the Arthashastra, Kautilya wrote that a state could be at risk from four types of threats - internal, external, externally-aided internal, and internally-aided external. He advised that of these four types, internal threats should be taken care of immediately, for internal troubles, like the fear of the lurking snake, are far more serious than external threats. The most dangerous enemy is the enemy within. Kautilya's teachings on internal security and his skillful expression of the warp and weft of internal and external security has great relevance in the globalised 21st century. Destabilizing a country through internal disturbances is more economical and less objectionable, particularly when direct warfare is not an option and international borders cannot be violated. External adversaries, particularly the weaker ones, find it easier to create and aid forces which cause internal unrest and instability.

India's history is full of such experiences. Since Independence, we have faced many such situation, initiated by China, Pakistan and others in the Northeast and even in th western sectors of the country since the mid-60s. But only after the events of 11 September 2001, the world has started looking at these external and internal linkages more seriously. Presently, almost all the countries of South Asia - India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, Pakistan and Afghanistan - are experiencing internal security problems, due to insurgency movements, ethnic conflicts, religious fundamentalism, or just discussed political polarization. India is a country exemplified by diversity - over one billion people are spread over approximately 3.1 million square kilometres of territory. The people of the country speak 16 major languages in over 200 dialects. There are about one dozen ethnic groups, seven major religion communities with several sects and sub-sects, and 68 socio-cultural sub regions. When a socio-political and socioeconomic equilibrium is maintained in such a scenario, there is unity in diversity. But if there is even the slightest imbalance, we have more diversity and less unity. This has been a hallmark of India's history and it has always been

* Speech was laid on the Table

exploited by external elements. Even after 67 years of Independence, our secular, internal troubles, like the fear of the lurking snake, are far more serious than external threats. Synergy is essential to deal with India's complex internal security operations. Post 26/11, there appears to be a conscious effort to ensure better networking of agencies involved in these operations.

Strategically, India cannot afford to be perceived to be buckling down under internal security or externally induced terrorist pressures. That would be disastrous. Neither can it afford to depend on other nations to take care of its internal security problems. Hard decisions, based on hard analysis of options in the current trend of internal security activities, have to be taken. We need a comprehensive centre-state strategy to deal with different insurgencies and communal terrorism. It should include broad-based domains of national and state policies including accelerated economic development and social justice, security and media policies. Most importantly, it should address dedicated and effective governance through good administration, prompt and fair judiciary and a law and order machinery that inspires public confidence.

*__SHRI ARKA KESHARI DEO (KALAHANDI):__ My Parliamentary constituency Kalahandi in the State of Odisha is coming under the left wing extremists. The remote pockets of my constituency are very poor in infrastructural connection, as a result of which there is no well co-ordination among different government agencies at the time of the incident. So, I may suggest the following points to be included by the Minister at the time of passing the Demands for Grants.

The Government may consider to double the Central assistant for Integrated Action Plan (IAP) for the development of Tribal and backward districts for LEW affected districts. The Cabinet Committee on Economic Affairs on 2nd April, 2013 has approved funds for upgradation and critical gap filling for special forces of the worst affected states like Bihar, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand.

I request Hon'ble Minister to set up CRPF unit at district headquarter Bhawani Patna of my constituency, so that mobilisation of paramilitary force could be done efficiently to the affected area very quickly.

The local people participation in all developmental activities may be more successful than ignoring involvement in developing their areas.

The unemployed benefits to the educated youths of tribals and other backward castes of these affected LWE areas may be given so that these youths never feel that they are neglected by the Government. This unemployed benefit can stop these youths to join anti-social activities to a great extent.

Modernisation and upgradation of police force, and sharing of intelligence data with state police force is must to counter the anti social activities in the LWE affected areas. All schools of these affected areas may kindly be linked with mobile towers so that information and data can be sent to the school by utilizing social networking to minimize the casualties of the people.

* Speech was laid on the Table

The tribal handicrafts may be encouraged and easy availability of funds to develop handicraft centres and most important is the marketing of these handicrafts, so that these tribal people could improve their living standards.

The education of skill development like -carpenter, pottery, blacksmith, stone craving and farming like-floriculture, fishing/fishiculture, bee hiving and fruits farming may be given to the school children to make them self sufficient and self employed. Here the Government should think of small cold storage by utilizing solar energy in order to store the perishable goods for long time with added value.

Clean and green energy like solar, wind and bio-gas may vigorously be taken up with PPP model by minimizing the damage to environment.

Odisha has a long coast line, so that Central Government should think of safety and secured coal line by upgrading the coastal surveillance.

I request the Hon'ble Home Minister for setting up of National Investigation Agency (NIA) branch at Bhubaneswar for better co-ordination between state and centre to counter terrorism and provide peace and security to the citizens of the country.

Roads, schools, hospitals, railway links, irrigation, electricity and supply of drinking water which are considered as the basic necessities of people in present world may kindly be given prime importance by allocating more funds and involving the locals as well as state machineries to achieve the targets. In my opinion any sincere effort in these fields would definitely change the face of rural India.

*SHRI RAMESHWAR TELI (DIBRUGARH): I support the Demand for Grants under the Ministry of Home Affairs. Our hon'ble Home Minister has taken laudable steps for the improvements in functioning of various agencies under its jurisdiction to maintain law and order situation in the country. Madam, I would like to say a few words on the issues concerning my State, Assam which need urgent attention. Madam, a proposal was mooted to establish an Indo-Tibetan Border Police Battalion in Lahowal in Dibrugarh District of Assam. I suggest that it should be set up at Kabir Sea Estate. I would request the Home Ministry to take appropriate steps for the setting up of the ITBP Battalion at Lahowal as soon as possible. If this is done expeditiously, the ITBP facility will certainly provide business and employment avenues to hundreds of people. Another issue to which I wish to draw the attention of the hon'ble Minister is that on December, 23, 2014, many people lost their lives while hundreds were injured when NDFB(s) militants opened fire on the innocent villagers at several places in Assam, while I appreciate the hon'ble Home Minister for making all out effort for bringing the situation under control, I wish to request the Ministry to provide adequate compensation to the people affected in this dastardly acts of the terrorists. Madam, Speaker, Assam has a long international border with neighboring Bangladesh. But the border is porous at various places through which illegal Bangladeshi migrants are intruding into our territory. Besides, through the porous border cattle from various parts of Assam are also being smuggled into Bangladesh through both land and riverine route. I appeal to the hon'ble Minister to put up border fencing to stop migration of illegal Bangladeshi nationals. At the same time, forces manning the Border Outposts (BoPs) should be issued strong instruction to keep a strict vigil along the Indo-Bangla border.

One more serious issue which needs to be urgently addressed is

* Speech was laid on the Table

the problem of militancy in Assam. Militant outfits like Maoists, ULFA and NDFB have unleashed a reign of terror in various parts of our State. Trained Maoists are having their cadre in tea garden areas. Steps should be initiated to contain the militants so that their activities are checked.

Lastly, I would like to request the hon'ble Home Minister for inducting 6,000 youths from NE region into the various paramilitary forces as had been decided by the Ministry earlier.

***श्री विष्णु दयाल राम (पलामू):** गृह मंत्रालय मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, केन्द्र राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन आदि के लिए जिम्मेदार है। संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। इन दायित्वों के अनुसरण में गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण किए बिना स्थिति की निरन्तर निगरानी करता है, उचित सलाह देता है, सुरक्षा, शांति तथा सद्भाव को बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को मानव शक्ति एवं वित्तीय सहयोग, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करता है। तथापि भारत के सातवीं अनुसूची में लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं।

यद्यपि गृह मंत्रालय के अंतर्गत कई घटक विभाग हैं परन्तु मैं अपनी बातों को देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर ही केन्द्रित करना चाहूंगा।

आंतरिक सुरक्षा से जुड़े चार थियेटर हैं - जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य, नक्सलवाद, आतंकवाद।

जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की समस्या अहम है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के साथ मिलकर भारत सरकार ने सीमा पार से घुसपैठ पर नियंत्रण लगाने के एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण, बाड़ का निर्माण, सुरक्षा बलों के लिए बेहतर तकनीक, हथियार और उपकरण, बेहतर सूचना के प्रवाह की सक्रियशीलता शामिल है। इसी का नतीजा है कि हाल ही में हुए लोक सभा चुनाव एवं विधान सभा चुनावों में वहां की जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, शांतिपूर्ण मतदान हुआ और जिसकी प्रशंसा दुनियाभर ने की। आज जम्मू-कश्मीर की स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है और हमारी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के घर वापसी का मार्ग प्रशस्त किया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही और उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार ने एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वार्ता का द्वार भी खोला है, बशर्ते कि वे हिंसा का परित्याग करें एवं भारत के संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांगों का समाधान कराये। सरकार द्वारा की गई पहल तथा वार्ता नीति के अनुसरण में पूर्ववर्ती राज्यों में शांति वार्ता के लिए अनेक उग्रवादी संगठन अपनी शिकायतों के समाधान के लिए सामने आए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए एवं विकास के जरिए उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 10 महीनों में प्रधानमंत्री की इन राज्यों को दो-

---

* Speech was laid on the Table.

दो बार यात्रा एवं उस क्षेत्र के विकास के लिए घोषित योजनाएं इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्ष 2014 में विभिन्न उग्रवादी संगठनों के 965 काडर ने 282 आर्म्स के साथ समपर्ण किया है।

आज से कुछ वर्ष पूर्व देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने उग्रवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। देश के 9 राज्यों में उग्रवाद की समस्या आज भी बनी हुई है। हालांकि गतिविधियों एवं हिंसक घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है।

1967 में जब नक्सलवाद की शुरूआत हुई तो भारत सरकार ने इसे महज एक विधि-व्यवस्था की समस्या माना एवं तत्कालीन गृह मंत्री वाई.बी. चव्हाण ने 13 जुलाई, 1967 में इस लोक सभा में वक्तव्य देते हुए नक्सलवादी घटना को लॉलेसनेस की संज्ञा दी। वर्षों बाद सरकार ने यह महसूस किया कि नक्सलवाद की समस्या एक महज विधि व्यवस्था की समस्या नहीं है और केवल बल प्रयोग से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसके सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं पर भी गहन चिंतन की आवश्यकता है। इसी सोच के परिणामस्वरूप नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए ट्विन थ्योरी सामने उभरकर आई, जिसके अनुसार सिक्योरिटी के साथ-साथ डेवलपमेंट की भी बात कही गई। यह कहा गया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए उस क्षेत्र से नक्सलियों को बाहर करना होगा और साथ ही साथ उस क्षेत्र को विकसित करना होगा। परन्तु हुआ क्या? हुआ ये कि उस क्षेत्र से नक्सलियों को बाहर तो कर दिया गया परन्तु उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ और सुरक्षा बलों के हटते ही पुनः नक्सली उस क्षेत्र में आ घुसे। समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। सरकार ने इस बात को महसूस किया है और नक्सल समस्या से निपटने के लिए बहुआयामी स्ट्रेटिजी अख्तियार किया है।

सिक्योरिटी फ्रंट पर भारत सरकार ने सुरक्षा से संबंधित उपायों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 100 से अधिक बटालियनों को राज्य पुलिस की सहायता के लिए नक्सलवाद प्रभावित 9 राज्यों में तैनाती की है। इसके अतिरिक्त काउंटर इनसर्जेन्सी एवं जंगल वारफेयर में दक्ष एवं विशेष प्रशिक्षित कोबरा की 10 बटालियन तैनात की है।

सिक्योरिटी रिलेटिड एक्सपेंडिचर के तहत 9 राज्यों के 106 जिलों में सुरक्षा संबंधी खर्चों को रिअम्बर्स करती है, जिसमें उग्रवादी हिंसा में मारे गए नागरिकों/सुरक्षा बल के जवानों के परिवारों को अनुग्रह अनुदान (एक्सग्रेसिया पेमेंट), पुलिस कर्मियों की बीमा राशि, सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण, समर्पण करने वाले उग्रवादियों की मुआवजे की राशि, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, विलेज डिफेंस कमेटी पर होने वाले खर्च की राशि, प्रचार सामग्री से संबंधित खर्चे की राशि शामिल है।

पुलिस स्टेशनों के सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार प्रति पुलिस स्टेशन 2 करोड़ की राशि प्रदान करती है। 45 पुलिस स्टेशनों के सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। एसएसआई (स्कीम फॉर

स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर) पुलिस स्टेशनों की गतिशीलता एवं संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए गाड़ियों एवं वितंतु सेटों पर होने वाले खर्च, दुर्गम स्थलों पर जाने के लिए सड़कों के निर्माण, सिक्योर कैम्पिंग ग्राउन्ड करने पर होने वाले खर्च एवं हेलीपेड बनाने तथा हेलीकॉप्टर एवं यू ऐ वी का वहन भारत सरकार करती है।

इंडिया रिजर्व बटालियन - नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के नौजवानों को चयनित कर इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन का भार राज्य सरकारों को दिया गया और इसके लिए 37 इंडिया रिजर्व बटालियन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत अब तक 36 बटालियन का गठन किया जा चुका है।

ये तो सिक्योरिटी से संबंधित किए गए उपायों का मैंने जिक्र किया। अब विकास से संबंधित किए गए उपायों पर भी एक नज़र डालना आवश्यक है। पीएमजीएसवाई, एनआरएल एम, एमएनआरईजीए, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम (एनआर डी डब्ल्यूपी), इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम (आईसीडीएस), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), फोरेस्ट एक्ट, 2006 इत्यादि योजनाओं के जरिए भारत सरकार नक्सल प्रभावित राज्यों में गरीब एवं आवश्यकता मंद लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयत्न कर रही है। इसके पीछे भारत सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि गरीब, पिछड़े क्षेत्रों के गरीब, दलित, शोषित आदिवासी बंधु नक्सलियों के विचारों से प्रभावित होकर या उनके दबाव में आकर उग्रवादी संगठन में शामिल न हो। परन्तु इन सारे उपायों के बावजूद नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए जिन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है उनमें महत्वपूर्ण बात यह है कि नक्सलियों के द्वारा उगाही की जाने वाली राशि या उनको की जाने वाली फंडिंग पर प्रभावकारी नियंत्रण स्थापित किया जाए। उनको समाप्त किया जाए। बाल दस्ते को प्रतिबंधित किया जाए। फोरेस्ट एक्ट, 2006 के प्रावधानों को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाए। वन उत्पादों पर वनों में रहने वाले आदिवासी लोगों का एकाधिकार हो। फोरेस्ट एक्ट, 2006 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन हो क्योंकि आज भी अधिनियम के स्थापित हो जाने के बावजूद इन गरीब आदिवासियों को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाता है। वन क्षेत्रों में काम करने वाली आयरन ओर कंपनियों द्वारा सीएसआर के अंतर्गत उनके विकास के लिए कुछ भी लाभकारी कार्य नहीं किया जा रहा है।

सरकार को गरीब आदिवासियों एवं जंगलों में रहने वाले अन्य लोगों में एक विश्वास पैदा करना होगा कि उनकी जिन्दगी सरकार के साथ ज्यादा महफूज़ होगी, बनिस्पत नक्सलियों का साथ देने में। आदिवासियों के विरुद्ध बल प्रयोग, नक्सली संगठन में सम्मिलित नहीं होने के लिए बैकफायर करेगा। सरकार को इन क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित करनी होगी जो कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से की जा सकती है। सीआरपीएफ के द्वारा इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। अतः इसके लिए ज्यादा

राशि उपलब्ध करानी होगी। उस क्षेत्र का विकास करके ही संभव है। सरकार नक्सलियों के कुकृत्यों एवं अपनी उपलब्धियों को वृहद पैमाने पर और प्रभावकारी ढंग से प्रचारित/प्रसारित करें एवं विकास से जुड़े पदाधिकारियों खासकर बीडीओ/सीओओ को विशेष रूप से प्रशिक्षित कर इन क्षेत्रों में तैनाती की जाए जो जंगल में रहने वाले लोगों खासकर आदिवासी लोगों के प्रति एवं उनके कार्यों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हों उनके कार्यों को अपना कार्य समझकर सम्पादित करें।

आदिवासी क्षेत्रों/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों की गहन समीक्षा की जाए। गृह मंत्रालय के अंतर्गत इसके लिए एक पृथक घटक/विभाग बनाया जाए या सरकार के अधीन एक पृथक मंत्रालय बनाया जाए जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के कार्यों को देखें।

राज्यों को नक्सल गतिविधियों में आयी कमी का यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि नक्सलियों द्वारा हिंसक घटनाओं को अंजाम देने में उनकी क्षमता समाप्त हो चुकी है। इस अवधि का इस्तेमाल जैसा नक्सली करते हैं पुलिस बल को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। अपने जवानों का कमिटमेंट लेवल बढ़ाने के लिए, उनमें प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, मार्क्समैनशीप उन्नत करने के लिए क्योंकि आमने-सामने की लड़ाई में ये तीनों चीजें अति महत्वपूर्ण होती है।

सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि आतंकवाद का खतरा न तो समाप्त हुआ है और न ही कम हुआ है। सरकार यह सुनिश्चित कराने के लिए भी कटिबद्ध है कि न केवल बड़े आतंकवादियों बल्कि आतंकवादी कुकृत्यों में संलिप्त उनके मार्गदर्शक एवं षडयंत्रकारियों को भी कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। जैसे मास्टरमाइंड के अतिरिक्त मोस्ट वान्टेड आतंकवादी अब्दुल सुभान तथा सईद शेख की गिरफ्तारी आतंकवाद से लड़ाई में एक बड़ी सफलता है तथा देश के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों को सजा दिलाने के सरकार के संकल्प को भी दर्शाती है।

बावजूद इसके देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत स्लीपर सेल्स पर कड़ी नज़र रखनी होगी।

अंत में, मैं बताना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय का 2015-16 का बजट जो 78470.35 करोड़ निर्धारित किया गया और 2014-15 के बजट (बी.ई.) 74884.29 करोड़ से ज्यादा है परन्तु सी.एस.एस. को राज्यों को हस्तांतरित किए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता दिखाई पड़ती है ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े इन कार्यक्रमों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होने पाए या उनके कार्यान्वयन की गति धीमी न पड़े।

[*]श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : मैं गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2015-16) पर अपनी बात रखना चाहता हूं । गृह मंत्रालय द्वारा 10 अनुदान मांगों को सदन की स्वीकृति के लिए रखा गया है । 2015-16 के लिए गृह मंत्रालय की दस अनुदान मांगों के लिए कुल आवंटन 78470.35 करोड़ रूपये है । जो 2014-15 के संशोधित प्राक्कलन की राशि 70358.34 करोड़ रूपये के बनस्पित 11.53 प्रतिशित अधिक है । बजट प्राक्कलन 2015-16 में आवंटित 78470.35 करोड़ रूपये में से रू. 14586.98 करोड़ योजना मद और रू. 63883.37 करोड़ गैर-योजना मद में निर्दिष्ट है । गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों के विश्लेषण से शीर्षवार वृद्धि इस प्रकार है, गृह मंत्रालय में 24.08%, पुलिस में 10.20%, अन्य व्यय गृह मंत्रालय 25.70%, संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण 3.97%, जबकि मंत्रिमंडल पर 9.06% की कमी हुई है । उसी प्रकार गैर-विधान सभा वाले संघ राज्यों क्रमशः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 15.51%, चंडीगढ़ में 15.79%, दादरा और नगर हवेली में 15.13%, दमन और दीव में 27.87%, लक्षद्वीप में 17.80% सहित कुल मिलाकर 11.80% की वृद्धि हुई है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा को जहां मजबूत बनाने की प्रक्रिया को और तेज किया है वहीं मंत्रिमंडल पर किए जाने वाले व्यय में 9.06 प्रतिशत की कमी का अर्थ है स्थापना मद में खर्च को कम करने के प्रति सरकार का संकल्प ।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद वाले राज्यों में चल रही विशेा अवसंरचना योजना को अन्य योजनाओं के साथ मिलाकर एक समग्र योजना बना दिया गया है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इन योजनाओं का दायित्व अब राज्य सरकारों पर होगा । मेरा आग्रह है कि सरकार ऐसी योजनाओं, जिनका राट्रीय स्तर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, को राज्यां को सौंपते समय सावधानी बरतनी चाहिए । किसी केन्द्रीय प्रायोजित योजना को राज्यों को अंतरित किया भी जाता है तो केन्द्र सरकार उन योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रगति पर ठोस निगरानी की प्रणाली बनानी चाहिए ।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों (एलडब्ल्यूई) में सुरक्षा संबंधी उपायों में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग, पुलिस आधुनिकीकरण, पुलिस और प्रशासनिक भवन निर्माण, सड़कों के सुधार हेतु सड़क आवश्यकता योजना जैसी विकासात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन, मोबाईल टावरर्स स्थापित करने हेतु परियोजनाएं, रेल संपर्क का सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य अवसंरचना इत्यादि पर विशेष ध्यान देते हुए इनके लिए

---

[*] Speech was laid on the Table.

अलग से कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए । साथ इन क्षेत्रों में लघु वनोपज (एमपीएफ) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के क्रियान्वयन तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को भू-स्वामित्व का अधिकार देना चाहिए । वन अधिनियम, 2006 की समीक्षा करनी चाहिए । वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास संबंधी उपायों, अधिकारों तथा पात्रताओं व भूमिका को सुनिश्चित करने संबंधी उपायों और जन-सहभागितापूर्ण प्रबंधन सहित एक समग्र और एकात्म कार्यनीति का निर्माण कर उसे कार्यरूप दिया जाना चाहिए । आधारभूत अवसंरचना तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने से वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव को बढ़ने से रोका जा सकता है ।

झारखंड राज्य का संथाल परगना सहित पूरा राज्य आज बंगलादेशी घुसपैठियों के कारण जनसंख्या के असंतुलन का संकट झेल रहा है । इससे कानून-व्यवस्था से जुड़े पहलुओं पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है । अतः इस पर अंकुश लगाने हेतु आवश्यक है कि बंगलादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई सहित दंडात्मक निषेध भी लगाया जाए । यहां यह उल्लेखनीय होगा कि बंगलादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करते समय हिन्दू शरणार्थियों को विशेष राहत पहुंचाते हुए उन्हें भारत की नागरिकता देनी चाहिए ।

झारखंड में नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर घोटाले की चर्चा है । ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा दिया गया था । इसकी किसी समर्थवान एजेंसी द्वारा जांच करवानी चाहिए ।

मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि झारखंड में बहुमत की पहली सरकार बनी है । उस सरकार में लोगों का भरोसा है । सरकार वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव को समाप्त करने में सफल होगी । इसके लिए उसे केन्द्र से सुरक्षा संबंधी सहित हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए ।

*__SHRI B.N. CHANDRAPPA (CHITRADURGA):__ I would like to express my views on the issue of law and order. The issue of law and order has gained importance in the country due to various types of anti-social activities taking place right from Kashmir to Kanyakumari. On one side, we have the separatist movement gaining ground and on the other, the Naxalites are creating trouble in Chhattisgarh, Jharkhand and are gradually spreading their wings in Southern parts of India also. Naxalism is posing real threats to internal security of the country. This Naxalism problem is not only a law and order problem but it is also a socio-economic problem. It is the socio-economic needs of some community that has led to creating of naxal movement. I would suggest the Government to tackle this menace right from the grass roots level by first developing villages onwards. Once people are made socio-economically sound, they would not resort to this sort of anti-social activities.

Another important issue that has shaken the whole country is the attacks on women. These incidents are increasing day by day in each and every corner of our country. The Government did take some action after the Nirbhaya incident. But that is not enough. Even now, we have been witnessing increasing attacks on women. There was a case in Bengaluru in one of the ATM booth of a Bank where a woman during day time was attacked by some miscreant elements. We have to deal with this subject with a firm hand. The police force and other para-military organizations should be strengthened to deal with this issue. The Government should make optimum use of technological gadgets to trap these miscreants.

There is an urgent need to modernize the police force in the country. We are still following the same old system for tackling with the law and order situation. I would suggest that the Government should think of modernizing the police force including the welfare aspect of personnel. Right now, what we find is that the police organization throughout the country is working almost on half of its strength. What steps have been taken by the Government to fill up the vacancies?

* Speech was laid on the Table

Why can it the campus interviews and other methods be adopted to fill up the posts? The Government must ponder over this aspect in right earnest.

I thank you for allowing me to put forth my views on this important Demands for Grants.

*[*] **SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD):** It gives me an immense pride to be speaking about Home Ministry because of the relentless efforts of the Prime Minister, Shri Narendra Modiji and Home Minister, Shri Rajnath Singh ji who have reached out to our neighbour and the states which have got affected by the terrible earthquake and have given every possible help that is in their power to Nepal and affected states of India in this moment of tragedy. This Government has proven once more that "actions do speak louder than mere words".

Our Prime Minister has seen the 2001 Bhuj earthquake very closely. He understands how a natural disaster can destroy lives, tear apart families and take away everything from a person. This is the reason why his sensitivity towards natural disasters is worthy of appreciation. During the cyclone "Hudhud" which hit Andhra Pradesh and Orissa last year, the response of the central government was more preventive than curative. The Union Government along with the State Governments had helped in saving many lives. The Government not only evacuated people but was sympathetic towards animals and was successful in timely and safe evacuation of many animals along with their owners. Further, due to advance disaster preparations and quick actions, the loss of life was far lower than other storms of this magnitude.

In addition to its efforts, the Government has also given Rs. 416 crores to National Cyclone Risk Mitigation Project with the assistance of the World Bank. This program aims to reduce the vulnerability of coastal communities in Andhra Pradesh and Orissa to cyclone and other hydro meteorological hazards.

During, the tenure of the UPA Government, there has been constant cases of violation of ceasefires from across the border. However, the Government could not give the much deserved reply to our neighbouring country, Pakistan. We can never forget the incident of 2013 where our Indian Soldiers were beheaded by the Pakistani Army. Since the BJP led NDA Government has come to the power, India has been giving befitting replies to the Pakistani armies. Our troops have

[*] Speech was laid on the Table

been retaliating strongly whenever Pakistan has violated the ceasefire and shall continue to do so.

This Government understands that this country sleeps peacefully because our jawans lie awake and protect us from our enemies. This is why there has been an increase in the budgetary allocation of border management. The government has increased the border management budget from Rs. 810.64 crores as revised budget 2014-15 to Rs. 1382 crores, a total of 70.49% increase.

We can never forget the incident of 26/11. How the terrorists entered our soil and took away the lives of our fellow countrymen. A lapse in coastal security had resulted in India's worst terrorist attack. This Government is willing to go to the extra mile to maintain the security of the Nation. On new year's eve of 2015, a Pakistani boat blew itself because of the vigilance of our coast guards who intercepted it. Therefore, the government understands the importance of coastal security and has increased its budget from Rs. 39.37 crores to whopping Rs. 710 crores.

Not just the border security, the Government is fully committed to fight against internal insurgencies which have grappled the growth and development of the Nation. The Government is dealing with Left Wing Extremism in a holistic manner. The Government provides assistance to states through schemes like Security Related Expenditure Scheme (SRE), the Special Infrastructure Scheme (SIS), setting up of Counter Insurgency and Anti-Terrorist (CIAT) schools and raising Indian Reserve Battalions. Further the 92 battalions which work in these areas are equipped for counter insurgencies and jungle warfare operations which are named as Commando Battalions for Resolute Actions (COBRA). Further, 10 unattended ground system Censors have been sanctioned to Indo-Tibetan Border Police Forces deployed in LWE operations. Also 184 such systems have been approved under Modernization plan of Border Security Forces. Further, there has been an increase from Rs. 42306.76 crores to Rs. 46060.85 crores in the budget of

Police in 2015-16. There has also been an increase by Rs. 1000 crores in the budget for construction of buildings for police.

Women safety has always been a priority for this Government. Therefore, Schemes on backend integration of distress signal from victims with mobile vans and control rooms have been created from Nirbhaya Fund to strengthen our pledge of women safety. The Hon'ble Home Minister has launched a women safety mobile application called HIMMAT on 1 January 2015. The app is freely available for Android mobile phones and can be downloaded from Delhi Police website.

In addition to this, India is planning to have a single number '112' that can be used for all emergency phone calls across the country including for police, fire and ambulance similar to '911' in United States of America. This would help the people as the victims can get the emergency services in a more efficient and swift manner.

The Prime Minister believes in "Sabka Saath, Sabka Vikaas".

The Home Ministry constituted a committee called Bezbarauh committee to look into the concerns of the people of North East. The Ministry has accepted a slew of recommendations proposed in the committee. For example, Delhi Police will appoint police personnel from northeastern states and police exchange programmes will be initiated with these states. These measures are going to further strengthen the unity of the country and provide the security to the north eastern people.

As Sardar Vallabhbhai Patel, our first Home Minister had said "Manpower without Unity is not a strength unless it is harmonized and united properly, then it becomes a spiritual power". It gives me immense pleasure to see that the current Home Minister under the able leadership and guidance of our Prime Minister is following the footsteps of Sardar Patel and taking this country ahead in a progressive manner.

****श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम)**: नवम्बर, 2008 को मुम्बई में हुए आतंकवादी हमले के बाद समुद्र किनारों से सटे राज्य में नेशनल मैरिन पुलिस अकादमी स्थापन करने का निर्णय तत्कालीन केन्द्र सरकार ने लिया था। इसके लिए महाराष्ट्र के पालघर में 305 एकड़ भूमि निर्धारित की थी। राज्य सरकार ने अल्प रेंट से सदर भूमि देने का निर्णय लिया। तत्कालीन केन्द्रीय गृह मंत्री ने पालघर में जाकर उस भूमि का निरीक्षण भी किया था।

पालघर मध्यवर्ती स्थान रहने के कारण महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक व केरल राज्यों के समुद्री किनारों की सुरक्षा प्रणाली को ट्रेनिंग के लिए सुविधाजनक स्थान है। इसके बावजूद पालघर महाराष्ट्र राज्य के अलावा पीन्डारा (देवभूमि) द्वारका जिले के अत्यंत दुर्गम स्थान में सदन अकादमी को स्थानांतरित करने का केन्द्र सरकार का निर्णय अनुचित है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पर विचार करे।

* Speech was laid on the Table.

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप ने गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करने का हमें अवसर दिया है। मैं उन सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया है। मेरी जो जानकारी है, उस जानकारी के आधार पर लगभग 22 मेम्बर्स ने गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में पार्टीसिपेट किया है। साथ ही साथ, 33 मेम्बर्स ने अपनी रिटेन स्पीच सदन के पटल पर रखी है।

अध्यक्ष महोदया, मैं सभी सम्मानित सदस्यों के भाषण को सुन रहा था और मुझे इस बात की खुशी है कि किसी को अपने नज़रिए से यदि कोई कमी नज़र आई तो उस ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उन्होंने कोशिश की है।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदया, मैं तो इस विषय पर बोल ही नहीं पाया।...(व्यवधान) कल इस पर चर्चा खत्म हो गयी थी तो हम चले गए।...(व्यवधान) हम इस पर बोल ही नहीं पाए। आज के लिए कह दिया था। यह क्या बात है?...(व्यवधान) क्या हम इस विषय पर नहीं बोलेंगे?

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : यह गलत बात है। क्या हम इस विषय पर नहीं बोलेंगे?

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, बैठिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : कुछ और भी मेम्बर इस पर बोल नहीं पाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। सब के भाषण हो गए थे। अब माननीय मंत्री जी रिप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो इनकी रिप्लाई के बाद मैं कुछ पूछने के लिए आपको एक मिनट का समय दे दूंगी।

श्री मुलायम सिंह यादव: मुझे अभी छः मिनट का समय दे दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं होता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इनकी रिप्लाई के बाद आप पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: हम बाद में क्या बोलेंगे? माननीय मंत्री जी उसका जवाब अभी देंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी सभी पार्टियों के लोग बोल चुके हैं। ऐसा नहीं होता है।

श्री मुलायम सिंह यादव : आज बोलने के लिए कह दिया था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं है। यहां कुछ भी नोटिंग नहीं है। प्लीज़, आप बैठिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : क्या इतने महत्वपूर्ण सवाल पर हम नहीं बोलेंगे?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। प्लीज़, आप बैठिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: स्पीकर साहब, यह गलत है।...(व्यवधान) फिर तो मेरा इस सदन में आने का कोई मतलब ही नहीं है।...(व्यवधान) अगर हम इस विषय पर भी नहीं बोलेंगे तो फिर क्या मतलब है?...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : मुलायम जी, जब बोलने का वक्त था, उस समय आप यहां नहीं थे। इसलिए आप नहीं बोल पाए।

माननीय अध्यक्ष : वेंकैया जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम जी, ऐसा नहीं होता है। मैं बाद में कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए आपको समय दूंगी। अभी आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं जानता हूं कि श्री मुलायम सिंह यादव इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं और अनुभवी नेता हैं। इसलिए यहां जो भी चर्चा हुई है, उस पर मेरे द्वारा विचार व्यक्त किए जाने के बाद उनके द्वारा जो कुछ भी कहा जाएगा अथवा जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका भी मैं उत्तर दूंगा। इतना मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : उसके लिए तो मैंने बोला ही है।

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैंने सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने अपने रचनात्मक सुझाव दिए हैं। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने हमारे गृह मंत्रालय के कामकाज की आलोचना की है, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में आलोचना का भी अपना एक महत्व होता है। आलोचना को भी हमने सकारात्मक तरीके से लिया है। साथ ही साथ, जो सुझाव दिए गए हैं, उन्हें भी हमने सकारात्मक तरीके से लिया है।

जहां तक गृह मंत्रालय का प्रश्न है, गृह मंत्रालय को कई प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। इंटर्नल सिक्यूरिटी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं, जिनका उसे निर्वाह करना पड़ता है। वहीं पर बॉर्डर मैनेजमेंट, सेन्टर-स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट रिलेशंस, यूनियन टेरिटरीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन और इसके साथ ही साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का भी प्रबंधन गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। इसके अतिरिक्त डिजास्टर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी गृह मंत्रालय को ही संभालनी पड़ती है।

13.00 hrs

मैं उन सारी चीजों का यहां बहुत डिटेल में जाकर उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इसमें लंबा समय लगेगा। इंटेलिजेंस विभाग के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत ही इफेक्टिविली काम कर रहा है। तकनीकी दृष्टि से इसकी ताकत को और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, हम उसे करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं।

एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को निभानी पड़ाती है कि समाज का जो वलनरेबल सेक्शन है, जो कमजोर वर्गों के लोग हैं, चाहे वे महिलाएं हों, चाहे वे अनुसूचित वर्ग के लोग हों, आदिवासी हों या चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, सबको सुरक्षा की गारन्टी देना। इसे मैं स्वीकार करता हूँ कि इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका राज्यों की भी होती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल केवल सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यह स्टेट सब्जेक्ट है। मैं किसी राज्य की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। सभी राज्यों की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखने के जो भी संसाधन उनके पास उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से वे उसकी कोशिश करते हैं।

हमारे सामने बैठे हुए कांग्रेस लोक सभा दल के नेता श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक बहुत ही अनुभवी नेता हैं। उन्होंने गृह मंत्रालय को लेकर उन्होंने अपनी चिन्ताएं व्यक्त की हैं। पहली चिन्ता श्रीमान खड़गे जी की यह रही है कि जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था, उस अभिभाषण में गृह मंत्रालय का जितना विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जाना चाहिए था, उतना नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी चिन्ता की कि बजट अलोकेशन पहले की अपेक्षा कम हुआ है। मैं बजट अलोकेशन के बारे में बतलाना चाहता हूँ कि बजट अलोकेशन पहले से कम नहीं हुआ है, पहले से बजट अलोकेशन बढ़ा है। वर्ष 2013-14 में बजट अलोकेशन जहाँ 67,978 करोड़ 15 लाख था, वहीं वर्ष 2014-15 में बढ़कर 74,884 करोड़ हो गया और वर्ष 2015-16 में बढ़कर 78,470 करोड़ तक पहुँच गया है। यदि रिवाइज्ड एस्टीमेट के हिसाब से देखें तो एप्रॉक्सिमेटली 11.52 परसेंट की इसमें वृद्धि हुई है। इसलिए किसी भी प्रकार से गृह मंत्रालय को कहीं से कोई कमजोर कर रहा हो अथवा उसकी उपेक्षा कर रहा हो, यदि यह आशंका खड़गे जी को है, तो उन्हें इसे दूर करना चाहिए। उन्होंने स्वयं ही इस बात को कहा है कि यदि हम किसी देश का विकास करना चाहते हैं, तो जब तक उस देश की सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होगी, तब तक विकास किसी भी सूरत में संभव नहीं है। यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि यह देश सुरक्षित रहना चाहिए, इस देश के लोग सुरक्षित रहने चाहिए और इस देश की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए।

जहां तक इस देश की आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न है, जैसा मैंने पहले कहा कि आंतरिक सुरक्षा को इंश्योर करना हमारी सरकार की जिम्मदारी है। इसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर, नार्थ ईस्ट एवं माओवाद से

प्रभावित जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी शांति की बहाली के लिए हमारे मंत्रालय की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है। मैं यह कह सकता हूं कि चाहे वह देश के हिंटरलैंड में हो, चाहे जम्मू-कश्मीर हो, चाहे नार्थ ईस्ट के राज्य हों या माओवाद से प्रभावित राज्य हों, सभी स्थानों पर सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं।

मैं आंकड़ों पर बहुत यकीन नहीं करता हूं और आंकड़ों के आधार पर मैं आश्वस्त नहीं होना चाहता हूं। सुरक्षा से संबंधित जो आंकड़े होते हैं, कभी किसी महीने बढ़ जाते हैं, कभी किसी महीने घट जाते हैं। माओवाद की घटनाएं भी किसी महीने बढ़ जाती हैं, किसी महीने घट जाती हैं। लेकिन फिर भी चूंकि इस बात की चर्चा हुई है, इसलिए उसका उल्लेख करना भी मैं आवश्यक समझता हूं कि माओवादी क्षेत्रों में टोटल किलिंग्स कितनी हुई हैं, टोटल किलिंग्स ऑफ सिविलियन एंड सिक्योरिटी फोर्सेज, वर्ष 2013 में 397 किलिंग्स हुई हैं, वर्ष 2014 में 309 किलिंग्स हुई हैं, वर्ष 2015 में अप टू 15.04.2015 79 किलिंग्स ही हुई हैं। यानी 22 percent less killings in year 2014 as compared to the year 2013. टोटल नम्बर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज, उनकी कितनी किलिंग्स हुई हैं, वर्ष 2013 में 115 किलिंग्स हुई है, वर्ष 2014 में 87 किलिंग्स हुयी हैं, लेकिन वर्ष 2004 में एक बड़ी वारदात छत्तीसगढ़ की हुयी है, जो हमारे लिए केवल चिन्ता का ही विषय नहीं है बल्कि उसे हमने एक चुनौती के रूप में भी स्वीकार किया है। वर्ष 2014 में अब तक केवल 34 किलिंग्स हुयी हैं। जहां तक सिविलियन्स के मारे जाने का प्रश्न है, वर्ष 2013 में 282 सिविलियन्स मारे गये हैं, वहीं वर्ष 2014 में 222 सिविलियन्स मारे गये हैं।...(व्यवधान) वर्ष 2015 में केवल 45 लोगों की जानें गयीं हैं। जहां तक एल.डब्ल्यू.ई. कैडर की किलिंग्स का सवाल है, उनके भी फीगर्स हैं लेकिन बहुत-सारे फीगर्स देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं।

माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों से माओवाद का संकट समाप्त हो, यह हमारा लक्ष्य है। मैं जानता हूं कि केवल लोगों को मौत के घाट ही उतार कर, हम यह कामयाबी कभी नहीं हासिल कर सकते हैं। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग की कोई हत्या करने की कोशिश करेगा तो हमारी सरकार उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी, लेकिन मैं इस हकीकत को भी स्वीकार करता हूं कि आज तक जो क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़े रह गये हैं, उन पिछड़े हुए क्षेत्रों का भी विकास होना चाहिए। हम लोगों ने पिछड़े हुये क्षेत्रों के विकास के लिए भी प्रभावी तरीके से योजना चलाने की व्यवस्था कर ली है। जहां तक माओवाद का प्रश्न है, यह साल, दो साल, चार साल, दस साल या 15 साल की समस्या नहीं है, यह समस्या वर्ष 1980 के बाद तेजी से इस देश में बढ़ी है और इसके पहले भी कई सरकारें रही हैं। मैं किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहता हूं, किसी को लांछित नहीं करना

चाहता हूं कि उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया है, लेकिन आज मैं इस सदन में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से विनम्रतापूर्वक यह अपील करना चाहता हूं कि माओवाद का यह संकट केवल सरकार के लिए चुनौती नहीं है बल्कि यह देश के लिए चुनौती है, हम सभी के लिए चुनौती है, हम सबको मिल-जुल कर इसका मुकाबला करना चाहिए, ताकि हम माओवाद के संकट से देश को निजात दिला सकें। यह हमारी कोशिश अपनी तरफ से होनी चाहिए। इस संकट को दूर करने के लिए यहां पर मैंने इस बात की चर्चा की है कि उन क्षेत्रों में हम विकास का कार्य तेजी से चला रहे हैं और वहां पर हमने कम्यूनिकैशन फैसिलिटी को बढ़ाने का काम किया है। मैं केवल मौखिक रूप से ऐसा नहीं कह रहा हूं बल्कि आपको जानकर खुशी होगी कि कम्यूनिकैशन फैसिलिटी को मजबूत करने के लिए लगभग 2000 टावर्स उन क्षेत्रों में लगाने का काम तेजी से प्रारंभ हो गया है, क्योंकि मैंने 9 फरवरी को एक मीटिंग की थी, उसमें दस राज्यों के कुछ मुख्य मंत्री थे, सभी राज्यों के चीफ सेक्रट्रीज और उनके ऑफिसर्स थे। केन्द्रीय मंत्रालय के लगभग सात-आठ मंत्रिगण और उनसे संबंधित अधिकारी भी उसमें मौजूद थे, मैंने उनके साथ एक बैठक की थी। माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों से विकास के लिए किस-किस डिपार्टमेन्ट के सहयोग की आवश्यकता होगी, उसके संबंध में चर्चा हुई है। आज मुझे इस बात का संतोष है और मैं खुशी का भी इजहार करना चाहता हूं कि जिन-जिन मंत्रालयों के ऊपर जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, सबने अपना काम प्रारंभ कर दिया है, उन्हीं में से रोड ट्रांसपोर्ट ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है, कम्यूनिकैशन डिपार्टमेन्ट ने भी अपना काम प्रारंभ कर दिया है और टावर्स लगाने का काम प्रारंभ हो गया है। जहां तक रोड्स का सवाल है, आर.आर.पी. फर्स्ट फेज में 3700 किलोमीटर्स रोड का निर्माण हो चुका है। आर.आर.पी. सेकेण्ड फेज में भी 10,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। इसलिए देश को इस संकट से निजात दिलाने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है और मुझे सबका सहयोग प्राप्त होगा, यह मुझे विश्वास है।

जहां तक नार्थ ईस्ट का प्रश्न है, यह बात सच है कि विगत कुछ वर्षों में एक सैंस ऑफ एलिएनेशन, एक दुराव का भाव नार्थ ईस्ट के लोगों में पैदा होना प्रारंभ हुआ। यदि कोई हमसे पूछे कि नार्थ ईस्ट का सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या है, तो मैं कहना चाहूंगा कि सैंस ऑफ एलिएनेशन को दूर करना और नार्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों के अंदर सैंस ऑफ कॉन्फीडैंस पैदा करना, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है।

उग्रवाद का संकट है। उग्रवाद का संकट भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन उग्रवाद आज से नहीं है, आजादी हासिल होने के पहले से ही उग्रवाद का सिलसिला वहां प्रारंभ हुआ और आज भी वह सिलसिला निरंतर चल रहा है। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि हमें काफी हद तक उस उग्रवाद के संकट पर काबू पाने में सफलता हासिल हुई है। इंटरलौकुटर्स वर्षों से, दूसरी सरकारें थीं तब भी लगे हुए

थे। वहां के उग्रवादी, इनसर्जैंट ग्रुप्स के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन समाधान संतोषजनक नहीं रहा है। आज भी मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि हम जो कर रहे हैं, पूरी तरह से समाधान हो गया। आज भी हमारे इंटरलौकुटर्स बात कर रहे हैं। मैं बातचीत का पक्षधर हूं, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन हाल ही में एनडीएफबी (नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोडोलैंड) एस ग्रुप ने वहां 62 निर्दोष आदिवासियों की हत्या कर दी। मैंने उसी दिन गुवाहाटी की धरती पर जाकर कहा था कि जो समाज के कमजोर वर्गों की हत्या करते हैं, उनके साथ हमारी सरकार किसी भी सूरत में बीतचीत नहीं करेगी। आप हत्या करते रहें और बातचीत भी करते रहें, यह दोनों चीजें साथ नहीं चल सकतीं। लेकिन मुझे आज सदन को यह बताते हुए खुशी है कि उनमें से लगभग पौने तीन सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिन लोगों ने हमारे जवानों के ऊपर इस बीच आक्रमण करने की कोशिश की, उनमें से 10-11 लोगों को अपनी जिंदगी भी गंवानी पड़ी।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : क्या उसके लीडर को गिरफ्तार किया?...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : सौगत राय जी, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, परिणाम आएंगे। अध्यक्ष महोदया, श्रीमन् सौगत राय जी बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तर्कसम्मत बोलते हैं। उल्फा और एनएससीएन-आईएम के साथ जो बातचीत चल रही है, उसकी क्या प्रोग्रैस है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी चाही है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि यह साठ साल से ज्यादा पुरानी प्राब्लम है। हमें उम्मीद है कि अब इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। हम इस संबंध में जल्दी ही आपको परिणाम देने वाले हैं।

जहां तक अलफा के परवेज बरुआ की बात है, उसने सरेआम घोषणा की है कि वह अपनी बात पर अड़ा रहेगा, उसे शान्ति वार्ता वगैरह में कोई रूचि नहीं है। कहा है, लेकिन फिर भी आपको परिणाम देंगे।

पूर्वोत्तर राज्यों में एनएससीएन-आईएम एंव अन्य समूहों के साथ वार्ता की जो स्थिति है, किन-किन ग्रुप्स के साथ हमारी क्या बातचीत चल रही है, उसकी क्या प्रोग्रैस है, यदि मैं उस बारे में बताऊंगा तो बहुत लम्बी चर्चा हो जाएगी। यदि आपकी इजाजत होगी और सदन के सम्मानित सदस्य चाहेंगे तो मैं यहां उसकी विस्तृत जानकारी भी दे सकता हूं।...(व्यवधान) आप कहें तो मैं अभी बताना शुरू कर दूंगा, लेकिन कम से कम आधा घंटा, 45 मिनट उसी में लग जाएगा।

श्रीमान् खड़गे जी ने वहां डोनर मिनिस्ट्री की चर्चा की थी। पहले कभी था। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि खड़गे जी को जानकारी नहीं है। खड़गे जी पूरी जानकारी रखते हैं। डोनर नार्थ ईस्ट के विकास की जिम्मेदारी का निर्वाह करता है। इसका एक मंत्रालय अलग से है। वह उसके विकास की जिम्मेदारी

संभाल रहा है। कई बार नार्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर्स के साथ उसकी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, उसकी मुझे जानकारी है।

मैं यहां आंध्र और तेलंगाना की चर्चा भी इसलिए करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य था। लंबे अर्से से वहां विभाजन की मांग हो रही थी, अब अलग राज्य तेलंगाना बन चुका है। रिआर्गनाइजेशन एक्ट, 2014 का इम्पलीमेंटेशन सबसे अह्म सवाल है। उस एक्ट को प्रोपरली एम्लीमेंट करने के लिए लगातार मोनिटरिंग हो रही है कि यह प्रोपरली इम्पलीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पिछले वर्ष आंध्र प्रदेश रिआर्गनाइजेशन एक्ट में कुछ संशोधन किए गए हैं। दोनों राज्यों के बीच कुछ पेंडिंग इश्यूज हैं, जिनको रिजोल्व करने के लिए मैंने विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चीफ सेकेटरी या संबंधित अधिकारी के साथ बैठ कर इसे जल्दी रिजोल्व किया जाए। यह आग्रह मैंने उनसे किया है।

महोदया, मैं गोरखालैंड की भी चर्चा करना चाहता हूं। सभी माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि यहां ट्राइपटाइट एग्रीमेंट भारत सरकार, वेस्ट बंगाल और गोरखालैंड टेरिटोरिएल एडमिनिस्ट्रेशन के मध्य हुआ था। इस एग्रीमेंट का प्रोपरली एम्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी भी मोनिटरिंग विभाग द्वारा की जा रही है। मैं यहां सभी विषयों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, केवल मेजर चैलेंजेज की चर्चा करना चाहता हूं। साइबर क्राइम केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। भारत दुनिया के बड़े देशों में एक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। सरकार भारत में साइबर क्राइम को चेक करने के लिए बेहद चिंतित है। विडंबना यह है कि सर्वर हमारे पास नहीं है। दुनिया के कई बड़े देशों के पास भी सर्वर नहीं है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए इफेक्टिव सिस्टम की कमी है। हमने दो कमेटी बनाई है जिसे सुझाव देने के लिए कहा है कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए, चाहे वह कदम खर्चीला ही क्यों न हो। साइबर क्राइम को हम चुनौती मानते हैं। इस वित्तीय वर्ष में हम इंस्टीट्यूश्नल स्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। इस संबंध में हमने इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर कायम करने का भी फैसला किया है।

महोदया, देश के वलनरेबल सेक्शन में महिलाएं शामिल हैं, लेकिन महिलाओं को कमजोर नहीं मानना चाहिए। प्राचीन भारत के इतिहास के पन्नों को पलट कर अगर कोई देखे तो महिलाओं को शक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता था।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम स्पीकर, यह सब किताबों, वेदों और पुराणों में ठीक है लेकिन प्रैक्टिकली 5000 हजार साल से हम देख रहे हैं, जब ह्यूमन हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी और सोसियोलॉजी को देखें तो महिलाओं की स्थिति के बारे में आपको मालूम चल जाएगा।

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं वैसा कोई उत्तर नहीं देना चाहता हूं जिससे कोई हर्ट हो। मैं सभी का रचनात्मक और सकारात्मक सहयोग चाहता हूं। खड़गे जी, आपकी सरकार ने भी कदम उठाया था। निर्भया कांड आपके ही समय हुआ था। उस समय भी आप लोगों ने कुछ प्रभावी कदम उठाये थे। हम उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि आपने कुछ गलत किया हुआ है। हमने इन्वेस्टीगेशन के संबंध में एक महत्वपूर्ण काम किया है। वूमैन क्राइम के इन्वेस्टीगेशन में काफी विलंब होता है। हमने पहला फैसला यह किया कि चाहे हमारी स्टेट्स हों, यूनियन टेरिटरीज हों, उनमें हमने फर्स्ट फेज में लगभग 150 इकाइयों को कायम किये जाने का फैसला किया है। इन्वेस्टिगेटिव यूनिट्स ऑन क्राइम्स अगेन्स्ट वूमैन, यानी आईयूसीएडब्ल्यू एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट देश भर में एस्टैब्लिश किये जाने के संबंध में भी हमने फैसला किया है। साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने कम्प्यूटर ऐडेड डिस्पेच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक इमर्जेंसी रिस्पांस सिस्टम कायम करने के भी कदम उठाये हैं। महिलाओं से जुड़े हुए मामले अदालतों में जाते हैं, लेकिन लम्बे समय तक उन पर फैसला नहीं हो पाता और वे पेंडिंग पड़े रहते हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के संबंध में भी राज्यों को एडवाइजरी दी है। अब जैसे दिल्ली में सभी जनपदों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाये जा चुके हैं। महिलाओं पर एसिड से जुड़े हुए जो हमले होते हैं, उस संबंध में भी हमने कई प्रभावी कदम उठाये हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी उस खुशी का इजहार कर देना चाहता हूं, जिसमें हमें राज्यों का सहयोग प्राप्त हुआ है। इस देश के सभी राज्यों ने विक्टिम कम्पेनसैशन स्कीम को नोटीफाई कर दिया है। गृह मंत्रालय से जो सुझाव दिया गया था, उसे सभी राज्यों ने नोटीफाई कर दिया है। हमने सीआरपीसी में भी कुछ परिवर्तन किये हैं। जैसे एसिड अटैक की कोई विक्टिम यदि किसी अस्पताल जाती है, वह चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या गवर्नमैंट अस्पताल हो, उसमें कोई भी डाक्टर उसका इलाज करने से मना कर देता है, तो उसे भी पनिश करने की व्यवस्था उसमें है। उसे भी दंडित किया जायेगा। संभवतः यदि मैं भूल नहीं रहा हूं तो शायद सात साल या दस साल तक की सजा है। हो सकता है कि इसमें कुछ त्रृटि हो, लेकिन संभवतः इतनी है। साथ ही एसिड अटैक की जो पीड़ित महिला होगी, उसका मुफ्त इलाज किया जायेगा। हमने यह भी एक व्यवस्था की है।

अध्यक्ष महोदया, एसिड की सेल को कंट्रोल करने के संबंध में भी हमने कुछ व्यवस्था की है। इसके लिए हमने कुछ नियम नोटीफाई किये जाने का अनुरोध किया है। साथ ही साथ हम एक साफ्टवेयर भी बना

रहे हैं, ताकि एसिड सेल को रेगुलेट किया जा सके। इसके अलावा अन्य बहुत सारे उपाय किये गये हैं। जहां तक दिल्ली का सवाल है, तो दिल्ली की डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स क्रूज के लिए फोटो पहचान पत्र जारी करना, पार्किंग की जगहों पर, शापिंग मॉल्स पर सीसीटीवी कैमरे, बैक कैमरा लगवाना आदि। हमने एक नया ऐप हिम्मत जारी किया है। अगर महिला से कोई किसी भी प्रकार से छेड़खानी करने की कोशिश करता है तो वह तुरंत बटन दबाये, लेकिन सभी प्रकार के मोबाइल्स पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। मैंने यहां के पुलिस विभाग और पुलिस कमिश्नर को यही निर्देश दिया है कि अब यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि हर प्रकार के मोबाइल्स में इस प्रकार का बटन होना चाहिए, जिसे दबाने पर पीसीआर वैन अधिकतम से अधिकतम पांच से लेकर सात मिनट तक उस पीड़िता की रक्षा के लिए वहां पर पहुंच सके। इसके अतिरिक्त बहुत सारी बातें कही गयीं। निर्भया फंड के यूटीलाइजेशन के संबंध में भी कहा गया। निर्भया फंड का यूटीलाइजेशन नहीं हुआ था। उसके यूटीलाइजेशन का सिलसिला भी हमने यहां पर प्रारंभ कर दिया है। अब होम मिनिस्ट्री ने अब तक क्या तैयारी की है, उस संबंध में मैं यहां संक्षेप में बताना चाहूंगा।

Home Ministry has prepared three more proposals for funding under Nirbhaya Fund - proposal to set up a Central Victim Compensation Fund with Rs. 200 crore corpus fund to assist the women victims of the heinous crimes like rape, acid attack etc.; proposal to set up Investigative Units on Crimes Against Women in 564 districts of the country costing approximately Rs. 500 crore; proposal to set up Indian Cyber Crime Coordination Centre with an investment of Rs. 88 crore for the remaining two years of the current Five Year Plan. हमने ऐसे कई प्रभावी कदम उठान का फैसला किया है।

जहां तक जेलों के सुधार का प्रश्न है, वैसे यह पूरी तरह से स्टेट सब्जैक्ट है। जेलों के अंदर अंडर ट्रायल प्रिज़नर्स की क्राउड बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। हमने एक एडवाइजरी जारी की है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, मैंने उस समय लॉ मिनिस्टर को भी कहा था कि आपकी तरफ से एडवाइजरी जानी चाहिए कि ऐसे अंडर ट्रायल प्रिज़नर्स, जिस धारा के अंतर्गत बंद हैं, यदि 50 परसेंट से अधिक समय तक वे जेल में रह चुके हैं तो उनकी रिहाई कैसे हो सकती है, इसे एश्योर करें। मैंने इस संबंध में राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों को अपनी तरफ से पत्र लिखा है।

ह्यूमेन ट्रेफिकिंग के बारे में चर्चा आई थी। मैं यहां ह्यूमेन ट्रेफिकिंग की चर्चा करना चाहता हूं, हमने इस संकट से निजात दिलाने के लिए कई एजेंसियों की मदद ली है। सरकार का प्रस्ताव है कि एंटी

ह्यूमेन ट्रेफिकिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डैवलप किया जाए और यह काम हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। हमने ह्यूमेन ट्रेफिकिंग को रोकने के लिए बेज़बरुआ कमेटी की रिकमेंडेशन को स्वीकार कर लिया है।

अब प्रश्न धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का सवाल आता है। मैं देखता हूं कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के सवाल पर हम लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं कि हम धार्मिक स्थलों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मैं आंकड़ें देना नहीं चाहता हूं क्योंकि इससे बहुत लोगों की भावनाएं आहत होंगी। यदि कहेंगे तो दे दूंगा। …(व्यवधान) इसी समय धार्मिक स्थलों पर आक्रमण हुए हैं, ऐसा नहीं है। मंदिरों में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, आक्रमण की नहीं हैं, हमलों की नहीं हैं, चोरी की भी हो जाती हैं, कुछ वैंडेलिज्म की भी हो जाती हैं। कुछ इस प्रकार की छोटी-मोटी घटनाएं हो जाती हैं, इसे जरूरत से ज्यादा तूल दिया जाता है। मैं समाज के सभी धर्मों को मानने वाले लोगों से विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं कि जब कभी ऐसे सैंसटिव इश्यू आएं तो हम उसे पोलिटिसाइज करने की कोशिश न करें। बल्कि हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि यदि कहीं किसी धार्मिक स्थल पर…(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): What action has been taken by you as Home Minister? … (*Interruptions*) You had assured the House. … (*Interruptions*)The Home Minister himself assured on the floor of the House. … (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): You are the Home Minister of this country, and not a Leader of the BJP. … (*Interruptions*) There was attack on minorities in the country, but you have not mentioned about the minority attack. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): One minority is attacking the other minority. … (*Interruptions*) What to do? … (*Interruptions*) What has happened in Agra? … (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: So, you should take action. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record. Only the Minister's statement will go on record.

… (*Interruptions*)… *

श्री राजनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, आगरा में हो जाए, तमिलनाडु में हो जाए, आंध्र प्रदेश में हो जाए, तेलंगाना में हो जाए, केरल में हो जाए, कहीं भी हो जाए, क्या सीधे सैंट्रल गवर्नमेंट, हम स्टेट के मामलों में इंटरवीन करें? क्या संसद हमें इस बात की इजाजत देगा? क्या संसद को इस बात की जानकारी नहीं है कि यह स्टेट सब्जैक्ट है?...(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL: What about Delhi? … (*Interruptions*)

श्री राजनाथ सिंह : अब दिल्ली पर आइए। अब मैं दिल्ली की बात कहता हूं। मैं जानकारी देना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: The *Sangh Parivar* is doing this. … (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: How can he make that statement? … (*Interruptions*) What do you mean by *Sangh Parivar* is doing this? … (*Interruptions*) How can he make that sentence? He is making an allegation through it. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Only the Minister's statement will go on record.

… (*Interruptions*)… *

SHRI KODIKUNNIL SURESH : If it is not so, then why are you closing your eye? … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, Mr. Minister. Only your statement is going on record and no other interference.

… (*Interruptions*)

श्री राजनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, 2012, 2013 और 2014 में और इससे पहले, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, सभी स्थानों पर कुछ न कुछ घटनाएं हुई हैं। मैंने कहा कि हमें यदि पोलिटिकल बेनिफिट लेना होता तो सचमुच मैं इन आंकड़ों को यहां रख देता। ...(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Now, you are the Home Minister. … (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

HON. SPEAKER: Please, this is not fair.

… (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: You are not a BJP Leader. … (*Interruptions*) Your are now the Home Minister of this country. … (*Interruptions*)

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): What action have you taken? Our question is what action you have taken against them. … (*Interruptions*)

श्री राजनाथ सिंह: अगर माननीय सदस्यों को आंकड़े चाहिए तो मैं दे दूंगा। मैं आंकड़ों का उल्लेख इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि अनावश्यक इसके कारण बवाल खड़ा होता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? मैं बार-बार सदन में कह चुका हूं और सदन के बाहर भी कह चुका हूं कि हम लोग राजनीति केवल सरकार बनाने और चलाने के लिए नहीं करते बल्कि हम राजनीति समाज बनाने के लिए करते हैं, देश बनाने के लिए करते हैं इसलिए मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता।

मैं विशेषकर माइनोरिटीज़ को इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि वह भी भारत के नागरिक हैं, माइनोरिटी के लोग भारत माता की कोख से पैदा हुए हैं। हम उनको अपने से अलग नहीं मानते हैं। मैं समझता हूं कि शायद अगर डीएनए टैस्ट कराया जाए तो काफी हद तक मिलेगा भी। अब क्या होगा, मैं नहीं कह सकता, मैं यह नहीं कह रहा हूं मिलेगा ही, मैं कह रहा हूं कि मिल सकता है।…(व्यवधान)

SHRI E. AHAMED (MALAPPURAM): Madam Speaker, may I put a question? I would like to say that it is the duty of the Government to provide protection, safety and security to everybody, especially to minorities and the weaker sections of society. … (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, I have one request to the hon. Minister. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You can ask him after completion of his speech, but not like this.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

… (*Interruptions*)… *

* Not recorded.

श्री राजनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, यदि कहीं पर कोई कम्युनल टैंशन होती है या कहीं पर कम्युनल वाएलेंस होता है, हमने उस संकट से निपटने के लिए स्टैंडिंग आपरेटिंग प्रोसीजर निर्धारित किए हैं। मैं फिर से अपनी बात दोहराना चाहता हूं, भारत का जहां तक सवाल है। भारत दुनिया का इकलौता देश है, ऐसा मैं क्यों कहता हूं क्योंकि यहां हिंदूओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, पारसियों और यहां तक यहूदियो तक के साथ पहले भी कोई भेदभाव नहीं हुआ है। मैं समझता हूं आज भी हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि किसी प्रकार का भेदभाव न होने पाए। क्यों? आप सब शांतिपूर्वक मेरी बात सुन लीजिए और उसके बाद जो बोलना होगा बोलिएगा। यहां मोहम्मद सलीम साहब बैठे हैं, ई. अहमद साहब बैठे हैं। अहमद साहब बहुत सीनियर पोलिटीशियन हैं। औवेसी साहब यहां अभी नहीं हैं। आपको मालूम होगा कि इस्लाम के 72 फिरके होते हैं। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां इस्लाम के 72 के 72 फिरके पाए जाते हैं। यह दुनिया के किसी और देश में नहीं पाए जाते हैं।...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: That is not your contribution.

श्री राजनाथ सिंह : दुनिया का सबसे पुराना चर्च केरल में है। दूसरी या तीसरी सैंक्चुरी में यहां सैंट थामस चर्च की स्थापना हुई थी। एक-दूसरे के प्रति सम्मान, एक-दूसरे के प्रति उनकी आस्था, एक-दूसरे के प्रति उनके विश्वास को सम्मान देने की भावना हमारे यहां पहले से ही रही है।

जहां तक इजरायल का सवाल है, सैकड़ों वर्षो तक दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में यहूदी लोग रहे। लेकिन जब यहूदियों का देश इज़रायल बना तो इज़रायल ने जो इतिहास लिखा है, उस इतिहास के पन्नों को कोई पलटकर देखें तो उस समय यहूदी ने कहा था कि दुनिया के सभी देशों में हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार हुए थे। दुनिया का इकलौता देश यदि कोई था तो भारत था जहां पर यहूदियों के ऊपर कोई अत्याचार और जुल्म नहीं हुए।...(व्यवधान)

यह ऑन रिकार्ड है। मैं पारसी धर्म की बात करना चाहता हूं। उनकी जन्मभूमि ईरान है। लेकिन आज सचमुच केवल सम्मानजनक तरीके से ही पारसी यहां नहीं रह रहा है बल्कि यहां तक कि सेना प्रमुख के रूप में भी पारसी समुदाय के लोग जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। यह भारत की विशेषता है।...(व्यवधान) इसलिए मैं सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हर इश्यू पर राजनीति करें, उनको राजनीति करनी है तो करें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए कृपया इस मुद्दे पर राजनीति न करें।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, घर-वापसी और धर्मान्तरण का जहां तक संबंध है, इन सब पर सारी कार्रवाई की अपेक्षा हमेशा केन्द्र सरकार से ही की जाती है कि दिल्ली में बैठी हुई केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों में भी जो

घटनाएं हो रही हैं, उन पर केन्द्रीय सरकार कार्रवाई करे। अध्यक्ष महोदया, आप इस हकीकत को जानती हैं कि यह संभव नहीं है।...(व्यवधान)

राज्य सरकारें कम्युनल हॉरमनी को मजबूत करने के लिए जो कार्रवाई करना चाहती हैं, वे कार्रवाई करें। हम उनके साथ हैं। घर-वापसी और धर्मान्तरण के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन दुनिया का भारत ही इकलौता देश है जो कभी कंवर्जन के भी सवाल को लेकर अपनी डैमोक्रेसी प्रोफाइल बदल देगा, इसकी भी चिंता कभी अगर जिस देश ने नहीं की है तो वह भारत ने नहीं की है।...(व्यवधान) दुनिया का कोई भी देश अपनी डैमोक्रेसी प्रोफाइल को बदलने की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देगा। आज यह हो रहा है।...(व्यवधान)

दुनिया का इकलौता देश भारत ही है कि ...(व्यवधान) सब नहीं हैं। बाकी थ्योरिटीकल कंट्रीज हैं। सैकुलर कंट्री भारत है।...(व्यवधान) दुनिया के हर देश में धर्मान्तरण रोकने की मांग, एंटी-कंवर्जन बिल लाने की मांग यदि होती है तो माइनॉरिटीज के द्वारा होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में माइनॉरिटीज यह मांग नहीं करती हैं कि एंटी-कंवर्जन बिल लाया जाना चाहिए और मैं समझता हूं कि घर-वापसी हो। धर्मान्तरण को लेकर, कम्युनल हॉरमनी को लेकर जो प्रश्न-चिन्ह समय समय पर लगता रहता है और यदि इसको दूर करना चाहते हैं, यदि यह समस्त सदन सहमत हो और यदि एक बार फैसला कर दे कि हम यहां एंटी-कंवर्जन बिल सर्व सम्मति से सदन में पारित करेंगे तो मैं समझता हूं कि फैसला हो गया।...(व्यवधान) इस संकट से निजात मिल गया।...(व्यवधान)

हमारे चंदूमाजरा जी ने ...(व्यवधान) अहमद साहब, मैं आपका जवाब दूंगा। यदि अध्यक्ष महोदया की इजाजत होगी तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा।...(व्यवधान) वर्ष 1984 में सिख विरोधी जो दंगा हुआ था, उसमें पीड़ितों की सहायता के लिए हम लोगों ने भी कुछ प्रभावी कदम उठाये हैं और हमने कहा है कि पांच पांच लाख रुपये ऐसे सभी परिवारों को एडीशनल मुआवजा दिया जाना चाहिए। उसके आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। मैं सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि तुरंत ही 1984 के सिख दंगों के जो भी पीड़ित हों, उनको तत्काल 5-5 लाख रुपये का एडीशनल कमपनसेशन मुहैया कराएं और उसका रीइम्बर्समेंट केन्द्रीय सरकार के द्वारा शीघ्र कर दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदया जी, 1984 के कई दंगा पीड़ितों की यह शिकायत थी कि उस पर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। जब से मैं गृह मंत्री बना हूं, मेरे सामने आ कर महिलाएं आंसू बहाती रही हैं। हम लोगों ने तुरंत फैसला किया कि उनकी शिकायतों पर विचार करने के लिए जस्टिस पी.पी. माथुर की अध्यक्षता में 23/12/2014 को हमने एक कमेटी बना दी। जस्टिस माथुर की इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ उन उपर्युक्त रूप से गंभीर आपराधिक मामलों की छानबीन

करने और फिर से छानबीन करने के लिए श्री प्रमोद अस्थाना, आईपीएस की अध्यक्षता में 12/02/15 को एक विशेष एसआईटी का गठन कर दिया गया है जो कि 1984 के दंगों के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दायर किए गए थे और अब बंद कर दिए गए हैं।

महोदया, प्राकृतिक आपदा का विषय भी हमारे मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी सरकार ने प्राकृतिक आपदा को बहुत ही गंभीरता से लिया है और भारत तथा नेपाल में जो कुछ भी हुआ है, उसके पहले भी प्राकृतिक आपदाएं चाहे वह जम्मू-कश्मीर में आई हो, चाहे उड़ीसा में आई हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी भूमिका निभाई है। उस पर पुनः चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है लेकिन वर्ष 2013-14 वित्तीय वर्ष के ईएफपीआरएफ आवंटन में पांच परसेंट का हम लोगों ने इज़ाफा किया है। वर्ष 2013-14 और 2014-15 में पांच परसेंट का इजाफा हुआ है लेकिन वर्ष 2015-16 में वार्षिक इज़ाफा 50 परसेंट का हुआ है। ...(व्यवधान) पहले इस चैलेंज से निपटने के लिए जितना धन रहता था, उसे बढ़ाकर हम लोगों ने डेढ़ गुना कर दिया है। यह काम हमारी सरकार ने अभी किया है। सभी राज्यों को जो धनराशि आवंटित हुई है उसकी डिटेल में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लोगों को सहायता प्रदान के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं उनमें भी काफी परिवर्तन कर दिया है। जिनकी जिंदगी चली जाती है उनके परिवार वालों को चार लाख रुपया देने का फैसला किया है। इसमें 75 परसेंट कंट्रीब्यूशन सैंट्रल गवर्नमेंट का राज्यों के लिए रहता था और 25 परसेंट राज्यों का रहता था लेकिन सम्भवतः वह 90/10 परसेंट हो गया है। यूटीज़ के लिए पहले से ही 90/10 परसेंट रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी को भी हम लोगों ने री-ओरिएंटेशन और री-ऑरगेनाइजेशन किया है। उसको काफी इफैक्टिव बनाया है जिसके कारण कामयाबी हासिल हुई है। इस बार हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी एक बैठक में कहा कि इस बार की जो घटना हुई है, इसमें लोगों को संकट से उबारमें में तो हम मदद करें ही लेकिन साथ ही साथ हम इस घटना से सीख लें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति यदि होती है तो उसे कैसे रोका जा सकता है, वैसा सिस्टम भी हम अपने यहां डवलप करने की कोशिश करें।

अध्यक्ष महोदया, बॉर्डर मैनेजमेंट और कोस्टल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा काम भी गृह मंत्रालय के पास है। इसमें हम लोगों ने इसे प्रायरिटी दी है। पिछले वर्ष के रिवाइज्ड एस्टीमेट 1785 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष बजट एस्टीमेट में 3340.82 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। यहाँ मैं इस बात से भी अवगत कराना उचित समझता हूँ कि रिवाइज्ड एस्टीमेट के 1785 करोड़ रुपये की तुलना में ऐक्चुअल एक्सपेंडीचर 1645 करोड़ रुपये हो गया है।

श्री तथागत सत्पथी (धेंकानाल) : उसमें सैलरी का कितना है?

श्री राजनाथ सिंह : कृपया उस विषय पर मत जाइए। मो. सलीम साहब ने कुछ प्रश्न उठाये थे। मैं उनके संज्ञान में कुछ नये फैक्ट्स लाना चाहता हूँ। भारत-बंगलादेश सीमा की स्वीकृत 3326 किलोमीटर की फेंसिंग का 88 प्रतिशत काम पूरा कर दिया गया है। 293 किलोमीटर की सीमा पर फेंसिंग के कई कारण हैं। एक कारण यह है कि लैंड एक्वीजिशन में डिले हो रहा है, दूसरा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस और इंवायरमेंट क्लीयरेंस का मुद्दा है। लेकिन अब एंवायरमेंट क्लीयरेंस की कोई प्रोब्लम नहीं रह गयी है। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब बैठ जाइए। ...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : आपकी वजह से यह पूरा नहीं हो सका है। लेकिन उसे भी मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ।

भारत-बंगलादेश सीमा पर अतिरिक्त स्वीकृति 383 कंपोजिट बॉर्डर आऊट पोस्ट में 74 पूरी तरह से पूरे हो गये हैं और 86 पर तेजी से काम चल रहा है और लैंड एक्वीजिशन में डिले होने की वजह से ऐसा हुआ है।

बी.एस.एफ. के जवानों के संबंध में यह बात आयी कि बॉर्डर पर कैटल स्मग्लिंग हो रही है। मैं विनम्रतापूर्वक सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमें संसद में भी ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, जिससे हमारी आर्मी, पैरा मिलिट्री फोर्सेज़ हों, जो किसी भी सूरत में डिमोर्लाइज़ हों। कहीं पर कोई घटना हो सकती है, कहीं किसी ने कुछ किया हो, लेकिन यदि सार्वजनिक रूप से हम किसी भी फोर्स को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो उसके मोराल पर क्या असर होगा? इसका सहज रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। फोर्स के मोराल को बनाकर रखना, मैं समझता हूँ कि इस देश की सुरक्षा के लिए भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी बनती है, जिसकी हमें चिन्ता करनी चाहिए। कैटल स्मग्लिंग हमारे लिए भी एक चुनौती है। मैं कैटल स्मग्लिंग के संबंध में यह बतलाना चाहता हूँ कि जब हमने मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली, तो उसके पाँच-छः महीने के बाद ही जो प्रोग्रेस हुई है, मैं उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। पहले जितनी कैटल स्मग्लिंग होती थी, उसमें अब 33 प्रतिशत की कमी आयी है। ऐसा केवल मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारा पड़ोसी देश बंगलादेश भी इस हकीकत को स्वीकार कर रहा है। सीमाओं की सुरक्षा और मैनेजमेंट के लिए भी हमने बहुत सारे कदम उठाये हैं। मैं अब बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा।

अब मैं कोस्टल सिक्योरिटी के विषय पर आ जाता हूँ। कोस्टल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमने जो कार्य किये हैं, उसकी मैं चर्चा कर दूँ। एक तो जो फिशिंग वेसल्स हैं, जिन पर नावों से मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते हैं, उनकी संख्या इस समय 1.19 लाख है। हम लोगों ने प्रोविज़न

किया है कि जिस फिशिंग वेसल्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वह फिशिंग के काम के लिए नहीं जा सकता है। 155 मेरीन पुलिस स्टेशन बनाये गये हैं, 97 चेक पोस्ट बनाये गये हैं, 58 आऊट पोस्ट बनाये गये हैं, बैरक्स, बोट्स बनाये गये हैं। 204 लोगों को बोट्स प्रोवाइड किये गये हैं। फोर व्हिलर्स और टू व्हिलर्स की व्यवस्था भी की गयी है। साथ ही एक मुकम्मल व्यवस्था भी की गयी है, जो एक फिशर मैन के लिए भी आवश्यक है और देश की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। फिशर मैन की बोट, जो 20 मीटर से कम होती है, उसकी ट्रैकिंग की व्यवस्था, वह कहाँ गयी, कहीं उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, इसकी ट्रैकिंग करने के लिए ट्रांसपौंडर्स लगाने का फैसला किया है और पूरी कोस्टल मैपिंग भी करा रहे हैं। सभी फिशर मेन के लिए हम लोगों ने बायोमीट्रिक कार्ड तैयार करने का काम भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। उसे कभी कोई पड़ोसी देश अपने साथ ले गया, तो यह जानकारी हो सके कि वह कौन है, कहाँ का है, कैसे है और उसके परिवार के सदस्यों से भी उसका कांटैक्ट हो सके।

अध्यक्ष महोदया, पैरा-मिलिटरी फोर्सेज के बारे में जैसा सौगत राय जी ने कहा, हमारे पास छः-सात ऐसी पैरा-मिलिटरी आर्गनाइजेशन्स हैं। किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि असम राइफल्स को भी इनमें शामिल करना चाहिए। इनके मॉडर्नाइजेशन के लिए गृह मंत्रालय पूरी तरह से काम कर रहा है। एक्सट्रीम कोल्ड में भी सीएपीएफ के हमारे जवानों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए पिछले वर्ष क्लोदिंग एंड इक्विपमेंट्स के लिए 143 करोड़ रुपये दिए। आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोक्योर करने के लिए भी हमने धनराशि बढ़ाई है। पहले आर्म्ड फोर्सेज के डीजी के पास पांच करोड़ रुपये तक की खरीद का अधिकार था कि आवश्यकता पड़ने पर वे आर्म्स एंड एम्यूनिशन्स खरीद सकते हैं। आते ही मैंने उसे पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया। उनका अधिकार बढा दिया है। सीएपीएफ के लिए एलडब्ल्यूई एवं जम्मू-कश्मीर के लिए ज्यादा से ज्यादा एके-47 एसाल्ट राइफल्स अब स्वीकृत की गयी हैं, क्योंकि राइफल्स पुरानी होने के कारण उनको प्राब्लम होती थी। सीएपीएफ की ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी हमने कदम उठाए हैं। वर्ष 2015-16 में एक लाख 34 हजार 599 कर्मियों को ट्रेनिंग देने की प्लानिंग हमने की है। इसके अतिरिक्त कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जिनसे पैरा-मिलिटरी फोर्सेज के हमारे जवानों का मोराल बना रहे। जो जवान हताहत होते हैं, उनके परिवारों को कंपनसेशन पहले 15 लाख रुपये मिलते थे, अब उसे कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। हम अपने जवानों को अन्य क्या इंसेंटिव्स दे सकते हैं, वह भी विचाराधीन है, उस पर बातचीत चल रही है। लेकिन मुझे चिन्ता है, जैसे भी हो, हमारे देश के जवानों का मोराल कभी डाउन नहीं होना चाहिए।

यहां पर पुलिस मॉडर्नाइजेशन की बात आई। पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए गृह मंत्रालय के पास फण्ड रहता था, समय-समय पर हम उसे राज्यों को देते थे। 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में इसे समाप्त कर दिया गया है। इसी तरह इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, जिसे अब एसीए कहते हैं, उसे भी समाप्त कर दिया गया है। सीसीटीएनएस को भी समाप्त कर दिया है, लेकिन इस संबंध में प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से मेरी बात हुई है। हम लोग यह सोच रहे हैं कि इसका विकल्प कैसे तैयार किया जाए, कैसे इसका समाधान निकाला जाए। इस पर हम गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। वैसे पहले टोटल रेवेन्यू का 32 प्रतिशत राज्यों को मिलता था, उसे फाइनेंस कमीशन की रिकॅमेंडेशन के आधार पर बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे राज्यों को पहले की तुलना में ज्यादा धनराशि स्वतः प्राप्त हो गयी है, इसलिए पुलिस मॉडर्नाइजेशन की दृष्टि से भी उसे राज्य खर्च कर सकते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, वीजा की प्रक्रिया को भी हमने काफी हद तक सिम्पलीफाई कर दिया है, मॉडर्नाइज कर दिया है। सभी सम्मानित सदस्यों को जानकारी होगी की ई-टूरिस्ट वीजा स्कीम हम लोगों ने प्रारम्भ कर दी है। यह स्कीम फिलहाल 45 देशों से आने वाले लोगों पर लागू होती है, लेकिन इसको बढ़ाकर 150 देशों तक हम ले जाना चाहते हैं। अब तक इस ई-टूरिस्ट वीजा स्कीम का लाभ लगभग एक लाख पन्द्रह हजार यात्री उठा चुके हैं। यह एक नई योजना है। साथ ही साथ, पीआईओ और ओसीआई, दोनों का विलय कर दिया गया है क्योंकि एनआरआईज की यह बराबर शिकायत रहती थी कि इसके कारण उनको बहुत प्राब्लम होती है। इसलिए हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया है, अब लोगों के पास केवल ओसीआई कार्ड होगा।

पाकिस्तान से मछुआरों की नौकाओं की वापसी की संबंध में एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था। मैं बताना चाहता हूं कि मार्च, 2015 में 1.27 करोड़ रुपये के व्यय के साथ चार वर्षों में पाकिस्तान द्वारा पकड़ी गयी, 57 भारतीय मछुआरा नौकाएं वापस लाई गयी हैं। यह कार्य लगभग 11 वर्षों के अंतराल पर हुआ है। इससे पहले वर्ष 2003-04 में पाकिस्तान द्वारा 53 भारतीय मछुआरा नौकाएं छोड़ी गयी थीं। सरकार की पहल से प्रक्रिया की शुरूआत हुई है, जिसके तहत भारत दोनों देशों द्वारा पकड़ी गई नौकाओं को छोड़े जाने के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ निरंतर बातचीत का माध्यम अपना सकता है।

जहां तक आगामी योजनाओं की बात है, तो योजनाएं बहुत सारी हैं, सबके बारे में बताने में काफी समय लगेगा। सीमाओं के प्रबंधन में भी हमारी आगे की योजनाएं हैं।...(व्यवधान) जैसे पंजाब सेक्टर में भारत-पाकिस्तान सीमा 983.01 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 711 किलोमीटर की लैट्रल और एक्सीएल सड़क के निर्माण का प्रस्ताव है। गुजरात और पश्चिम बंगाल में सुरक्षा और चौकसी बढ़ाने के लिए 400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से गुजरात के सरक्रीक में 30 और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में छः

फ्लोटिंग सीमा चौकियों की स्थापना सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के लिए 523 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा पर निरीक्षण चौकियां यानि आउटपोस्ट्स हैं और एसीपीज़ जैसे आश्रय स्थलों का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा हम अपनी फेंसिंग को जहां फ्लड लाइटिंग होती है, उसकी संख्या काफी बढ़ाई है और आगे भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत-चीन सीमा पर 34 लगभग 800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को जिम्मा सौंपा गया है। वैसे ही मैरिन पुलिस ट्रेनिंग के सम्बन्ध में हम लोगों ने एक प्रपोजल तैयार किया है और उसका अनुमोदन भी हमने दे दिया है। ऐसे कई कदम हम लोगों ने उठाए हैं।

अध्यक्ष महोदया, कुछ माननीय सदस्यों ने यूनियन टैरिटरीज के बारे में कहा था। लक्षद्वीप के माननीय सदस्य ने वहां पर विधान सभा के गठन की बात कही थी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे प्रशासनिक कारण हैं, जिनकी वजह से वहां विधान सभा गठित करना सम्भव नहीं है। लेकिन जो भी माननीय सदस्य हैं मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि वहां की जो समस्याएं हैं, उन्हें लेकर हमसे मिलते रहिए, हमारे राज्य मंत्री किरन रिजीजू या हरि भाई चौधरी दोनों मौजूद हैं, उनसे भी मिल सकते हैं। यूनियन टैरिटरीज से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करने की हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जितनी भी यूनियन टैरिटरीज हैं, उनके विकास के लिए कई ऐसे प्रस्ताव जो अब तक विचाराधीन पड़े थे, कुछ नए प्रस्ताव भी हमने तैयार किए हैं और उन सब पर अंतिम निर्णय ले लिया है।

माननीय अध्यक्ष: उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी आता है।

श्री राजनाथ सिंह : उसमें अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भी है, दादर नगर हवेली है, पुडुचेरी भी है और चंडीगढ़ भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कुछ कहा, कमोबेश सबका जवाब मैंने देने की कोशिश की है। सेंसस में कटौती के बारे में इन्होंने कहा है कि कुछ की गई है। रिवाइज एस्टीमेट में कुछ हुआ होगा, उसे मैं देख लूंगा कि क्या हुआ है, क्योंकि यह छूट गया है और देख नहीं पाया हूं।

अलगाववादियों के खिलाफ सरकार का नरम रुख है, ऐसा यहां पर कहा गया। मैं कहना चाहता हूं खड़गे जी से कि ऐसा नहीं है। सरकार किसी की भी रही हो, वहां कुछ लोग बराबर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे हैं। कुछ अलगाववादी हरकतें वहां चलती रहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हरकतें बंद होनी चाहिए। आपने देखा कि एक घटना हुई, उस पर तुरंत हमारी सरकार ने सख्त कार्रवाई की और उन्हें बिहाइंड बार किया गया है।

हुकुम सिंह जी ने आईएसआईएस के कारण जो संकट सारे विश्व में पैदा हुआ है, उसकी चर्चा की है। मैं बताना चाहता हूं कि भारत इस मामले में सौभाग्यशाली है। दुनिया में भले ही दूसरे देशों में आईएसआईएस की गतिविधियों से लोग प्रभावित हुए हों, लेकिन भारत के मुस्लिम समाज के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यहां के मुस्लिम समाज के लोगों ने इसे डिस्क्रेज करने का काम किया है।

14.00 hrs

अपने परिवार के सदस्यों ने, उनके माता-पिता ने उनको बराबर डिसक्रेज किया है। मैं उनका सदन के माध्यम से अभिनंदन करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ई.अहमद साहब और सलीम साहब यह बहुत बड़ा काम हुआ है।...(व्यवधान) हुकुम सिंह जी ने नारी सुरक्षा और पुलिस जवानों के लिए बैटर इक्वीपमेंट्स के बारे में कहा, जिस पर मैं बोल चुका हूं। प्रेमचंद्रन जी ने प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त धनराशि के बारे में बोला है, इसके लिए पर्याप्त धनराशि दी गयी है, जिसका मैं उल्लेख कर चुका हूं। मछुआरों की समस्या के बारे में आपने कहा, जिसका मैं उल्लेख कर चुका हूं। सौगत राय जी ने कानून-व्यवस्था की चर्चा की, जो कि राज्य का विषय है। जहां तक माओवाद की समस्या का सवाल है, आपने पश्चिम बंगाल की चर्चा की है। हमारा इसमें दो मत नहीं है कि राज्य सरकार ने माओवाद से निजाद के लिए कार्रवाई की है और मैं उसका स्वागत करूंगा। मैं इसके लिए वहां की सरकार को बधाई देना चाहूंगा। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, हमें इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप भी देश के लिए काम कर रहे हैं और हम भी देश के लिए काम कर रहे हैं। यदि हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम भारत को विश्व की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। गोरखालैंड की चर्चा मैं कर चुका हूं। मोहम्मद सलीम साहब की बात का जवाब भी आ चुका है।...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : वर्ष 2014-15 के रिवाइज़ बजट में कटौती हुई थी, उसके बारे में मैंने पूछा था।...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : हो सकता है कि पहले जितना खर्च करना चाहिए था, उतना नहीं किया गया। निर्धारित समय में जितना खर्च करना चाहिए था, उतना नहीं किया गया हो, इसलिए रिवाइज़ एस्टीमेट में कम हो गया था। यह तो आप जानते ही हैं।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Mr. Minister, you do not reply to each and every thing.

SHRI RAJNATH SINGH: I have already mentioned in my reply regarding protection of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.… (*Interruptions*) लक्षद्वीप के बारे में मैं जवाब दे चुका हूं। लक्षद्वीप में महिला विधान सभा के बारे में मैं उत्तर दे चुका हूं और गुजरात के समुद्री रास्ते से जो आते हैं। श्री विजय पांडा जी ने भी कुछ सवाल किए थे कि आवंटन में कमी आ

रही है, एलोकेशन की बात भी कही है, लेकिन उन्होंने अच्छी बात कही है कि माओवादी क्षेत्रों में डेवलपमेंट होना चाहिए। बजट के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। सुरक्षा बलों के परिवार वालों की अधिकतम मदद करनी चाहिए और एनडीआरएफ की चर्चा की है। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के बारे में भी कहा है। मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि जो कश्मीरी पंडित जम्मू-कश्मीर की धरती से किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं, उनका पुनर्वास करना हमारी प्रतिबद्धता है।...(व्यवधान) वहां के मुख्यमंत्री आए थे। उनसे हमारी बात हो गई है और पहली किश्त में उन्होंने पचास एकड़ जमीन देने का आश्वासन दिया है।...(व्यवधान) शैलेश कुमार जी, जयप्रकाश जी, आर.के. सिंह जी, चंदूमाजरा जी और एम.आई. शहनवाज साहब आदि सदस्यों ने भी जो समस्याएं उठाई थीं कमोबेश मैंने सबका जवाब दे दिया है। ई. अहमद साहब का भाषण मैं उस समय सुन नहीं पाया था लेकिन बाद में मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। मैंने अपनी तरफ से सभी सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है।...(व्यवधान)

अरूणाचल प्रदेश के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पहले केवल असम की सीमा तक ही सीमित था लेकिन कभी-कभी कुछ उग्रवादी तत्व जो अरूणाचल में चले जाते थे शायद उसके कारण बीस किलोमीटर तक लग गया है। लेकिन समय पर उसे हम रिव्यू भी कर सकते हैं। सौगत राय जी आपने एल.डब्ल्यू.ई. एरियाज में सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पालिसी के बारे में चर्चा की है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी एक सरेंडर पालिसी बनी है और मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि पहले टुकड़ों में एल.डब्ल्यू.ई. का पालिसी थी, पहली बार हमने एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव और इंटिग्रेटिड एल.डब्ल्यू.ई. की पालिसी तैयार की है और सभी स्टेट्स को भी उसे भेजा है, यदि आपको इस पर अपनी कोई ओपिनियन देनी हो तो आप दे सकते हैं। हम उसे और परफैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। श्री विनायक राउत जी ने कश्मीरी पंडितों की बात कही थी, टी.नरसिम्हन जी ने भी सवाल उठाये थे। सोशल मीडिया को डबल एज सोर्ड, दुधारी तलवार कहा, डिसेप्टिव कंट्रोल की बात कही है, साइबर क्राइम से रिलेटिड ये सारी चीजें हैं। मौ.सलीम साहब के द्वारा भी उठाये गये लगभग सारे सवालों का जवाब आ गया है। श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी, श्री शैलेश कुमार, श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा के सवालों के जवाब भी आ गये हैं। श्री ओवैसी साहब ने भी यहां कुछ सवाल खड़े किये हैं, उन्होंने कहा कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट के संबंध में ...(व्यवधान) अब वह यहां हैं नहीं, इसलिए रहने देते हैं। लेकिन संदेश पहुंच जायेगा। हमने कोई काम गैरकानूनी नहीं किया है, अटार्नी जनरल और लॉ डिपार्टमैन्ट से ओपीनियन लेकर ही कोई काम हुआ है, हमने उसके बियांड जाने की कोशिश नहीं की है। श्री एम. शाहनवाज, श्री आर.राधाकृष्णन ने भी पांडिचेरी को स्टेटहुड देने की बात कही है, लेकिन फिलहाल अभी हम उसे नहीं कर पा रहे हैं, हम उसे भविष्य में देखेंगे।

ई. अहमद साहब चाहते हैं कि कम्युनल हार्मनी रहे, यह सारा देश चाहता है और हम भी चाहते हैं। श्री जॉयस साहब केरल के सांसद हैं, उन्होंने नेशनल इंटिग्रिटी एवं कम्युनल हार्मनी पर चर्चा की है। सत्यपाल सिंह जी संभल से हैं, उन्होंने पुलिस की सैलरी और एलोकेशन की बात की है, पुलिस रिफार्म्स की बात की है। मैं इन सारी बातों के कमोबेश उत्तर दे चुका हूं और हो सकता है कि किसी का नाम यदि छूट गया हो तो यदि उसकी भी कोई आशंका होगी तो मैं उसका समाधान देने के लिए तैयार हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, मुझे भाषण नहीं देना है। मैं दो-तीन बातें कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी ने विस्तार से बहुत सारी बातें कह दी हैं, इसलिए अब मुझे उन पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं खास तौर से यह कहना चाहता हूं कि आपने भाषण में कहा है, लेकिन देश भर में खास तौर से मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक हैं, इनके मन में जो एक भय धर्म परिवर्तन के नाम पर पैदा हो गया है, इस पर आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा।...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : स्पीकर महोदया ने श्री मुलायम सिंह जी को बोलने का समय दिया है, आप लोग बीच में ऐसा क्यों कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: हमने गृह मंत्री जी को कितने ध्यान से सुना। खास तौर से इन दोनों के धर्म परिवर्तन के बारे में आपने जिक्र तो किया है, लेकिन आपको इस पर खुद पहल करने की जरूरत है और यह सवाल न उठे, क्योंकि इससे हमारे देश की एकता पर असर पड़ेगा।

दूसरी बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि चर्चों में तोड़फोड़ के बारे में आपने कहा है। अब मुझे ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन अब जब आपकी जानकारी में आ ही गया है तो इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी धर्म पर या किसी के धर्म स्थल पर किसी को किसी तरह का हमला करने का अधिकार नहीं है और न उसको बर्बाद करना चाहिए। वह देश की एकता के लिए हैं। जहां तक कहीं माओवाद और कहीं नक्सलवाद के नाम पर जो हो रहा है, उस पर गृह मंत्री जी मैं एक राय दे रहा हूं कि निर्दोष आदिवासियों को न मारा जाए, यह आप ध्यान रखिये। चूंकि अभी निर्दोष आदिवासी मारे गये हैं, इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि तमिलनाडु में बीस लोगों को चंदन के तस्कर बताकर मार दिया गया। यह बिल्कुल गलत किया गया है। वे लोग तस्कर नहीं थे। आपने जांच कराई होगी, आपकी जानकारी में आ गया होगा, हमारी जानकारी में है, यहां तमिलनाडु के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन तस्करों के नाम पर इतनी बड़ी तादात में निर्दोष लोगों की हत्या करना देश के लिए शर्म की बात है, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्रधान मंत्री जी ने जो वायदे किए हैं, उसमें एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उन वायदों को पूरा आप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यह विश्व हिंदू परिषद् क्या बोल रही है? इसको बंद

कीजिए। अखबरों में छपा है कि विश्व हिंदू परिषद् क्या बोल रही है, इस पर आपको गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद् के प्रमुख कह रहे हैं कि पृथ्वी राज चौहान के बाद हिंदू राष्ट्र भारत में बनेगा। इस पर आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? जब सब जगहों पर यह बात आई है, उस पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। आप सबका हैड इस तरह की बात कहेगा तो यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा कोई सवाल नहीं करना चाहता हूँ, मैंने लंबा भाषण नहीं दिया है, आपने सारे वालों के उत्तर भी दे दिए हैं, लेकिन इन दो-तीन बातों पर मैंने जो कहा है, उनको आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसका असर अच्छा नहीं जाएगा, न आपके लिए, न देश के लिए और न आपकी सरकार के लिए अच्छा होगा।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : महोदया, मैं मुलायम सिंह जी की बात का समर्थन करता हूँ।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, the Home Minister, in his speech, mentioned about modernization of police forces by the State Governments. He himself accepted that assistance to this kind of a programme has been taken away from the Budget now. He also mentioned that since the 14th Finance Commission has recommended an increase from 32 per cent to 42 per cent as assistance to the State Governments, the devolution has been made. He has said that due to this reason, it was taken away.

I want to bring to his notice that because of this devolution, Rs. 1,42,000 crore will be given to the State Governments. At the same time, in the Budget, Rs. 1,33,000 crore has been cut down. Therefore, only about Rs. 8000 crore is going to be available to the State Governments.

He is saying that law and order is more important and it is a State subject. Though it is a State subject, if he wants to have good internal security in India, modernization of State Police is more important, as he has also mentioned about border security.

Most of the State Governments are facing financial crisis. Unless the Central Government gives assistance to the State Governments to modernize the police forces, it will be very difficult for them to do that. He has just now assured the House that he is considering the issue, he will consult with the Prime

Minister and do something about it. I hope that he will give a good amount for the modernization of police forces.

Secondly, I am happy that the hon. Member, Shri Mulayam Singh Yadav has raised an issue which we have also raised often in the House regarding the killing of 20 tribal labourers of Tamil Nadu in Andhra Pradesh. The National Human Rights Commission has already taken up the issue. But what about the stand of the Central Government? When he made a statement last time, he said that he would get the facts, come before the House and give the information. This is an inter-State issue where tribals have been killed. Can he share the information which he has got with the House? He cannot be lethargic. When the National Human Rights Commission has taken up the issue, what about the action taken by the Central Government as tribals are involved in this massacre by the Andhra Pradesh Police?

I hope that he will give some information about the 20 tribals, who are labourers from Tamil Nadu who have been murdered in Andhra Pradesh. I want to get a reply on this issue from the hon. Home Minister.

HON. SPEAKER: Shri Kharge, please ask only one clarification. लंबे भाषण दोबारा नहीं होंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ और गृह मंत्री जी ने यहां पर उत्तर में यह कहा है कि बजट में कट नहीं हुआ है। लेकिन बजट का टेबल आइटम फेसिंग बजट कट्स अगर आप देखेंगे तो एक्स्पेन्डिचर के जो आइटम हैं, उनमें 25 आइटम्स के ऊपर आपने कट किया है। अगर यह असत्य है तो आप जो भी शिक्षा देंगे, उसे मैं मानूँगा, लेकिन अगर यह सत्य है तो महोदया आप गृह मंत्री को क्या शिक्षा देंगी।

माननीय अध्यक्ष : मैं किसी को सजा नहीं दे सकती हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यहाँ असत्य चीजें नहीं रखनी हैं। इन 25 आइटम्स में उन्होंने जो कुछ कमियाँ कीं, माडर्नाइजेशन से लेकर सभी चीजों पर की हैं, यह आपके सामने है, मैं आपके माध्यम से उनको यह देना चाहता हूँ।...(व्यवधान) यह हँसने की बात नहीं है, आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यह आपका डॉक्यूमेंट है, मेरा नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप क्लेरिफिकेशन पूछिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : दूसरी चीज, जो अभी माइनोरिटीज के बारे में खासकर चर्च हो या माइनोरिटी मुस्लिम्स के विषय में हो, विशेषकर दलितों के विषय में हो, ये सारी चीजें हैं। आपको एक स्ट्रांग मैसेज अपने लोगों को भी देना चाहिए और देश में जो भी ऐसे विषय पर हमेशा बात करते हैं या लोगों को उकसाते हैं, उनको भी एक मैसेज जाना चाहिए। वह मैसेज आपने यहाँ पर कभी नहीं दिया है। सिर्फ आपने इतना ही कहा कि यह कहना ठीक नहीं है।

महोदया, आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ पर बार-बार कहा। इनके नवरत्न, मैं फोटो के साथ देता हूँ, आपके नवरत्न ने क्या-क्या बातें बोली हैं, खासकर समाज तोड़ने की बात हमेशा बोलते रहे हैं, लेकिन आप हमेशा यह कहते रहे हैं, उनको हमने वार्न किया हैं, हमने उनको बोला है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, भाषण मत करिए।

...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: What message is he going to give? It means that his instructions are not being followed. यह बात अगर कोई बाहर करते हैं तो मैं मान लूँगा कि इनके कंट्रोल में वह नहीं है, लेकिन आपके लोग जब बार-बार बोलते हैं और फिर भी वे हमेशा वही बात करते हैं तो क्या वे आपके कंट्रोल में नहीं हैं, क्या वे आपकी बात सुनते नहीं हैं? ऐसे लोगों को या तो पार्टी से निकालो या ऐसे लोगों को बर्खास्त करो।...(व्यवधान) You disown them....(व्यवधान) ये चीजें आपके सामने हैं। ...(व्यवधान) सभी हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं जानना चाहता हूँ कि इनके बारे में आपने क्या एक्शन लिया है? ...(व्यवधान) इसके बारे में जो एक्शन लिया है, वह बताना चाहिए। ...(व्यवधान)

तीसरी चीज, जो जम्मू-कश्मीर का मामला है, मशरत आलम के बारे में, उनके ऊपर जो एक्शन लिया है, वह भी आपको स्पष्ट करना चाहिए।...(व्यवधान) उसको जो रिलीज किया है, उसके बारे में भी उन्होंने नहीं बताया, वह भी आपको स्पष्टता के साथ बताना चाहिए।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You can only seek clarifications, if any.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आखिर में मैं यह कहूँगा कि वर्ष 1999 से लेकर 2004 तक आप ही थे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है? आपकी बात हो गई है। ऐसा नहीं होता है। आप बैठिए।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2004 तक तो आप ही थे। उस वक्त सिखों के बारे में कम्पैशनिएट ग्राउंड पर जो-जो करना था, आप वह कर सकते थे, लेकिन बार-बार यह मुद्दा पॉलिटिकली आप उठाते हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपकी बात हो गई है।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन पॉलिटिक्स में उसे लाने की कोशिश करते हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, फिर से नहीं, यह दोबारा भाषण नहीं हो रहा है।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह मीठी गोली है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको क्लेरिफिकेशन पूछना है, फिर से दोबारा भाषण नहीं करना है।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, उन्होंने तो कहा है, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा।…(व्यवधान)

इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये जो चार मुद्दे मैंने आपके सामने रखे हैं, सिर्फ मीठी गोली देने से काम नहीं चलता है। आपको सख्त इसके बारे में कहना पड़ेगा ताकि ऐसी चीजें सारे देश में बन्द हों और शान्ति रहे।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आपकी बात हो गई।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: शान्ति बनाए रखना आपका कर्त्तव्य है। आखिरी में एक शेर कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।…(व्यवधान) मैं कविता कहूँगा और उनको बताऊँगा।…(व्यवधान)

"उदित प्रभात हुआ,
फिर भी छाई चारों ओर उदासी, अंधेरा।
ऊपर मेघ भरे बैठे हैं, किन्तु धरा प्यासी की प्यासी।
जब तक सुख के स्वप्न अधूरे,
पूरा अपना काम न समझो।
विजय मिली, विश्राम न समझो।"

आपको विजय मिली है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन विश्राम से मत सोओ। इतनी समस्याएँ आपके सामने हैं। सत्य से दूर मत जाओ, सत्य से कहो। इसलिए जो चीज़ आपके सामने है, देश के हित में, आप यह सब क्लैरिफिकेशन हमारे सामने रखिये।

SHRI KALYAN BANERJEE: Madam, I have a very small request to the hon. Home Minister.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Only one clarification is allowed.

SHRI KALYAN BANERJEE : I have a request to the hon. Home Minister for the consideration of setting up of a Special Court under the statute in relation to any offence caused in respect of any woman including those women who are suffering in their in-law's houses. There is no Special Court at present. Sir, please think about that.

I would also request you to think about providing only one mobile number all over the country so that the mobile number can go into the ears of the women of the country. If, at any time, any offence is caused including to a woman living in her in-law's house, even at 11 or 12 of the clock in the night, if she gives a call, the appropriate police officer must take steps in respect thereof. If there is a failure on the part of the police officer, there should be a penal clause to proceed against that police officer. This is most important. It is coming up.

In the modern day, please think of the mental injury of a woman suffered in her in-law's house. We have to rethink of the definition of a mental injury of a woman even in her in-law's house. I have a request to you to think of this.

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने मरीन एकैडमी के निर्माण का उल्लेख किया। 2008 में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उस समय सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने जो रिवीज़न लिया, कोस्ट गार्ड को अपटुडेट ट्रेनिंग देने के लिए मरीन गार्ड के निर्माण के काम का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र के पालघर में 308 एकड़ ज़मीन उसके लिए दी गई। तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे जी ने वहाँ जाकर, विजिट करके सब फाइनल किया लेकिन अभी समझ में आता है कि यह मरीन गार्ड की एकैडमी द्वारका में एस्टैबलिश करने का सरकार प्रयास कर रही है। मैं उस पर आब्जैक्शन लेता हूँ क्योंकि महाराष्ट्र के पालघर से इस ऐकैडमी को उधर ले जाना उचित नहीं है। क्योंकि पश्चिमी तट पर

महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल के बीच में पालघर है और इस मरीन एकैडमी में नेशनल कोस्ट गार्ड का भी हक रखा जाएगा, ऐसा उस समय आतंकवादी हमले के बाद डिक्लेयर किया था। माननीय मंत्री जी से मेरी मांग है कि ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हो गया। बार बार वही बात नहीं बोलें। उन तक बात पहुँच गई है।

...(व्यवधान)

श्री गजानन कीर्तिकर: यह जो बदलाव किया है, इसको रद्द करके पालघर में यह मरीन एकैडमी एस्टैबलिश करनी चाहिए।

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): I want to bring to the information of the hon. Home Minister through you, Madam, that Odisha has 400-plus kms. of coast line. Unfortunately, there is no proper guarding of the coast line. There is no Coast Guard Station because of which we are having a lot of infiltration coming in from certain neighbouring countries which I do not wish to name here.

I would request the hon. Minister to consider setting up of a proper Coast Guard set up in Odisha headquartered preferably at Gopalpur or Paradip which should be operating and guarding the coastal areas of Odisha.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: अध्यक्ष महोदया, बिहार नक्सल प्रभावित उग्रवादी क्षेत्र है और बिहार के कई जिले इससे प्रभावित हैं। जिस बांका क्षेत्र से हम आते हैं, वह और भागलपुर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय इत्यादि उग्रवाद प्रभावित इलाके हैं। हम माननीय गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि उनके एक्शन प्लान के तहत बांका को लेकर उसके चतुर्दिक विकास के कामों को अंजाम देने का काम किया जाये। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : विधूड़ी जी, आप क्या पूछ रहे थे? अब हो गया, आपके ही गृह मंत्री हैं। वे बात करेंगे, बैठिये।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : दिल्ली पुलिस के बारे में यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ब्रॉट डैडबॉडी मिलती है तो पुलिस वाले सिपाही उसको हॉस्पीटल लेकर जाते हैं। उनको सरकार कोई खर्चा नहीं देती, उसे सिपाही अपनी जेब से देते हैं। अगर वे जेब से देते हैं तो उन्हें भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है, इसलिए सरकार की तरफ से यह व्यवस्था हो और ए.सी.पी. के स्तर का कोई अधिकारी उसके बिल को सिपाही को, कांस्टेबल को दे, जिससे वह आराम से स्कूटर में डालकर पेशेण्ट को ले जाये, कई एक्सीडेंट के मामले होते हैं तो वे देखते रहते हैं, किसकी गाड़ी पकड़ें, किसकी न पकड़े, क्योंकि, कांस्टेबल या

हवलदार अपनी जेब से कहां से पैसा देगा, यह मेरा निवेदन है। ऐसा एक्सपेंडीचर दिल्ली पुलिस के बारे में बढ़ाना चाहिए, इस बात को लेकर मेरा निवेदन है।

श्री राजनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदया, श्री मुलायम सिंह जी यादव ने एक तो आन्ध्र प्रदेश की जो घटना हुई है, जिसमें 20 लोग मारे गये हैं, उसकी चर्चा की है। पिछली बार जब यह विषय सदन में उठा था तो मैंने आपको आश्वस्त किया था कि जब कभी आपका निर्देश होगा तो इस सम्बन्ध में आकर मैं विस्तृत जानकारी दूंगा, जो भी राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त होगी, वह मैं सदन को दे दूंगा। यदि आप कहेंगी तो मैंने इसकी रिपोर्ट मंगवा ली है, उसको भी मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। ...(व्यवधान) उन्होंने एस.आई.टी. बना दी है और एक पी.आई.एल. भी वहां की कोर्ट में फाइल हुआ है, लेकिन इसमें और मुझे क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जो भी कांस्टीट्यूशनल प्रोवीज़ंस हैं, आप मुझे बताइये कि मुझे क्या करना चाहिए। जो आप बताएंगे, वह मैं कर दूंगा। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप सी.बी.आई. इन्क्वायरी बिठा दीजिए।...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह: कैसे सी.बी.आई. इन्क्वायरी, कैसे कर दें, नहीं कर सकते। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं, उतना करिये।

श्री राजनाथ सिंह: खड़गे जी, आप जानते हैं कि कैसे हो सकता है। स्टेट के मामले में विदाउट स्टेट रिकमेंडेशन हम उठाकर किसी की सी.बी.आई. इन्क्वायरी कर दें तो क्या हालत होगी। कहां जाकर इण्टर स्टेट रिलेशन खड़ा होगा? आप जानते हैं, मैं इनजस्टिस नहीं कर सकता। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, आदिवासियों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं, किसी निर्दोष आदिवासी की यदि हत्या होती है, यदि जानकारी मिल जायेगी तो उस सम्बन्ध में मैं सभी राज्य सरकारों से भी अपील करना चाहता हूं कि सख्त कार्रवाईकी जाये और यदि मेरे संज्ञान में कोई मामला आएगा तो मैं सम्बन्धित मुख्यमंत्रियों से बात करूंगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा आर्गेनाइजेशन क्यों न हो, यदि आदिवासियों की हत्या करेगा तो मैं किसी भी सूरत में उसे माफ नहीं करूंगा। यही हुआ है और हम यही करेंगे।

उन्होंने कहा है कि चर्चेज़ के ऊपर अटैक हो रहे हैं तो हमारी सभी राज्य सरकारों से अपील है कि इसमें हमें ध्यान देना चाहिए। चाहे मस्जिद हो, चर्च हो, मंदिर हो, कहीं पर भी ऐसे जो सेंसिटिव लोकेशंस हैं, वहां पर यदि किसी प्रकार का कोई अटैक होता है अथवा उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यह हम करेंगे। आगरा में ही जो घटना उत्तर प्रदेश में घटित हुई है, उससे मुझे बेहद पीड़ा हुई है, अध्यक्ष महोदया, लेकिन उस राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की है, उसके सम्बन्ध में मैं फिलहाल नहीं कह सकता हूं।...(व्यवधान)

थम्बी दुरई जी ने पुलिस माडर्नाइजेशन की बात कही है, मैंने कहा है कि 14वें फाइनेंस कमीशन की रिकमेण्डेशंस के कारण यह प्रोवीज़न अब नहीं है, लेकिन इस सम्बन्ध में मैंने प्रधानमंत्री जी से भी बात की है और वित्त मंत्री जी से भी हमारी बातचीत हुई है। हम देखेंगे कि इसका क्या विकल्प हो सकता है। हम चाहते हैं कि पुलिस माडर्नाइजेशन हो, यह आवश्यक है, होना चाहिए। खड़गे जी ने एक्सपेंडीचर कट की बात कही है। इस समय बजट के ऊपर डिबेट नहीं हो रही है, लेकिन मैंने टोटल आपको बताया कि बजट एलोकेशन में कोई कमी नहीं हुई है, क्योंकि, पहले 74 हजार करोड़ था, वह बढ़कर 78 हजार करोड़ हो गया। किस मद में कितना रुपया कम हुआ, कितना अधिक हुआ, मैं समझता हूं कि इस डिटेल में जब कभी कोई केवल इसके बजट पर ही चर्चा होने लगेगी तो मैं वह करने को तैयार हूं।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उसी के ऊपर तो हमने बोला है।

श्री राजनाथ सिंह : नहीं। खड़गे जी, अगर आप उसे प्वायंट-आउट कर दीजिएगा तो मैं आपको पत्र लिखकर उसका जवाब भेज दूंगा।

दूसरी चीज़, यहां पर कम्युनल हार्मोनी, सांप्रदायिक सौहार्द का सवाल खड़ा हुआ। खड़गे साहब ने अपेक्षा की है कि इस संबंध में सरकार की तरफ से स्ट्राँग मैसेज दिया जाना चाहिए। मैं गृह मंत्री के नाते, सरकार की ओर से कहता हूं और सभी राज्य सरकारों से अपील करते हुए यह बात कहना चाहता हूं कि कहीं भी कोई अगर कम्युनल हार्मोनी को तोड़ने की कोशिश करता है तो राज्य सरकारों को उस पर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। राज्य सरकारें प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं? अगर दिल्ली में कोई करेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। यदि और कहीं कोई इसे करता है तो आप कार्रवाई कीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : चर्च के ऊपर हमले यहीं हुए हैं।

श्री राजनाथ सिंह : उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है। लेकिन, देश के किसी भी राज्य में अगर किसी के द्वारा कम्युनल हार्मोनी को तोड़ने का प्रयत्न होता है और उसकी पूरी जिम्मेदारी अगर सीधे केन्द्र सरकार के ऊपर फिक्स की जाती है तो मैं समझता हूं कि केन्द्र की सरकार के साथ यह इंसाफ नहीं होगा।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: क्या आप इसमें हस्तक्षेप करेंगे?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप अपना उत्तर देते जाइए। अब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होगा। इस तरह तो बहुत समय लगेगा।

श्री राजनाथ सिंह : नहीं, हम कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

कल्याण बनर्जी जी ने एक इश्यू उठाया था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब वे चले गए हैं। He is not serious.

… (*Interruptions*)

श्री राजनाथ सिंह : वे कोई भी नवरत्न हों, यह पता नहीं कि वे नवरत्न किसके हैं, क्या हैं, इसे भगवान जानें।...(व्यवधान) लेकिन, इसे रोकने के लिए हम सभी को सहयोग करना चाहिए। मैं बस इतना ही कहूंगा।

कीर्तिकर जी ने मेरिन गॉड एकैडमी की बात कही है कि वह महाराष्ट्र में था और अभी दूसरे स्थान पर चला गया है। कीर्तिकर जी, मैं इसे दिखवाऊंगा कि यह क्या है? इस समय मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

तथागत सत्पथी जी ने कोस्ट गार्ड के सिस्टम को और स्ट्रेंथेन करने की बात कही है। हम उसे देखेंगे।

जय प्रकाश नारायण यादव जी ने सिक्यूरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर (एस.आर.ई.) के अंतर्गत बाँका के विकास की बात कही है। हम इसे देखेंगे कि इसकी क्या स्थिति है।

अध्यक्ष महोदया, इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों, जिन्होंने गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में हिस्सा लिया है, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय से संबंधित डिमांड्स फोर ग्रांट्स को वे पारित करने की कृपा करें।

HON. SPEAKER: Hon. Members, a number of Cut Motions have been moved by Members to the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs. Shall I put all the Cut Motions to the vote of the House together?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, we want our Cut Motions to be put separately.

HON. SPEAKER: All right.

I shall now put Cut Motion Nos. 1 to 4 and 28 to 30 moved by Shri Kodikunnil Suresh to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put Cut Motion Nos. 5 to 11 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put Cut Motion Nos. 12 to 19 and 24 moved by Shri Jaiprakash Narayan Yadav to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : कोई बोलना नहीं होता है, सब क्लेरिफिकेशंस हो चुके हैं।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Prof. Saugata Roy, are you pressing for your cut motions?

PROF. SAUGATA ROY: Madam, I am pressing and I seek a small clarification for one minute. If you allow me, I will be happy.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put Cut Motions Nos. 25 and 26 moved by Prof. Saugata Roy to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मूव हो चुका है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab *ji*, are you pressing for your cut motion?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam, after the clarification of the Home Minister, I am not pressing for my cut motion.

HON. SPEAKER: So, he is not pressing.

I shall now put the Cut Motion No. 31 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

The cut motion was put and negatived.

HON. SPEAKER: I shall now put Cut Motion Nos. 32 and 33 moved by Shri K.C. Venugopal to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs to the vote of the House.

The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2016, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 53 to 57 and 99 to 103 relating to the Ministry of Home Affairs."

Demands for Grants 2015-16 in respect of the Ministry of Home Affairs voted by Lok Sabha

No. of Demand	**Name of Demand**	**Amount of Demand for Grant voted by the House**	
		Revenue (Rs.)	Capital (Rs.)
53	Ministry of Home Affairs	253,68,00,000	26, 40,00,000
54	Cabinet	69,50,00,000	-
55	Police	9179,75,00,000	2297,59,00,000
56	Other expenditures of Ministry of Home Affairs	480,17,00,000	66,43,00,000
57	Transfers to Union Territory Governments	282,67,00,000	12,00,00,000
99	Andaman and Nicobar Islands	547,79,00,000	95,61,00,000
100	Chandigarh	538,88,00,000	95,16,00,000
101	Dadra and Nagar Haveli	99,75,00,000	51,49,00,000
102	Daman and Diu	229,59,00,000	67,32,00,000
103	Lakshadweep	162,47,00,000	30,00,00,000

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs are passed.

<u>14.38 hrs</u>

(ii)Ministry of Environment, Forests and Climate Change

HON. SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on Demand No. 32 relating to the Ministry of Ministry of Environment, Forests and Climate Change.

Motion Moved:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2016, in respect of the head of Demand entered in the Second column thereof against Demand No. 32 relating to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change."

Demands for Grants (2015-16) in respect of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change submitted to the vote of Lok Sabha.

No. of Demand	**Name of Demand**	**Amount of Demand for Grant submitted to the vote of Lok Sabha**	
		Revenue (Rs.)	**Capital (Rs.)**
32	Ministry of Environment, Forest and Climate Change	314,80,00,000	8,13,00,000

HON. SPEAKER: Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demand for Grant in respect of the Ministry of Ministry of Environment, Forests and Climate Change for the year 2015-2016 have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions, slips in respect of which are received at the Table within the stipulated time, will be treated as moved.

A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case members find any discrepancy in the list, they may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

Now, Shri Ninong Ering.

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

14.39 hrs (Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

उपाध्यक्ष जी, आज वन और पर्यावरण मंत्रालय के विषय में हमारी पार्टी की ओर से बोलने के लिए समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारी पार्टी की लीडर, अध्यक्षा मैडम सोनिया गांधी जी और संसदीय दल के नेता श्री खड़गे जी का मैं बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने का एक मौका दिया। मैं अरुणाचल प्रदेश से चुन कर आया हूं, वहां लगभग 83 प्रतिशत वन क्षेत्र है। जब हम दिल्ली या अन्य राज्यों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है, वनों का सर्वनाश हो रहा है, हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमें उस पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने बजट पेश करते समय कम से कम 26 बार इन्वेस्टमेन्ट के बारे में बोला है और 22 बार ग्रोथ के बारे में बोला है। हम भी चाहते हैं कि देश में विकास होना चाहिए और हम विकास की बातें बहुत करते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेन्ज को लेकर सारी दुनिया चिंतित है, उन्होंने एक भी शब्द क्लाइमेट चेन्ज, एनवायरनमेन्ट या डिग्रेडेशन के बारे में नहीं कहा है। शायद, इस पर भी बहुत बहस होगी। मेरे बाद शायद बी.जे.पी. के सदस्य इस विषय पर बोलेंगे, वे हमारी खामियों के बारे में बोलेंगे। बहुत ही वरिष्ठ नेता जावेडेकर साहब, हमारे वन मंत्री हैं। हमारे एनवायरनमेन्टलिस्ट्स और वह भी इसकी बहुत चिंता करते हैं। इसमें रियासत वाली बात नहीं है, लेकिन सात महीने में आंकड़े के हिसाब से उन्होंने 650 प्रोडक्ट्स एक साथ अप्रूव कर दिये हैं। आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इससे हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम इसके लिए बहुत ही चिन्तित हैं। वर्ष 2013-14 का जो बजट था, उसमें हमारी एक उपलब्धि थी कि आंकड़े में 5.65 परसेन्ट की बढ़ोतरी हुयी थी लेकिन वर्ष 2014-15 में उसमें 15 प्रतिशत की कटौती हुयी है और वर्ष 2015-16 का जो बजट है, उसमें कम से कम 23.8 प्रतिशत की कटौती हुयी है जिससे हमें यह पता चलता है कि इसको हम गंभीरता से नहीं देख रहे हैं। हमारा और हमारी स्टैंडिंग कमेटी की यह निवेदन है कि पूरे वर्ल्ड में इस पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है लेकिन हम इसकी उपेक्षा कर रहे हैं जिससे एक गलत मैसेज जायेगा।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से विनती करता हूं कि विकास का कार्यक्रम होना चाहिए लेकिन हमारे वन और पर्यावरण विभाग में जो कटौती हुयी है, वह उसको पूरा करने का प्रयास करें। जिस प्रकार से उन्होंने प्रपोजल दिया है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। प्लान आउटले में 4,440.20 करोड़ रुपये की मांग थी और आपने असल में क्या दिया, उसके लिए आपने 1,406 करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा है। आप इसमे देख सकते हैं कि इसमें 2,993 करोड़ रुपये की कमी है। आप इसको कैसे मेक-अप करेंगे? आदरणीय मंत्री जी को इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। वित्त मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया था कि आर्थिक स्थिति को देखना पड़ता है, किस मंत्रालय को विशेषता दी जानी चाहिए, यह देखना पड़ता है। बजटरी एलोकेशन्स में अन्य विभागों में जो हो रहा है, वन विभाग को भी प्रॉयरिटी देनी पड़ेगी। डीग्रेडेशन है, आपने मेजर फैक्टर सिर्फ एग्रीकल्चर में दिया है। इससे किसान, जनजातीय लोग प्रभावित होते हैं। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर ध्यान नहीं देंगे तो शायद पूरे देश का नुकसान होगा।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारी पार्टी से दो और माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। चौदहवीं फाइनैंस कमीशन की रिकमेंडेशन में कहा गया है कि राज्यों का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और एलोकेशन स्पैशियली 25 प्रतिशत के एमाउंट को देखते हुए 1098 करोड़ रुपये यानी आठ राज्यों - गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ओड़िसा और जम्मू कश्मीर में किया है। जब आप कहते हैं कि राज्यों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए तो नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आदि कहां से कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे क्योंकि it is not a revenue earning State. अगर ऐसा प्रावधान रखेंगे तो हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में वहां का कारोबार बंद करवा दिया। वहां के टिम्बर के ऑपरेशन को बंद करवा दिया। हमारा रिवैन्यू अर्निंग सोर्स वही है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 83 प्रतिशत एरिया में वन हैं। देश के 23 प्रतिशत वन नार्थ ईस्ट में हैं, 60 प्रतिशत फॉरैस्ट कवरेज में है और अरुणाचल प्रदेश में 83 प्रतिशत का कवरेज है। हम वहां के जनजातीय लोगों, दूरदराज के लोगों के विकास या प्रगति की बात किस प्रकार करेंगे।

जब कोयले की बात आती है तो गृह मंत्रालय से रुकावट आ गई, पर्यावरण विभाग से भी आ गई। हमारे स्टेट को आमदनी कहां से होगी। यहां तक भी बोल रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 9 टन की एक गाड़ी जा सकती है, उससे ऊपर लाद नहीं सकते। ये सब बातें सोचने वाली हैं। नार्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपने रुकावट डाल दी। जब आप टूरिज़्म की बात करते हैं,...(व्यवधान) यहां वन मंत्री जी बैठे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1,100 करोड़ रुपये का कैम्पा का प्रोविजन है जिसमें 10 प्रतिशत की बात की

जाती है। हमें 110 करोड़ रुपये मिलने चाहिए। वह पूरा नहीं हो रहा है। आप कैसे बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश या उत्तर पूर्वी राज्यों पर ध्यान देना चाहते हैं। आज गृह मंत्री जी ने कहा कि हम नार्थ ईस्ट के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप अफस्पा जैसी चीज लागू करेंगे, इको टूरिज़्म को बंद करेंगे तो किस प्रकार वहां के लोगों के विकास के बारे में सोचेंगे। मेरी गुजारिश है कि आप अरुणाचल प्रदेश पर ध्यान दीजिए, खास तौर पर कैम्पा के विषय में निवेदन करूंगा कि उच्चतम न्यायालय का उसमें कंट्रोल क्यों होता है। अगर कंट्रोल है तो क्या इंटरस्ट को दूसरे काम में नहीं लगाते। मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। दुनिया भारत को देख रही है। इस बार दिसम्बर में पैरिस में जो समिट होगी, उसमें विश्व के सब देश भारत को देखेंगे। हमें एक ऐसा उदाहरण दिखाना होगा कि भारत एक ऐसा देश है जो पर्यावरण की देख-रेख कर सकता है। 1.62 टन कार्बन डाइऑक्साइड भारत में उत्सर्जन होता है जबकि चीन में यह 6 टन है और अमेरिका में 18 टन उत्सर्जन होता है। अगर हम अमेरिका का मॉडल अपनाते हैं तो हमें 7 पृथ्वी की जरूरत होगी। आपने समय दिया, धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the time at our disposal is very short as at 6 o' clock, we are going to have guillotine. I would, therefore, request the hon. Members to be very brief in making their speeches. Those Members, who are interested to lay their written speeches on the Table of the House, are allowed to do so.

Now, Shri Bhagat Singh Koshyari. Please conclude your speech within 10 minutes.

SHRI BHAGAT SINGH KOSHYARI (NAINITAL-U.S.N.): Sir, whenever I stand up to speak, you always say: 'finish your speech within 10 minutes or two minutes or three minutes.'… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: We have to complete it early.

SHRI BHAGAT SINGH KOSHYARI : Let me see. It is about environment.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Why is he saying so is that the Home Minister has taken everybody to home. Nobody is there. That is why he is saying to conclude within 10 minutes.

SHRI BHAGAT SINGH KOSHYARI: But you are not in jungle; you are also in home, Kharge Saheb!… (*Interruptions*)

CUT MOTIONS

श्री भगत सिंह कोश्यारी (नैनीताल - उधम सिंह नगर): आदरणीय उपाध्यक्ष जी, पर्यावरण और वन आज चिंता का विषय हो गया है। अगर इस पर कम समय मिलेगा तो यह पर्यावरण के साथ अन्याय होगा। मैं वन और पर्यावरण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं आदरणीय वन और पर्यावरण मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि लीमा में जिस तरह से उन्होंने भारत का पक्ष रखा, वह निश्चित रूप से सराहनीय है और उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। मैं आशा करता हूं कि आगामी पेरिस सम्मेलन में भी वह भारत का पक्ष सबलता से रखेंगे। मैं कल हिन्दु में पढ़ रहा था, गार्डियन के संपादक का इतना बड़ा इंटरव्यू आया है जिसमें कहा गया है फॉसिल फ्यूल का उपयोग को कम करने की बात कही गई है, आखिर फॉसिल फ्यूल के उपयोग कम क्यों होना चाहिए, हमें कोई भी इंडस्ट्री क्यों नहीं लगानी चाहिए।

अरूणाचल प्रदेश के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि चीन में 9.8864 मिलियन टन, अमेरिका में 5.1944 मिलियन टन और भारत में 1.9674 मिलियन टन का प्रदूषण इमिशन होता है। भारत में पर्स-कैपिटा इमिशन एक परसेंट या डेढ़ परसेंट ही है। पिछले बीस और तीस सालों से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे संगठन तथा तथाकथित इन्टलेक्चुअल इतना अधिक छाप देते हैं जिससे लगता है कि भारत में पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, इमिशन ज्यादा हो रहा है, ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है। मंत्री जी इसे देखें। कहीं साजिश के तहत हिन्दुस्तान के बारे में ऐसा कहा जा रहा है।

हमारे यहां जब ग्रीन हाउसेज का एमिशन पर कैपिटा इतना कम है, तो मैं सोचता हूं कि इस बारे में हमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। हमारे देश में विकास न हो, ऐसा नहीं चल सकता। मैंने पिछले कई वर्षों से देखा है कि जो भी पर्यावरण मंत्री बनता है, वह केवल पर्यावरण के बारे में ही सोचता है। आपने कम समय दिया, लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। प्रजापति ब्रह्मा जी की दो लड़कियां थीं। एक लड़की कुम्हार को ब्याही गयी और दूसरी लड़की माली को ब्याही गयी। जब दोनों से वरदान मांगने के लिए कहा गया, तो माली वाली लड़की ने कहा कि मुझे हमेशा बरसात दीजिए और कुम्हार वाली लड़की ने कहा कि मुझे हमेशा धूप चाहिए। अब ये दो प्रकार के जो एक्स्ट्रीम हैं, भारत में भी लगभग ऐसे ही एक्स्ट्रीम चल रहे हैं। यहां अतिवाद चल रहा है, यानी इतना अतिवाद चल रहा है कि मैं उसका गवाह हूं। मेरे यहां पहले उत्तराखंड में सरकार द्वारा पेड़ों का बहुत नुकसान किया गया। उसके खिलाफ जो चिपको आंदोलन चला, उस आंदोलन ने दुनिया में एक नयी जागृति पैदा की। उस वन एक्स्ट्रीम से हम दूसरे एक्स्ट्रीम में चले गये। हमने कहा कि सड़क भी नहीं बननी चाहिए, पानी भी नहीं आना चाहिए, बिजली भी नहीं आनी

चाहिए। मैं सोचता हूं कि एक एक्स्ट्रीम से दूसरी एक्स्ट्रीम में आना उचित नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर हमें पर्यावरण बचाना है, तो यह पर्यावरण किसके लिए है? एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि यह पर्यावरण किसके लिए है? यहां पर मेनका गांधी जी नहीं हैं। उन्होंने हमारे यहां जो बहुत सी पशु बलि होती थी, उसे बंद किया है। उनका पशु प्रेम बहुत है। बहुत से लोग पशु प्रेमी हैं। यहां भी कुछ पशु प्रेमी होंगे, जिनमें से कुछ खाने के लिए होंगे और कुछ बचाने के लिए होंगे। ऐसे बहुत से पशु प्रेमी हैं। मैं देखता हूं कि आज क्या स्थिति है? आप ताज्जुब करेंगे कि एक एक्स्ट्रीम से दूसरी एक्स्ट्रीम कितनी होती है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अरुणाचल में वह समस्या नहीं है जो हमारे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है। इन दोनों प्रदेशों में केवल 33 प्रतिशत क्षेत्र में ही खेती होती है, जबकि 67 प्रतिशत क्षेत्र शुद्ध जंगल है। वहां बंदर और सुअरों का राज हो गया है, जिसके कारण वहां कोई भी आदमी खेती नहीं कर सकता। इस कारण उत्तराखंड और हिमाचल के लोग मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, एक्सोडस हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहीं न कहीं संतुलन होना चाहिए। इसके लिए तुरंत कोई उपाय करना चाहिए। अगर सारे लोग भागकर आ जायेंगे, तो पता लगेगा कि ऊपर से, चीन से वहां लोग आ रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आप उन्हें मार दीजिए, लेकिन हमारा वन विभाग, हमारे पर्यावरणविद् जब पर्यावरण की बात करते हैं तो मनुष्य की बात करनी चाहिए। जब कभी-कभी हमारे जंगल के अधिकारी बैठते हैं तो मैं उनसे इस बारे में कहता हूं। बंगाल के सब साथी चले गये हैं। एक बार बंगाल से विद्यापति जी गये थे। वे कहते थे कि 'सबार ऊपर मानुस भाई, तहार ऊपर किछु नाहीं।' सबसे ऊपर मनुष्य है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। जंगल भी है, तो मनुष्य के लिए है, पशु भी है, तो मनुष्य के लिए है और जमीन भी है, तो वह भी मनुष्य के लिए है, क्योंकि मनुष्य ही सबकी रक्षा कर सकता है। प्रकृति की रक्षा भी मनुष्य ही कर सकता है। इस प्रकार से हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे आगे सब ठीक रहे।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि हमें जहां संतुलन चाहिए, बैलेंस चाहिए, वहां हमें समन्वय भी चाहिए, कोआपरेशन चाहिए। मैं बहुत बार देखता हूं कि डिपार्टमैंट्स में कोआपरेशन न होने से विकास के सारे कार्य लंबे समय तक रुके रहते हैं। जब से माननीय जावेडकर जी मंत्री बने हैं, हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी आये हैं, तब से काफी छूट दी गयी है। लेकिन मेरा फिर भी कहना है कि जल्दी से जल्दी सारे मामलों का निपटारा होना चाहिए, ताकि विकास की गति रुकने न पाये। अभी वहां के सदस्य बॉर्डर की बात कर रहे थे, तो बॉर्डर के बारे में मंत्री जी ने कहा कि रक्षा के लिए सौ किलोमीटर तक की जरूरत नहीं होगी। मैं सोचता हूं कि आपका यह बहुत प्रशंसनीय कदम है। आप चाहें तो इसे सौ की जगह डेढ़ सौ किलोमीटर कर

लीजिए, तब भी अच्छा रहेगा। यदि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो हमारे ऊपर जो ड्रैगन बैठा है, उसकी हम सब कल्पना कर सकते हैं। इसलिए उस संबंध में सावधानी रहनी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां जो प्राइवेट वन हैं, वन पंचायत हैं, शायद वह ग्रामीण लोगों की वन पंचायत हैं। यहां पर वन अधिकारी बैठे हुए हैं, वे समझ सकते हैं कि मेरे प्रदेश में वन पंचायत, जो जनता द्वारा रक्षित होते हैं, जनता लगाती है, जनता द्वारा उन्हें हक मिलते हैं, वे रिजर्व फॉरेस्ट से कहीं अधिक अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हमारा वन है, हम इसमें से अधिकार प्राप्त करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश हो, उसे संशोधित करते हुए आप प्राइवेट वनों को प्रमोट कीजिए। प्राइवेट वनों में आप लोगों को अधिकार दीजिए, ताकि वे उन वनों की लकड़ी ला सकें।

15.00 hrs

वहां से घास ला सकें, पत्तियां ला सकें। इस प्रकार का प्रबंध करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सहभागिता, कोआपरेशन होना चाहिए। जनता की सहभागिता अधिकतम कैसे हो, इस पर विचार करना चाहिए।

मैं आपसे एक और विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। वास्तव में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है। आज ओज़ोन में कार्बन डाइ ऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई है। उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल जैसे हिमालय प्रदेश ऑक्सीजन की सुरक्षा कर रहे हैं, देश को ऑक्सीजन दे रहे हैं। इन राज्यों को कार्बन क्रेडिट कैसे दिया जाए, यह देखा जाए क्योंकि यहां कार्बन कम पैदा होता है। इन राज्यों को कार्बन क्रेडिट, ग्रीन बोनस दिया जाना चाहिए ताकि यहां के लोग जंगलों और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें, नदियों को साफ रख सकें। मेरा निवेदन है कि आपको इन सब के बारे में विचार करना चाहिए।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने 2014 के अभिभाषण में हिमालय मिशन की बात कही थी। उत्तराखंड में इंस्टीट्यूट खोलने की बात कही थी। मैं पिछले बजट में देख रहा था कि हिमालय मिशन के लिए मात्र दस करोड़ रुपया अलॉट किया गया था लेकिन उसका भी उपयोग नहीं हुआ है। हिमालय मिशन की अभी तक कोई रूपरेखा भी नहीं रखी गई है। इस बार बजट में 100 करोड़ का इंतजाम है लेकिन इसका उपयोग कैसे होगा? आप हिमालय को कैसे बचाएंगे? अभी काठमांडू, नेपाल, केदारनाथ में क्या हुआ है? अभी मुझे कोई कह रहा था कि केदारनाथ में कुछ लोग जाते हैं तो भूकम्प आ जाता है। वे मजाक कर रहे थे, लेकिन यह मजाक की बात नहीं है। हिमालय की स्थिति के बारे में सोचना बहुत आवश्यक है।

मेरा निवेदन है कि हिमालय की परिस्थितियों को देखते हुए हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना करनी चाहिए।

आई.सी.मोड एक संस्था है, मैं देख रहा था कि विदेशों की इस प्रकार की संस्थाओं को आपने क्या क्या प्रकार की सहायता दी है। आई.सी.मोड की संस्था आपने कम कर दी है। मैं आई. सी.मोड की हिस्ट्री को जानता हूं। ऐसी जो भी संस्थाएं हों, जो हमारे पर्यावरण के लिए काम कर रही हैं, उनके लिए मैं सोचता हूं कि हमें इन सब चीजों में सहयोग करना चाहिए।

पिछले कुछ वर्षों में जहां देश में लगातार फॉरेस्ट का क्षेत्र हमारा कम हो रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर इसका क्षेत्र बढ़ा है। ये आपके आंकड़े बताते हैं। ऐसे क्षेत्रों को क्योंकि आज हिमाचल और अरुणाचल, उनका 80 प्रतिशत से ज्यादा अरुणाचल में है। हमारे यहां 60 प्रतिशत से ज्यादा है। सारे देश में केवल 24 प्रतिशत है।

इसलिए कहीं न कहीं इसका भी उपयोग होना चाहिए। इसके साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि कैम्पा के अंदर जो एनपीवी है, उसका बहुत सारा पैसा है। मैंने जयराम रमेश जी से भी निवेदन किया था कि इस कैम्पा का उपयोग राज्यों में करना चाहिए। वहां वृक्षारोपण में, नदियों की सफाई में या जो भी कारण हो, जिस कारण से भी हमारा पर्यावरण बढ़ सकता है, उसमें उस कैम्पा का उपयोग होना चाहिए और जिस राज्य का पैसा है, उस राज्य को पैसा देकर तथा न केवल पैसा ही देकर बल्कि उस पैसे की मोनीटरिंग भी होनी चाहिए कि उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है ताकि आगे दिया जाए या कितना दिया जाए क्योंकि अगर वहां पैसा देंगे तो हिमालय राज्यों में जो गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उसका भी हल हो सकेगा।

अंत में, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब आप वन की बात करें या पर्यावरण की बात करें तो कम से कम हम एक बार अपने भारत की ओर देखें। जिस भारत ने कहा था: "विष्णुपत्ति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे" अर्थात् हे मां भगवती, हे मां पृथ्वी, तू मुझे क्षमा कर। मैं तेरे ऊपर पैर रख रहा हूं। यह जो हमारे यहां तुलसी जी की और पीपल के पेड़ की पूजा जो हमारे प्राचीन लोग करते थे, आखिर क्या कारण था कि उस संस्कृति ने आज तक पर्वत बचाये रखे, हमारी नदियां बचाए रखीं और हमारे पेड़ और जंगल बचाये रखें अन्यथा क्या कारण है कि आज जो सभ्यता और संस्कृति आ गई है, जो सभ्यता हम लोग पश्चिम से ला रहे हैं, उस भोगवादी सभ्यता के कारण हम लोग ये सारी चीजें खोते जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि अगर हम फिर से उन चीजों में जाएंगे यानी यदि हम प्राचीन संस्कृति जिसमें हमारे पेड़-पौधों की भी देवताओं के रूप में पूजा की जाती है, गंगा, नर्मदा को भी मां के रूप में माना गया है, यदि हम उसी अपनी प्राचीन सभ्यता में जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य सफल होगा। धन्यवाद।

*__SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI):__ I thank you for giving me an opportunity to express my views on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for 2015-16. Now we are at a stage when we need to seriously ponder over the imperatives of sustainable development in the context of economic growth and intergenerational equities. Environment concerns cannot be construed as being at cross purposes with development. Genuine environmental concerns cannot be ignored. After all improving the quality of life of our people is at the heart of sustainable and equitable development.

The total central sector outlay for the Eleventh Plan is Rs. 10,96,860 crore (constant price) of which Rs. 8,841 crore and Rs. 10,000 crore (constant and current price respectively) is allocated for the environment, forest and wildlife sectors. The current allocation for the environment and forest sector is 0.70 per cent (0.91 per cent) of the total central sector outlay and in the states it varies between 0.021 per cent and 1.78 per cent of the state outlay for environment and 1.25 per cent for forestry and wildlife. An allocation of at least 5 per cent of the annual, state, and central sector outlay for the environment and forestry sectors separately needs to be ensured, preferably by the Twelfth Five Year Plan.

E-waste is the most toxic of all waste material and serious health and environment hazards are associated with it. It is increasing at an alarming rate and as such its management and handling has become a major challenge for us. Based on a survey carried out by Central Pollution Control Board, about 1,46,800 tonnes of e-waste was generated in the country in the year 2005 and it was estimated that the quantity of e-waste will increase to 8,00,000 tonnes by 2012. A yawning gap exists between the e-waste generated in India and its capacity to deal with it. Extended Producer's Responsibility (EPR) is the main feature of E-waste (Management & Handling) Rules, 2011, notified by the Ministry, according to which the producer is responsible for its product once the consumer discards them.

* Speech was laid on the Table.

But so far, 123 producers in 11 states and 111 collection centres in 15 states have been granted authorization. There are 126 registered e-waste recyclers/dismantlers in 12 states. Failure to recycle e-waste is also leading to shortage of rare earth minerals to make future generations of electronic equipment.

In view of e-waste management being a huge global problem (50 million tonnes of e-waste was generated worldwide or 7 kg for every person on the planet), there are numerous reports indicating that e-waste is being shipped to developing countries in Asia, Africa and Latin America from developed countries in the garb of import of "used goods" to pass on the hazards associated with e-waste and to avoid costs associated with legitimate recycling. Government should think of creation of necessary legislative and enforcement mechanism to prevent our country from becoming one of the dumping grounds of e-waste for developed nations.

The issue of illegal sand mining is a matter of serious concern because it is rampant across the country. The Standing Committee recommends that the Ministry should assess the quantum and forms of illegal sand mining so that the enormity of the problem can be assessed and remedial measures suggested. Thereafter, the action plan to curb it may be evolved.

E-radiation from cell towers is yet another issue on which depsite the fact that it has become a matter of great concern because of its reported impact on health of human beings, animals, birds and honeybees, the Ministry continues to maintain its indifference. In the absence of any creditable information from the Government, people feel agitated and worried. Department of Telecommunication in its deposition before the committee has informed that norms for exposure limit for radio frequency field has been reduced to 1/10th of the existing limits prescribed by International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and there was a difference of opinion on the impact of radiation from cell towers on health of citizens. However, there is a need to effectively monitor the effect of radiation from cell towers etc. and the number of inspectors available

for the purpose needs to be significantly enhanced by the concerned administrative Ministry.

It has been informed that an amount to the tune of around Rs. 38,000 crore is lying in Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA). As per the directions of the Supreme Court, the Ministry is supposed to release funds only to the extent of ten per cent of the principal amount of about Rs.23,800 and that also from the interest accrued. This year although the Ministry was authorized to release about Rs.2,400 crore, it could release only Rs. 1,100 crore as Action Plans were not received from all the states. State should be given advisory to recommend their respective action plans to get approved at the earliest and the spending of CAMOA fund should be under rules and regulations so that for the purpose for which the funds are collected should be used for the same. Ministry should do some constructive action in this regard at the earliest.

The Ministry should evolve a mechanism to create awareness on the subject among the people. This issue has to be addressed comprehensively and public hearings with stakeholders should be the basis for further action in the matter. The judgments of various courts on this issue need to be implemented forthwith.

The challenge of environment protection and prevention of damage to our ecology is to be seen in a holistic perspective. The challenge is indeed grave and needs to be addressed as a matter of highest national priority as if tomorrow was today. The agenda for action cannot be hostage to compulsions of partisan politics or to lack of political will. Nor can the bureaucratic red tape and passing the buck attitude be an excuse for inaction. While pursuing our national goal of high economic growth as a means of poverty alleviation we need to reiterate in our actions to the primacy of environmental concerns.

Climate change resulting from ecological imbalance, a rapacious and unsustainable exploitation of our national resources and flawed priorities have had demonstrable adverse effects on the quality of life of the vast mass of our people

living on the margins, particularly the farming community in rural areas and the urban poor.

The adverse impact of climate change on our agricultural productivity and the management challenge of water resources has added to the woes of millions of Indians, accentuating the misery that goes with poverty and absence of economic stability. The challenge to health and longevity for millions of Indians on account of air pollution and lack of potable water, sanitation and housing facilities in many parts of the country has deprived the affected people of their fundamental and constitutional right to life with dignity.

We need to unequivocally accept the demonstrated co-relation between sustainable development and living standards of the people. We need to formulate and implement policies that can integrate the imperatives of economic growth with environmental responsibility.

The Ministry of Environment, Forests and Climate Change has a central mandate of protecting our environment which is our common heritage. Flawed regulatory, regime, poor management of resources, inadequate use of technology, disincentives to environmental conservation, absence of a credible, effective and accountable machinery leading ultimately to lack of enforcement of environmental norms and laws, are challenges that are required to be addressed without any delay.

I personally feel that, the very purpose of long term planning in the form of Five Year Plan is to formulate long gestation projects and for their timely execution, for which inadequate allocation of funds should not b e a stumbling block. At the same time the Ministry needs to ensure that the funds are prudently and effectively utilized.

***श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) :** मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के बदलते पर्यावरण परिवेश में हिमालय स्टडी हेतु गठित नेशनल मिशन हेतु 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया है मेरे कुछ सुझाव है जो निम्न हैः

1. वन क्षेत्र सघनीकरण हेतु कार्यरत कार्यबल अगर आपके मंत्रालय द्वारा स्थापित मानक को पूर्ण करते हैं तो उनको पुरस्कृत करने हेतु बजट में पुरस्कार राशि प्रस्तावित करना चाहिए ।
2. सघन क्षेत्रों को और सघनीकरण हेतु वन क्षेत्र के कार्यबल के अतिरिक्त वन मित्रों को जोड़ना चाहिए इस हेतु वन मित्रों को ट्रेनिंग देने हेतु एकेडमी का गठन करने का प्रावधान बजट में करना चाहिए ।
3. गांधी सागर (चम्बल) मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 37000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र सघनीकरण के अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है इस क्षेत्र में रेंजर कालेज या वन शिक्षा एकेडमी की स्थापना का बजटीय प्रावधान हो तो इतने बड़े क्षेत्र के लिए न्यायपूर्ण उपलब्धि होगी ।
4. वन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पशु विशेषकर नीलगाय कृषि क्षेत्रों में आकर कृषकों की फसलें बर्बाद करती है उन्हें रोकने हेतु नीलगाय की पूर्ति हेतु आवश्यक वनस्पति उत्पादन हेतु निदेश देने व बजटीय व्यवस्था करे ।

* Speech was laid on the Table.

*__SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA):__ Environment and forest include biology, geology, chemistry, physics, engineering, sociology, health, anthropology, and economics, statistics, and computers earth's environmental resources. Thus most treaties that helped traditional societies protect and as we look around at the area in which we live, we see that our surroundings were originally a natural landscape such as a forest, a river, a mountain, a desert, or a combination of these elements. Most of us live in landscapes that have been heavily modified by human beings, in villages, towns or cities. But even those of us who live in cities get our food supply from surrounding villages and these in turn are dependent on natural landscapes such as forests, grasslands, rivers, seashores, for resources such as water for agriculture, fuel wood, fodder, and fish. Thus our daily lives are linked with our surroundings and inevitably affects them. We use water to drink and for other day-today activities. We breathe air, we use resources from which food is made and we depend on the community of living plants and animals which form a web of life, of which we are also a part. Everything around us forms our environment and our lives depend on keeping its vital systems as intact as our dependence on nature is so great that we thought for subsequent generations.We cannot continue to live without protecting the Multi-disciplinary Nature of Environmental Studies Three forms of life are important for our wellbeing I began to believe that easy answers to the strains of domestic animals and crops. The industrial development and intensive agriculture that provides the goods for our increased amounts of natural resources such as water, are those which will be exhausted in the futureable resources, such as timber and water, are those which can be used but can be regenerated by natural processes such as regrowth or rainfall. But these too will be depleted if we continue to use them faster than nature can replace them. For example, if the removal of timber and firewood from a forest is faster than the regrowth and regeneration of trees, it cannot replenish the supply. And loss of forest cover not only depletes the forest

* Speech was laid on the Table

of its resources, such as timber and other non-wood products, but affect our water resources because an intact natural forest acts like a sponge which holds water and releases it slowly. Deforestation leads to floods in the monsoon and dry rivers. Such multiple effects on the environment resulting from routine human activities must be appreciated by each one of us, if it is to provide us with the resources we need in the long-term. Our natural resources can be compared with money in a bank. If we use it rapidly, the capital will be reduced to zero. On the other hand, if we use only the interest, it can sustain us over the longer term. This is called sustainable utilization or development. Unsustainable utilization are using more resources than we really need. Without ever thinking about their environmentally positive, we need to look from a new perspective at how we use resources.

For every resource we use, we must ask ourselves the following questions: Development of National Parks and Sanctuaries is an umbrella scheme encompassing components of protection, habitat improvement, settlement of rights, eco-development, infrastructure development, capacity building including research and training, eco-tourism, education and awareness, etc. Priority will be given to the development of high diversity and high value areas. The environmental clearance of projects by SPCB sometimes takes a long time. There is a need for standard procedure and setting time frames. The receipts from these are not expected to be enough to meet the total running cost of the plant. In the event, municipalities have to bear a part of cost through raised sewage tax lest the investments made go to waste.

Just about every rock you pick up in the 2,600 sq km Rajmahal hills is a treasure preserved by the earth for millions of years but now turning into dust. In couple of years, this awe-inspiring wealth of Jurassic-era fossils will vanish forever, thanks to unbridled quarrying.

Hundreds of trucks, cranes and bulldozers kick up dust in a area where once dinosaurs ruled. The rocks that preserve imprints of prehistoric trees and plants are smashed up into chips to build roads in the neighborhood. At places, the hills

have been sheared almost vertical 10 storey's high, destroying countless of the finest fossils ever found anywhere on the planet.

Rajmahal hills are among the finest research fields geologists and plaeobotanists can expect. Sadly, the day is not far away when you won't find even a single fossil here. The plant fossils here date back between 68 million years and 150 million years. The Rajmahal trap has fossil formations from the Mesozoic era, spread over the Triassic, Jurassic and Cretaceous ages. The quarrying is ruining possible dinosaur fossils as well. There are clear hints of the existence of Jurassic and Triassic - age reptiles in this area. If proper excavation and study is carried out, these fossils could be found. We are still hoping that we may one day find a dinosaur fossil here.

The plant fossils of Rajmahal hills are extremely well preserved - a rarity for remnants of that age - and they give an accurate record of the paleo-environment, a long before human beings walked the plant. Most such plants and trees would have turned into coal. The Rajmahal volcanic eruption, which ran up to Sylhet (now in Bangladesh), had a period of calm during which there was luxurious growth of plants. When the volcanoes erupted again, the trees were buried at just the right temperature and pressure to prevent 'coalification'.

The prehistoric remains are so well preserved that even a layman can spot the fossils from stones. The annual rings of a tree or exquisite patterns of leaves are easily identified. Fossils from here find pride of place in museums and labs across the world. But this unique treasure trove is under assault from the ones who should be protecting it.

All across the Rajmahal hills area, the Government of Jharkhand has given away mining leases indiscriminately to private companies, who are blowing up the hills and digging the tunnels. In this free-for all, it is very difficult to identify who has a mining lease and who doesn't.

Some companies that don't have lease grease the palm of the local administration to plunder the hills. If there are 500 agencies mining and blowing

up the hills, you have 2000 stone-crushing units smashing the precious fossils to nuggets - perhaps the most 'expensive' road - building material in the world.

Some of the oldest fossils belong to the Jurassic and Lower Cretaceous period, dating back 150-200 million years, will be preserved in the park.

There is an urgent need to conserve the rich fossil site. It is essential to preserve the plant fossils in ancient conditions. The park would be the fifth in India but the first in the east. It will be home to the oldest fossils found in the country. The fossils belong to the Jurassic and Lower Cretaceous age. "It is a new family of plant fossils that we found in India. Later, similar species of plants were discovered in Australia and New Zealand.

The park will comprise, among other things, an auditorium laboratory and a museum with a geological gallery displaying scientific graphics detailing the organic evolution of fossils, flora and fauna of India and Jharkhand. The maximum density of fossils is located in Mandro CD block, 32 km from Sahibganj.

With so much of heritage and cultural history attached to the whole area and Deoghar being a centre of religious significance with 5 crore people visiting annually, as also the seat of ancient learning Vikramshilla, Mandar hills nearby it assumes immense cultural significance.

I would accordingly request to direct the relevant authorities to take immediate steps to ban and prohibit the indiscriminate mining that is being carried out all across Rajmahal area.

Late Birbal Sahni well known scientist was involved in this important exercise.

This has reference to converting the forest reserve area of Koiridih as Wildlife Sanctuary/National Park. This area is having potential to attract tourist in greater number which will ultimately help increase per capital income of the people residing nearby area.

Your good office is aware that nearby town of Koiridih, Deoghar has been included in the list of prominent cities and has been declared as mega tourist destination from Ministry of Tourism, Government of India. Deoghar is the unique and extremely revesed site of one of the 51 Shaktipeeths and also of Dwadash Jyotirlinga in the country. This is a religious and cultural capital of Eastern India which catapult the holy place to an international acclaim and is visited by over 5 crore pilgrims every year. A letter of Home Minister of Government of India is attached wherein three districts namely Deoghar, Dumka and Pakur are to be included as SRE districts which upholds my concern for developing the region as naxalism is on the brink of spreading deep into this region.

By converting Koiridih forest reserve area as Wildlife Sanctuary/National Park will attract visitors of Deoghar to visit Koiridih as well.

The famous Trikut mountain is also nearby. It is said that lord Rawan use to come here to worship lord Shiva. This mountain is extensively talked about in Ramayana. The park will comprise, among other things, an auditorium, laboratory and a museum.

Forest in Jharkhand has long been under pressure from mining and for meeting the demands for fuel. Initiatives have been taken by the State Government to increase its forest cover. Forest Resource Surveys are also being conducted at district level for better management and planning. The state has also formed joint Forest Management (JFM) Committees besides forest-based livelihood development, wildlife management, biodiversity conservation, clean environment and waste disposal plans. To tackle the impacts of mining, the State Government also proposes to bring legislation in mining sector so that resources generate from mining sectors can be pumped back for local developmental activities.

Development of sustainable Forest Management Plans for different forest types in view of Climate Change : Detailed studies are recommended to understand impacts of climate change on forest productivity in different forest

types using different climate and biodiversity models. This would help in developing climate resilient forest management plans. Revival of preservation plots, sample plots and yield plots is also recommended. To move from business as usual scenario, adaptation plans for each forest type of Jharkhand according to their biophysical be developed and maintained.

Promote Research to Understand the Impact of Climate Change on Forest Ecosystem - The forest department should invest resources on developing 'centres of excellence' to undertake regional analysis for the climate change related threats analysis using climate models. Researches to forecast the likely impact of climate change phenomenon in forest areas, to assess the vulnerability, carbon sequestration potential and adaptability of indigenous tree species should be undertaken on high priority.

Development of baseline methodology of carbon sequestered in the state forts - state should develop methodologies for inventorization of the carbon stock available to take advantage of the REDD+ and other forestry carbon initiatives.

Vulnerability Mapping of Forest of Jharkhand - Detailed vulnerability mapping of the forest ecosystem and livelihood of forest dependent community with reference to climate change should be taken up and accordingly the adaptation plans should be made and implemented in the state.

Forest clearance is the need of the hour for water dams (like PUNASI), industry and infrastructure.

[*]**SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE):** We are currently at a juncture in world diplomatic relations with regard to environmental concerns, where countries - whether developed (and hence more industrial and thereby more polluting) or developing - have all been pledging their support to the cause of protecting the environment and stopping the phenomenon of climate change. And yet, it is saddening to note that India, which is still grouped as a developing nation, is already the world's third largest producer of greenhouse gases.

Further disturbing fact lay with regard to the utilisation of budgetary resources, in direct connection to today's point of discussion. In almost every single section that the Ministry has demanded more money for the Standing Committee Report of the Demands for Grants of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change shows clearly that there has been below average utilisation of resources.

India's high air pollution, ranked by the World Health Organisation (WHO) among the worst in the world, is adversely impacting the lifespans of its citizens, reducing most Indian lives by over three years, a new study has said.

Over half of India's population - 660 million people - live in areas where fine particulate matter pollution is above India's standards for what is considered safe. A study by Harvard and Yale researchers said that if India reverses this trend to meet its air standards, those 660 million people would gain about 3.2 years onto their lives. This should be the Government's responsibility, to take on the challenge of the data here presented, and draft better policies towards this direction. However, the Standing Committee reports a disturbing trend of refusal on the part of the Ministry to grant legitimacy to most of the reputed non-governmental surveys done in the country. The condition of Delhi's air pollution has been in the news often recently, and the Report states that the government had admitted that as of now there is no finalised Action Plan to tackle the situation. This is a matter of grave concern, and this pertains to other cities in India as well.

---

[*] Speech was laid on the Table

Even by the standards set by the government boards, some of the worst forms of air pollutions are found in Indian cities. The Central pollution Control Board (CPCB) considers air to be 'clean' if the levels are below 50 per cent of the prescribed standards for pollutants. During 2007 only 2 per cent cities have low air pollution on the basis of PM10. In about 80 per cent of cities (of a total of 127 cities/towns monitored under the NAMP), at least in one criteria, pollutant exceeded the annual average ambient air quality standards. This has serious public health implications. There are very few cities, which can be termed clean keeping PM10 levels (respirable particulates) as criteria, however over the years SO_2 levels have fallen sharply in many cities but the NO_2 levels are increasing in many cities.

Indian cities are reeling under heavy particulate pollution with 52 per cent of cities (63 cities) hitting critical levels (exceeding 1.5 times the standard), 36 cities with high levels (1-1.5 times the annual standard) and merely 19 cities are at moderate levels, which is 50 per cent below the standard.

This asks for the government to make an Action Plan for Indian cities, not just because it is the responsibility of the Ministry, but also because the Constitution of this country, in Article 21, guarantees to every citizen a better quality of life, and they deserve to breathe clean air.

Central Pollution Control Board itself has been seen to be severely underutilizing their funds. In 2014-15, CPCB was allotted Rs. 57.92 crores in BE, which was reduced to 40 crores in RE, and yet, by December 2014, only 26.53 crores were utilized. There was a target of setting up 700 Air Quality Monitoring stations, out of which only 244 have been set up.

Regarding noise pollution, it is important to note that India does have laws/ pace to prevent it. However, while World Health Organisation has fixed 45 decibels as the safe noise levels in a city, Indian cities on an average record 90 decibels, which is the double of the WHO standards. The committee report states that Noise Pollution (Regulation and Control) Rules 2000 is being blatantly

violated all over the country. There was a target of setting up 35 Noise Monitoring stations by the CPCB, but this has been a project in progress since 2013, and as of now, nothing has been completed.

The government needs to take a stand on it, and not just formulate an action plan but also initiate awareness campaigns in this direction.

It is also significant that according to CPCB reports, the estimated sewage generation from class-I and class-II towns in the country was around 38255 million litre per day (MLD) in 2009-10, while the sewage treatment capacity was 11787 MLD, or only 30% of the sewage generation. It is saddening to note that even after five years, in 2014-15, sewage generation from urban areas is 57233 MLD against the treatment capacity of 21479 MLD - still only 37% of the generation.

Thus, it is unfortunately safe to say that India has an extremely inadequate system of sewage treatment and disposal. With regard to this, it is important to keep in mind that if this is not fixed, India's Swachh Bharat Mission is also bound to fail. The coordination between ministries in this case is of absolute importance - whether it be this particular Ministry of Environment, Forests and Climate Change, or that of Rural Development, Urban Development or Drinking water and Sanitation. The Government should, as a matter of immediate need, install more sewage treatment plants in India's cities and towns and ensure a fix to this problem. We need an Action Plan for bio-digestible toilets, better enforcement of norms at the Municipal levels of segregation of solid waste and their collection and disposal.

There are currently 302 extremely polluted stretches of 275 rivers in the country. It is important note that Rs. 1500 crore was allotted to the Ministry in the Twelfth Five Year Plan for river conservation purposes. Out of this, from 2012 to March 2015, only 388.33 crores have been allocated to the Ministry. For 2015-16, there has been zero allocation to the National River Conservation Plan. Out of a total provision of Rs. 295 crore, only 40 crore has been given to the National

Clean Energy Fund for 2015-16 and even the Standing Committee does not think that this sum is even close to sufficient for river conservation.

Another concern that this government hasn't raised enough is that of e-waste. There is a huge gap between the amount of e-waste generated in India and out capacity to dispose or deal with it. CPCB's 2005 report had estimated back then that the amount of e-waste generated by India would increase by seven times by 2012. It is much higher now, and part of a huge global problem. We must keep this in mind at tandem with the fact that the use of electronics is at an all-time high in the country currently. We cannot only focus on development and technological revolution and not keep the issue of its environmental consequences in mind.

Infact, even CFL bulbs, that are widely promoted as a energy saving measure, can become toxic to the environment. The Committee report cites that in just one year, 2014-15, just in Delhi, 14.93 million CFLs releasing 74.65 kgs of mercury were disposed off unsafely.

Another important issue is that of the effect of electromagnetic Radiation from cell towers and how it is affecting the citizens. It is heartening to know that the government is funding projects and collaborating on a inter-ministerial level in order to ascertain the actual effect of this problem. The Standing Committee Report has also taken note of this issue, and I too concur with it, that there should be a definitive Action Plan to tackle this problem, and a timeframe within which the research that is being funded will be put to real use.

Despite the bold warning from the recent Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC) report of the catastrophic impacts of rising temperature on the global climate, the government is keen on enacting changes to weaken the existing environment. The new government has "delinked forest clearance from clearance by the National Board of Wildlife and halved NBWL clearance requirement from 10 km to 5 km around forest reserves, besides emasculating the Board by replacing eminent experts and concerned NGOs with rubber stamps. The government has relaxed procedures for the application of the Forest Conservation

Act (FCA) in precisely in those areas where FCA is most required: Naxal-affected areas; linear projects in forest areas; and in eco-sensitive areas along he international border.

In this context, it is important to also mention that the government has further threatened to heavily dilute the landmark Land Acquisition Act that they themselves voted for a year ago, and amend with a view to diluting a whole on raft of environmental protection legislation ranging across the gamut of the Environmental Protection Act, the Wildlife Protection Act, the Forest Conservation Act, and the Water and Air Pollution Act, while preserving the highly discriminatory colonial legislation that is the Mother of all forest acts in its current form - the Indian Forests Act, 1927.

Again, the MoEFCC order, issued on October 28, 2014, discards the specific provision in the 2006 Forest Rights Act, which seeks "prior informed consent" of Gram Sabhas (the village council body) before acquiring forested land and clearing forests for industrial or any other non-forest activity.

Recently, the government has weakened clauses for public consultation with communities affected by mining and other infrastructure projects, and sought to dilute provisions mandating "free, prior and informed consent" of Adivasi (indigenous) communities.

In its original form while recognizing the rights of indigenous tribal communities and the non-tribal forest dwellers over the forest land, FRA empowers the communities to certify that their rights will not be violated by an upcoming project. The government must resolve this issue by consulting with the affected parties as a matter of priority.

Since 1980, a total of 1.21 million hectares (ha) of forest land have been diverted for 23,784 proposals for non-forestry purposes - primarily mining and industrial projects. Nearly 400,000 have been diverted in Madhya Pradesh alone, followed by over 100,000 hectare each in Maharashtra and Chhattisgarh. Currently, 22% of India is under forest cover. The government targeted to

increase this to around 33%. However, in context of the approach of the government towards environment policies, this target does not seem to be anywhere near being completed.

It is estimated by World Wildlife Fund (WWF) that total industrial roundwood consumption in India could exceed 70 million sq mts per year by the end of the decade (350,000 large shipping containers), while domestic supply would fall short of this figure by an estimated 14 million sq mts.

Again, India is a big edible oil consumer. In fact, it is one of the three largest importers of palm oil in the world, alongwith with EU and China. Of these imports, 95% come from Indonesia and Malaysia, causing negative social and environmental consequences in these exporting countries.

Shockingly, Audit Reports by the CAG show that in 2012, the cess collected for Green energy in the country has been utilised for balancing India's fiscal deficit, and not given as due to the national Clean Energy Fund. The Government auditor, in its report, said that while Rs.3,646.01 crore (Rs. 1066.46 crore in 2010-11 and Rs. 2,579.55 crore in 2012-13) had been collected through clean energy cess, only Rs. 1,066.46 crore was transferred to NCEF. This is an example of how the governments have over the last few years prioritised other concerns over the environment.

The Ministry has taken certain good steps - India's Solar Energy programme which aims to generate 1 lakh MW electricity by 2020, and other initiatives on wind energy deployment, water conservation, and protecting coastlines and Himalayan Ecosystem, reflected government's commitment towards environment protection and sustainable development. However, these steps are beneficial only if effectively implemented.

Since 2011, from barely 20 megawatts, India has installed solar capacity upto 1,686 megawatts by the end of 2013. The government is planning on adding 10,000 megawatts of energy capacity to the renewable sector, every year - that's about half of the country's current total installed capacity. Although India is still

developing domestic energy sources to satisfy the growing demand, it has imported increasing amounts of fossil fuels over the last year. With the aim of expanding its power generation by 44%, coal imports for the country were exceptionally high in 2014 and are likely rise further over the next five years., India's renewable energy targets of 100 gigawatts of solar and 175 gigawatts of total renewable sources of energy by 2022, therefore, does seem like an ambitious task.

Finally, with regard to wildlife conservation, poaching still continues and India still does not have its own standalone Conservation Act. India still relies on the Wildlife Protection Act of 1972. The 2013 Bill in the Rajya Sabha proposed to change the law for better conservation techniques. However, the Bill was withdrawn earlier this year, and the government had said that they are working on better Bill. However, it has not been introduced yet. The government should not delay such work and should promptly introduce the bill as it is crucial to the protection of environment, forests and wildlife in the country.

To conclude, I would like to point out that development today comes at a huge price - the developed countries of the world are proof of it. We too have seen flash floods in Kashmir and Uttarakhand, and distinct levels of coastal erosion in different parts of the country. Odisha has a massive coastline of 484 kms and Balasore, my constituency, has 80 kms of it. While at the Centre we map the consequences of climate change, global warming and pollution in numbers, the common people of the country are suffering the consequences in their day to day lives. Meanwhile, India formulates an industrial revolution through 'Make in India' and other efforts, but as a corollary, we should also keep in mind that we are already the world's third largest producer of greenhouse gases. This disturbing trend must be brought to a stop, for preventing environmental degradation, which now will ensure a better quality of living for the future generations.

*__SHRI G. HARI (ARAKKONAM):__ The environmental issue has become an issue of public importance. It is gaining in all aspects of our life. I am glad that the Government has been paying much attention to this issue whether it is conversion of forest land, pollution of river, air pollution, noise pollution, etc. The National Green Tribunal has come and are quite active now a days. I have come across with a news report that the Government is considering to create or revise many of the existing environmental laws in consultation with the state government. It is a good idea because the environmental issues have to be dealt by the state governments and overall supervision with the union government. What I have come across that many state governments were not able to implement all the directions of the pollution control boards because of the paucity of funds. The directions of installing sewerage treatment plants is an issue because it involves huge amount of money. Therefore, it is my urge that the government should provide some sort of assistance to state governments for installation of STP.

Another issue which I would like to mention here is that the tribal people who were living in forest area, in which they were living from a period unknown, because of the rigid environmental laws, these people are deprived of developmental activities, such as laying of roads, etc. Therefore, in the interest of the tribal people, I urge upon the government to relax some of the provisions of the environmental laws, so that for the welfare of tribal people living in the forest land they can also enjoy some of the benefits which the people living in other areas are already enjoying.

* Speech was laid on the Table

[*]**डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) :**आजकल क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा सवाल है । पूरे विश्व में पर्यावरण की जो स्थिति पैदा हुई है, वह बहुत ही निराशाजनक स्थिति है । आजकल पर्यावरण का जो विनाश हो रहा है, जंगल को जिस तरह समाप्त किया जाता है उसके लिए सबसे बड़ी जवाबदेही विकसित देशों की वजह से हुई है । पूरे विश्व के पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य विकसित देशों ने किया है । उसके लिए भारत जैसे देशों की जवाबदेही बहुत कम है । मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार को इस बात पर जोर देना चाहिए ।

पर्यावरण क्लीयरेंस देने के बारे में हमारी सरकार ने जो लचीलापनता अपनाई है इसकी वजह से पर्यावरण एवं विकास का संतुलन बना है इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं ।

जहां तक बायो-मेडिकल वेस्ट कानून का सवाल है, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । इस विषय में कॉमन बायोमेडिकल फसेलीटियोंस का सवाल है गुजरात में दो कंपनियां बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं । मगर अच्छे कार्य करने वाली सीबीएमडब्ल्यूटीएफ को अलग-अलग प्रकार क नए प्रावधानों के लिए मजबूर किया जाता है । उन सीबीएमडब्ल्यूटीएफ को आदर्श गाइड लाइंस के लिए सख्ताई किया जाता है । मेरा सरकार से निवेदन है कि उनमें लचीलापन लाना चाहिए तथा अच्छे कार्य करने वाली सीबीएमडब्ल्यूटीएफ की सराहना चाहिए ।

भारत की संस्कृति पर्यावरण का हमेशा सम्मान करती है । मेरा मानना है कि भारतीय संस्कृति ही पर्यावरण को बचाने का उपाय है ।

---

[*] Speech was laid on the Table.

*__SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA):__ With regard to implementation of Kasturirangan report on the Western Ghats the government should take the views of local people before demarcation of ecologically-sensitive areas in their respective areas as suggested by the Committee report.

With regard to create a clean and sustainable environment, the government should frame guidelines to ensure that all the cities and towns should strictly adhere to handle their own garbage, liquid and solid waste. However, there is not proper planning made by the agencies and the authorities have not shown keen interest to take real-life challenges into account while preparing guidelines. This is not about making our cities smarter in terms of posh buildings and malls but about sustainable living. This can be possible with better planning and strict implementation of the same.

As far as Climate change is concerned, from school going children to Professor, a Layman to a leader, everyone is aware of the effects of the climate change. The country needs to develop and adopt innovative solutions to mitigate the effects of climate change. The union Government should fix a target and direct all the state government s to introduce atleast one climate change plan every year.

With regard to find out the solution to curb the increasing pollutions, the government should take some effective measures for classification of industrial units in a scientific manner. As we are aware that air pollutants, effluents and nature of waste- hazardous or otherwise- produced are part of an industrial unit's operations, the industrial units should be classified as per the severity of pollution produced by them. The government should put in a proper mechanism to conduct periodical review of the compliance of the standard norms of pollution.

In order to save fresh water industrial units should be asked to use treated water and directed to introduce zero liquid discharge system in the industries.

---

* Speech was laid on the Table

I welcome the proposal of the government to consider declaring at least one Biodiversity Heritage Site in 2015-16. It is very important step in order to conservation and preservation of biological resources of the particular regions. The government should put in place a transparent and effective mechanism for access to biological resources in all states and regions. There is also need to take steps to assess the animal population of various species to consider the option of their population management.

I would like to point out that the environmental governance institutions in our country are not effectively functioning to preserve and conserve the environment and forest resources. It is evident from the style of functioning of pollution control boards and wildlife trusts. The Central Pollution Control Board (CPCB) has insufficient coordination with State Pollution Control Boards (SPCBs). Other constraints like lack of civil administrative authority, ineffective accountability, lack of stakeholder awareness, high levels of corruption and inadequate monitoring skills remain prevalent in the implementation of the various facts related to it.

As a result, forest destruction is rampant in the country. Illegal cutting and selling off timber, firewood shortage and consequential soil erosion is keeping the productivity of Indian agricultural lands low. Crop lands have expanded on to marginal lands and have reduced grazing lands. With unemployment and landlessness growing, even pro-forest tribal groups are looking to monetize forestry resources. Keeping all these shortcomings in the existing forest laws in view the Union Government should bring an effective and modern law to strike a balance between development and environment to protect all the stakeholders including forest dwellers.

SHRI T. RADHAKRISHNAN (VIRUDHUNAGAR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, environment needs to be protected from all kinds of pollution. We need to inculcate a sense of protecting environment in our younger generation. This is necessary because various kinds of pollution affect our air, water and sky resulting in change in climate. This comes in the way of our getting a regular rainfall. This affects the availability of water which is vital for our lives.

Pollution in our river system, both by allowing the flow of human waste as well as industrial waste is a big challenge. We have Pollution Control Board. A number of laws and rules have been framed by all the Governments over the years. But still the amount of pollution is on an increase with rising population. That is why we have a Ministry dedicated to environment, which also looks after the conservation of forests. This Ministry also extends its services as a mouthpiece of the Government in the world forums where climate change is a much talked about matter.

I wish to congratulate the Government for the lead it has taken among the developing countries with regard to the measures taken about the dent in the ozone layer. The world is today worrying about change in climate world over. The developed countries, which were emitting volumes of toxic gases all these years, have started dictating terms to the developing countries like India. We are compelled to reduce the use of fossil fuels. This will naturally affect our industrial activities in a big way.

In the name of reduction in carbon rates, that is, gas emission due to use of coal, petrol and natural gas, many restrictions are being imposed upon us. As this will slow down our economic progress, we are on the look out for alternative energy sources.

When it comes to environment, it is a part of our life cycle – one connected with the other. For instance, deforestation and depletion of forest cover have affected the rain pattern. This also adds to the misery that results out of climate change. Forests can survive only when we allow the wild animals there to survive.

Only when the green cover is protected, the survival of human race and sustainability of human life is possible.

Having pointed out the inter-relation within the three responsibilities this Ministry has been entrusted with, I may now try to go into the budgetary allocation for this Ministry. The actual allocation for this Ministry in 2013-14 was Rs.2,256 crore, whereas the Revised Estimate ended up as Rs.1,764 crore. When the existing expenses in the face of price rise have increased manifold, this year's allocation is just Rs.1,681 crore.

I do not understand how the Ministry will be able to train its manpower to protect our forest cover or the wildlife. I also fail to understand the scaling down of allocation for research in this field for a vast country like ours with varying geographical conditions and the second largest population in the world.

Zoological parks in a tropical country like ours must have improvised modern facilities to carefully protect the animal species that are parked there and to nurture them. Unfortunately, the allocation for Central Zoo Authority has been cut drastically from Rs. 26.5 crore to Rs. 5.88 crore. Here, I would like to point out the compassionate gesture of our guiding spirit *puratchi thalaivi* Amma in conducting annual camps for all the temple elephants in Tamil Nadu. This annual camp held in Mudumalai Sanctuary is like the annual health camp for those animals that remain in the temples in the midst of the human population throughout the year. Hon. Minister of Environment and Forests, Shri Prakash Javadekar was highly appreciating recently this kind of continued gesture of our leader in taking care of the wild animals, especially the elephants. I recall his paying rich encomium to our beloved leader Amma in the Consultative Committee meeting held at Bandipur Forests in Karnataka.

When it comes to environmental education, training and extension, it is needless to say that such programmes with enhanced allocation must continue in the wake of rise in population. What was Rs. 47 crore in 2013-14 was actually brought down to Rs. 30 crore in 2014-15 by this Government. More than punitive

measures for violation and damage control at a huge cost, creating awareness towards the protection of environment is necessary.

I fail to understand the overall trend of the Union Government to slice down the fund allocation for strategically important Ministries, like the Ministry of Environment which has to tackle various environmental issues. I am afraid that it will be too much to expect from the industries.

Recruiting adequate manpower, providing needed training with essential equipment at their disposal and ensuring coordinated action in protecting forest wealth, especially in the inter-State border areas, is necessary. The mismanagement in this area by the Centre has resulted in the recent tragic incident that happened in the Seshachalam Forest in Chittoor District of Andhra Pradesh bordering Tamil Nadu. I expect that the Union Minister currently holding the responsibility will evolve a suitable plan of action to avoid the recurrence of such unpleasant incidents. I hope that the Minister will not shirk his responsibility stating that those forests come under the purview of the State Government.

Before I could conclude, let me draw the attention of the Union Government to evolve a national policy to overcome the problems created by small and medium scale industrial units in paper and cardboard manufacturing. The effluents from these units are polluting both air and water in the vicinity. In the proposed new GST regime manufacturing States will be getting less revenue. This, in reality, will mean that the State Government will be more hard-pressed to attend to the need to protect the environment. In our Virudhunagar Constituency, the industrial waste from paper and board units causes great havoc. I would urge upon the Union Government to study the problem and to evolve a viable method to provide a centralised effluent treatment plant. Ignoring the needs of the Ministry of Environment will end in national disaster. This may not appear so before our eyes, but the destruction will be inevitable and irretrievable. Giving this word of caution let me conclude. Thank you, Sir.

***श्रीमती रमा देवी (शिवहर):** वन एवं पर्यावरण किसी भी देश के विकास एवं भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। हमारे देश में सदियों पुरानी वन एवं प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा एवं संरक्षण पद्धति अपनायी गयी है। व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के चलते वन एवं पर्यावरण पर इसका न सिर्फ हमारे देश में अपितु पूरे विश्व में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आधुनिकता एवं जनसंख्या विस्फोट ने तो वन एवं पर्यावरण को बुरी तरह से क्षति पहुंचाया है। आज जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग एवं प्रदूषण के चलते विश्व में करोड़ों लोग तकलीफ झेल रहे हैं। मनुष्य क्या जानवर एवं पेड़-पौधे तक इस विनाश लीला से प्रभावित हुए है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश की अदालतें वन एवं पर्यावरण मुद्दे पर शुरू से गंभीर रही है। भिन्न-भिन्न न्यायालयों के सैकड़ों फैसलों ने सरकारों को मजबूर किया कि वे वन एवं पर्यावरण की समुचित रक्षा करें।

इसके बावजूद आज वन क्षेत्र हमारे देश में घटना ही जा रहा है। पशु-पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। वनों में मिलने वाले कई प्रकार के पौधे अब दिखाई नहीं देते। लालचवश हमारे देश के लोगों ने वन एवं पर्यावरण का दोहन किया है। आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकारों ने देश की वन सम्पदा, खादानों एवं नदियों को भी नहीं बख्शा। जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश की स्थिति वन एवं पर्यावरण के मामले में अन्य देशों की तुलना में अच्छी नहीं है।

वर्ष 2014 में एनडीए सरकार के आने के बाद वन एवं पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाने लगा है। जलवायु परिवर्तन एवं स्थायी विकास पर विश्व द्वारा किए जाने वाले नए करारों के आलोक में वर्ष 2015 के एक अभिप्रेरणा वर्ष होने की संभावना है। यह अगले 15 वर्षों के लिए वैश्विक समुदाय हेतु अंतर्राष्ट्रीय विकास और पर्यावरणीय नीति संबंधी कार्य सूची के पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगा। केन्द्र सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के संबंध में वित्त जुटाने हेतु भारत की संस्थागत संस्था को बढ़ाया जा रहा है। हाल ही में कुछ प्रमुख पहलों में सोलर मिशन को जोर-शोर से बढ़ाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बजट 2014-15 की उद्घोषणाओं की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि से अनुकूल कार्यों की सहायता के लिए एवं कृषि, पानी, वानिकी इत्यादि जैसे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय अनुकूल निधि की स्थापना की गई है।

कार्बन बाजार में भारत की भागीदारी एक सफलता की कहानी है। भारत क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्थापित स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) की कुल सात हजार पांच सौ नवासी परियोजनाओं में से 1541 परियोजनाएं भारत के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। अभी तक जारी कुल प्रमाणित उत्सर्जन ह्रास

---

* Speech was laid on the Table.

(सीईआर) 1.52 बिलियन यूनिट है। जिसमें भारत का हिस्सा 191 मिलियन यूनिट का है। इसके अतिरिक्त जो 2941 परियोजनाएं अनुमोदित हुई है उससे हमारे देश में लगभग 580000 करोड़ रुपए के निवेश में सहायता मिलेगी।

केन्द्र सरकार का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत में जीव जन्तु सर्वेक्षण एवं अणवेशन में सतत् प्रयासरत है। वन प्रबंधन योजना में भी तेजी लायी जा रही है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है। भारतीय वन्य जीवन संस्थान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, हाथी एवं बाघ परियोजनाओं के द्वारा वन एवं पर्यावरण मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बायो मेडिकल कचरा प्रबंधन, ई-कचरा प्रबंधन, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा इस क्षेत्र में आशातीत सफलता पाने की कोशिश की जा रही है। ओजोन सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यावरण मंजूरी के लिए राज्यों को ऑनलाईन मंजूरी देने को कहा जा रहा है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर की श्रेणियों में रखने का फैसला किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आयात में कटौती पर ध्यान दे रहे है। ग्रीन एनर्जी प्रोडक्टस को पब्लिक सेक्टर बैंक पौने दो लाख करोड़ रुपए का लोन देने जा रहे है। यानि, बिजली, संकट को दूर करने में ग्रीन एनर्जी का बड़ा रोल होने वाला है। सरकार का टारगेट 2022 तक 1 लाख मेगावाट सोलर एनर्जी, 60 लाख मेगावाट विंड एनर्जी पैदा करने का है। सबसे खुशी की बात है कि 40 साल बाद हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व में कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। हमारे केन्द्र सरकार का संकल्प है हरियाली की हिफाजत। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि देशभर में फारेस्ट एरिया बढ़ाने और करीब 30 लाख परिवारों को रोजगार देने के मकसद से जो ग्रीन इंडिया मिशन की शुरूआत की गई है उसे मनरेगा से जोड़ा जाएगा। सरकार ने उद्योगपतियों से कहा है कि स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ पर्यावरण और अधिक हरियाली को केन्द्र में रखकर ही उन्हें औद्योगिक उत्पाद बनाने या बेचने चाहिए।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार देश हित एवं जन हित में वन एवं पर्यावरण संबंधी मामलों को हल करेगी और अब हमारे देश से प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसे नकारात्मक तत्व दूर होंगे और आदमी का जीवन खुशहाल होगा। इसमें सभी भारतीयों का साथ मिलेगा और सबका विकास होगा।

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Thank you, hon. Deputy-Speaker, Sir. The sky, air, water, land and live inhabitants constitute our environment, and all of them are equally important to live in this world. After the world was formed, gradually the environment became congenial for life and then only from one cell different plants and animals and by further evolution process human beings came into being. They need clean water, air and also various productive animals and plants for their livelihood and for living. But due to various reasons like change in climate and natural calamities as well as with the advancement of science and urbanisation and modern life there are immense problems, which have created pollution in this world.

15.17 hrs (Shri Konakalla Narayana Rao *in the Chair*)

Now, all over the world, there is one single problem that is really worrying everybody, that is, global warming, which is due to various causes that I have already mentioned here. Among them, an important point is carbon emission in the air. Everybody is thinking about how to eliminate the carbon emission problem.

What is the effect of global warming? It affects our health in various ways, and the main thing is that air and water is warming up. So, there is unnatural climate, untimely rain and untimely weather changes that leads to various abnormalities and loss of life.

Another issue involved in this is reduction in forest area all over the world due to the reasons mentioned by me earlier. There is decrease in the animal world due to decrease in forest land, which is their inhabiting place, as a result, the number of animals and birds is either reducing or many are on the verge of extinction. What happens in such a situation? For example, birds are necessary for making flowers. Similarly, other animals are needed for various other things.

The forest land cover is decreasing. There is erosion in sea and rivers due to loss of various things. The saddest part is while we are thinking about doing something to change the world environment for making it congenial to human life, there is a gross reduction in the Ministry's budget this year in certain things. Of

course, for the Prime Minister's priority project, the Ganga Action Plan, the allocation has been increased, and also there is 100 per cent reduction in terms of taxes. My earnest request to the Minister is that along with the Ganga Action Plan, other rivers should also be saved from pollution. There should be a law to ensure that the industrial waste which now flows into rivers gets treated and the industrial effluents are not dumped in rivers, but are treated to make it pollution free.

It is sad that there is a cut in the money allocated for forest conservation. Previously, the allocation which was Rs. 5,045 crore has now been reduced to almost half, that is, to Rs. 2,099 crore. It is quite insufficient for managing wildlife in more than 650 protected areas. There is also a 15 per cent decrease in the funds allocated for Project Tiger, that is, it has been reduced from Rs. 161 crore, to Rs. 136 crore, especially when the tiger population is basically increasing in India by 30 per cent since last year.

I am from Bengal. I must say that the unique mangroves present in Sundarbans areas as well as in Andaman are congenial for the inhabitation of Bengal tigers. We are seeing a reduction there also due to pollution in those areas, especially due to plastics, soil erosion caused by various factors and the spill of oil from launches, etc. Therefore, there should be a provision of more funds for the protection of mangroves, especially in Bengal and Andaman areas.

Another very important treasure of our Indian Ocean is the coral reefs in Andaman and Lakshadweep Islands. Ecologically, they are very good for the fishes as well as human beings. However, due to tsunami and other factors, these coral reefs cover has been reduced. There was no provision made in this budget for the preservation of these coral reefs.

As you know, Bengal tiger is world famous and it is our national animal. However, instead of providing more funds for increasing their population, we are decreasing the budget allocation. Shri Satpathy is saying that you are trying to change it to 'lion', which is in the Gir Forests. As you know, you will find tigers

all over India, at many places. There are eight reserve forests wherein tiger population is more and, therefore, it should remain our national animal.

Moreover, the Standing Committee in its report has said that the budget was inadequate for controlling pollution and increasing forest cover. In Bengal, the forest cover has increased by 18 per cent; it has also increased in Andhra Pradesh, North East, etc. Forest produce is the livelihood of underprivileged persons like the Adivasis and poor people living in and around those areas.

I would like to make a few suggestions. There should be forest preservation as forest produce is a livelihood for the people. It should be given more grants and there should be more vigilance in this regard. With regard to renewable energy, they have increased the budget, but still that is not sufficient. You should be vigilant in that respect. There should be strong action against the usage of plastic in coastal areas. Please do think about the birds that are becoming extinct in our country. Thank you.

[*]SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): The Ministry of Environment, Forests and Climate Change must advocate on behalf of the environment and wildlife. Instead the Ministry is interested only in providing rapid clearances to big industrial projects. Around 450 industrial projects have been cleared. Yet the Ministry has not shown any concrete results on key issues such as poaching, air pollution, water degradation and declining bio-diversity. On these issues, the Ministry have only offered mere assurances. There is no Project to curb Rhino poaching. Poaching of small animals such as panglossian is continuing unabated. The polluted air in Delhi increasing the number of asthma cases in children. With so many critical challenges the budget cuts have only crippled the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.

[*] Speech was laid on the Table.

*SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): The environmental issue has become an issue of public importance. It is gaining in all aspects of our life. I am glad that the government has been paying much attention to this issue whether it is conversion of forest land, pollution of river, air pollution, noise pollution, etc. The National Green Tribunal has come and are quite active now a days. I have come a cross with a news report that the government is considering to create or revise many of the existing environmental laws in consultation with the state government. It is a good idea because the environmental issues have to be dealt by the state governments and overall supervision with the union government. What I have come across that many state governments were not able to implement the directions of all the directions of the pollution control boards because of the paucity of funds. The directions of installing sewerage treatment plants is an issue because it involves huge amount of money. Therefore, it is my urge that the government should provide some sort of assistance to state governments for installation of STP.

Another issue which I would like to mention here is that the tribal people who were living in forest area, in which they were living from a period unknown. because of the rigid environmental laws, these people are deprived of many developmental activities, such as laying of roads, etc. Therefore, in the interest of the tribal people, I urge upon the government to relax some of the provisions of the environmental laws, so that for the welfare of tribal people living in the forest land, they can also enjoy some of the benefits which the people living in other areas are already enjoying.

---

* Speech was laid on the Table

[*]डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत की पर्यावरण एवं वन नीति को लागू करने तथा झीलों, नदियों, इसकी जैव विविधता, वन एवं वन्य जीवों सहित देश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा प्रदूषण रोकथाम और प्रदूषण कम करने के रोकथाम की देखभाल करने के लिए एक प्रमुख मंत्रालय है। मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में सतत् विकास के सिद्धांत से निर्देशित होता है। मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, दक्षिण एशिया पर्यावरण सहयोग कार्यक्रम, एकीकृत पर्वत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र की भी प्रमुख एजेंसी है।

भारत वन्य जीव संरक्षण से संबंधित 5 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, वन्य जीव जंतु, वनस्पतियों के संकटापन समूहों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता, अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन विश्व विरासत समझौता तथा वन्य पशु प्रवासी समूह संरक्षण समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला देश है। इसके तहत मंत्रालय के प्रमुख उद्देश्य वनस्पति जीव जंतु, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण करना है तथा साथ ही प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण, विकृत क्षेत्रों में वनरोपण और पुर्नउत्पत्ति, पर्यावरण संरक्षण तथा पशुओं का कल्याण सुनिश्चित करना है।

सरकार ने राज्यों को ऑनलाईन पर्यावरण मंजूरी देने के लिए पहल की है। इसके तहत केन्द्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि वह पर्यावरण संबंधी प्रक्रियाओं की ऑनलाईन मंजूरी शुरू करें। इसके लिए परियोजनाओं को राज्यों में स्टेट एनवायरमेंट इम्पेक्ट एसिशसमेंट एथॉरिटी तथा स्टेट एनवायरमेंट एशिसमेंट से मंजूरी हासिल करनी होती है। अभी तक इसके लिए देश में पुरानी प्रक्रिया अपनायी जा रही थी। इस पहल के लिए मैं माननीय मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं।

इसी तरह से सरकार ने देश में विद्युत की कमी को दूर करने के लिए ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए का ऋण देने का प्रस्ताव किया है, इसके लिए सरकार ने भरोसा दिया है कि इसके माध्यम से सोलर और विंड एनर्जी जैसे गैर-पारम्परिक स्रोतों से 34 हजार मेगावाट विद्युत पैदा की जा सकेगी। इस कार्यक्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 75 हजार करोड़ रुपए के कमिटमेंट के साथ अग्रणी रहा है। इससे 15 हजार मेगावाट ग्रीन एनर्जी पैदा की जा सकेगी। इसके बाद 14700 करोड़ रुपए के कमिटमेंट के साथ आईडीबीआई बैंक दूसरे नम्बर पर है। इससे 2940 मेगावाट ग्रीन एनर्जी का उत्पादन हो सकेगा। यह भी ग्रीन एनर्जी उत्पादन की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

[*] Speech was laid on the Table.

भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अनुकूल कदम उठाने का ही परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत द्वारा वैश्विक ताप वृद्धि के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार गैस कार्बनडाई ऑक्साईड के उत्सर्जन में दुनियाभर में हो रही बढ़ोत्तरी के बावजूद भारत में इसमें कमी आयी है। सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण पहल करते हुए जलवायु परियोजनाएं लागू करने के लिए देश में एजेंसियों को आमंत्रित किया है जिसके तहत ग्रीन क्लाईमेट फंड के प्रयोग से जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और उसके अनुकूल परियोजनाओं को लागू करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जलवायु कोष से संसाधनों को पाने के लिए आवेदकों को निश्चित तौर पर विश्वासी और मानक प्रबंधन वाला बनाने की दिशा में सरकार द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।

आज जब दुनियाभर के तमाम जलवायु वैज्ञानिक चिंतित हैं। जलवायु वैज्ञानिकों का आकंलन है कि अगर बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग को नहीं थामा गया तो जल्दी ही दुनिया गरीबी और भूखमरी की चपेट में आ जाएगी। एक अरब से भी ज्यादा लोगों पर इसका सीधा असर होगा, और इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। विश्व बैंक ने ग्लोबल वार्मिंग के असर पर अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि तापमान बढ़ने से दुनिया के कई इलाकों में फसलों की उत्पादकता में कमी आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक दोषी वे देश हैं जो सबसे ज्यादा इसका शोर मचा रहे हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत है कि सरकार समावेशी तरीके से सभी का विकास करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि गरीबों के लिए समुचित स्वच्छता, पेयजल, मातृत्व और शिशु देखभाल को सर्वोच्च प्राथमिकता सरकार दें। वैश्विक विकास में भारत की दुनिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है और वैश्विक स्तर पर सहस्त्राब्दि लक्ष्य जब तक सफल नहीं हो सकते तब तक उन्हें भारत में हासिल नहीं किया जाता।

अंत में, मैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देश में पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय प्रयासों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए वर्ष 2015-16 की अनुदान मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूं।

***श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल):** अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल की वर्ष 2014 में प्रकाशित आकलन रिपोर्ट की सिंथेसिस रिपोर्ट में बताया गया है कि सूखे और बाढ़ इत्यादि जैसी जलवायु संबंधी विषमताओं से होने वाले प्रभावों में वर्तमान जलवायु से कुछ प्रणालियों और मानव की महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होने का पता चला है। फिर भी, भारत में जलवायु प्रभाव संबंधी कोई विशिष्ट अध्ययन उपलब्ध नहीं है, जबकि सरकार का प्रयास है कि प्राकृतिक घटनाओं के वैज्ञानिक आंकलन के आधार पर अनुकूल और उपशमन कार्यों को बढ़ावा दें। सरकार ने 30 जून 2008 को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जारी की थी, जिसमें जलवायु से होने वाली बड़ी घटनाओं की रोकथाम और पूर्व तैयारी के लिए किए जाने वाले उपायों में वृद्धि से जलवायु से होने वाली बड़ी घटना के लिए सभी पहलों को रेखांकित किया जा सके और वर्तमान में सभी राज्य सरकारें भी इसी संबंध में कार्य योजना तैयार कर रही हैं।

जलवायु परिवर्तन, वन और पर्यावरण एक महत्वपूर्ण विषय है, और पूरी दुनिया इस चुनौती से जूझ रही है। लेकिन अभी तक इस विषय पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है। इसी के चलते, पर्यावरण कानून में बदलाव करने से पहले केन्द्र सरकार राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श कर रही है और वर्तमान में पर्यावरण मंजूरी लेना एक बेहद कठिन काम बन गया है,। मंजूरी लेने के लिए लम्बे समय का इंतजार करना पड़ता है, अतः इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने की आवश्यकता है। पर्यावरण से मंजूरी संबंधी परियोजनाओं को राज्यों में स्टेट एनवायरनमेंट अथॉरिटी और स्टेट एनवायरनमेंट असेसमेंट कमेटी से मंजूरी लेनी पड़ती है और अभी तक इसके लिए भी पुरानी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अतः इस प्रक्रिया को बदलकर ऑनलाइन किए जाने की जरूरत है। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए सभी राज्य नगर पालिकाओं द्वारा उत्पन्न सीवेज को 100 प्रतिशत ट्रीटमेंट करने संबंधी योजना बनायी जानी चाहिए और उद्योग को ट्रीटमेंट के लिए पानी को फिर से इस्तेमाल में लाए जाने पर जोर देना होगा।

पेड़ों के आस-पास कंक्रीट डाले जाने से हरे भरे पेड़ों के सूख जाने का मामला बेहद गंभीर है, और शहरों में इस तरह से हजारों पेड़ सूख गए हैं क्योंकि इन पेड़ों को कंक्रीट से पाट दिया गया है और सरकार द्वारा हरियाली बढ़ाए जाने के खूब दावे किए जाते हैं। इन मामलों में उन मनको का पालन नहीं किया जा रहा है जिनके तहत यह कहा गया है कि पेड़ों की जड़ों के आस-पास एक निर्धारित दूरी तक कंक्रीट नहीं डाला जाना चाहिए, इस तरह से अक्सर देखने को मिलता है कि जैसी ही हवा थोड़ी तेज गति से चलती है या तेज बारिश होती है तो पेड़ गिरने लगते हैं ज्यादातर मामलों में ये पेड़ जड़ो से उखड़ जाते हैं और इस घटना से बड़े पैमाने पर पर्यावरण का नुकसान होता है। इससे जाहिर होता है कि संबंधित एजेंसी को इस

---

* Speech was laid on the Table.

ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सरकार द्वारा वन्य संसाधनों की रक्षा के लिए हरित कानून को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है, हमारे पास कानून तो बने हैं लेकिन हम उन्हें सख्ती से क्रियान्वित नहीं करते हैं। प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन हेतु ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। देश में धड़ल्ले से नियमों को ताक पर रखकर प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है लेकिन हम कोई कार्यवाही नहीं करते हैं।

दुनिया के तमाम देश इस बात से चिंतित हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को यहीं नहीं थामा गया तो जल्द ही दुनिया गरीबी और भुखमरी की चपेट में आ जाएगी और एक अरब से ज्यादा लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा और सबसे ज्यादा असर दक्षिण एशिया में पड़ेगा। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसके प्रति चिंता व्यक्त की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक दोषी वो देश हैं जो आज सबसे ज्यादा इसका शोर मचा रहे हैं। यूरोप के विकसित देशों और स्वयं अमेरिका ने पिछली सदी में जबरदस्त औद्योगीकरण करके दुनिया को इस हाल में पहुंचाया है, लेकिन आज ये सब देश मिलकर भारत और चीन को अपनी औद्योगिक नीति बदलने को कह रहे हैं और मोदी जी ने इसी के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने संबोधन में जलवायु का न केवल जिक्र किया था बल्कि यह भी कहा था कि हम इसकी संवेदनशीलता को भी जानते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया के कई इलाकों में फसल उत्पादन में कमी हो रही है। यह भविष्य में इस संकट के और गहराने की आशंका है और इसके लिए अगर कोई मजबूत और त्वरित कार्यवाही नहीं की गई तो यह संकट पूरे विश्व में फैल जाएगा।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के मसौद के अनुसार पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम करने पर सहमति बनी थी लेकिन यह कैसे होगा इस पर पिछले दो दशकों से बिना किसी नतीजे में माथापच्ची जरी है इस काम में सबसे बड़ी बाधा धन की कमी है जिसे पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकी के विकास पर खर्च किया जाना है। इस पर 2020 तक प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किया जाना है, इस विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

महाराष्ट्र में बैल गाड़ी दौड़ प्रतियोगिता का खेल पुराने समय से चलता आ रहा है यह दौड़ महाराष्ट्र के हर गाँव में होती है। इस प्रतियोगिता पर किसानों को कोई आपत्ति नहीं थी जबकि इसमें भाग लेने वाले बैलों को किसान अच्छी तरह से पालते हैं और उनकी देखभाल करते हैं यह प्रतियोगिता एक पारंपरिक खेल था पर एनजीओ ने जानवरों पर अत्याचार का मुद्दा उठाकर खेल पर रोक लगाने की मांग की और इस बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता पर रोक लगा दी गयी। जहां एक ओर बैलगाड़ी प्रतियोगिता पर रोक लगा दी वहीं दूसरी तरफ घोड़दौड़ अभी भी देश के कई हिस्सों में रेसकोर्स मैदानों में चालू है, मेरा कहना है कि यदि इस बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता से जानवरों पर अत्याचार हो रहा है तो इसमें घोड़दौड़ प्रतियोगिता पर रोक क्यों नहीं लगी?अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि महाराष्ट्र में पारम्परिक रूप से चली आ रही बैलगाड़ी

दौड़ प्रतियागिता पर रोक को यथापूर्व हटाए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की कार्यवाही सरकार द्वारा की जाए।

इको सेंसेटिव जोन देश के कई भागों में हैं जो कि निश्चित रूप से पर्यावरण के रख-रखाव के लिए बनाए गए हैं। लेकिन वर्तमान समय में इन इको सेंसेटिव जोन से इन क्षेत्रों में जाने वाले नागरिकों एवं पर्यटकों को बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र माथेरान है। यह क्षेत्र ब्रिटिश काल से ही इको सेंसेटिव जोन घोषित कया गया है और इको सेंसेटिव जोन घोषित होने की वजह से यहां पर डीजल गाड़ियों एवं अन्य वाहनों के चलने पर रोक लगी हुई है। माथेरान 25 हजार का आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ के बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। यहाँ इन सब वाहनों के नहीं होने से स्थानीय लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सेंसेटिव जोन होने के कारण यहां के लोग अपने मकानों की मरम्मत नहीं कर सकते हैं। यहां आवा- गमन के लिए कोई भी सुविधा नहीं होने के कारण यहां पर्यटकों को ले जाने के लिए हाथगाड़ी का उपयोग होता है। जो नवजवान रोजी रोटी के लिए हाथ गाड़ी खींचने का काम करते हैं वह अपनी थकान को दूर करने के लिए नशा करते हैं।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि माथेरान जैसे हिल स्टेशन में बैटरी से चलाए जाने वाले रिक्शा शुरू करने की अनुमति दी जाए और पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु वहां रोप वे की सुविधा दी जाए जिससे नवजवानों को रोजगार मिलेगा और केन्द्र और राज्य सरकार से मैं इसके लिए आर्थिक मदद की मांग करता हूं।

*SHRI RAM PRASAD SARMAH (TEZPUR): I come from Tezpur Constituency of Assam. I fully support the Demand for Grants to the Ministry of Environment and Forests.

Assam, once used to be known as "Forest State" with richest bounty of forests and wild life and different types of flora and medical plants. But during the last 15 years of Congress rule in the State there has been systematic denodation of forest and killing of wild life. The world famous one-horn rhino is facing serious threat from poachers, as many as 79 rhinos have been killed in only last three years. Sand mining and illegal quarrying of valuable forest mines and minerals have been going on unabated and the State Government is a mute spectator. Smuggling of rhino horn, tiger skin, keko reptile and other wild life parts is indiscriminately going on in Assam, Kaziranga, Manas, Pobitara and Orang known for one horn rhino serious threat due to encouraged encroachment.

Tribal communities living in forest villages in forest areas are not given the rights by the State Government, as is required under the Forest Rights Act, 2006.

Therefore, I would request the Ministry to take strong steps to check forest demarcation, killing of rhinos and smuggling of animal parts and also stop illegal mining and smuggling of sand and other valuable minerals in the State. I also request the hon'ble Minister to embark on large scale plantation of trees in the areas where forest cover has been reduced due to illegal felling of tree.

The NHAI has not yet planted trees filled during 4 laning of roads in Assam.

The Environment & Forest Ministry should direct the NHAI to plant road vide trees on the stretch of 4 laning road. I may add that about 3 lakh valuable and fully grown up tree were felled by NHAI during lane conversion.

* Speech was laid on the Table.

[*] **SHRI TATHAGATA SATPATHY(DHENKANAL):** We, as a nation, have long ignored climate change and its effects on our environment in the name of 'development', but it's time to reconsider our objectives and goals so that they are more in sync with our biodiversity. After 100 days of the new government, a four-member high-level committee headed by former Cabinet Secretary T.S.R. Subramanian was formed to examine five laws; The Environment (Protection) Act, 1986, the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection) Act, 1972, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The order says that the committee would 'recommend specific amendments needed in each of these acts to bring them in line with current requirements to meet objectives.' That does not sound very encouraging . Due to the launch of the single-window environment and forest clearance system, it is highly doubtful if the government will swing in favour of environment protection and preservation.

I will concentrate my speech broadly on two things; rampant use of non-biodegradable material (namely, plastic) and effects of climate change.

Plastic was produced for the first time in 1856, during the industrial revolution. It was hailed as a major advance in the world industry. Today, we find plastics everywhere, pet bottles that contain beverages, polyester, kitchen utensils, packaging material, electronics and much more.

According to an industry summary by Indian Brand Equity Foundation (IBEF), currently, the Indian plastics industry is spread across the country, employing about 4 million people and over 2,000 exporters. It operates more than 30,000 processing units, of which 85 per cent to 90 per cent are small and medium enterprises (SMEs).

The President of All India Plastic Manufacturer's Association (AIPMA) has stated that the per capita consumption of plastic is 9.7 kg per person in India, while the global average is 27 kg. We are still far away from the global average

[*] Speech was laid on the Table

but the consumption is steadily increasing. As the standard of living of people goes up, they start consuming more FMCG products which use plastics for packaging their products quite liberally.

This is a worrying trend because once plastic is created, it cannot be destroyed. 'Recycle plastics' is the new motto of the Plastic industry. Industry leaders has even gone so far as to say that plastic bags are 'environment friendly' in a statement issued by AIPMA on 8 February 2015. I would like to ask them whether there is any way to destroy unused plastic in an environment friendly manner?

Let me put forward a worrying scenario which is unfolding right now far in the Pacific ocean. National Geographic recently reported a story about 'The Great Pacific Garbage Patch' which proves to be quite an eye-opener. The Great Pacific Garbage Patch, also known as the Pacific trash vortex, spans waters from the West Coast of North America to Japan. It is full of non-biodegradable garbage which is stuck in a vortex, in the middle of the ocean. The garbage patch is estimated to be as big as the state of Texas.

The report says, 'A plastic water bottle discarded off the coast of California takes the California Current south toward Mexico. There, it may catch the North Equatorial Current, which acrosses the vast Pacific. Near the coast of Japan, the bottle may travel north on the powerful Kuroshiro Current. Finally, the bottle travels westward on the North Pacific Current. The gently rolling vortexes of the Eastern and Western Garbage Patches gradually draw in the bottle.'

The amount of debris in the Great Pacific Garbage Patch accumulates because much of it is not biodegradable. Many plastics do not wear down; they simply break into tinier and tinier pieces. These 'microplastics' are then ingested by sea creatures and get stuck in plants under the ocean. This is turn goes further up the food-chain and ends up in restaurants that serve sea food. Since these are micro-plastics, they are difficult to see with the naked eye. These are getting ingested by humans too.

Nobody knows exactly how much plastic is stuck in that humongous vortex, since it's really difficult to estimate the quantity. Scientists have collected up to 750,000 bits of microplastic in a single square kilometer of the Great Pacific Garbage Patch- that's about 1.9 million bits per square mile. Most of this debris comes from plastic bags, bottle caps, plastic water bottles, and Styrofoam cups. About 80% of the debris in the Great Pacific Garbage Patch comes from land-based activities in North America and Asia. Trash from the coast of North America takes about six years to reach the Great Pacific Garbage Patch, while trash from Japan and other Asian countries takes about a year.

Instances like these should immediately ring some alarm bells. The recent Kashmir and Uttarakhand floods are examples of what happens if we are flippant about protecting our environment and forests. Even after those floods, the lessen seems to be lost on us. The state government there has cleared 26 projects which will cause massive deforestation. The Central Government has given a green signal for removing the requirement of forest clearances around border areas, stating national security and defence.

Climate Change is a slow process. It is not immediately recognizable but the effects are all around us. The change in the behaviour of monsoons and the resulting crop damage being the biggest one of them. April 22 was celebrated as Earth Day throughout the world. On that day, a group of US scientists opined that a quarter of the total fossil fuel available on earth needs to remain inside the earth. Scientists warn us that climate change would accelerate beyond our control, threatening our survival and everything we love. We need to act fast to keep global temperature rise under the unacceptable dangerous level of 2 degrees C, by phasing out carbon pollution to zero. To achieve this, we must urgently forge realistic global, national and local agreements, to rapidly shift our societies and economies to 100% clean energy by 2050.

During a student interaction at Assam last year, our Prime Minister said: 'Climate change? Is this terminology correct? The reality is this that in our family

some people are old. They say this time the weather is colder. And, people's ability to bear cold becomes less. We should also ask is this climate change or have we changed. We have battled against nature. That is why we should live with nature rather than battle it. ' In a United Nations conference on climate change, mere days after making this comment, Mr. Modi was a no show. Thoughts translate into action. It would be unsurprising if the Damodardass government goes on to include these untruths in curriculum across the country. This is a very real fear.

You see reports about torrential flooding and other extreme weather on the news pretty much all of the time- some may argue, but it looks like climate change caused by human activity is indeed a real thing. Polar icebergs melting at increasingly alarming rates will cause sea levels to rise in the future. On the flip side of the coin, the fire season in the hot, dry regions of the west coast of North America lasts roughly 75 days longer than it did a decade ago.

The world of climate governance is in a flux. A series of extreme weather events, from India to Australia, to the Philippines, continues to periodically ring alarm bells on climate change. The rolling release of the inter-governmental Panel on Climate Change's Fifth Assessment report provides ever more sober calls for the need for action.

Yet, in most countries, and in global dialogue, levels of political attention to climate change are declining, crowded out by the financial crisis and other short term crises. At the same time, more countries than ever before- covering an estimated 67% of global emissions - have in place some form of national legislation or strategy to address climate change. There has also been a proliferation of informal local initiatives and transnational networks.

The United Nations Climate Change Conference, COP21 or CMP11 will be held in Paris, France in November 2015. It is expected to be one of the biggest climate change conferences in the world, where 196 countries will meet to sign agreements regarding reduction of carbon emissions. This is a historic opportunity

for India to show that we are serious about climate change and willing to take a stand. We are being increasingly seen as a pro-industry and anti-environment nation. Especially after this government decided to rapidly give environmental clearances on one hand and ban organizations like Greenpeace on the other, we are not seeing welcome signs which say otherwise. I urge the government to make a proper plan before going to this conference and share it with the House. There needs to be proper consultations regarding this mater and we must take a united stand against climate change.

*__KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR):__ The concept of Ecologically Sensitive Areas (ESAs) in the Western Ghats has been a contentious issue from the start. Dr. K. Kasturirangan Committee Report earmarked 59,940 sq. km (37%) of the Western Ghats as ESAs. The MoEF outlines a draft Notification based on this Report on March 10,2014, identifying a total of 56,825 sq. km in six states that straddle the Western Ghats. Karnataka represents the biggest chunk of the ESAs. The proposal to declare 20,668 sq. km of Karnataka's Western Ghats as ESAs has raised fears of relocation among local communities, although the report only recommends banning activities such as mining and thermal plants in these areas.

Kasturirangan Committee Report has faced opposition from various quarters including environmentalists and people living in and around the Western Ghats belt. People living in the vicinity were in the grip of fear that the implementation of the Report would adversely affect their livelihood. Government of Karnataka had requested the Union Government to keep habitations, plantations and agricultural areas in villages out of the purview of the ESAs. Of karnataka's total geographical area of 1,91,791 sq. km Western Ghats taluks measure up to 44,448 sq. km, including 1,576 villages identified as ESAs. I suggest that the Government should adopt a more liberal approach while dealing with this sensitive issue. Recently, Karnataka Government has sought extension of time to give its comments on the K. Kasturirangan Report on conservation of Western Ghats to the Centre. So far, only Kerala has submitted its objections to the Centre.

The magnanimity of pollution has been slowly, but certainly acquiring serious proportions. Protection of environment has not been accorded due priority by the state governments, particularly in view of fact that without their support and cooperation, it would not be possible for the Government alone to ensure

* Speech was laid on the Table

environmental protection. It may not be practically feasible for the Government alone to fight and tackle the menace of rapid rise in pollution witnessed all over- air, water, land, noise, etc. throughout the length and breadth of the country. Necessary cooperation and support from the state governments is definitely required in this regard. Government will always find it difficult to control the rapid pace at which the health of environment and conditions of natural resources is deteriorating day by day unless and until the state governments are made effective partners in protection of the environment.

One disturbing news appearing in the media is that air pollution was the 5th biggest killer in India, other reports related to hazardous smog like situation in the making in the Indian cities due to excessive air pollution. As per the report appearing in the media, close to half of cities are reeling under severe particular pollution while newer pollutants like Nitrogen Oxide, Ozone and air toxins are worsening public health challenge.

As per the Annual Report 2012-2013 of the Ministry, 131 cities exceed the permissible limit of PM10 which is as high as 62 per cent and 19 cities exceed the level of NO2. Continuous growth of municipal solid waste generation in urban areas of the country has also emerged as one of the biggest polluters of environment. According to a recent Survey of Central Pollution Control Board CPCB) in 60 major cities of the country, the total municipal solid waste generated is 50,592 tons per day, while the country wide generation is estimated to be of the volume of 1,50,000 tons per day. Out of the above, only a small portion is being processed and the remaining waste is dumped in an open air leading to environmental and health hazards in cities and towns. As per CPCB assessment, India generates 56 lakhs tonnes of plastic waste annually. Out of the total plastic waste generation in the country only approximately 60% is collected and recycled, while the rest remain uncollected and littered.

I suggest that the Ministry should conduct a Study of its own, on mortality due to air pollution in major Indian cities and in case the Study confirms the

findings of the Report published by the Centre for Science and Education (CSE), take urgent remedial measures to prevent the adverse impacts of air pollution on health of citizens.

I wish to express my serious concerns over the rapid rise in all types of pollution and feel that unless some serious and effective steps are taken by the CPCB, the situation would continue to go from bad to worse; assume alarming proportions in days to come and prove to be detrimental for the entire country. Adequate expansion and strengthening of monitoring and enforcing agencies is the need of the hour so that the situation does not deteriorate further. Efforts should also be made to further increase the number of Zonal Offices of CPCB so that effective and successful monitoring of projects/polluting units could be undertaken.

I appreciate the measures taken by the Ministry to streamline the environment and forestry clearances which would facilitate speedy execution of large developmental projects. Smaller projects involving requirement of forestry clearance for some 5 kms. or 10 kms roads, building hospitals have been hanging fire since long. I feel that there is a need to adopt positive approach to give clearance to projects which are badly required for development.

Public hearing has been made mandatory in the schemes of things of according Environmental Clearance/Forest Clearance for some of the projects particuarly those which affect the local inhabitants, the fact is that public hearing is not conducted in an objective and impartial manner. Often public hearing becomes a state managed and an eye-wash show conducted in the presence of the project proponents where their representatives use it as a platform to persuade, convince and coax the affected public to give their nod for the project to the detriment of their interest and welfare. Such instances give rise to discontentment among the public and sometimes also result in protest putting the entire project in jeopardy. Government must take necessary measures to curb such malpractices in public hearing so that public hearing serves the purpose for which these are

intended. Genuine concerns of the people must find place in the environment management plan and project proponents take necessary preventive and curative measures to address the genuine concerns of the public. I suggest that the Ministry should take up monitoring in a few sample cases of actual implementation of various safeguards for public hearing laid in EIA Notification so as to find out as to what extent the provision of EIA Notifications are being adhered to in actual practice.

There is an urgent need to save the species facing extinction and reduce significantly, if not eliminate altogether, incidents that kill animals like man-animal conflict, rail or road accidents etc. the Ministry must takes all necessary measures, local inhabitants should be involved in a big way for providing protection to the wild animals, as well as, to forest cover. The incidents like man-animal conflict, death of elephants due to rail accidents, etc. continue unabated, the Ministry should conduct a comparative study so as to know as to what extent the measures taken have helped reduce killing of animals.

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Sir, these Demands for Grants consist of three parts – the first one deals with forests, another with environment and the third one deals with climate change.

Let me begin with environment. Now, inklings of some of the projections have started manifesting in India in the form of devastating natural calamities, flash floods in Uttarakhand, back to back floods in Kashmir, severe cyclonic storms like Phailin and Hudhud. They are some of the recent instances. The cycle of monsoon has gone erratic affecting paddy cultivation in large parts of the country. The natural flow of major rivers including the Ganga, Yamuna, Mahanadi, Brahmani in Odisha are showing a declining trend. The condition of lakes, rivers and other water bodies continues to deteriorate day by day despite efforts made by the Government. Worsening air quality in the country in general and in Delhi in particular has been making headlines earning ignominy at the national andinternatinal levels so much so that some of the countries have reportedly reduced the tenure of their diplomats in Delhi and many Embassies have installed air purifiers in their offices and residences of their diplomats.

A study 'Lower Pollution, Longer Lives' published in the Economic and Political Weekly on 21st February 2015 has estimated that India can save up to two billion life years and about 3.2 years per person if 660 million people living in areas exceeding the National Ambient Air Quality for PM 2.5 pollution can breathe air which meets air quality standards. This should be a clarion call to proactively and effectively act in a time bound manner before it is too late because environmental damage beyond a certain level becomes irreparable and irreversible. It is most unfortunate that in a recent response filed in the High Court of Delhi, the Government has stated that there is no Action Plan so far to address the critical challenges of air pollution in the Capital. So, I want a clarification on this point. Not only metropolitan cities but even Tier-II, smaller towns and cities are found to be reeling under the severe impact of pollution on all environmental parameters.

The State is constitutionally mandated to protect and improve the environment and safeguard our forests and wildlife. The Constitution recognises the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife. The principle of sustainable development is incorporated as an integral component of the Right to Life under Article 21 of the Constitution. Despite all this, the challenges of environmental degradation remain unaddressed.

The environmental degradation which is considered to be a major contributing factor in loss of agricultural productivity, because ecological degradation affects soil fertility, quantity and quality of water, air quality, forests, wildlife and fisheries etc. The worst sufferers of forest degradation are the poor tribal societies who live on natural resources. The loss of environmental resource base often results in these groups being made destitute which leads to alienation and exhaustion of large segment of our population.

Coal-based thermal power plants are one of the most polluting ways of producing power in the world. In India, about 70 per cent of the power is provided by coal. The high dependence on coal, however, comes at a significant cost to the environment. Not only do coal-based thermal power plants result in large scale emission of particulate matter and other pollutants such as SO2, NOx and mercury but they also produce 170 million odd tonnes of poorly managed fly ash and consume tremendous quantities of water in the course of their operations. I want to draw the attention of the hon. Minister through you whether he is thinking of any alternative like renewable energy and so on. I would like him to provide some information on this.

Now I come to the second part, that is, Forestry. The National Forest Policy, 1988 envisages the national goal of having minimum of 33 per cent of the total land area of the country under forests or tree cover. The break-up of the forest and tree cover as per India -- State of Forest Report, 2013 shows that the total forest and tree cover of 24.01 per cent comprises of 2.54 per cent of very dense

forest, 9.70 per cent of moderate dense forest, 8.99 per cent of open forest and 2.78 per cent of tree cover. The percentage of very dense forest continues to be at 2.54 ever since the year 2007. Thus, the forest cover in true sense of the term as per the 2013 Report constitutes only 12.2 per cent of the total geographical area of the country.

National Afforestation Programme was launched in 2002-03 to improve forest cover and livelihood of the people living in and around forest areas for which an outlay of Rs.2,500 crore was approved for the Twelfth Five-Year Plan. Out of that, an amount of Rs.663.45 crore, approximately 1/4th of the total approved outlay, was spent during the last three years. This year the allocation has been reduced from Rs.243.8 crore at the BE level in 2014-15 to Rs.100 crore. In all likelihood, the entire outlay earmarked for National Afforestation Programme for the Twelfth Five-Year Plan is not going to be fully utilised.

The funding pattern of the National Afforestation Programme is likely to undergo a change with the share of Centre and States at 50:50 from 2015-16 onwards instead of existing 100 per cent Central share. This change in funding pattern would definitely affect the progress of the programme as the States, owing to their own priorities, may not like to contribute to this programme as expected by the Ministry. Therefore, my humble request to you is that the earlier condition of 100 per cent funding by Government of India should continue to exist.

Of the total BE allocation of Rs.80 crore for 2014-15, only Rs.3 crore could be utilised. Yet, this year outlay for this scheme has been kept at Rs.64 crore. The hon. Minister should explain during his reply as to how this money would be spent.

Is it a fact that an amount to the tune of Rs.38,000 crore is lying with in Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA)? As per the directions of the Supreme Court, the Ministry is supposed to release the funds only to the extent of ten per cent of the principal amount of about Rs.23,800 and that also from the interest accrued. This year although the

Ministry was authorised to release about Rs.2,400 crore, it could release only Rs.1,100 crore. In this connection, what is the position of this CAMPA fund?

In reply to a question the hon. Minister for Environment, Forests and Climate Change stated that one lakh hectares of forest land had been diverted for mining projects in Chhattisgarh State which is the largest patch of land. Other States must be doing things that way. Thank you.

[*] **SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR):** Thank you for being given an opportunity to express my views on the need to tackle environmental degradation in our country. First of all, I would like congratulate our Hon. Finance Minister for his effort, to tackle environment degradation. He has laid emphasis on the clean energy taken allocation for electrical vehicles and exempted effluent treatment plants from paying service tax. But at the same time, it is worrying that our Hon. Finance Minister has made cut in the allocation of funds for the Ministry of Environment, Forests and Climate Change to Rs.1681.60 crores from Rs.1764.60 crores in the ministry's revised estimate for 2014-2015. Environmentalists in India have expressed their anguish and alarm over this cut in the allocation and they fear that it would affect more environmental programmes in the country, which would result in the failure to address the worsening pollution and vulnerability to climate change. So, I humbly request our Hon. Finance Minister to allocate more funds, as in it western countries, for more research programmes on pollution, climate change, renewable energy and solar for rural use.

Yet another worrying and shocking matter in the Budget is that the funding to the National Mission on Sustainable Agriculture has been reduced by 80 per cent this year, from 15 billion rupees to 3 billion rupees. Agriculture is our primary source of greenhouse gas emission in India because of paddy cultivation, which produces methane through extended flooding fields and the use of cows to farm small plots of land.

Farming is also highly at risk from climate change impacts, particularly changing rainfall patterns, floods, drought and storms. I hail from the Cauvery Delta region where agriculture is main source of living of more 80 per cent of population.

I request our Hon. Finance Minister to allocate more funds to the Ministry of Environment and also allocate sufficient funds for states to implement

[*] Speech was laid on the Table

programmes on pollution, climate change and sustainable agriculture, renewable energy, solar for rural use etc.

I request our Hon. Minister that Bio-diversity is one of the important aspects we have to consider seriously because among the 25 Hotspots present globally, India plays vital role in the presence of varieties of fauna and flora. Gangetic plains, Gulf of Mannar Reserves, mangrove forests and western Ghats are the diversified ecosystem in India. Migratory birds which come even from Syberia to our country should be monitored carefully. Environmental pollution, poaching, destruction of habitat are the reason for bio-diversity loss.

The Vaduvur birds sanctuary is under my constituency. It should be protected to maintain the migratory birds visit from various places. If the Ministry of Environment and Forest take initiative, vaduvur bird's sanctuary will become in future as one of the important tourist attractive place as like Kodiakkaraji, Vedanthangail and Udhayamarthandapuram in Tamil Nadu.

Hence, I request the Hon. Minister for Environment and Forest to take necessary action to make the Vaduvur bird's sanctuary as one of the important Research centre as like Dr. Salim Ali's Ornithological Research Centre. It paves the way to create awareness among the public about birds bio-diversity and also to produce more number of young scientists in our country.

The Kodhandaramar Temple with beautiful Ramar idol locate in the banks of Vaduvur birds sanctuary attract thousands of pilgrims from various parts of our country. If the Tourism Ministry establishes Boat club in Vaduvur lake it will also provides facilities to the school children, pilgrims, tourist, environmentalist and general public which in turn would generate revenue to the government.

Finally, I request our Hon. Finance Minister to allocate more funds to the Ministry of Environment, allocate sufficient funds for states to implement the research centre in Vaduvur, Tamil Nadu and to develop Vaduvur Birds Sanctuary.

*__SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR):__ I am thankful for giving me an opportunity to express my views on this important issue. I am sure, with the help of the balanced budget presented by the Government, the Ministry of Environment and Forests will function more efficiently and smoothly. I wish to draw kind attention of the Government towards two important issues pertaining to violation of Forest Act, 2006 with the help of Lokshashan Andolan and banning of bulls to participate in the ritual functions in the State of Maharastra.

Forest is a unique natural component of environment system. Aforestation is necessary for enrichment of forest but more important is protection of existing forest. Forest has to be protected from illicit felling of trees, encroachment, grazing, hunting and fire. Existing forest area is first to be protected from encroachment and then forest area is to be enriched by planting of seedlings. Even at places merely protection encourages natural regeneration. Increased population, industrialization and decreased forest produce are major reasons for forest degradation. Illegal encroachment on forest land should not be encouraged or regularized. Indirectly, it supports forest offences and demoralizes forest department. The forest were declared as reserved forest by following due procedure in which rights, privileges of peoples in forest have been enquired and settled.

The scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 and Rules 2008 is an Act to recognize vesting of the forest rights and occupation in forest land in for forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers who have been residing in such forests for generations but whose right could not be recorded, to provide for a frame work for recording the forest rights so vested of the nature of evidence required for such recognition of vesting in respect of forest land. In this Act 'forest dwelling scheduled tribes' means the members of community of the Scheduled Tribes who

* Speech was laid on the Table

primarily reside in and who depend on forests lands for bona-fide livelihood needs and includes the Scheduled Tribe pastoralist communities.

Similarly, 'other traditional forest dwellers' means any member or community, who has for at least three generations prior to the 13th day of December, 2005 primarily resided in and who depend on the forest or forests land for bona fide livelihood needs.'

This Act gives only right over the forest land to Scheduled tribes and other traditional forest dwellers. Scheduled procedure has been laid down for giving these rights to them. This procedure mainly includes formation of village level, sub division level and district level committees and claims under this Act will be settled and decided at these committee level only. The deadline for giving legal entitlement was 13th December, 2005.

However, in part of Western Maharahstra particularly around Pune district Lokshashan Andolan is headed by Shri B.G. Kolse Patil and Shri P.B. Sawant, Preisent of Lokshashan Andolan. In this andolan, the so called activists are encroaching on forest land and claiming their rights which is illegal. These activists are creating law and order problem by coming in a mob including ladies, small children and old-aged persons so that even the Forest Department is not in a position to evict the mob and these mobs encroach precious forest land. Even the local leaders and people support them in connivance with the forest officials. It is a high time to reconsider the policy while implementing the spirit of the Act and to stop encroachment on forest land by unauthorized activists/people encroaching upon the forest land in connivance with the forest officials unauthorized by mis-interpreting the law. I urge to issue necessary directions to all the State Governments to register cases against these encroachers and to implement the law in its letter and spirit strictly so that only those people who are eligible can be benefited.

One more important issue towards which I wish to draw the kind attention is pertaining to inclusion of Bulls in the Notification dated 11th July, 2011, as wild

animal published in the Gazette of India, issued by the Ministry of Environment and Forests. With the effect of Gazette, the training and performance of Bull is prohibited. As you are aware, there is a long practice since our ancestral days for performing a religious programme once in a year which also includes Bull for Bullock Cart Race in Maharahstra and Jallikattu in Tamil Nadu. However, special care has been taken during the occasion that the Bulls are not harmed during the religious programmes so conducted. These programmes were being taken at different places in Maharashtra and Tamil Nadu. However, after publication of the above Notification in the Gazette of India, participation of Bulls has been restricted and Bulls are not allowed to participate in the function by the local administration. This has hurt the sentiments of the local people.

Keeping in view the religious function involving Bulls fairs are being being performed since last hundreds of years from our ancestral days and also keeping in view the fact that the bulls are not harmed in any manner during the religious function, the name of the Bull may be excluded from the list of animals by bringing out necessary amendment to Section 22 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960) and accordingly the Notification dated 11th July, 2011may be amended to that extent.

*श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): मैं बजट में पर्यावरण, वन एवं क्लाइमेट चेंज मंत्रालय संबंधी अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में 5871 सक्वेयर किमी एरिया वनों की दृष्टि से बड़ा है। यह बात अलग है कि कई राज्यों में यह बढ़ा है और कई राज्यों में घटा है जैसा कि नॉर्थ ईस्ट में वनों का एरिया जो पहले 75 प्रतिशत से भी अधिक होता था वह 627 सक्वेयर किमी घटा है। भारत सरकार वनों के अन्धा-धुंध कटाव को लेकर अति गम्भीर है। इसी प्रकार से, भारत सरकार पर्यावरण व क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भी गंभीर है।

हाल ही में जेनेवा में क्लाइमेट चेंज को लेकर जो सम्मेलन हुआ था उसमें भारत ने जोरदार ढंग से यह आवाज उठाई थी कि विकसित देशों को पर्यावरण से हो रही हानि की भरपाई करनी चाहिए और इसके लिए विकसित देशों ने यह संकल्प भी लिया था कि वे ग्रीन क्लाइमेट फंड में 10 बिलियन राशि प्रदान करेंगे। इनमें यूएस, जापान, यूके, जमनी, फ्रांस व स्वीडन जैसे देश शामिल थे परन्तु बड़े दुख की बात है कि इन देशों ने केवल मात्र 1.03 प्रतिशत ही ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए अपना वायदा पूरा किया। भारत ने इस बात को भी बड़े जोरदार ढंग से उठाया है। अभी 2015 में जो क्लाइमेट चेंज को लेकर पेरिस में विश्व सम्मेलन होने जा रहा है, भारत उसमें भी जोरदार ढंग से अपनी बात रखेगा। भारत ने प्रदूषण को कम करने की दृष्टि से अपने देश की सभी नदियों को पर्यावरण से बचाने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं जैसा कि- गंगा की सफाई के लिए व्यापक अभियान छेड़ा गया है, जिसके लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है। परन्तु इस दिशा में अभी और ठोस कदम उठाने होंगे। क्योंकि आज भी बड़े-बड़े शहरों का 90 से 95 प्रतिशत तक सिवरेज का गंदा पानी इन नदियों में गिर रहा है। यूएनओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बड़े-बड़े 20 शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर हैं जिनमें आज जीना दूभर हो गया है। आज हमारे देश की राजधानी को ही ले लो, आज यहां पर इतना कार्बन या इतना प्रदूषण है कि सांस लेना भी मुश्किल है। अगर हमने इस दिशा में कोई ठोस कदम न उठाए तो देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज प्रदूषण हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अगर हमने डीजल वाहनों से पैदा होने वाले प्रदूषण पर रोक न लगाई और नई टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी रिफाइनरीज में सुधार नहीं किया, तो हम क्लीन एनर्जी लेने में विफल रहेंगे। इसी प्रकार से, हमारे देश में कचरा मैनेजमेंट की भी एक बहुत बड़ी समस्या है और अब तो इस सोलिड वेस्ट के साथ-साथ हमारा देश ई-वेस्ट दुनिया के 5वें नम्बर पर पैदा करने लगा है। मैं बधाई देना चाहूंगा कि

---

* Speech was laid on the Table.

सरकार ने कोयले पर यू.टी 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत प्रतिटन की है। परन्तु इससे मिलने वाली राशि को हमें अपने प्रदूषण को कम करने पर ही खर्च करना होगा।

अभी-अभी यूएनओ की एक रिपोर्ट आई है कि भारत को अपने देश में आने वाली आपदाओं से दस बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष हानि उठानी पड़ रही है। भारत में भूकम्प से 19 मिलियन डॉलर, साइक्लोन से 447 मिलियन डॉलर, तूफानों से 727 मिलियन डॉलर, सूनामी से 1160 , बाढ़ से 4772 मिलियन डॉलर यानि की कुल मिलाकर 10 बिलियन डॉलर के लगभग प्रतिवर्ष हानि उठानी पड़ रही है। मोदी सरकार ने इस दिशा में ध्यान दिया है और भारत ने क्लाइमेट चेंज को लेकर हो रहे विश्व सम्मेलनों में भारत की इस प्रतिबद्धता को जताया है कि वह आने वाले 5 वर्षों में 9 बिलियन डॉलर अपने आपदा प्रबंधन पर खर्च करेगा। यूएनओ रिपोर्टस में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि इगर हम आपदा प्रबंधन पर 6 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं तो हम आपदाओं के मामले में 360 बिलियन का फायदा उठा सकते हैं। इससे हमारी आपदाओं में 20 प्रतिशत की कमी होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश के 4.8 मिलियन भारतीय पर्यावरण के कारण होने वाली आपदाओं से पीड़ित हैं। अगर हमने युद्धस्तर पर इस दिशा में कदम न उठाए तो 2030 तक भारत के 19 मिलियन लोग प्रभावित हो सकते हैं।

आज नेपाल में क्लाइमेट चेंज के कारण एक भयंकर आपदा आई है। मैं बधाई देना चाहता हूं, अपने प्रधानमंत्री को, जिन्होंने फ्रंट पर आकर इस मामले में लीड किया है और नेपाल के पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाई है। उन्होंने आज भी अपने कई केन्द्रीय मंत्रियों को बिहार, पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश के साथ लगे इलाकों में पीड़ितों को राहत पहुंचाने में पहल की है।

हमारे देश की 50 करोड़ जनता हिमालय रीजन के क्षेत्र में रहती है। अगर हमने क्लाइमेट चेंज की ओर युद्धस्तर पर ध्यान नहीं दिया तो जिस प्रकार से, हमालय की तलहटी में चेंजिज आ रही हैं जिसके कारण हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उसके परिणामस्वरूप हमारी नदियों में उफान आ रहा है। अगर हम समय पर नहीं चेते तो तटों पर रहने वाले हमारे शहरों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह भी चेतावनी दी है कि 21वीं सदी के अन्त तक दुनिया के ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के कारण इतना पिघल सकते हैं कि समुद्र तल का स्तर 85 सेंटीमीटर तक बढ़ जाए जिसके कारण दुनिया के समुद्र के किनारे पर रहने वाले बड़े-बड़े नगरों को भी खतरा पैदा हो सकता है। हमारे देश में भी जिस प्रकार से तमिलनाडु के अंदर कई बार सूनामी आई है। यह सब हमारे देश में जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, यह एक मुख्य कारण है। आज हमें अपने देश में एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए संस्थागत ढांचा खड़ा करने की जरूरत है। मैं तो चाहूंगा कि जो वाहन ज्यादा प्रदूषण पैदा रकते हैं उनके प्रदूषण कंट्रोल के लिए नई-नई टैक्नालॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और यहां तक कि ऐसे वाहनों पर टैक्स भी लगाया जाना

चाहिए। मैं चाहूंगा कि सरकार अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रदान कराने की दिशा में भी कदम उठाए ताकि बड़े-बड़े शहरों में सांस लेना आसान हो सके।

मुझे बड़ी खुशी है कि भारत सरकार वनों को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है क्योंकि अन्धा-धुंध वनों के कटान से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है। हालात यहाँ तक पहुंच गए -

"अब तो थक गए पंख भी उड़ती चिड़िया के,
क्योंकि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी इतनी तो बढ़ गई"

हमने अपनी प्रकृति का विनाश इस ढंग से किया है कि अब घरों में न कहीं चिड़िया चहकती हुई नजर आती है और न ही कहीं बईयों के धौंसलें नजर आते है।

अन्त में, मैं उन सभी मदों का समर्थन करता हूं जिन मदों के अंतर्गत पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालयों के लिए अनुदानों का प्रावधान किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार भारत की 125 करोड़ की जनता को प्रदूषणमुक्त करने एवं खुली हवा में सांस दिलाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me time to speak on Demands for Grants in respect of Ministry of Environment, Forests and Climate Change.

First of all, I would like to enlighten this august House on one of the important issues concerning the overall development of wildlife sanctuaries in the country. Many precious species of wildlife are on the verge of extinction due to negligence and poor planning for the last so many years. Amongst the other wildlife species, I had been drawing attention of the Government to the extinction of resident Gyps species of vultures in the country. The number of vultures of Gyps species is declining day by day due to negligence in their conservation. Some NGOs like Bombay Natural History Society (BNHS) are working for conservation of vultures in the country in collaboration with the State Governments. Breeding Centres of vultures are being set up by the BNHS at various places in Haryana, Rajasthan and other States.

In the absence of financial aid from the Central Government, the maintenance and development work of the breeding centres are not going on well. The BNHS has also submitted its detailed proposal for conservation of vultures to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for grant of Central financial assistance to implement their programme in the country which is awaiting approval for long.

In this connection, I would like to submit that multi-dose of veterinary use of some medicines like declofenac is also one of the reasons for extinction of this precious Gyps Vulture. I suggest immediate ban on sale of multi-dose vials of declofenac medicine which may be imposed to prevent its misuse in cattle treatment in the country.

My request to the Minister of Environment, Forests and Climate Change is to look into the matter seriously and raise the financial aid to the States and NGOs who are working for the noble cause of preservation and protection of wild species, especially conservation of vultures in the country.

There are many important issues of my constituency Mumbai South-Central which are pending for a long time for environment clearance with the Ministry of Environment, Forests and Climate Change. I would like to point out some of them briefly.

The first is the construction of a coastal road in Mumbai. Most of the coastal lines in various cities in the country are having coastal roads, whereas the most important city of Mumbai does not have it so far. Mumbai has a beautiful coastline. There is a dire need for construction of a 36-kilometre road along the coastline by reclamation in sea. This is pending due to non-clearance by the Environment Ministry for a long time. It should be expedited immediately.

Another issue is of modification of policy guidelines for implementation of slum rehabilitation scheme in CRZ-II areas. Comprehensive proposals are being submitted by the Maharashtra State Government to allow increase in permissible FSI in the slum rehabilitation schemes in CRZ-II areas at par with those in non-CRZ areas for development of slum areas in Mumbai. I request the Minister of Environment, Forests and Climate Change for early action and finalise the modification of policy guidelines for implementation of slum rehabilitation schemes in CRZ-II areas in Greater Mumbai.

There is an urgent need to amend and modify the disparities in CRZ Notification, 2011 pertaining to some of the issues like classification and redevelopment of Koliwada and Gaothan areas; redevelopment of dilapidated, cessed and unsafe buildings in Mumbai; reconstruction and repair works, belonging to fishermen and other local communities; CRZ clearance for Mumbai Metro Rail Line 2, Charkop-Bandra-Mankhurd; rationalisation of boundaries of Great Indian Bustard Sanctuary; and construction of bridges on the River Mithi at Mahim, Causeway, Dharavi, Vaitarna and Tansa.

There are many issues of Mumbai city and Maharashtra State which are pending with the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for environment clearance and granting financial aid.

The Earth Day has been celebrated on 22nd April, 2015 around the world. It is our prime duty to spread awareness of ecological balance to make our surroundings neat and clean. I appeal to the hon. Minister to increase the Central funds to the States for implementation of environment awareness campaign properly. I also request for quick disposal of proposals of the State Government at the end of the hon. Minister of Environment, Forests and Climate Change for overall development and nation building.

Thank you.

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Thank you very much for giving me this opportunity. I would like to bring to your kind notice the environmental and climate changes occurring in our country.

The year 2015 is going to witness new challenges on climate change and sustainable development. The landmark environmental measures introduced in recent years at international and sub-national levels are being supplemented by policies in the light of current needs.

India has been one of the early implementers of National Climate Change Plan. The National Action Plan on Climate Change draws policies in mitigating and adapting to combat climate change.

On the domestic front, India has been working towards environmental safety without compromising on the goal of rapid economic growth. Landmark environmental measures for conservation of rivers, improvement of urban air quality, increasing afforestation, renewable energy technology and initiatives like Swachh Bharat Mission, Clean Ganga Plan, have helped in positive sustainable climatic development and growth.

Sir, mangroves are plants that survive salinity tidal regime and they control wind velocity. India has a total mangrove cover of 4662.56 kms. in the State of Andhra Pradesh. They are mainly found in Coringa, East Godavari, nearby my constituency Kakinada and Krishna districts. These mangroves play a pivotal role in supporting fishery production. As per 2011 assessment year, it is spread over 352 kms. in the State of Andhra Pradesh. Biosphere reserves are areas of terrestrial and coastal ecosystems which are rich in biological and cultural diversity. Sesachalam hill ranges in Eastern Ghats form part of Chittoor and Kadapa districts of Andhra Pradesh where designated biosphere reserves are immense. Our goal should be to facilitate conservation of these representative landscapes and their immense biological diversity, to achieve faster economic and human development and to provide support for monitoring research education and information exchange programmes. The State Biodiversity Board works

according to the notified specific State rules in accordance with Section 63 (1) of the Biological Diversity Act, 2002.

Chairman, Sir, we have 27 protected areas in Andhra Pradesh which includes National Parks, wildlife sanctuaries, conservation reserves and community reserves. I would request the Government to support the protected areas by giving control assistance. I would also request the Central Government to protect the wildlife sanctuaries like Kolleru and Corinaga, which fall in Andhra Pradesh.

Under Centrally-sponsored Integrated Development of Wildlife Habitat scheme, around Rs.109.50 lakh was released for Andhra Pradesh during 2012-13. The allocation has to be increased for further development.

The Union Minister for Urban Development and Parliamentary Affairs, Shri Venkaiah Naidu Garu's ambitious Smart City Project is all set to be out by April, 2015. The Clean Ganga Project is already making steady progress. Green construction can pave the way for energy efficient buildings that are able to conserve water resources by incorporating waste management plan.

Sir, another issue which needs to be addressed is the need to mitigate and bring down the carbon emission levels to make a positive impact on global warming. Carbon Tax can be a good method in maintaining a positive impact.

My constituency Kakinada, being an industrial belt, is not untouched by the environmental issues. Most of the industrial discharges are untreated and are polluting the river and sea coast. This is the main cause of pollution. We need massive investment to set up sewage and recycle plants. I would like to request the Government to take initiatives for this along with setting up of proper garbage management system.

Chairman, Sir, I would like to request the Government to strengthen institutes like State Forest Service and Rangers College and also request to setup one of it in my constituency Kakinada. I would also request the Indian Institute of Forest Management to deal with the issues of environment and climate change.

Steps should be taken to protect and conserve forests and increase afforestation. There should be more environmental planning and coordination programmes. Institutions like Pollution Control Board should play active role in curbing different types of pollution. I would also like to request the Central Government to properly implement a National Coastal Management Programme to ensure livelihood and security to fishing community and to conserve and protect coastal stretches.

Thank you, Sir.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Hon. Chairman, Sir, thank you for this opportunity to speak on the Demands for Grants for the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.

Sir, the budgetary allocation of the Ministry belies the concern and the objectives of the Ministry's programmes and schemes. The total is just Rs.2256 crore and after devolution to States, it is only Rs.1681 crore. So, I think it deserves more importance. It is more or less the same as last year. I think the Ministry needs to be given more importance. Since it is the same as last year, I would be pointing out only the significant changes from the previous budgets.

The total expenditure on wild life preservation has come down from Rs.83 crore to Rs.47 crore. In the background of this the wild life crimes in India have gone up. I think this is something that we really need to review. A lot of species of birds and animals are becoming extinct.

A boost in prevention control and pollution management from Rs.135 crore to Rs.240 crore is really welcome. I congratulate the Ministry for this increase in the budget for pollution management. However, pollution has to do a lot with renewable energy. We have tonnes of municipal waste. We have plastic waste. We used to have *gobar* gas plants. Now we are giving more subsidy to LPG than for the promotion of *gobar* gas and biogas plants. It is said that the total biomass in India is enough to produce gas to run all the vehicles in India. It also helps our economy. We are not giving enough promotion to both the Ministry of Renewable Energy as well as this Ministry. I hope both the Ministries work together.

The other thing is that biogas is typically methane gas. But there is also a thing called producer gas which is also created from agriculture waste. We know in Delhi, there is a lot of pollution because of post-harvest burning in Haryana and other States. So the biomass gasifires can produce a gas which again can be used for fuel. I think the Ministry should promote this for pollution control.

A considerable amount of Ministry's programmes and expenditure are devoted to Mission Ganga and water related Ministries. With the Government

focus on rejuvenating and cleaning water bodies, the Ministry of Environment must be giving special attention on biodiversity management, conservation, etc. which explains the boost in budgetary allocation by more than 10 times. The total allocation for biodiversity conservation programme increased from Rs.2 crore to Rs.27 crore. Immediate focus should be on wet land saving. I think Madam also mentioned that. We are actually reducing wet lands at an annual rate of 2-3 per cent.

Sir, all news is not bad news. There is some really nice and good news for a change. New species of crab spider was found in Telangana. It behaves like a crab but actually it is a spider without a web. This happened just about a month ago. The scientific community named it as 'Thomisus Telanganensis'. This is the name of this crab spider. Not only that, there are so many other species like the Coluber Bolanathi which was also discovered recently. It was almost extinct. Then there is Elachistodon westermanni. It is an egg eating snake which was long thought to be extinct. It has also been re-discovered around Telangana near Golkonda Fort. Actually, a lot of it is in Hyderabad.

In the University campuses, every quarter we find new species including several spiders. There is a lizard that was discovered. It is no wonder and not a coincidence that Mercer's Quality of Living survey rated Hyderabad as the number one city in India to live in. It rated all the cities world-wide but in India it is number one. I think one of the important factors is pollution and environment control. We have been doing well in other factors like cost of living, traffic, etc. I think the Ministry should reward the environmentally conscious cities and States. I hope the Ministry would keep this in mind.

The National Afforestation Programme has actually been reduced from Rs.28 crore to Rs.12.5 crore. I think this again goes against its very own plan of improving environment. In the background of this, let me tell you something about a programme which caught the attention of environmentalists world over and the imagination of school children in our State. It is called Haritha Haram

programme initiated by the hon. Chief Minister who is fondly known as KCR. It is about 230 crore plantations in the next three years and Rs.800 crore per year is our budgetary allocation. Out of these 230 crore plants, 100 crores are in the forest and 130 crores in the non-forest areas and 10 crores are in the city of Hyderabad. We are going to spend Rs. 800 crore. About 3300 nurseries are already initiated and it is the world's largest tree plantation programme. Environment not only affects our State but also the neighbouring States. If we behave well then it helps the neighbouring States and also our country. Once again I would like to request the Central Government to help us in this project. We seek the support of the Central Government in our *Harita Haram* programme of the Telangana Government.

Sir, the Law Minister was here and the other point is regarding one very abused law and it is about the 2006 law where a tribal can actually claim right over the Forest land. It is very important that tribals have claims over the land but unfortunately it is abused more than it is used. The benefits are not going to the tribals. There is a cut off limit. If a tribal is using the land for three generations, then it becomes his, but there is no cut off date. Even today a tribal can go with an industrial backing and can claim the land of his. So, I think, there has to be a cut off date and if there is no cut off date then this has to be more seriously looked into. The law has to be tightened so that only the tribals are benefited by this law.

Sir, the Hussain Sagar lake is the most polluted lake in the country and it is in the heart of Hyderabad. The previous Government had decided to clean it. We are literally emptying it and cleaning it. That will happen in the next twelve months. Once again we need the support of the Central Government in this. I hope, the Ministry works and it is not mutually exclusive. It has to work with all the Government Departments, the Ministry of Industries, the Ministry of Water Resources, the Ministries of Surface Transport, Railways, Health and Tourism, in order to achieve its goal. The development can happen without affecting environment. The Land Bill is coming and I think, both can co-exist –

development as well as environment protection. I think, the Government needs to be innovative and it has to be pragmatic also because if the Government follows the UN, then they say that India has to spend 500 billion dollars for environment protection and that is not going to happen. So, I wish the Government luck. They should be very innovative and pragmatic in their approach. Policies need to change.

Sir, lastly I would like to give some startling facts. The Indian Blackbuck which is famous in Rajasthan where it is revered. It is found in the State of Gujarat also. There are more Indian Blackbucks in the State of Texas than both the States of India and the whole of India. There are many other examples, like there is Indian sandalwood there, but most important from our State is that we have a gene pool of Ongol Bulls. Ongol is a district in the neighbouring State. But there are more Ongol Bulls in South America than in whole of India. I think, these are some of things that we need to protect.

Thank you

*__SHRI LADU KISHORE SWAIN (ASKA):__The Union Budget 2015-16 has allocated Rs.1682 crore as the total budget for the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which wars Rs.2256 crore in the previous year. This indicates 25 per cent budget cut in this year. Within this reduced budget, now government is thinking of ensuring clean environment that includes, water, air, soil etc. The recently released Intergovernmental Panel on Climate change (IPCC) synthesis report suggests to increasingly internalize climate considerations into development planning in developing countries. The effects of global warming on the Indian subcontinent vary from the submergence of low-lying island and coastal lands to the melting of glaciers in the Indian Himalayas, threatening the volumetric flow rate of many of the most important rivers of India and South Asia. In India, such effects are projected to impact millions of lives (as has been seen in recent earthquake in Northern part of India).

In this regard, it is important to highlight that the Union Budget 2014-15 had created 100 crore National Adaptation Fund (NAF). Guidelines to operationalise this Fund are still awaited. Meanwhile, India has begun accessing funds from the Global Adaptation Fund and is ready for the Green Climate Fund (GCF) when the later is operationalized.

It is in this context that I would like to draw the attention of the Minister of Environment, Forest and Climate Change to consider following climate change issues in the budgetary provisions.

The share of Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) in National Clean Energy Fund (NCEF) transfers to various ministries was 80 per cent in Union Budget 2013-14 Revised Estimates. This share was reduced to 34 per cent in Union Budget 2014-15. This decline is largely due

* Speech was laid on the Table

to transfer of Rs.1500 crore from NCEF to support National Ganga Plan under the Ministry of Water Resources. This raises a concern as to whether there could be a further decline in allocation for MNRE from the NCEF because of the financial requirements to address other pressing issues. Further, for the National Afforestation Programme, the Union Budget allocation for 2015-16 declined from Rs.235 crore in 2014-15 to Rs.75 crore with a plea of larger devolution of resources to the states. This has been a major concern in view of the positive impact that it has created in the past.

This is the first time that the Indian government has categorically earmarked domestic funds for adaptation. The National Action Plan on Climate Change (NAPCC, 2008) did sate that India spent 2.63 percent of the GDP in 2006-07 on adaptation programmes in five areas but no figures were given for subsequent years. The five areas mentioned for 2006-07 were: (a) crop improvement and research (5.93 per cent); (b) drought proofing and flood control (3.04 per cent); (c) forest conservation (0.49 per cent); (d) poverty alleviation and livelihoods preservation (44.65 per cent); (e) rural education and infrastructure (26.85 per cent); (f) health (10.75 per cent); (g) risk financing (4.83 per cent); and (h) disaster management (3.46 per cent). It has not been possible to de-construct these budgetary proportions to decipher what adaptation initiatives were funded or to what extent they reduced vulnerabilities to climate variability and built people's resilience. Probably these budgets were for business-as-usual activities under ongoing programmes that aim to safeguard a country that is anyway highly vulnerable to disasters and, as an agrarian society, is exceedingly dependent on temperature and rainfall patterns for its survival.

Subsequent to the release of the NAPCC, none of the adaptation-focused National Missions (pertaining to agriculture, water resources, forests

and scientific knowledge), nor the State-level Action Plans on Climate Change (SAPCCs) that p-rioritise adaptation, have come up with clear budgets to support adaptation activities across sectors.,

Increase the corpus and broaden the scope of the National Adaptation Fund (NAF) so that it adds value to ongoing 'business-as-usual' development programems and/or activities in a transparent and measurable manner, rather than fund stand-alone adaptation projects.

Make climate change adaptation core to India's financial planning for development with all climate-sensitive ministries/State departments ear-marking a clear and measurable proportion of their spending towards building resilient components in their programmes.

Ministry of Environment, Forests and Climate Change issued order on 28 October 2014 pertaining to diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 and STs and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006, which had now exempted State Government from taking prior consent from Gram Sabhas for projects where linear diversion of use of Forest land is involved. Further to this, in case of plantations which were notified as forest on a day less than 75 years prior to the 13th December 2005 and are located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes as per Census 2001 and Census 2011, no forest rights are likely to be recognized and only a certificate from the concerned District Collector will be sufficient without any consent from Gram Sabhas. Such an order will be counter-productive for sustainable development and is opposed to the participatory nature of the decision making process. Hence, we demand the government to reverse such orders which discards specific provisions in the Forests Right Act,

2006 which seeks 'prior informed consent' of Gram Sabhas before acquiring forest land clearing of forests for non-forest activity.

This order is released after taking consent from Ministry of Tribal Affairs, which raises concerns that whether the nodal ministry for Tribal Affairs carried out due diligence before giving such consent as there seems an ignorance of rights of tribal communities.

Order also allows for forest clearance for linear diversion of forest land such as highways, pipelines, rail tracks etc. which will cause an infringement in ecological balance of forests and may lead to rapid depletion of India' forest cover due to possible start-up of other related business activities along these linear projects in future. There is need to review this order with inclusion of cumulative impact assessment process of proposed project in view of future scenarios, along with following a participatory decision making process.

In a country where the economy is inextricably tied to climate-sensitive resources at several levels, Rs.100 crore as a national adaptation budget is just notional. This needs to be scaled up and rationalized with external funds for adaptation provided under UNFCCC and through bilateral and multilateral aid.

There is a need for capacity and skill building on better assessment of climate vulnerabilities and delivery of adaptation interventions at all levels and across all sectors- health, education, livelihoods and disaster mitigation and rehabilitation. This would include, for instance, skill in collection of climate data (including, for example, from panchayat and village-level rain gauges), assessing risks and monitoring adaptation outputs and outcomes.

The developmental budgets in agriculture, rural development and health saw drastic decline in the allocation in Union Budget 2015-16. These

are the most vulnerable sectors to climate change and require robust developmental budgets with additional adaptation financing. With the creation of the National Adaptation Fund, it is high time to introduce sectoral monitoring of financial outlays based on common databases and facilitated by GIS techniques.

*__SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL):__ I thank our beloved leader Hon. Makkalin Mudalvar Idhaya Deivam Puratchi Thalaivi Dr. Amma for having given me an opportunity to represent Central Chennai Lok Sabha Constituency in this august house and also for enabling me to express my views on the Demands for Grants for the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for the year 2015-16.

The Budget allocations for the Ministry of Environment, Forests and Climate Change stands at Rs.1,681 crores out of which Rs.1,446.00 crores for Plan outlay and Rs.235.00 crores for Non-plan outlay. The last fiscal 2014-15 outlay was Rs.2,256.00 crores out of which Rs.2,043.00 crores was for plan outlay and Rs.213.00 crores for Non-Plan outlay.

The total Budget Estimates for this Ministry has seen a decrease from the previous Budget Estimates for the last fiscal 2014-15.

While the need of the hour is to increase the allocations to the Ministry to facilitate increase the area of our forests and protect them. In line with the global concern for the environment and wildlife issues, we should strive to concentrate more on this deserving frontier area so as to see that we do not lag behind other nations in protection of the environment.

The climate change has affected our country more than any other nation. The failure of or insufficient rain, untimely rains, untimely floods, severe drought etc are due only to the global climate change. We need a more evolved policy to understand and deal with the climate change issues.

The revised guidelines prepared by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change on the issue of forest clearance process by limiting powers of the gram sabhas to decide on the development areas is not a welcome step. Even the Ministry of Tribal Affairs has strongly objected to these revised guidelines.

* Speech was laid on the Table

The Government should relook this issue and take positive steps to protect our forests.

We have heard reports that there is proposal to change the National Animal. The Tiger is our special animal to India and it should continue to be our National Animal. There is no justification to change it.

Tamil Nadu Government led by the able guidance of Hon. Dr. Amma has shown particular interest to animal welfare and particular care has been taken to conduct annual camps for temple elephants at Mudumali Wildlife Sanctuary for the rejuvenation of the temple elephants. Such good schemes should be studied by the Central Government for replication on a national scale.

I would, therefore, earnestly request the Government to reconsider all environment, forest and climate change issues and increase the present allocation to reasonable levels.

[*]**SHRI V. ELUMALAI (ARANI):** The environment issue is an issue of public importance. It is gaining in all aspects of our life. I am glad that the government has been paying much attention on this issue whether it is conversion of forest land, pollution of river, air pollution, noise pollution, etc. The National Green Tribunal has come and is quite active now a days. I have come across with a news report that the government is considering to create or revise many of the existing environmental laws in consultation with the state government. It is a good idea because the environmental issues have to be dealt by the state governments and overall supervision with the union government. What I have come across that many state governments were not able to implement the directions of all the directions of the pollution control boards because of the paucity of funds. The directions of installing sewerage treatment plants is an issue because it involves huge amount of money. Therefore, it is my urge that the government should provide some sort of assistance to state governments for installation of STP.

Another issue which I would like to mention here is that the tribal people who were living in forest area in which they were living from a period unknown because of the rigid environmental laws, these people are deprived of many developmental activities, such as laying of roads, etc. Therefore, in the interest of the tribal people, I urge upon the government to relax some of the provisions of the environmental laws, so that for the welfare of tribal people living in the forest land can also enjoy some of the benefits which the people living in other areas are already enjoying. I would also like to bring to the notice of Hon. Minister that there were reports of people having lost their lives after consuming water from river. Such is the

[*] Speech was laid on the Table

level of water pollution in rivers. The Government should take a note of it and assist the state governments to make the rivers clean and neat.

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Sir, thank you very much for giving me this opportunity. This is an important Ministry and hence this discussion has got great significance. Though the Finance Ministry and the Government as a whole does not consider this as an important Ministry as is evident from the inadequate allocations made in the Budget for this Ministry, yet I feel that this is an important Ministry.

Sir, while I rise to speak on this subject, I remember a famous Malayalam poem written by a legendary poet, Jnanpith Award winner, Shri O M V Kurup and the poem is titled `An obituary for the earth'. The poem starts with these lines, *Eniyum vare marikyatha bhumi thinnu assanamrathiyul thinaku athamshanthi.* An approximate translation is like this -- `O Earth, let me pay my homage to your soul in your imminent death'. This was the apprehension and the pessimism expressed by that legendary poet and this poem was written some 25 years ago.

Since then, the situation has only worsened. Threats to environment and nature have only increased. Why is this happening and what is the real threat to environment and nature?

The real threat emanates from the unending human greed to be specific, greed for profits and that greed is led by corporates. So, the corporate greed for super profits is the real threat to our environment.

16.00 hrs (Shri Pralhad Joshi *in the Chair*)

Sir, this corporate greed is being aggressively promoted by neo liberal policies and this is being done in the name of economic growth. This Government, through its adherence to neo-liberal trajectory has precisely permitted the corporates to loot nature and make super profits.

I hope the hon. Minister will listen to me because these are some of the criticisms that I would like to make which he has to reply to.

This Government's utter disregard for environmental concern is evident from the following facts. Firstly, it was this Ministry under the hon. Minister, Shri

Prakash Javadekar, which gave clearances for 190 projects worth Rs. 6.31 lakh crore in less than a year. This Ministry has been reduced to a Ministry of clearances.

I would like to request the hon. Minister not to reduce this Ministry into a Ministry of clearances but this should be a Ministry of enforcement of environmental laws.

Unfortunately, rather than enforcing existing laws in an effective manner and ensuring their compliance, the Ministry is very keen in diluting, dismantling and demolishing the existing environmental laws in favour of corporates.

I have to criticise the policies of this Government, particularly this Ministry, under the leadership Shri Prakash Javadekar. Of course, he is a good Minister with a smiling face. Despite all this, I will have to make a criticism of his policies. It was this Ministry, under his stewardship, which appointed a High Level Committee with a sole purpose of diluting all existing environmental laws to benefit the corporates.

Sir, due to paucity of time, I do not want to go into the details. It was this Ministry which is facilitating large scale diversion of forest land.

I would like to appeal to the hon. Minister to let us know and inform the House as to how much forest land you have allowed to divert in the last one year. Large scale diversion of forest land is taking place and that also goes to the benefit of the corporates.

Sir, the double speak of this Government as far as environmental protection is concerned is evident in your hypocratic stand which you have taken in the Aranmula Airport Project.

I am coming from the State of Kerala. The majority of people in Aranmula and Kerala are opposed to this Airport Project. An environmental impact assessment study was carried out earlier and the National Green Tribunal had nullified that environmental impact study. Recently, you have again allowed

fresh environmental impact assessment study. It is not only the Left Party but also your party is participating in the agitation against the Aranmula Airport Project.
So, please make your stand clear and categorical as to what is your position regarding the Aranmula airport project. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI M.B. RAJESH: I will conclude within two minutes.

HON. CHAIRPERSON: You please conclude within a minute.

SHRI M.B. RAJESH: I will come to India's international position in climate related negotiations and issues. This Government is succumbing to the pressure of the United States and other developed countries. This Government is going to sacrifice India's position of 'common but differentiated responsibilities' as far as emission cuts and climate changes are concerned.

There was a report in *The Business Standard* that this Government is formulating its targets for fighting climate change for the global deal that is to be signed in Paris by the end of 2015. The hon. Prime Minister has stated that India can truly show the way to the world in mitigating the climate change. When the United States and the European Union are taking a different position, why is India unilaterally acting and unilaterally trying to set targets for emission cuts? I do not understand as to why we are taking such a position. … (*Interruptions*) I hope the Minister will make it clear.

Not only that, the Government is thinking of fixing sector-specific targets for emission cuts. I wonder what will happen to the much-orchestrated 'Make in India' campaign. What will happen to 'Make in Inda' campaign if we are going to fix sector-specific targets for manufacturing sector? What will be its impact on manufacturing sector? What will happen to your much-orchestrated 'Make in India' campaign? So, what is the necessity of taking such unilateral action?

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI M.B. RAJESH: This is my last point.

I would like to request the hon. Minister not to deviate from our position in international forums and please make it clear as to what will be our position in the forth coming climate summit to be held in Paris at the end of 2015? All the allocations have been drastically reduced. I express my concern over this.

With these words I conclude. Thank you.

[*]श्री पी.पी. चौधरी (पाली): मैं सरकार का ध्यान राजस्थान राज्य की सबसे प्रदूषित नदी की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र की बांड़ी नदी व नेहडा बांध लगातार भयानक रूप से प्रदूषित होते जा रहे हैं। वर्तमान में स्थिति बद् से बद्तर हो रही है। पीने के लिए भू-जल का पानी खराब हो चुका है। पानी के किनारे बसने वाले पशु-पक्षी भी नगण्य के बराबर दिखते हैं, क्योंकि वे भी जानते हैं, इस पानी को पीने के बाद उनकी मृत्यु तय है।

इस संबंध में राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल व केन्द्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल आदि के द्वारा उठाए गए कदम व दिए गए निर्देश नाकाफी रहे हैं। यहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में भी निरंतर गिरावट देखी जा सकती है। पाली जिले के किसानों की जमीन बंजर होती जा रही है और यदि उस जमीन पर कुछ उग भी आता है तो उसकी गुणवत्ता बहुत ही निचली किस्म की होती है, जिसे बाजार भाव में बेचा जाना संभव नहीं होता। राज्य पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यहां विचरण करने वाली पशुओं में बांझपन, प्रतिरोधक क्षमता व उत्पादन क्षमता में कमी आदि दर्ज की गई है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण करने के अनेक उपायों पर विचार किया जा चुका है, जो काफी नहीं रहे।

इस गम्भीर समस्या का निदान किया जा सकता है, लेकिन उसकी लागत बहुत अधिक है राज्य सरकार और औद्योगिक इकाइयां इसे वहन करने में असक्षम है। केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक बजट जारी करने के बाद ही इस समस्या को दूर किया जा सकता है।

अतः मेरा माननीय जल संसाधन मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार द्वारा विशेषज्ञों की टीम को राजस्थान के पाली जिले में भेजा जाए ताकि पाली जिले की इस गम्भीर समस्या को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विस्तृत योजना तैयार की जा सके।

मैं अरावली पर्वत श्रृंखला के उस भाग की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो कि राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अंतर्गत राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर आदि जिले आते हैं। पहले से ही राजस्थान में पेड़ों की भारी कमी है और अरावली पर्वत श्रृंखला पर पेड़ों की रक्षा के लिए कोई उपाय ना होने से दिन-प्रतिदिन पेड़ नहीं के बराबर दिखाई देने लगे हैं। जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है और इसकी मार राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा हिन्दुस्तान झेल रहा है। मानसून की अनियमित और अनिश्चितता इसका एक उदाहरण है। यदि सरकार ने इस संबंध में कोई गम्भीर उपाय नहीं किए तो इसका दुष्परिणाम जल्द ही भुगतान होगा।

---

[*] Speech was laid on the Table.

मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे अरावली पर्वत श्रृंखला पर, विशेषकर राजस्थान के क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए विशेष कदम उठाएं तथा पर्वतों पर वृक्षों की हो रही अवैध कटाई को रोकने के लिए भी उपाय करें।

इसी के साथ, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के लिए प्रस्तुत मांगों का मैं समर्थन करता हूं।

*__SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR):__ The importance of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change cannot be overstated enough in today's age. Given the impact of Climate change on agriculture that affects over 60% of our population and the devastating natural calamities that have happened in recent years, it is imperative that we focus on this sector. The same approach was underlined in the 12th Five Year Plan which recommended huge allocations, but that is not reflected in the budget. Up till 2013-14, allocation had been increasing every year for the Ministry, however from 2014 onwards a complete shift in trend has happened. In 2014-15, the Government reduced allocation by 13%. Now, this year the Government has reduced the allocation again by 19%. This is absolutely worrying in the face of the challenges before us.

The Government has allocated Rs.137.06 crore for Tiger Projects, as compared to Rs. 161.92 crore allotted last year. This is a decrease of 15% from last year. This is extremely unfortunate as tiger is the national animal of our country. Yet the population of tigers in the Country as on 2014, is only 2,226. Although, the population has increased in recent years, experts believe that this 30% increase is partly due to counting errors in previous years. As per data by the Wildlife Protection Society of India, at least 110 tigers were killed in 2011-14, barely a drop from the 118 poached in 2007-10. We have 70% of the world's wild tigers on less than 25% of the world's tiger habitat. This itself suggests that we must sustain our effort to protect and conserve this habitat.

In my constituency, Chamarajnagar, there are two tiger projects being run by the government-Bandipur National Park and Tiger Reserve, and BRT Project at both these Tiger Projects. There is need for the Government's support to maintain and protect the increased population of tigers. Various experts have also called for the Government to come forward on this front.

There is also increasing number of instances of casualties caused due to human animal conflict across the country. The data of such instances is not

* Speech was laid on the Table

maintained centrally but the Ministry has accepted the problem. In such instances, people who live closest to reserves, that is the tribal population is most affected. There are two issues in the Government's efforts. First is the issue of compensation being provided by the government in cases where people are killed in human animal conflict. At present, the Government is providing Rs.2 lacks as compensation under Project Tiger. However, this is not sufficient. I urge the Minister to increase this compensation. Secondly, at present, the Government's approach on human-animal conflict is more reactive than preventive. The issue requires concern effort of the Government focused on prevention of such instances. There is a need for more allocations towards solar fencing and awareness, so that the risk of human-animal conflict can be mitigated. I urge the Minister to take appropriate steps on the issue.

The Forest Rights Act, 2006 has been implemented since 2008, and provides rights to forest dwellers to own, access and take decisions regarding the forest area. Under FRA the Gram Sabha regulates access to forest resources and can stop any activity, which adversely affects the forest.

The Government recently laid down that instead of tribal village councils certifying that their rights had been settled and they had consented to projects, the district administrations would be empowered to do so in 60 days, regardless of the number of villages affected by the projects. On 28th October 2014, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change had sent out a letter to all States giving rights to the District administration to divert forest area for other purposes.

Even the Tribal Ministry has written repeatedly to the Ministry of Environment and Forest on the issue. As per reports, the Tribal Affairs Secretary, has written that there was no proof that the Forest Rights Act was delaying projects. The letter clearly mentions that the Ministry of Environment and Forest is short-circuiting the legal process of consent.

For tribals, across the country, the Forests Rights Act is the most important tool for empowerment. These are the communities that suffer most due to

degradation of natural resources. This dilution, gives a message that the government is not concerned about the peace and governance of forest areas. I urge the Minister to withdraw any such notifications that dilute the Act. Clearances for environment and forest must not come at the compromise of tribal rights.

As per a report by the World Health Organization (WHO), Delhi's air pollution is the highest in the World. Besides this, as many as 13 Indian cities are the top 20 cities in terms of air pollution. As per reports from all over the World, the link between high air pollution and health concerns is clear -cut. One study by top universities in the US has claimed that Indians are losing on an average 3 years of their life span because of high air pollution. It was in the light of this, that President Obama, on his recent visit to Delhi bought air purifiers, which were installed at the Republic Day Parad. The Ministry has been dismissive of these reports on health concerns. Would the Ministry, in this case commission an independent study on the matter so that the link between health risks and air pollution can be ascertained?

At the same time, the Ministry has stated to the Delhi High Court, that as of now, there is no action plan to tackle the issue of air pollution in Delhi. I urge the Ministry, to not only come up with an action plan for Delhi but also for cities that are facing an air pollution crisis. This includes Bangalore, Delhi, Agra, Kanpur, Lucknow, Varanasi, Faridabad, Ahmedabad, Chennai and Hyderabad.

The Government has recently launched National Air Quality Index (NAQI) for monitoring air quality across 10 cities. However, in three cities the data has been found to be insufficient to monitor air quality. Across these cities, monitoring infrastructure has been found to be lacking. In some cities only one monitoring station exists while various monitoring stations are unfunctional. I urge the Minister to look into these issues so that the monitoring initiative is successful and does not merely exist on paper.

*SHRI C.R. CHAUDHARY (NAGAUR): It is my pride privilege to participate in the discussion on Demands for Grants of the Ministry of "Environment, Forests and Climate Changes". I would like to thank the hon. Prime Minister and hon. Minister for Environment, Forests and Climate Change for strengthen the Department and also for bring the innovative schemes in the last eleven months.

It is necessary that the genuine problems of the public should be addressed without disturbing the environment and ecology. I would like to appreciate the Government for clearing the long pending issues related to Railways, National Highways and Water Resources. Many projects were pending in the absence of clearance from the Forest Department. The Government has decentralized the power of clearing such cases.

At this juncture, I would like to request the hon. Minister to have a positive view over the mining of non-metallic minerals which are pending for environment clearance. Persons who want the lease of mining of limestone, chino clay or gypsum have to go for Environment clearance. They have to roam here and there and hamper the mining activities.

The Environment Ministry is doing a lot for banning the thin plastic bags. I would like to request for complete banning of it.

India is having the forest in small percentage in comparison to other countries. All that land which cannot be brought under the cultivation should be used for forestation. Desert and semi-desert areas should be brought under social forestry and farmers should be given incentives for plantation. Special package should be given to Rajasthan for aforestation under social forestry.

I would like to urge to the hon. Minister for giving due attention towards the "global warming". Schemes should be brought to maintain the ecological balance. Air pollution and deforestations are main causes of global warming and

---

* Speech was laid on the Table.

both the elements are to be considered while framing the policies. I would like to request the Government to keep the topics related to environment in the syllabi of the elementary and secondary level education, so that the habit of conservation of environment can be developed.

I would also like to request that the Government should fill up the vacant posts of the Forest Department who look after the Reserve forest, sanctuaries and wildlife.

Lastly, I welcome the decisions and pragmatic approach of the Ministry in maintaining the ecological balance in the country. I hope and wish that under the dynamic leadership of our Prime Minister this Ministry will do a wonderful job for the people of this nation by aforestation, by securing the wildlife and by maintaining the environment.

With these words, I support the Demands for Grants presented by the hon. Minister.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Mr. Chairman, Sir, thank you. Every civilized society has a responsibility to take care of its environment and forest. In a developing country like India we have seen how human greed has affected our forest cover and our environment. Although our forest cover has been increasing at the rate of 0.46 per cent from year 2000 till now, it is not substantial and we need to increase our forest cover. Though the social awareness level has been growing, the actual impact is very less. The 14th Finance Commission has allocated 7.5 per cent for increasing the forest cover. It is a welcome move. This 7.5 per cent is by way of devolution of union taxes to States. What we need is negative incentives so that the States are under pressure to increase their forest cover.

In my constituency, Rajampet, which is in Andhra Pradesh, we have 80 per cent of the world's red sanders tree. This is in the Seshachalam forest area. Red sanders is in the endangered list of our Central Government. Each tonne of red sanders cost Rs. 24 lakh to even Rs. 1 crore. This is the reason why a lot of smuggling is happening. These trees are being felled very rampantly. The Government is unable to control the smuggling of this red sanders. Recently the Central Government has given permission to auction and sell the confiscated red sanders.

We request the Central Government to step in and control the smuggling of the red sanders. The proceeds of this auction should be used for development of the red sanders, protecting the forest cover and protecting the red sanders throughout the State. It should not be diverted for other purposes. We also request that a comprehensive National Policy on sand mining should be there. Extensive mining of sand is depleting water resources and creating an imbalance in our ecology and environment, especially in the Rayalaseema Region, there has been a huge depletion of water table. The Government should look for alternative sources of resources which can replace sand. There must be a balance between environment and development. Faster economic growth is directly proportional to

reduction of poverty. For this, our country has to grow at 10 per cent in the coming years. To sustain this 10 per cent growth, we need huge investments in infrastructure and various other manufacturing industries. We have no choice but to increase our power capacity by close to two lakh MW in the coming five years. Under pressure from the NGOs and people with vested interests, many large aluminium, steel, cement and thermal projects, for which initial clearances were given, have been stalled. This is not good for our country in the global scenario. Uncertainties like this will discourage people from coming to India.

Now, we are having slogans like "Make in India" but it will be a far-fetched reality if we do not act in time and clear all these uncertainties. Even our former Prime Minister Dr. Manmohan Singh said in one of his statements that NGOs funded by foreign companies try to stall the Koodankulam Power Project. If such is the case, we should know that even other projects would have been stalled by vested interests. At a time when we must be growing, we find projects with huge investments are stuck for environmental and forest clearances.… (*Interruptions*)

Unfortunately, it is the nationalised banks and small investors who put in their life savings into these companies who are at stake. No person would oppose genuine steps to protect environment, particularly the tribal people who are dependent on the forests. But if we have economic and strategic mines in the tribal areas, we should definitely make use of these resources and use the profits for the development of the tribal people.

Coming to forests, the BK Chaturvedi Committee dealing with coal block allocations observed that only 0.75 per cent of the total forest cover is required for giving clearances to all the coal blocks of the country. The Committee also observed that it can power two lakh MW of power in our country. It suggested that instead of stopping mining, the Government can impose a tax on these mines and afforest at least 100 more degraded forests in our country.

I would conclude by saying that our Party has cautioned in the past and we are saying it again that unless the PMO, where all the Union Ministries converge,

has a mechanism to monitor all major projects on a daily basis ensuring that all inter-Ministerial clearances are given on time, we will be back to square one. All our good intentions and aspirations will just remain on paper and *Achhe Din* will be very far away.

***श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली):** जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण होता है और यह परिवर्तन विश्व वातावरण की संरचना को बदल देता है। पृथ्वी की जलवायु हमेशा बदलती और विकसित होती रही है। इस प्रकार के कुछेक परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से होते हैं लेकिन अन्य के लिए मानवीय क्रियाकलाप जिम्मेदार होते है, जैसे पेड़ों की कटाई, उद्योगों तथा परिवहन से वायुमंडलीय उत्सर्जन, जिसके कारण वायुमंडल में गैस तथा ऐरोसॉल्स एकत्रित हो जाते हैं। इन गैसों को ग्रीनहाऊस गैस कहते हैं क्योंकि ये गर्मी को रोक लेती है और धरातल के निकट वायु के तापमान को बढ़ा देती है और पृथ्वी की सतह पर ग्रीनहाउस की भूमिका अदा करती है।

ग्लोबल वार्मिंग ने समुद्री स्तर, बर्फ की चादर तथा वर्षा को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। हवा के तापमान में बढ़ोतरी द्वारा जलवायु के क्षेत्रीय पैटर्न में होने वाले परिवर्तन ने विश्व के कई भागों में जल संभरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करना पहले ही शुरू कर दिया है। यह बढ़ता हुआ तापमान और बढ़ता हुआ समुद्र स्तर मीठे पानी की उपलब्धता, समुद्री खारेपन, खाद्य उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। यह तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर सकती है और जलजनित विकारों का प्रकोप बढ़ सकता है।

जलवायु परिवर्तन विकास के समक्ष एक बड़ा खतरा है, जो गरीबी मिटाने और समृद्धि को जनता में बांटने के प्रयासों को कमजोर कर सकता है। अगर कोई मजबूत और त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो धरती के तापमान में डेढ़ से दो डिग्री की वृद्धि हो सकती है। इसकी वहज बीते समय और वर्तमान समय में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन है। इस तापमान बढ़ोतरी के चलते समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और चक्रवातों के जल्दी-जल्दी आने का खतरा बढ़ रहा है। मात्र दो डिग्री की वृद्धि से ब्राजील की सोयाबीन फसल का उत्पादन 70 फीसदी तक कम हो सकती है। दो डिग्री की वृद्धि से दुनिया में मक्का, गेहूं और अंगूर की फसलों के उत्पादन में 50 फीसदी की कमी आ सकती है। उत्तरी रूस में इसके कारण बर्फ के ढके क्षेत्र में लगातार बर्फ पिघलेगी जिसके चलते नुकसानदायक मीथेन गैस के उत्सर्जन में वृद्धि होगी।

वैश्विक तापवृद्धि से निपटने हेतु संभावित उपायों में शामिल हैः रसोई गैस सब्सिडी को केवल जरूरतमंद लोगों तक सीमित रखा जाना जिससे कच्चे तेल के आयात में कटौती सम्भव है। एलईडी के इस्तेमाल करने पर देश में कई अरब यूनिट बिजली की बचत हो सकती है। सरकारी बैंक देश में ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर एवं विंड एनर्जी को प्रमोट करने के लिए सस्ता एवं सुविधाजनक लोन उपलब्ध कराए। हरित कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। हमारे देश की लगातार बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हमें अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकीय कार्यक्रम की सम्भावनाओं को तलाशनें की जरूरत है। सार्वजनिक

---

* Speech was laid on the Table.

परिवहन प्रणाली को अपनाए जाने से भी प्रदूषण का स्तर कम करके उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। भारत में मनरेगा जैसी राष्ट्रीय स्तर की योजना को ग्रीन इंडिया मिशन से जोड़े जाने से जलवायु परिवर्तन द्वारा वैश्विक तापवृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है।

अब समय आ गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले वैश्विक तापवृद्धि से मुकाबला करने के लिए पर्यावरण हितैषी और कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले शहर विकसित करने पर जोर दिया जाए तथा संभाव्य जलवायु सम्बंधी खतरों से सुरक्षित रहने के लिए समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए।

*SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Environment and Forests is the subject which is directly connected to future generation of the country. Protection and improvement of the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife is the priority and paramount consideration of both states and Union Government. By looking at the figures of allocation of funds in the budged for 2015-16, the Union Government appears to have not taken this flagship programme seriously. Any Government should always think of the future of this country. Preservation of natural environment is not sufficient. The said natural wealth should be improved. We have been seeing that thick forests are day by day becoming thin. A lot of well grown trees in the forests are mercilessly cut and removed. Illegal deforestation activities are rampant throughout the country. The size of thick forests is being reduced slowly due to the illegal activities.

Plantation of saplings is not becoming an important programme to improve the forests and at least to maintain the status quo of the size and thickness of the forests. Both State and Central Government should take the rainy season of the every year on war footing to plantation of the saplings. In addition to this, the plantation programme should also be introduced at school and college level. The children should be made known about the importance of the programme of plantation of saplings.

* Speech was laid on the Table

Both States and Union Government should ensure some mechanism to crate awareness programme among the general public about the importance of the preservation, protection and improvement of natural environment including forests, lakes and rivers. This awareness should make the people know about their duties and responsibilities to become part of the nature taking the future of this country into consideration.

Protection and improvement of wild life is also equally important to balance the nature. This is a big challenge to both States and Central Government. Simple decisions can protect and preserve lot of wild animals. Government should evolve a long time programme for this purpose.

The existing laws to protect the wild life is neither stringent nor properly implemented. Hence the Union Government should look into this aspect also.

Illegal mining activities in forests and also mining of sand is becoming a big menace in the whole country. This act has got direct impact on the protection of environment. Hence this illegal mining activities in the forests and also the sand mining should be viewed very seriously. Illegal sand mining is not only causing impact on the environment but also a big cause of depletion of underground water.

Pollution control is also a serious matter in the country. Pollution control Boards both in the States as well as the Centre have become toothless. They have virtually become centers for issuing certificates for fulfillment of the legal objection. The very purpose of establishment of these boards is defeated since they are not discharging their duties and responsibilities properly.

With these words I conclude.

*SHRI B.N. CHANDRAPPA (CHITRADURGA): I think this Government is attaching scant attention to this Ministry, which is very vital for sustainable development. To me this Ministry is very important. If the proper attention is not given to this Ministry, the environment of the whole Government will suffer.

I think our country is facing an ecological crisis. As we all know, every day our vehicles, our factories and our power plants are spewing carbon dioxide out into the air. Our air-conditioners and refrigerators are spewing carbons into the atmosphere as a result of which we are having a shield over the atmosphere on the earth which creates greenhouse effect and which is leading to global warming. If it is not checked, it will ultimately lead to many low-lying areas being submerged under the sea. Already the glaciers are melting very fast and the threat of climate change is looming over the world.

The other problem is that this carbon dioxide emission may be controlled by planting trees. Trees have a great capacity of absorbing carbon dioxide and converting it into oxygen.

By cutting our forests, we are destroying that means of purifying our air. Hot only that, over the years, there has always been a debate between environment and development. What is happening now is that the industrially developed countries of the West are trying to impose environmental norms on our country. So, the main question is of striking a balance.

The Environment and Forests Ministry is the nodal agency for looking into all these aspects of environment and the problem of air pollution and water pollution. Just look at our cities. We are discharging sewage into the rivers that flow by. Our factories are discharging sewage into our rivers. Now, it is high time that Government of India took a holistic view on the question of environment, climate change, water and air pollution and afforestation. Unfortunately, that is lacking.

* Speech was laid on the Table

There are many areas on which we can talk. The Environment Ministry has a big list. It has got the Botanical Survey, the Zoological Survey; it has got the Forest Research Institute. It has got a huge bureaucratic framework but ultimately the matter of environment can only be achieved by total co-operation of the people, by raising the consciousness among the people. Today, in good schools of the cities, they are teaching environment. But the large masses are not yet alert to the problem of environmental degradation.

It was mentioned by the Minister that the environmental clearances will be given online. But there should be a time-frame fixed for this purpose. We need to follow a model of sustainable development. If we want to achieve 8 per cent or above growth, then we have to ensure that it is a low-carbon growth. As it is, still at the rate that we are going, even in 2030, India's per capita carbon emission will be less than that of any of the developed countries. So, we should take care of it in time so that we follow the road of development.

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Sir, at the outset, I would like to say that I tabled the Standing Committee's Report as I am a Member of the Standing Committee. But, on perusing the Report in its entirety, I would say that what unfolded is a saga of benign neglect. I am sad to say and I am sad to see the kind of cut in the allocations that this Ministry has seen. What will be the impact is the very theme of this Report. I quote from the Report:

> "Mother earth has enough to support our needs but not enough to support our greed."

Today, this Report is urging upon the Government to identify areas of policy and legislative improvements that will be crucial for laying down a green roadmap. There is no doubt that environment in our country is entering into a stage of deep crisis. Today, what we see when we peruse the budget? Today, we see that this Government has deliberately under-funded this Department, under-funded our environment. Today, repeatedly Members in this House have said that the meagre allocation of Rs.1,446.60 crore has been given as opposed to the demand of Rs.4,440.20 crore. Today, we have seen that the Ministry has rationalised eight schemes of the 11th Plan to five schemes in the 12th Plan. As a consequence, thematic schemes have been reduced from 22 to 18. No doubt, the scheme on climate change has become a stand alone thematic scheme. But today even Project Tiger has seen a cut of 15 per cent. Today, the only schemes that are fully supported by the Government of India are Project Tiger and Project Elephant alone.

In the light of this allocation, this Committee has requested the Finance Minister that at the stage of RE, proper allocation should be given. Why is it worrying? Today, when the Standing Committee asked the officers of this Department as to what is going to be the impact of this cut, they gave a list of whole lot of areas which are going to take the hit of this cut.

Out of that, this is from paragraph 16.14 – prevention and control of pollution. आज देश के प्रधान मंत्री देश और विदेश में जाकर स्वच्छ भारत की बात करते हैं। आज जहां हमें भारत को स्वच्छता की ओर ले जाना है, इस मिनिस्ट्री को देखना पड़ेगा – what is the condition of air and water? Today, with rapid urbanisation, I ask the hon. Minister – does the amount of sewage generation match our treatment capacity? It does not. If 36,000 MLD sewages is expected to be produced in India, we need more than Rs.1 lakh crore to give this nation an adequate sewage system. To make matters worse, जब जावड़ेकर जी मंत्री बने तो उन्होंने स्टेटमैंट दिया - that I will change the culture of this Ministry. What he meant? I don'tknow. लेकिन मैंने जो देखा है this Government is in a hurry. Hurry for what! That India should climb up the World Bank's Ease of Doing Business Index. What is the priority of this Government? It is `Make in India'. I come from a constituency known as Silchar. Silchar to Saurashtra जो महासड़क है, आज इनवायरमैंट क्लीयरैंस is so important for development यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता - because the people of Barak valley are till today waiting for environmental clearance and मैं जीतने के बाद ही जावड़ेकर साहब से मिली थी। So, State has now sent everything to you. Ball is in your court, Sir. जरूर कीजिए। मैं यह उदाहरण के हिसाब से क्यों कह रही हूं द्व that a message must not go that Congress is a party of anti-industry, that Congress is a party of anti-development. Today, we want business to be easy; but we want we should also be able to breathe easy. आज सुब्रहमणियम कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई। लोग कह रहे हैं कि यह इनवायरमैंट फ्रैंडली है या इन्वैस्टर फ्रैंडली है। आज देश में यह सवाल उठ रहा है। मैंने कहा आप सुब्रहमणियम कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे if you read the Subramaniam Report, you would see that they are removing the criminal liability and bringing in civil liability. Is this to help the corporates? Today, are we saying – pay and pollute? Today, I request that this Ministry must pay heed to the recommendations of the Standing Committee and no go ahead in toto with the recommendations of the TSR Subramaniam Committee.

Today, National Board of Wildlife - आज एक माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत सारे एप्रूवल्स हो गए हैं। सुना है 789 एप्रूवल्स हो गए हैं। सवाल यह उठता है कि 140 एप्रूवल्स को इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्टे कर दिया। Have you constituted that body properly? Have you given a body of 10 individual experts? Have you included five non-Governmental institutions? Today, in the coal mining sector, where the capacity is less than 16 MT per year, have you removed the provision of no public hearing? Today, have you diluted the impact assessment, the EIA rules? Today, will you allow projects within five kms. of the protected area to go ahead without the permission of the National Board of Wildlife? Will this Government amend the Forests Rights Act discarding the need of prior informed consent of the Gram Sabha? फिर जो लैंड बिल में इस सरकार की हालत हुई है फॉरैस्ट राइट्स में भी वही होगा।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

KUMARI SUSHMITA DEV : Sir, last but not least, the National Green Tribunal is the only environmental court of this nation. It was set up to fulfill an international obligation made in the Rio Conference. So, the powers of the National Green Tribunal must not be diluted in future. This is my humble request to the Minister. आप इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, मेरा अनुरोध है कि protect our environment. Let the youth of India breath easy ब्रिथ इजी करेंगे तभी मेक इन इंडिया से नौकरी मिलेगी, इम्प्लायमेंट मिलेगी।

*SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): The year 2015 is likely to be momentous with the world set to witness new agreements on climate change and sustainable development. The global agreement on climate change under the UN Framework Convention on Climate Change applicable to all countries must ambitious, comprehensive, equitable, and balanced, taking into account the huge development needs of developing countries including access to financial resources and low carbon technological options. In India, landmark environmental measures introduced in recent years reflectiong actions both at national and sub-national levels are being further supplemented by policies in the light of new scientific findings and current needs.

Finance Minister's focus on growth and equity is incomplete. He should have acknowledged the trade-off between the need for energy and the imperative of environmental protection. The Finance Minister made no mention of natural gas. This, despite the fact that gas is the cleanest of all fossil fuels and that 20 GW of generation capacity has not been operationalised because of inadequate gas supplies and poor pipeline infrastructure.

India tries to change the game on climate change. The Indian Government has made a notable and innovative claim of late, one which might upturn the standard assumptions by which climate change negoiations are held. It has pointed out that India has moved from a carbon-subsidisation regime to the one where carbon spewing is taxed. This puts India among the very few countries that have included financial mechanisms like carbon tax in their strategies to deal with the threat of climate change. This shift has been brought about through recent government measures, such as decontrol of diesel prices and imposition of higher excise duty, and cess on petrol and diesel. These, as the government has correctly pointed out, amounting to putting a price on emissions. Finance Minister Arun Jaitley maintained while presenting the Union Budget that the country's de facto carbon tax on most petroleum products compared favourably with international

* Speech was laid on the Table.

norms. According to Economic Survey, the duties levied on petroleum products are equivalent to a carbon tax of $ 140 a tonne for petrol and $ 64 for diesel- substaintially above the global initial carbon dioxide (CO_2) emmission taxation norm of $ 25 to $ 35 a tonne. When translated into emission reductions, this level of taxation is tantamount to a net curtailment of 11 million tonnes of CO_2 discharge in a year, or 0.6 per cent of India's annual emissions.

To combat wildlife related crimes, a Wildlife Crime Control Bureau under the Director, Wildlife Preservation has been constituted with 5 Regional Offices viz., Delhi, Mumbai, Kolkatta, Chennai and Jabalpur and 3 Sub-regional offices at Amritsar, Guwahati and Ramanathapuram.

Wildlife Division of the Ministry provides technical and financial support to the State/UT Governments for Wildlife conservation under the Centrally Sponsored Scheme - Integrated Development of Wildlife Habitats and also through Central Sector Scheme -Strengthening of Wildlife Division and Consultancies for Special Tasks, and through Grants in Aid to the Central Zoo Authority and Wildlife Insitute of India, Dehradun.

In accordance to the Laws of Nature we are tuning our body and mind when the environment is poisoned, the entire life of human being would be jeopardised. I consider every tree is valuable than the human being. If a tree dies, who will carry the dead body to the burning ghat? The wood of any tree is very useful from the kitchen till end. Therefore, we should enact a Law that whoever is cutting the tree should be punished. We are cutting the tree, we are cutting jungle. The animal kingdom would be thirsty. There is no space for survival of animals in the forests nowadays. When the individual of the tree is green the jungle is green. When the individual is healthy the society would be healthy. Therefore we should pay special attention to protect the jungle. Our lord Jagannath is made of wood. We are cutting a tree means you are harming your God. Likewise in Christianity the cross is made out of wood. While you are killing jungle you should think about the society. A tree is donating us fruits, leaves, sheds. The government should

plant more trees. It happened while the roads of national highway are already constructed. Immediate plantation should have been started to protect the fellow passengers. In our state, it is highly neglected. Old trees of hundred years are no more because of the construction work. That is why we are facing natural calamity. Because we are spoiling the forest, jungle and the life of nature every day, the nature is punishing us. In our state, there are huge jungles. Therefore, the rain falls in time, there is no climate change and the survial of the animal kingdom. Human being are peacefully living and loving their state. Because of the environmental condition that we are not conditioning, we are facing the earthquake, drought, flood and famine. Whatever the Government is sanctioning or allocating grants for the development of forest life is totally spoiled because the environment is not secured.

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): Mr. Chairman, Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.

Sir, I would also like to commend the hon. Minister for the great work he has done in the Ministry. I would like to congratulate him on the position he has taken in the Lima Conference last year with world leaders on the privileges of negotiating a Climate Change Agreement and reached a consensus at the Conference on differentiating responsibilities and respective capabilities.

I would like to mention about the Standing Committee Report which my previous speaker was also mentioning. I would like to talk about the ease of doing business. Previously, the policies of the Government were there to stifle the investors and there was a policy paralysis in the previous Government. Since the Narendra Modi Government came to power, he has ensured that the projects which were not taken up in the past have not been cleared quickly. Thanks to the e-portal system, the Minister has received new proposals and the proposals can be tracked through the online system and the Environment Assessment Impact Reports can be seen by the people. Previously, people were not ready to invest. They were not ready to risk their money as their proposals could not go through. Now, with the new Government coming in, they can see the minutes of the Environmental Appraisal Committee Reports and I would like to thank the hon. Minister for that.

Sir, our hon. Prime Minister has talked about sustainable development. To achieve sustainable development, the hon. Minister has taken initiatives to remove all the bottlenecks to encourage participation. To ensure clean energy, the Government has ensured that 17 critically polluting sectors, like the coal sector, have been asked to install equipment to monitor effluent and emission quality on a continuous basis. The Government has doubled the cess on coal over the past year to promote clean energy. The Minister has also talked about increasing the funding

for biodiversity which was not done before. It has been increased to Rs. 27.09 crore which was previously at Rs. 13.08 crore.

The Government of India has talked about cleaning of Delhi's air. The pollution problem in Delhi has been created over a period of time which we inherited. According to a study published in the Economic and Political Weekly, the pollution in Delhi will cut down about 3.2 years per person if the air pollution in Delhi is not controlled. It has affected our breathing and respiratory systems and the Government has allocated Rs. 240 crore to combat pollution in Delhi.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI DUSHYANT SINGH: Sir, I have just begun. Please give me two or three minutes more.

The hon. Minister has talked about an Action Plan to combat pollution. He has taken measures to reduce the emission load from NTPC from two-third to one-third. They have also talked about the Asia's first plasma gasification scheme. They have also looked at air quality control; they have launched a National Air Quality Index across 10 cities which is also being expanded to 46 cities further. We are looking at clean energy by 2025. We are looking at the study by Agora Energiewende by which clean energy can reduce the carbon emissions and thereby help to reduce the pollution. They have also talked about scientific research which has been done. Funding has been done for scientific research of Rs. 130 crore. They have also looked at the Indian Council of Forest Research work.

I would like to say that the climate change has created erratic weather in different parts of India, specially Rajasthan, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. There has been a report from the Indian Council of Agricultural Research that the temperature will increase by 2 to 4 per degree. So the Government is also looking at that. The Standing Committee report has also talked about it.

My previous speaker had said what we have done for forests. We have also talked about the Green India Mission by which we can create a forest and tree cover of around five million hectares across the country. We can help giving

employment to the people of India to help save the environment of this region and to help the people.

I would like to thank the Minister for looking at Project Tiger. The tiger population has increased by 30 per cent in his regime. I also thank the Minister to look at Project Elephant. I would urge the Minister to look at the CAMPA fund of Rs. 38,000 crore by which if he can create a regulatory mechanism, the States can benefit from it. He also should focus on the NTCA. The woks done by the NTCA previously were not of the optimal level. Now, with the new Government coming in, the systems in NTCA have improved.

Lastly, I would say that we need to focus on the Great Indian Bustard in Rajasthan and also to look at the Gangetic dolphins and the gharials. My previous speakers had talked about solid waste management. With the solid waste gasification system, we can create clean energy to provide energy to our systems out here. We need also to look at river basins of this country, the Chambal basin and all that.

I would like to thank the hon. Minister for the great job done by the Government.

*SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): The allocation for the Ministry of Environment and Forest accounts for Rs 1681 crores, a 25% percent decrease from the budget estimate of the 2014-15 and even below the revised estimate of 2014-15. The whole forestry and wildlife department was granted Rs. 362.84 crore, a staggering 21% less than what it was allocated in the previous financial year.

The allocation for Project Tiger, India's most celebrated wildlife conservation programme, Rs. 136 Crore, a decrease of around 15% from Rs. 161 Crore in 2014-15. The All India Tiger Estimation Report released in January said the tiger population had increased by 30% from 2010 to 2,226 in 2014. It was only through the efforts of 3 years of UPA and NDA have helped us to achieve this state. By cutting allocation, we do not want to go back to the situation. I have recently visited Tadoba and was amazed to see how it has created a lot of wealth and livelihood for the people.

Forest rangers, deputy forest rangers, foresters and forest guards are the frontline field level staff working for the protection and conservation of precious forest and wildlife wealth of our country. They are the interactive interface of the forest department with the public. While their job is tough and demanding and it involves high risk, they are poorly paid, underequipped, untrained and consequently de-motivated. Add to that they live deprived from basic facilities like clean drinking water, toilets, electricity, communication systems, protective rain/winter gear and medical aid.

I am hearing that government is considering a proposal to make lion India's national animal, pushing out the tiger that has had the coveted status since 1972. According to me, this would dilute the campaign to save tigers and pave the way for clearance of industrial projects near tiger sanctuaries. Tigers are found across 17 states in India, whereas lion is found in only one. India is home to more than 2,200 tigers, whereas the Asiatic lion population, estimated at 411, is confined to Gujarat's Gir. If we really want to make lion the national animal, you should first

* Speech was laid on the Table

restore at least 10-15 natural habitats which are suitable for lions. Then the lions should be relocated there from Gir.

The International Union for Conservation of Nature's Red List, lists 374 species in India as vulnerable and 274 others as endangered, or critically endangered, and at risk of becoming extinct. From well-known mammals like elephants, leopards, rhinos to numerous less-known animals, such as pangolins, tortoises and geckos all are endangered in our country. There are just 26,000 and 30,000 elephants left in the wild in India. According to WPSI data, 18 elephants were poached between January and September last year for their tusks to meet the demand for ivory. The agency has recorded the loss of over 120 elephants due to poaching between 2008 and 2011. During the same period, WPSI has records to seizure of 781 kg ivory and 69 tusks, besides ivory pieces and carved articles. Poaching and smuggling present a huge threat to the wildlife. WPSI, a wildlife conservation organisation, has recorded over 20,000 wildlife crime cases. It is utmost important to create a safe environment to our wildlife also. I here also like to ask the Minister for the rationale for doing such drastic cut in the allocation to Central Zoo Authority from Rs 27.50 Crore to Rs 5.8 Crore. I am also worried that budgetary allocation to Indian council of Forestry research and education has been continuously decreasing. It was Rs 160.26 Crore in BE 2013-14, Rs 156.66 Crore in BE 2014-15 and now has been brought down to Rs 125.60 Crore. The council was set up with an objective to achieve the national goals of conserving forest area and to take care of the research needs. It is imperative to provide ample amount of resources to an institute of such importance.

Now talking about air pollution, I felt really sad when I read in the news piece that because of low level of Air quality, there was a speculation that the US authorities here could seek to curtail Obama's "outdoor activities" during his visit. It is said that Obama lost 6 hours of his life because he stayed in Delhi. This speaks volume of the seriousness of the situation. Industrialization and environment needs to go hand in hand. 90 per cent of coal-based thermal power

plants in India fare unsatisfactorily on the environmental front. Infact the best coal plants in India are average in terms of environment performance when compared to their counterparts worldwide. There is also a need to produce clean energy. Target of renewable energy capacity has been revised to 175000 MW till 2022. Though the targets are very impressive, I am doubtful of meeting the targets especially when the cut to renewable energy sector to a mere Rs 303 crore from over Rs 550 crore in the revised budget 2014-15.

I would also like to bring attention of the Government to the concept of light pollution. Light pollution is a side effect of industrial civilization. Its sources include building exterior and interior lighting, advertising, commercial properties, offices, factories, streetlights, and illuminated sporting venues. It not only degrade photic habitat like bats, owl but also proves to be a major astronomical disruption. Awareness in this regard is extremely important. Government in public assets atleast should use full-cut off shielding in light fixtures which is the essential remedy. A lamp should send all its light more or less down where the light is intended to be used, not upward or sideways.

India generates about 60 million tonnes of trash every year. Ten million tonnes of garbage is generated in just the metropolitan cities. The landfills of most of these cities are already overflowing, with no space to accommodate fresh garbage waste. Constructing new landfill sites is one solution but more importantly the Government should be looking into innovative methods to dispose and recycle its waste. The reason why most landfill sites are over-flowing is because the current waste disposal system is inefficient. There are waste management plants, but they are not running at full capacity mainly due to the lack of waste segregation that has made waste management problematic. Segregation at source is the only solution. Recyclable waste like construction and demolition waste, organic waste like household garbage, toxic waste like medical waste, are all mixed together. The segregation of biodegradable waste from non-biodegradable waste is not done properly. Segregation of waste should occur at

the colony or neighborhood level, when the waste is collected. Effective management of garbage is extremely important as it affects the health of our citizens in an extremely severe manner. Nearly 20% of methane gas emissions in India are caused by landfills. Due to the decomposition of inorganic waste, the ground water is contaminated. There is also the problem of leachate when rainfall percolates through the waste in a landfill.

Swach Bharat Abhiyan currently encourages citizens to not pollute the cities and make more use of dustbin to drive cleanliness. But awareness of segregation of degradable and non-degradable substance is still a distant dream. Before cleaning up the city, the government needs to sort out a concrete waste management system that ensures segregation and recycling. Process everything that can be processed and dump only the residue in the landfill. I would urge the government to expand the scope of the mission and start spreading awareness on the importance of waste segregation along with the cleanliness drive itself.

Furthermore the Central Board of Excise and Customs (CBEC, MoF, GoI) rather seems to be against the 'Swacch Bharat Abhiyan' as CBEC is denying the legally valid input tax credit on services used for making a Secured Landfill (SLF) to Waste Management entities in India. Rule 2 (1) of CENVAT Credit Rules, 2004 provides definition of input services means any service used by a provider of output service for providing an output service excluding construction or execution of works contract of a building or a civil structure or a part thereof. As you are aware, SLF is created as per Pollution Control Board Guidelines for dumping waste, it is neither a building nor a civil structure. So, simply speaking, Waste Management Entities, which are paying service tax on their service income, cannot claim credit on sources which are used by them. This denial of input tax credit means higher cost to Waste Management Entities. Given the above, can the Government set their internal department (CBEC) in order before telling others to follow the 'Swachh Bharat Abhiyan'.

HON. CHAIRPERSON: Shri Jai Prakash Narayan Yadav; kindly conclude within three minutes.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : सभापति महोदय, हम तो अभी खड़े ही हुए हैं। आपको इस विषय पर बोलने देना चाहिए। ...(व्यवधान) आप हमें कम से कम पांच मिनट तो बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : हमारे पास समय नहीं है। बीएसी ने जो डिसाइड किया है, उसके अनुसार ही हमें चलना है।

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: सभापति महोदय, कृष्ण भगवान ने अपनी मां से कहा था कि मइया तुम इन्द्र की पूजा मत करो, लेकिन मां नहीं मानी, पिता नहीं माने। जब कृष्ण जी आठ साल के बालक थे, तब उन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए। उन्होंने कहा कि तुम क्या बोल रहे हो? उस समय इन्द्र भगवान ने अपना प्रकोप दिखाया। हमारे पास इतना समय नहीं है, इसलिए हम अपनी पूरी बात नहीं बोल पायेंगे। इन्द्र भगवान ने अपना सारा प्रकोप दिखाया, लेकिन कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और कहा कि इन्द्र भगवान को जितना भी घमंड है, उसे प्रकृति तोड़ेगी, पहाड़ तोड़ेगा और जनता तोड़ेगी। उस समय इन्द्र भगवान हारे थे। हमारा कहना है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। प्रकृति शाश्वत है, निरंतर है। आज मौसम में बदलाव हो रहा है। प्रकृति अजय है और हम उसके जीव हैं। लेकिन आज जीव प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। हमें प्रकृति का आदर करना चाहिए, उसके आंचल के नीचे रहना चाहिए, लेकिन आज हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वन, वृक्ष लगाने से हमारे पर्यावरण में सुधार हो सकता है। झील खत्म हो रही हैं। माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजस्थान में झीलों का नुकसान हुआ है, तालाबों का नुकसान हुआ है। पहाड़ रक्षक हैं, भक्षक नहीं हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो मालथस थ्योरी लागू हो जाएगी। भूकम्प आया, नेपाल से बिहार तक विनाशकारी लीला हुई। ये सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से हुआ है। उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर में ऐसा हुआ है। बाढ़ के समय सूखा और सूखे के समय बाढ़ आ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। नवीनतम प्रयोग हो रहे हैं, वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं कि मौसम क्यों बिगड़ रहा है। शहरीकरण हो रहा है, इसे रोकने की जरूरत है। जनसंख्या का बोझ बढ़ता जा रहा है। बर्फ की चादर खराब होती जा रही है। कार्बन बढ़ता जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, हमें पेड़ लगाने हैं। पेड़ हमारा भविष्य है। सरकारी संस्था और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा स्कूलों में पर्यावरण की पढ़ाई पर जोर देना चाहिए। पर्यावरण के लिए लाइसेंस दे

रहे हैं, लेकिन इससे कुछ ठीक नहीं होगा, इंस्पेक्टर राज से कुछ ठीक नहीं होगा। वातावरण के सही निर्माण करने से ही राष्ट्र को बेहतर बना सकते हैं। पर्यावरण को ठीक रखना हर आदमी का कर्तव्य है। फसल की बर्बादी हो रही है, जमीन की बर्बादी हो रही है। जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड आ रहा है। जान पर खतरा बन रहा है। कैसे मेक इन इंडिया बनेगा? कैसे स्वच्छ भारत बनेगा? कैसे स्वस्थ भारत बनेगा? जब तक वन के साथ छेड़छाड़ होती रहेगी, वन के साथ छेड़छाड़ होती रहेगी, कुछ ठीक नहीं होगा।

बिहार में बाल्मिकी नगर, भीम बांध, बांका, लक्खीसराय में प्राकृतिक छटा का बहुत प्रभाव है। आज राष्ट्र का पर्यावरण बिगड़ रहा है, मौसम भी बिगड़ रहा है। राष्ट्र का पर्यावरण जनता ठीक करेगी और मौसम को हम मिलजुल कर ठीक करेंगे।

कबीर दास की उलटी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी।

वन, पर्यावरण, जलवायु का मिजाज बिगड़ रहा है। इस पर विशेष ध्यान देना होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except what Shri Dharam Vira Gandhi is saying.

… (*Interruptions*)... *

* Not recorded.

SHRI DHARAM VIRA GANDHI (PATIALA): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on this important topic. When the entire world is talking about global warming, environmental degradation and climatic changes which endangers to the mother Earth Planet, I am very sorry to say that the number of members present in this august House is very small. This should be the matter of concern for all of us.

Many hon. Members have touched this topic from many angles. I think, they all have touched only from fringes of this topic. I would like to touch it through my brief address and through the basics of this issue. The fact of the matter is that present model of development which we call the capitalist model of development has come in direct contradiction with the mother Earth Planet and with its environment.

The capitalist model of development means profit. It is ruthless both for the human as well as for the natural resources. Therefore in its continuous pursuit of profit, the capitalism ruthlessly exploits not only the human resources, but natural resources as well. It has taken the toll of human resources, it has taken the toll of natural resources, it has taken the toll of our value system and it has taken the toll of very great professions like teaching and medicine. It has taken the toll of environment on this earth. The basic problem of environmental degradation is the present mode of production which has come in contradiction with the very nature itself. Either this model will persist or nature will remain there. So, this is the basic problem, which I would like to touch and it should be taken from that angle.

Secondly, Dr. Michael Chadwick, a well known environmentalist and a noble prize nominee, a few years back, in a Summit on the "Sustainability of Mother of Planet and Population Growth on this Earth", said that it is the developed economies which are culprits for environmental degradation and not the backward economies or the backward countries like us. The biggest parameter as to how much this mother earth planet is endangered depends upon the Resource Demand Index, (RDI) i.e. how much thrust or pressure is on the natural resources

from a particular country. The Resource Demand Index of India is 0.25 per cent whereas the Resource Demand Index of the United States of America is 4.17 per cent. They consume 17 times more than the Indian consumers.

We, the people from Third World Countries, the Third Word Societies are very conservative. My mother used to keep an empty tin of oil, safe in our store to be used sometime later for some other purpose. But the 'use and throw' culture, which is classic of the Western economy, is coming into India also. So, we should not pursue that model of development with blind eyes or with that speed. We should have our own innovations, our own indigenous ideas to take our economy forward according to our culture and according to our methods and our indigenous ways.

At the end, I would like to say that in Copenhagen Conference, there was a huge banner raised by 20,000 people from sixty countries, cutting across continents saying "struggle for environment is struggle against capitalism'.

If we have to maintain our environment, if we have to protect our mother earth planet, if we have to escape from global warming and environmental degradation and if we have to save humanity, we should not follow or we should follow very cautiously the capitalist model of development.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : माननीय सभापति जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है और इस मंत्रालय के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं तथा चिंताएं भी बहुत हैं। मैं समझता हूं कि चुनौती तो ग्लोबल वार्मिंग की ही बहुत बड़ी है, क्लाइमेट चेंज की है और अनएक्सपेक्टेड जो आपदाएं आती हैं, उनका सामना कैसे किया जाए, जैसे जम्मू-कश्मीर में पहले बाढ़ आई और पीछे अभी 14 प्रदेशों में बेमौसमी बारिश हुई। पिछले दिनों में नेपाल, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में भूकम्प से नुकसान हुआ। इन मुश्किलों को भी चुनौतियों के तौर पर लेना होगा।

दूसरे, जो मैं यह समझता हूं कि इस मंत्रालय में एक तरफ तो विकास की बात है और दूसरी ओर मानवीय जिंदगी की बात है। हमें उसको बैलेंस में रखकर चलना होगा। सबसे बड़ी चुनौती प्रदूषण की है। जब प्रदूषण होता है, जैसे हवा में, पानी में, जमीन में और खाद्य पदार्थों में प्रदूषण होता है तथा दूसरी ओर हमें विकास प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करने हैं, जैसे कैमिकल्स से भी प्रदूषण फैलता है, उसको कंट्रोल करना होगा। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जैसे अभी सॉयल हैल्थ कार्ड की योजना चलाई है, मैं समझता हूं कि अगर यह योजना किसी तरह से पहले चली होती तो काफी नुकसान होने से बचा जा सकता था। केंसर और जिगर की बहुत सी बीमारियों को रोका जा सकता था। मैं समझता हूं कि विकास के साथ साथ क्लिअरेंस की भी बहुत जरूरत पड़ती है। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन क्लियरेंस के नाम पर पिछली सरकार में जो ब्लैक-मेलिंग होती रही, उसके कारण बहुत से विकास के काम रुके। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि मंत्री जी उसमें रिलेक्सेशन लाए और इस वजह से विकास शुरू हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि प्राथमिकता तो मानवीय जिंदगी को देनी ही चाहिए, किंतु विकास को भी देखने की जरूरत है। इसके लिए कोई अल्टरनेटिव सोचना होगा।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हम सड़क के लिए, फोरेस्ट के लिए क्लियरेंस देते हैं।...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): आप ब्लैक-मेलिंग की क्या बात कह रहे हैं? आप विषय पर चर्चा कीजिए।...(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजर: मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन आपने पूछा है। पहले जो मंत्री थे, उन्होंने मेन क्लियरेंस नहीं दी थी।...(व्यवधान) उसके कारण मंत्रालय से मंत्री जी को हटाना पड़ा।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Chandumajraji, please address the Chair.

… (*Interruptions*)

श्री गौरव गोगोई : महोदय, ये विषय पर नहीं बोल रहे हैं बल्कि गलत आरोप लगा रहे हैं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Gogoi, I will examine it. If there is anything unparliamentary, we will expunge it.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सड़क, अस्पताल, चैक डैम्स आदि चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए जहां भी अल्टरनेटिव फोरेस्ट लैंड पड़ी हो, उसे दिया जा सकता है। मेरा संसदीय क्षेत्र सेमी-हिल एरिया है। वहां 40 परसेंट हिस्से में दफा-4, दफा-5 लगी हुई है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात आपको बता सकता हूं। दूसरे प्रदेशों हिमाचल या उत्तरांचल के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। हमारे वहां अच्छे जंगल नहीं हैं और जमीन खाली पड़ी है। वहां से हमें मिट्टी का एक ढेला भी नहीं उठाने दिया जाता है। जमीन किसान की है लेकिन वह वहां कुछ नहीं कर सकता है। मेरा सुझाव है कि आप दफा-4 और दफा-5 को उठा कर कंडीशन लगा सकते हैं कि इस एरिया में 40 परसेंट फॉरेस्ट लगाना जरूरी होगा, प्लान्टेशन करनी जरूरी होगी, 60 परसेंट प्लान्टेशन करनी जरूरी होगी। आप किसान से एफिडेविट ले सकते हैं। बाकी जमीन पर आप उसे खेती करने दीजिए, क्योंकि जमीन अब कम हो रही है। चेयरमैन साहब यह महत्वपूर्ण बात है, हमारे पंजाब में विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। हमारे पास जमीन कम है। हम उस जमीन को कल्टीवेट कर पाएं, उसके लिए आप दोनों में बैलेंस रख कर कोई उपाय कर लें।

दूसरी बात, जंगलों में से जंगली जानवर निकल कर मैदान में आ जाते हैं। किसानों की फसल का नुकसान हो रहा है और जानी नुकसान भी हो रहा है। जब हम कृषि मंत्री जी के पास जाते हैं, हमारी पंजाब सरकार ने एक योजना बना कर भेजी तो कृषि मंत्रालय ने कहा कि फॉरेस्ट मंत्रालय के पास जाओ। हमने दो सौ करोड़ रुपये की मांग की है कि या तो फॉरेस्ट को इनसर्किल कर लो या फिर किसानों के खेतों को इनसर्किल करने के लिए जालीदार तार लगाने के लिए कम से कम 50 परसेंट सब्सिडी भारत सरकार दे और 50 परसेंट शेयर पंजाब सरकार दे तो मैं समझता हूं कि किसान भी बच जाएगा और जंगली जानवरों से भी बचाव हो पाएगा। मैं एक बार फिर मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने विकास के लिए रिलेक्सेशन देकर बैलेंस तरीके से इनवायरमेंट के लिए काम किया है।

*SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): Though we have a separate ministry of Environment and Forest, the environmental situation in India is very pathetic. This is an area where we have failed miserably.

Air pollution in our country has gone from bad to worse. The Indian cities, which are almost 1/4th of the world cities are the worse affected through the industrial pollution, lack of waste management, transportation vehicles, etc.

The Bhopal gas tragedy of 1984 is not only the world's worst industrial disaster, but also one of the longest one going cover up 30 years on, the relief and adequate compensation to the victims of this accident is still eluding. The disastrous gas leakage in which nearly 25,000 people died and 1.5 lakh still continue to suffer from chronic illnesses. Many of them have been blinded forever. This is a classic case in which the industrial safeguards are proved to be the worst causality and in which the then Indian Government succumbed to the pressures of the MNCs. For the lack of a fool proof liability act, the US union carbide company was enabled to escape from its responsibility to the victims of the accidents.

The present Government does not seem to have learnt lessons from the Bhopal gas tragedy. The Nuclear Liability Act has been recently rendered void through a mechanism by which the international principle of "Polluter pays" is given up. Instead the Government and its agencies will pay the full compensation.

Traditional fuels like cow-dung cake and firewood kill lakhs of people every year through their poisonous fumes. Burning bio-mass as cooking fuel accounts for 3 times the carbon air pollution as all other air pollutants put together, including traffic fumes and industrial smoke. Thanks to the air pollution, Indians have 30% lower lung function than the Europeans. Every year there are 6.27 lakh premature deaths in India due to air pollution apart from the pollution related diseases like heart ailments, cardio-vascular affliction, etc. The pollution arising

---

* Speech was laid on the Table

out of the traffic fumes in urban areas has devastating effects. Still we could not draw adequate parameters to check it. The CNGs used in Delhi vehicles as a pure and alternate fuel has not been carried through like all other experiments.

The Swachch Bharat Mission a cleanliness drive by the Government is welcome. But unless adequate measures are effected for waste disposal through recyclability and biodegradability, creating cleanliness fund involving corporates also, this Mission will end up as yet another publicity stunt. The cleanliness is related to poor conditions. For example, the open defecation which is also a slur on the country's pride can be abolished through providing adequate toilets only. Cleanliness is a luxury for the poor and not to be clean is not their choice.

The conservation of forests along with the species there is most required to maintain the eco system. Rebalancing the ecosystem will have disastrous consequences. Linear infrastructural projects like roads, railway tracks and power lines that make long intrusions into forests are a new threat to our forests, in addition to submergence by dams or clearance for mines. The norms for such projects are gradually been subjected to dilution which may lead to severe destruction of forests, massive landslides, erosion of the soil and finally destruction of the fragile ecosystem. So, a right balance is to be struck between development and protection of ecology, which will be sustainable in the longer run.

Soil conservation is another important issue. Intensification of farming in the last century led to soil erosion. The genetically modified crops are one such phenomena of intensified farming. GM crops are not sustainable due to fast erosion of the soil, though they may yield huge profits in the initial stages. The International Agency of Research on cancer, a respected arm of UNO declared recently that the two insecticides malathion and diazinon used in the GM crops and the glyphostate in herbicide of Mansanto, in the brand name of Round Up cause cancer. So, the Tamil Nadu Government under the guidance of Madam has banned the entry of GM crops into Tamil Nadu. Even the field trials are not

permitted. The UN Food and Agricultural Organization has come out which a finding that because of soil destruction, the world is on an average, has just 60 more years of growing crops. Every year 12 million hectares of cultivatable land is lost through soil degradation. Crop rotation, the use of organic fertilizers and ecologically informed technology grouped together, known as agroecology, can effectively reduce the use of chemicals and soil degradation.

Tamil Nadu Government effectively prevented the Methane project which would have converted the whole Cauvery delta into a desert. DMK which brought the project under its rule, with the permission from the Center in which it was a partner, has now to oppose the project due to the stiff resistance from the farmers.

In a brilliant sunny country like ours, we seem to have largely ignored renewable sources like solar power and wind power. Even biomass fuels like dung can be used to produce biogas, a cleaner and more efficient fuel. T. Nadu Government has achieved the distinction of being in the forefront of producing renewable energy. It has been complemented by the Central Government for this remarkable achievement.

Another major environmental issue is the most threatening global warming. If the global temperature is allowed to exceed the threshold limit of 2°c temperature, then the world will face catastrophic consequences. If the outcome of the Lima climate conference is any indication, in all likelihood, the agreement on the Paris summit in December 2015 will be a weak and seriously compensated one that will lead to 3°c rise by the turn of the century, with developing countries bearing the brunt of the effects of severe climate change. The equity principle adopted at the first Kyoto Protocol will be seriously eroded and the developed countries will escape from the hook and evade from their historical responsibility for ever.

"The common but differentiated responsibility and respective capabilities" principle adopted in the Kyoto protocol envisages that the industrialist countries which have polluted the atmosphere to the maximum have the historical

responsibility to redeem it, when the other countries have common responsibility to mitigate the carbon storage. The major carbon emitter, the USA is the only country which rejected the Kyoto protocol. US is consistently rejecting any legally binding commitments and is virtually doing everything to demolish the Kyoto protocol. The advanced countries will grab most of the atmospheric space leaving developing countries little room for growth. The principle of the equity is rudely discorded. Instead voluntary pledges as pushed by the US are to be the basis of Paris agreement from 2020 onwards. Current low pledges by US and the developed countries are certain to lead the planet to 3°-4° c.

Voluntary pledges are the main basis of Intended Nationally Determined Contributions (INDCs), a new alternate formulae thrust by US and its conglomerates. These INDCs are not to include the related element of financial contributions and technology transfer to assist the developing countries in their mitigation and adaptation actions in the post 2020 period.

The core principles of Kyoto protocol are included in the adopted text and its seems to have satisfied all the parties in the Lima conference. India's minister for environment and forests has gone on record that all our concerns had been addressed and we got what we wanted. But the reality is not so. "in the light of different national circumstances" - phrase is added to the Common but Differentiated Responsibility principle of Kyoto protocol, leaving room for various interpretations, that suits one. This distortion is also found in the US - China bilateral agreement also. So it is clear that the emerging agreement is going to be centered around INDCs (Intended National Determined Contributions). The U.S is adopting a deviated course of entering into bilateral agreements on climate change which China and India instead of the unviable unilateral approach it adopted so far. This move is to nullify any multilateral agreement reached which will not be at the interest of US. Like China, India also seems to have treaded on this dangerous collusion with US. Developing countries like China and India have failed to lead from the front and betrayed the under developed countries.

The current per capita Green House Gas emission level for China is above 6.5 tonnes of CO_2 equivalent, compared with 17.6 tonnes for the US and according to estimates, it will be around 12-14 tonnes by its peaking year in 2030, similar to US per capita income. This is way above the two tonne limit required to limit the average temperature increase to 2°c.

Ultimately the apparent success of the Lima conference from the perspective of the developing countries is only symbolic. The original draft is improved only in form but not in substance. Developing countries, particularly the poor and vulnerable ones, which are already facing the impacts of 0.85°c increase since industrialization began, will bear the brunt of the disastrous effects of severe climate change. Kolkata, Chennai and Mumbai the seaside metropolis of India are facing the threat of submersion, since the total increase in sea level in the 20th century is 0.17 meter.

Hence Indian government has to find an alternative path to overcome the disaster of environmental and climate neglects.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

यह एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है और वर्तमान की चुनौतियों और विकास के बीच में किस प्रकार से साम्यता लायी जाए, यह भी एक गंभीर मुद्दा है, जिसको उन्हें देखना है। इस मंत्रालय के अंतर्गत वनस्पति, जीव-जंतु, वन और वन्य जीवों के संरक्षण और सर्वेक्षण का, प्रदूषण की रोकथाम और उसके नियंत्रण, वनरोपण और उसकी पुनरूत्पत्ति, पर्यावरण संरक्षण तथा पशुओं के कल्याण आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

<u>16.45 hrs</u> (Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

महोदय, जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके दो प्रमुख कारण हैं- एक प्राकृतिक कारण है और दूसरा मानवीय कारण है। अंधाधुंध वनों की कटाई, अवैज्ञानिक विकास की सोच और परिवहन तंत्र के कारण भी वायुमंडलीय उत्सर्जन के कारण भी वायुमंडल में गैस और एरोसौल्स एकत्रित हो जाते हैं, जिसने ग्रीन हाऊस इफेक्ट की स्थिति पैदा की है और इससे धरती का तापमान भी बढ़ा है। ग्लोबल वार्मिंग हम सबके सामने एक चुनौती है क्योंकि समुद्र के जलस्तर का बढ़ना, चक्रवाती तूफानों में तेजी आना, आज पूरा उत्तर भारत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की चपेट में है। किसानों की फसलें उससे प्रभावित हुई हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज अपने-आप में एक गंभीर चुनौती बनकर आया है। हम सबके सामने महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि लगातार वनों का क्षेत्रफल घटा है। कभी यह रेशियो 60 : 40 का था, आज इस देश में मात्र 23 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल ही वनों से आच्छादित है। स्वाभाविक रूप से पर्यावरण के सामने यह एक गंभीर चुनौती है और ये एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन हैं, इनको हम एक-दूसरे से अलग करके नहीं रख सकते हैं। जो अच्छी बातें सामने आयी हैं, वे ये हैं कि अगले पाँच वर्ष के लिए ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए मंत्रालय के द्वारा एक प्रयास प्रारंभ हुआ है कि 1.7 लाख करोड़ रुपये सरकारी बैंकों से सोलर और विंड एनर्जी पर खर्च करने के लिए जो व्यवस्था की गयी है, मुझे लगता है कि इससे लगभग 34 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। आज सुबह ही माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर कहा कि सरकार का टारगेट वर्ष 2022 तक एक लाख मेगावाट सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन और लगभग 60 हजार मेगावाट विंड एनर्जी के प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। स्वाभाविक रूप से इससे कोल पर निर्भरता कम होगी और उसका प्रभाव पर्यावरण के लिए अनुकूल होगा क्योंकि जब हम कोल पर निर्भरता कम करेंगे तो उतना ही हमारे लिए अच्छी स्थिति होगी। ग्लोबल वार्मिंग हम सबके सामने एक चुनौती है। यदि समय रहते हमने इस पर नियंत्रण

नहीं किया तो दुनिया की बड़ी आबादी भुखमरी की चपेट में आने वाली है और इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव भारत जैसे विकासशील देश पर पड़ने वाला है क्योंकि आज भी तमाम प्रयासों के बावजूद देश में गरीबी की स्थिति 32 प्रतिशत तक बनी हुई है।

हम विकास की बात तो कर रहे हैं, लेकिन विकास के चलते इस देश के अंदर तापमान में वृद्धि की बात आ रही है। उस पर भी हमें अवश्य विचार करना चाहिए और इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो हाल में ही खास तौर से अभी हम लोगों को देखने को मिले हैं। हमारे हिमालयन क्षेत्र ने अभी दो वर्ष पूर्व केदारनाथ में उत्तराखण्ड की त्रासदी को झेला है। अभी पूरा उत्तर भारत जलवायु परिवर्तन, जिसमें अति वृष्टि, ओलावृष्टि की परिस्थितियों को किसानों को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। नेपाल में 25 अप्रैल को आये हुए भूकम्प की त्रासदी से न केवल उत्तर भारत, बल्कि पूरा नेपाल आज तबाही की कहानी रच रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हिमालयन परिक्षेत्र के पर्यावरण के बारे में अवश्य विचार होना चाहिए क्योंकि अगर हिमालय की परिस्थिति के विषय को अभी से हम लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया तो भारत के उत्तरी क्षेत्र के लिए हिमालय से आने वाली सदानीरा नदियों के कारण रेगिस्तान बनने का खतरा आने वाले समय में पैदा हो सकता है।

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नमामि गंगे के रूप में गंगा की अविरलता और निर्मलता के बारे में जो बातें कही हैं, गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए आवश्यक है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों को हम प्रदूषण से मुक्त रखें और उनकी अविरलता को बनाए रखें। उसके लिए वहां से जितनी नदिया आती हैं, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश को देखता हूं, वहां पर आमी नदी, रोहिनी नदी, क्वानो नदी आदि सभी नदियां पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी हैं, उनका जल पीने लायक नहीं है, लेकिन राज्य सरकार का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रभावी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पा रहा है। जब तक हम लोग उद्योगों का कचरा नदियों में जाने से नहीं रोकेंगे, जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं, उनका उपयोग नहीं होता है। हमारी नगरपालिकाओं ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या तो लगाए नहीं हैं, अगर लगाए हैं तो उनका उपयोग नहीं कर पाती हैं और पूरा कचरा नदियों में जाता है जिससे नदियों का जल प्रदूषित होता है। हमें इन नदियों की अविरलता और निर्मलता के लिए ट्रीटमेंट प्लांट की कार्रवाई को करना होगा क्योंकि जल प्रदूषण तमाम प्रकार की जलजनित बीमारियों का कारण बन रहा है। प्रति वर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लोग हजारों बच्चों को इंसेफेलाइटिस बीमारी की वजह से खोते हैं। इस बीमारी का जो नया विषाणु वर्तमान में चिन्हित हुआ है, उसका कारण प्रदूषित जल है। राज्य सरकार की प्रदूषण के लिए बनाई गयी इकाइयां और बोर्ड हैं, उनको प्रभावी भूमिका निभानी होगी।

प्राकृतिक झीलों के संरक्षण के लिए जो एनएलसीपी की योजना है, गोरखपुर में रामगढ़ ताल परियोजना के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ राशि उपलब्ध कराई थी। उसी प्रकार से, रामगढ़ ताल की तर्ज पर बखिरा झील है, महेशरा ताल है, इन सभी के संरक्षण की भी योजना इसमें बनाई जाए।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude. The Minister has to reply. Guillotine is there. Therefore, I am sorry.

योगी आदित्यनाथ: अंत में, जो वन्य ग्राम हैं, उनके निवासियों के पुनर्वास की व्यवस्था हो। पिछली बार एक योजना बनी थी कि 75 वर्ष से अधिक समय से वन्य ग्रामों में जो लोग निवास कर रहे हैं, उनके लिए सरकार पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसे 56 गांव हैं, उनका पुनर्वास अभी नहीं हो पाया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बजट में रामगढ़ ताल, बखरा ताल एवं अन्य तालों के संरक्षण के साथ-साथ उन वन्य ग्रामों के निवासियों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए भी प्रावधान किया जाए।

*SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): I thank you for permitting me to express my views on the demands of Grants of Ministry of Environment and Forest for the year 2015-16 on behalf of my party All India Anna Dravida Munnetra Khazhagam.

Unlike the earlier years, the central government has reduced the budgetary allocation for the ministry of environment and Forest and comparing to the previous years the allocation has been reduced by about 8 percent from Rs.2043 crore in 2014 to Rs.1,681.60 crore this year.

It is strange to me that the government has allocated just one per cent of the total Budget for protecting forests that account for 23 per cent of the country's geographical area and is proposed to be increased to 33 per cent.

The allocation for some other allied schemes like Project Tiger have also been reduced drastically. Nowadays, the contaminated atmosphere, pollution and its related diseases are main concerns with the government. Particularly, the pollution level has increased to alarming level in recent years in metro cities. Therefore, the government should concentrate on the schemes for controlling the pollution across the country. I am also concerned about the limited response given by the government for National Coastal Management Programme, and National Aforestation Programme and the allocation is very less of Rs. 100 crores and Rs. 150 crores respectively.

The area of forest lands is depleting year by year. In this situation, the government should initiate effective deforestation programmes and should give target to the state governments providing necessary allocation of funds for the Aforestation. Major part of forest lands are being occupied for various development programmes which are affecting the ecology of the nation.

Declining forest areas will lead to further worst climatic condition in the country which in turn create negative impacts on the other important sectors like agriculture, industries. Therefore, I would like to urge the government to increase

* Speech was laid on the Table

the allocation for the National Afforestation Programme and incentivize the state governments to implement the afforestation programmes effectively.

Here I would like to bring before the notice of the Government about nexus of some rose wood smugglers of Andhra Pradesh with the police. The smuggling of rose wood is estimated to minimum 1000 crores of rupees and are smuggled to various countries especially to Japan and China. But, some of the innocent people are victimized for the benefit of rose wood smugglers and the victims are taken by the state of Tamil Nadu on the pretext of wood cutting works. Generally, the people who are murdered by the Andhra Police are daily wagers struggling to make both ends meet every day. But, to satisfy some mysterious one, these people were killed. I would like to request the government to take action against those who killed the innocents as well as take action to protect rare species of rose woods from traffickers and mafia.

In short, the Government should increase the budgetary allocation and should give equal importance for development for forest areas in the country. It is the need of the hour to protect the existing forest areas as well as protect some of the rare species from the clutches of anti social factors.

***श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा)**: मैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। बजट में पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सरकार ने जो पहल की है, वह स्वागत योग्य है। विश्व आज ग्लोबल वार्मिंग से विशेष चिंतित है। हमें खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने इस विषय पर उल्लेखनीय कार्य करने की योजना बनाई है। सौ स्मार्ट शहरों की स्थापना व नवीनीकरण सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना इसके प्रमुख अंग के रूप में है। हमें अपनी योजनाएं इस प्रकार से बनानी चाहिए कि विकासशील भारत को विकास की गति के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। सोलर मिशन को 20 हजार मेगावाट से 5 गुना बढ़ाना एक लाख मेगावाट करना इस विषय पर एक सार्थक कदम है।

वन के क्षेत्र का घटना चिंताजनक है। इसमें से मनरेगा को जोड़कर जो नया प्रावधान किया गया है, उससे वन क्षेत्र को बढ़ाने व उन्हें संरक्षित रखने में मदद मिलेगी। देश में अवैध वनों के कटान को रोकने की और पर्याप्त योजना बनाए जाने व निचले स्तर के तंत्र को सक्रिय करने की जरूरत है। वन संरक्षण अधिनियम के कारण कोई विकास परियोजनाएं लंबित भी न हो तथा इसका कड़ाई से पालन भी हो, इस पर संतुलन रखने की जरूरत है। आज प्लास्टिक कचरा एक बड़ी समस्या है। कानून के दायरे में इसे लाने के बाद भी यह समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। इससे जमीन अनुपजाऊ हो रही है तथा जानवर प्लास्टिक को खाकर बीमार होकर मर रहे हैं। जगह-जगह प्लास्टिक के कचरे के ढेर राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान को प्रभावित करने के साथ पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। अस्तु इस ओर सरकार को प्रभावी कदम उठाने की यथाशीघ्र जरूरत है। इसी के साथ, मैं पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय की अनुदन की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।

---

* Speech was laid on the Table.

***श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) :** पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16)पर कुछ सुझाव निम्न प्रकार हैं :-

1. गांवों में एम्बुलेंस रोड़ बनाने, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, विद्यालय, महिला मंडल व अन्य छोटी-छोटी चीजों के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता और गांवों के आस-पास जंगल की जमीनें पड़ी हैं और जमीनों के भाव इतने बढ़ गए हैं कि कोई भी इस प्रकार के कामों को भूमि नहीं दे रहे है । इसलिए सरकार ग्राम पंचायत की ग्राम सभा को यह अधिकार दिया जाए कि यदि ग्राम सभा पारित करती है तो सीधे ग्राम पंचायत को यह अधिकार हो कि इन छोटे-छोटे स्थानीय कामों को कोई भी सरकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता न हो ।
2. आज देखने में आ रहा है कि जंगली जानवर किसानों की फसलों को बुरी तरह तबाह कर रहे हैं खासकर बंदर, सुअर, नीलगाय आदि । आवारा पशु भी किसानों की फसलें तबाह कर रहे हैं । इस कारण किसानों ने अपनी खेती करनी बंद कर दी है । दूसरी ओर आवारा कुत्ते भी आज काफी समस्याएं पैदा कर रहे हैं । इन्हीं आवारा कुत्तों ने लोगों को काटना शुरू कर दिया है । गत दिनों आवारा कुत्तों ने कई स्थानों पर हमलाकर उन्हें जख्मी किया है । एक बच्ची जो शौच के लिए खेतों में गई थी उसे बुरी तरह काट कर मार दिया और उसू पूरी तरह खा लिया । कई स्थानों पर पागत कुत्तों का भारी आतंक है और वहां का प्रशासन उन्हें मार नहीं सकते, कानूनी तौर से । इसलिए सरकार को Wild Animal (Protection) Act, 1972 को संशोधित करना चाहिए ।

***श्री देवजी एम. पटेल (जालौर)**: भारत में ग्रामीण समुदाय जिसका जीवन-आधार वन कृषि व उसके उत्पादन पर निर्भर है, अक्सर कानूनी मान्यता के बिना इस संसाधन का प्रभावी विनियोग-व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में समुदायिक भागीदारी में भी अलग-अलग कानूनी प्रावधान हैं। बिना लाभ भूमि ग्राम सहकारी समिति को आवंटित की जा सकती है। चारागाह भूमि पर पंचायत का हक है और वन भूमि पर सामुदायिक प्रबंधन के लिए संयुक्त वन प्रबंधन अधिनियम 1990 और हाल में आए वन अधिकार अधिनियम, 2006 है। देश की लगभग दस प्रतिशत भूमि के साथ राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान राज्य चार भौगोलिक क्षेत्रों में बंटा हुआ है। पश्चिमी रेतीले क्षेत्र अरावली पर्वत माला और अन्य पहाड़ियां और पूर्वी मैदानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी पठार। राज्य में स्थित अरावली पर्वतमाला देश को अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के दो जलग्रहण क्षेत्रों में विभाजित करती है।

कृषि और पशुपालन राजस्थान में आजीविका के प्रमुख स्रोत होने के कारण एक खास महत्व रखते हैं तथा आजीविका संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक का कार्य करते हैं। राज्य के वर्तमान भू-उपयोग में लगभग 20 प्रतिशत भूमि बंजर श्रेणी में मानी जाती है, जो कि काफी खेद का विषय है। राष्ट्रीय वन नीति अनुसार जहाँ 33 प्रतिशत जमीन वनभूमि होनी चाहिए, वहीं राज्य में वर्तमान में वन क्षेत्र मात्र 7.71 प्रतिशत है, जो पारिस्थितिकीय मानदंड के अनुसार अपर्याप्त है। चारागाह भूमि कुल क्षेत्र का सिर्फ 4.95 प्रतिशत है, जो राज्य के 540.34 लाख जानवरों के पोषण के लिए अपर्याप्त है। राज्य में 7.35 प्रतिशत जमीन बंजर है, जिसमें खेती नहीं की जा सकती। कृषि योग्य भूमि मात्र 13.88 प्रतिशत है तथा 6.77 प्रतिशत भूमि अन्य श्रेणी में आती है।

अपने चारों ओर के परिवेश को हमने इस कदर छेड़ा है कि बात अगर पर्यावरण की उठती है तो प्रदूषण का सवाल अपने आप ही आगे आ जाता है। मानव एवं सभी प्रकार के जीवन को ढोने वाली पारिस्थितिकी तंत्र में हलचल मचाने वाली समस्या और प्रदूषण के व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैः (क) विलुपतप्राय जंतुओं का संकट, (ख) जल प्रदूषण, (ग) वायु प्रदूषण, (घ) स्थल एवं मृदा प्रदूषण, और (ड.) ध्वनि प्रदूषण

जल ही जीवन है वाली कहावत और इसकी सच्चाई में अगर हम विश्वास करते हों तो जलीय पर्यावरण की पवित्रता का दायित्व भी हमारा ही है। पिछले दशकों में विश्व की जनसंख्या में हुई भारी वृद्धि, शहरी जीवन जीने के प्रति ललक तथा विकास के नाम पर जल में बहाई जाने वाली गंदगी की नालियों को साफ करने की जिम्मेदारी सरकार पर छोड़कर निश्चिंत हो लेते हैं। नतीजतन, समुद्री जल का बहुत बड़ा

* Speech was laid on the Table.

भाग और विश्व की लगभग सभी नदियां आज जीव संसार के लिए जीवन की तरलता नहीं बल्कि मौत की कठोरता लेकर बह रही हैं। यही स्थिति मेरे संसदीय क्षेत्र की भी है। सम्पूर्ण जिले में लूनी बेसिन का एक भाग है। उसकी सहायक जवाई सूकड़ी खारी बाण्डी तथा साग नदियां जिले के प्रवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। दुर्भाग्य से यह सभी नदियां बरसाती है जो मानसून के बाद सूख जाती हैं जिले में कोई बाराहमासी नदी नहीं है।

हानिकारक गैसों, अतिसूक्ष्म धूलकण या सूक्ष्म रूप से विसरित तरल पदार्थों का वायुमंडल में उसके अपसरन की दर से ज्यादा मात्रा में छोड़ा जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसके बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप में एकत्रित हो जाते हैं। मानवीय छेड़छाड़ या प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर इसका विस्तार स्थानीय, क्षेत्रीय , महादेशीय अथवा ग्लोबल रूप में हो रहा है। हालात यही रहे तो वह दिन दूर नहीं जब बाजार से शुद्ध ऑक्सीजन का पैकेट लेकर हम सांस लेते फिरेंगे। कुछ वर्ष पूर्व क्या हम यह सोचते थे कि पानी खरीद कर पीना पड़ेगा?

समाज के विकास की घड़ी की सुईयों को थोड़ा पीछे की ओर घुमाकर देखें तो कुछ दशक पूर्व इस स्थल में प्रदूषण का कहीं कोई नामो-निशान नहीं था। औद्योगिक कचड़ों तथा प्लास्टिक कहे जाने चमत्कारिक वैज्ञानिक खोज ने अपना यह जलवा दिखलाया है कि शहर की कौन पूछे। आज गांव में भी आप चले जाएं तो स्थल प्रदूषण की बानगी दिखाई दे जाएगी। टीन के डब्बे, प्लास्टिक, कागज, सीसे की बनी छोटी वस्तुओं से लेकर लोहे की बनी कार या ट्रक तक के कचड़ों का एक स्थान पर जमाव या बिखराव भूमि प्रदूषण कर रहे हैं।

मैं राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र से आता हूं। माउंट आबू गुजरात और राजस्थान का दिल है। जैसे भारत के लिए कश्मीर है उसी तरह से माउंट आबू राजस्थान का कश्मीर है। आज माउंट आबू में सबसे बड़ी समस्या 1982 से वहां नक्शे के लिए कोई परमशिन नहीं मिली है। जो वहां के रहने वाले हैं, उनका परिवार बड़ा हो रहा है लेकिन मकान नहीं बना सकते हैं। ईको सैंसिटिव जोन बना कर हमारे साथ अन्याय किया गया है। जब ईको सैंसिटिव जोन से छुट्टी मिली और मास्टर प्लान बनाने की बात हुई तो पहले की सरकार ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज भी वहां हजारों पर्यटक आते हैं। वहां रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी मास्टर प्लान लागू करके माउंट आबू की जो रौनक है, उसे वापिस लौटाई जाए। वहां के लोगों को रहने के लिए जो घर बनाने की परमिशन चाहिए। यह घर की बात है और घर नहीं होगा तो सभी बेघर हो जाएंगे। वर्ष 1982 के बाद से जिन बच्चों ने जन्म लिया है, उसे रहने के लिए तो घर चाहिए। 1982

से अब तक कोई परमिशन नहीं मिल रही है, बच्चे कहां रहेंगे? क्या कोई सास-ससुर और बाप-बेटा साथ में रह पाएंगे। मेरा निवेदन है कि जो भी कार्यवाही हो, वह जल्द से जल्द लागू हो।

आज दुनिया भर में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। औद्योगिक क्रान्ति के दुष्परिणामस्वरूप दुनियाभर के लोग प्रकृति का कहर झेलने को मजबूर हैं। 23 साल पहले 1992 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बना था। तभी से जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन अब तक हम इन खतरों से निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति पर क्रियान्वयन शुरू नहीं हो पाया है। जो भी निर्णय हुए, केवल सैद्धान्तिक स्तर पर ही टिके हैं। उनका जमीनी धरातल पर उतरना बाकी है। आज गर्मियों में तापमान बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बिना मौसम के बरसात हो जा रही है। प्रकृति के साथ लगातार छेड़-छाड़ के कारण अत्यधिक बाढ़, सूखा, भूकम्प, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं अपना विकराल रूप दिखा रही हैं। आज धरती के बारे में अत्यधिक गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा)**: मैं वन तथा पर्यावरण मंत्रालय की अनुपूरक मांगों पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमारा पृथ्वी के प्रति प्रेम, आत्मचिंतन और संजीदगी का दिन है। पृथ्वी हमारे जीवन का केन्द्र है इसलिए इसे महज एक दिन के लिए करके अपने कर्त्तव्यों की इतीश्री नहीं की जा सकती।

पिछली सदी में बड़े पैमाने पर पर्यावरण क्षरण हुआ और इसके नवें दशक तक विकासशील देशों और छठे, सातवें दशक तक विकसित देशों में वायु प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या शायद ही देखी गई हो। आठवें दशक के अंत तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को गंभीर मामले के रूप में देखना शुरू हुआ।

ओजोन परत के क्षरण के अलावा पिछली सदी में बड़े पैमाने पर पर्यावरण क्षरण भी देखा गया है। लगभग 80 प्रतिशत उपभोग की वस्तुएं मसलन जीवाश्म ईंधन से लेकर स्टील ऐल्युमिनियम, तांबा जेसे खनिजों और कार जैसी चीजों का उपभोग विकसित देशों की 20 प्रतिशत आबादी कर रही है। आज इन्हीं सबका नतीजा जलवायु परिवर्तन और ओजोन परत के क्षरण के रूप में दिखाई दे रहा है।

आज मानव लोभ से धरती के संसाधनों का क्षय और क्षरण जारी है। प्राणवायु दमघोटू हो चली है। अमृत समान जल मौतों और रोगों की बड़ी वजह बन चुका है और हमारी पृथ्वी को विषैले रसायन से नष्ट होती जा रही है। प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और आकार में इजाफा हो रहा है। धरती पर बढ़ते इन खतरों ने जन जीवन पर अपना दुष्परिणाम डालना शुरू किया तो इंसानों को चेतना आई।

अंतरराष्ट्रीय संस्था आईपीसीसी के अध्ययन के मुताबिक धरती का औसत तापमान 1.4 फारेनहाइट बढ़ चुका है। अगले सौ साल के दौरान इसके बढ़कर 2 से 11.5 फारेनहाइट होने का अनुमान है। इसीतरह धीरे-धीरे पृथ्वी गरम हो रही है। यह मामूली वृद्धि जलवायु और मौसम प्रणाली में व्यापक रूप से विनाशकारी बदलाव ला सकती है।

यह बढ़ता हुआ तापमान केवल इंसानी जीवन पर ही असर डाल रहा हो ऐसा नहीं है। इसका असर हमारी फसलों पर भी पड़ रहा है। 5-15 प्रतिशत तक फसल की पैदावार कम हो रही है। 3-10 प्रतिशत भारी बरसात के दौरान बारिश की मात्रा में वृद्धि जारी है। 5-10 प्रति नदियों के बहाव में कमी है और 200-400 प्रतिशत जंगलों में लगने वाली आग से प्रभावित खतरों में होने वाली वृद्धि है।

मेरा सभी देशवासियों से अनुरोध है कि यदि पिछली सदी इंसानी जरूरतों के चलते धरती को हुए सर्वाधिक विनाश के लिए जानी जाएगी तो हम आज से ही मिलकर कुछ ऐसा करें कि वर्तमान सदी उन चूकों, उन गलतियों को सुधारने के लिए जानी जाए। इसके साथ ही 15 साल पुराने, जिसके कारण हमारे

---

* Speech was laid on the Table.

पर्यावरण और धरती पर सबसे ज्यादा प्रदूषण का असर होता है, इन वाहनों पर रोक लगाकर हम अपनी धरती को तोहफा दे सकते हैं।

जैसे कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी ने बीते सप्ताह एयर क्वालिटी इंडैक्स का प्रारम्भ करवाया। अमेरिका, चीन, मैक्सिको और फ्रांस के बाद भारत पांचवां देश बना जहां यह तय होगा कि हवा श्वास लेने लायक है कि नहीं। मेरी मांग है कि दिल्ली की तरह ही हर राज्य में पुराने वाहनों पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ग्लोबल वार्मिंग तथा प्रदूषण को रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए कार्बन रहित व न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन पर आधारित तकनीकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जैसेकि सोलर सेल। कोयला और अन्य जीवाश्म आधारित ईंधन का इस्तेमाल कम किया जाना चाहिए।

परिवहन, वायुमंडल में कार्बन का उत्सर्जन बढ़ाता है। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में बढ़ोतरी करने के लिए कुछ रियायतें देनी चाहिए। निजी वाहनों की संख्या घटाई जानी चाहिए। अक्षय ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। विकसित देशों को आगे आकर विकासशील देशां की मदद करनी चाहिए, जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए।

पर्यावरण के तहत भारत के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। भारत शहरीकरण की ओर बढ़ने की दहलीज पर खड़ा है। 2030 तक भारत में 59 करोड़ लोग बसते हैं।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सितंबर 2014 में यूएन की महासभा में कहा था कि चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह ईमानदारी से करना चाहिए। वैश्विक समुदाय, सामूहिक कार्यवाही-समान किन्तु भिन्न-भिन्न जिम्मेदारियों के सुंदर संतुलन पर सहमत है। यह हमारे अनवृत कार्य का आधार होना चाहिए।

विश्व के प्रथम जलवायु सम्मेलन 1979 में जलवायु परिवर्तन को एक तात्कालिक वैश्विक समस्या के रूप में पहचाना गया। 1992 में जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय नामक अंतरराष्ट्रीय संधि में कई देश शामिल हुए और 1997 में क्योटो सम्मेलन में अतिरिक्त विकसित देशों के लिए उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्यों वाली बाध्यता हुई।

ग्लोबल वार्मिंग ने समुद्री स्तर, बर्फ की चादर, वर्षा को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। जलवायु परिवर्तन पर सुझाए गए महत्वपूर्ण साधनों में कार्बन करों का प्रारम्भिक महत्वपूर्ण साधन है। भारत में 2010 मे कोयले पर एक स्वच्छ ऊर्जा उपकर का प्रारम्भ किया है। 2015-16 के बजट में भी यह 100 से बढ़ाकर 200 करने के प्रस्ताव की मैं सराहना करती हूं।

पर्यावरण संबंधी प्रक्रियाओं की ऑन लाइन मंजूरी करने का केन्द्र सरकार ने राज्यों को कहा, वह भी एक सराहनीय कदम है। जिससे निवेश बढ़ेगा, निवेश से रोजगार बढ़ेगा। पर्यावरण कानूनों में बदलाव के

तहत पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर समिति की अध्यक्षता में उच्च समिति गठित की गई। उस समिति ने पर्यावरण मंजूरियों के संबंध में देश में इंस्पेक्टर राज खत्म करने के लिए सिफारिश की है और मंत्रालय वन शब्द की परिभाषा भी पुनः तय करने पर विचार कर रहा है। यह भी एक सराहनीय सोच है, मैं इसका स्वागत करता हूं।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार कार्बन डाइआक्साइड गैस का उत्सर्जन वर्ष 2013 की तुलना में घटकर 2014 में 323 अरब टन रह गया है। वह भी अच्छे भविष्य को प्रतीत करता है। ग्रीन इंडिया मिशन के साथ मनरेगा को जोड़ने की बात भी अत्यंत प्रभावी कदम है। जिससे फारेस्ट एरिया बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। हरियाली की हिफाजत करनी अत्यंत जरूरी है क्योंकि सभी जगह सीमेंट, कंक्रीट के कारण हरे भरे पेड़ सूख जाने का मामला सामने आया है।

वन मंत्री जी आपके द्वारा हरित कानूनों को सख्ती से लागू करने की बात भी धन्यवाद की पात्र है। प्लास्टिक अपशिष्ट के बारे में वन मंत्रालय के प्रयास सराहनीय है।

दुनिया के तमाम जलवायु वैज्ञानिक चिंतित हैं। उन वैज्ञानिकों का आंकलन है कि ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को थामा न गया तो जल्दी ही दुनिया गरीबी और भुखमरी की चपेट में आ जाएगी।

2020 तक 100 गिगावाट सौर ऊर्जा और 100 स्मार्ट सिटी हासिल करने के लिए सरकार की ओर से की गई पहल एक उल्लेखनीय कदम है। सितम्बर 2015 में पेरिस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर एक अंतरराष्ट्रीय समझौता होने की उम्मीद है जिस पर सबकी निगाहें लगी हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वैश्विक नजरिया बदलने का आहवान किया है वह भी समयोचित है। उन्होंने कहा कि दुनिया को कार्बन क्रेडिट की सोच छोड़ कर ग्रीन क्रेडिट की सोच अपनानी चाहिए। सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं वाले देशों का एक कंसार्टियम (संघ) बनाने की जरूरत है। आरकिटैक्ट और सिविल इंजीनियरिंग कॉलेजों के पाठ्यक्रम में बदलाव लाकर उससे ऊर्जा संरक्षण को व्यापक ढंग से समाहित करने पर बल भी दिया है।

मेरी मांग है कि गुजरात राज्य में स्टेचू ऑफ यूनिटी सुलापानेश्वर अभ्यारण को इको सेन्सेटिव जोन बनाया जाए। सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा का निर्माण शुरू हो गया है। इसक पास सुलपानेश्वर अभ्यारण पड़ता है। वहां वन्य प्राणी अभ्यारण की सरहद से 10 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। पर्यावरणीय सुरक्षा कदमों के तहत सुलपानेश्वर अभ्यारण जो पहले दुमखल रीच अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। उसका क्षेत्रफल 150.8 के चौरस किलोमीटर से बढ़ाकर 607.7 चौरस किलोमीटर किया गया है। गुजरात सरकार के वन पर्यावरण विभाग ने सुलपानेश्वर अभ्यारण को इको सेंसेटिव जोन जाहिर करने की दरख्वास्त 2010 और 2013, 2015 में की है।

सीएनजी की पाइप लाइन की मंजूरी के तहत राज्य सरकार को सत्ता मुहैया करवाई जाए। जो भोपाल से कार्यवाही होती है, उस क्षेत्रीय आफिस का बोझ हल्का करने के लिए गुजरात सरकार को सत्ता दी जाए।

एशियाटिक लायन का संरक्षण करने के लिए केन्द्रीय आर्थिक सहायता मिलें, जिसमें 90 प्रतिशत केन्द्र और 10 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा होता है। इसके तहत सूचित प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए कुल धनराशि 150 करोड़ की है। इसमें केन्द्र का हिस्सा 135 करोड़ की दरख्वास्त भारत सरकार के पास लंबित है।

अभ्यारण क्षेत्र के आस-पास इको सेंसेटिव जोन जाहिर करने की गुजरात सरकार की कुल 12 दरख्वास्तें (थोल, बालाराम-अंबाजी, बरडा, सुलपानेश्वर, बेलावदर, गोगा, खिचडिया, जेसोल, पोरबंदर, रामपरा, हिंगोलगढ़, नल सरोवर) 2013-14 तक केन्द्र सरकार को पत्राचार हुआ है। लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस पर निर्णय लेना अत्यंत जरूरी है।

रिकवरी प्लान फॉर ग्रेट इंडियन बसटार्ड (गोराड) के लिए केन्द्रीय आर्थिक धनराशि 187.13 करोड़ की दरख्वास्त केन्द्र में निर्णय के लिए पेंडिंग है। यह दरख्वास्त 10 साल के लिए तैयार की गई है, जिसमें गोराड पक्षी का संरक्षण, संवर्धन, आवास सुधारण, राष्ट्रीय स्तर का संवर्धन केन्द्र बनाना, इको डवलेप्मेंट तथा उनके लिए पानी और खुराक की सुविधा के तहत आर्थिक सहायता मंजूर की जाए।

गिर वाइल्ड लाइफ इंटरप्रिटेशन जोन आम्बरडी के लिए सीजेडए की मंजूरी के लिए 2013-14 से केन्द्र सरकार के पास दरख्वास्त लंबित है। इस पर कार्यवाही की जाए।

मेरा यह सुझाव है कि भारतीय वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र 7,71,82 वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.48 प्रतिशत है उसको बढ़ाकर 33 प्रतिशत लाने का प्रावधान करना चाहिए।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एवं क्लाइमेंट चेंज मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स फॉर ग्राण्ट्स पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, पिछले साल भी जब हमने इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की थी तो हरियाणा के विषय में एक ही चीज आई थी कि यमुना नदी में बहुत ज्यादा तादाद में सिल्ट आता है। निरंतर उसकी माइनिंग की जरूरत है, अन्यथा फ्लड एरिया हरियाणा की ओर बढ़ता जा रहा है, उत्तर प्रदेश में माइनिंग खुली पड़ी है। उस समय भी निवेदन किया गया था कि आपकी मिनिस्ट्री अगर एनओसी देने में थोड़ा सा ईज़-आउट कर देगी तो हमारे यहां के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसी तर्ज पर फरीदाबाद, गुड़गांव, महेन्द्रगढ़, भिवानी जिलों में जो नॉन-अरावली हिल्स हैं, वहां पर भी कई ऐसे एरियाज हैं जो अरावलीज में नहीं आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन मात्र आपकी गाइडलाइन्स में जो सख्ती है, हार्डनेस है, उसके कारण आज बहुत से युवा बेरोजगार बैठे हैं। बहुत से ऐसे एरियाज हैं, जहां पर सात रुपये से दस रुपये फुट के रेट पर बजरी मिलती थी, सिर्फ आपकी एनओसीज के कारण आज वह 40 रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां एनओसीज के प्रति थोड़ी सी लिनिएन्सी आप बरतें, जिससे जो बीस-तीस हजार युवा यूपीए की सरकार में पिछले दस साल में बेरोजगार हुए थे, वे दोबारा अपने हाथ में रोजगार ले पाएं। आपकी सरकार के एक साल हो चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर आपकी सरकार गाइडलाइन्स को कुछ ईज़ी करे। जहां नेचर की बात आती है, हम हर रोज टीवी पर देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और दिल्ली सबसे पोल्यूटेड सिटी है।

मैं निवेदन करूंगा और एक आइडिया आपको देता हूं कि जैसे हम विदेशों में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि एकाध गली ऐसी होती है जहां गाड़ियां नहीं आती-जातीं, ट्रैफिक फ्री जोन रहता है। उसी तरह से दिल्ली में भी ट्रायल बेस पर आप ऐसी कोई गली या सड़क लें, जहां ज़ीरो ट्रैफिक हो। लोग वहां पैदल जाकरक क्लीन इन्वायरन्मेंट में चाहे शॉपिंग करें या भोजन करें।

जहां तक पर्यावरण की बात आती है हरियाणा में पूरे देश में सबसे कम फारेस्ट एरिया है। अगर लैंड की पर्सेंटेज कम्पेयर करें तो लगभग सवा तीन प्रतिशत एरिया हरियाणा का फारेस्ट के रूप में है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां आपकी सरकार है, उसे गाइडलाइंस दें, जिससे प्रदेश के अंदर फारेस्ट एरिया को बढ़ाने का काम किया जा सके। वहां काफी एरिया ऐसा है, जो फारेस्ट एरिया के तहत विकसित हो सकता है, मगर वहां सरकार का ध्यान नहीं गया है। अभी मेरे से पूर्व स्वामी जी भी पर्यावरण के बारे मेंबता रहे थे। जहां हम सोलर और क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, महेन्द्रगढ़, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा का बहुत सा एरिया रेगिस्तानी है। आपकी प्रदेश सरकार द्वारा वहां रिनुवल एनर्जी के प्लांट्स लगाए जाएं,

जिसके तहत वहां के लोगों को रोजगार मिले और साथ ही साथ जो वेस्ट या डेजर्टेड लैंड है, रिनुवल एनर्जी जेनरेट हो सकती है और जो हम थर्मल के माध्यम से प्रदूषण बढ़ाते हैं, उससे भी आपकी सरकार को फायदा हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक और आइडिया देना चाहूंगा। हमारे यहां फारेस्ट ट्यूरिज्म आपकी हरियाणा सरकार द्वारा एक भी जगह नहीं बनाया गया। वहां मोरनी हिल्स हैं, शिवालिक की डाउन हिल्स हैं, जैसे आपने काजीरंगा और अन्य जगहों पर ट्यूरिस्ट स्पॉट्स बनाए हैं, मोरनी को भी विकसित करने का काम करे, जिसके तहत मोरनी के आसपास पहाड़ों में रहने वाले लोगों को भी ट्यूरिज्म के आधार पर फायदा होगा।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी जनता दल (यू.) की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जनता दल (यू.) ऐसी पार्टी है, जिसने विगत सात पहले यह तय किया था कि यदि कोई व्यक्ति एक पेड़ लगाता है और उसकी फोटो लेकर जाता है, तब ही वह इसका सदस्य बनता है। इसलिए बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने पर्यावरण की चिंता पहले से की है। आज पूरी धरती पर पर्यावरण का खतरा साफ नज़र आ रहा है और पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। उससे कैसे निपटा जाए, यह हमारे सामने चिंता का विषय है।

हम लोगों ने कभी यह नहीं सोचा कि वृक्ष धरती की अमूल्य धरोहर हैं और लगातार हम उसे काटते चले गए। सरकार ने इसे गम्भीरता से कभी नहीं लिया। प्रकृति की भयावह स्थिति आज भूकम्प की त्रासदी के रूप में, चक्रवर्ती तूफान के रूप में, ओले के रूप में, बेमौसम बरसात और बेमौसम बाढ़-सुखाड़ के रूप में हम सब पर लगातार प्रहार कर रही है। जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, तो हम सब कुछ तहस-नहस होता देखते रहते हैं। अगर हम वृक्षों को सहेज कर रखें तो प्रकृति में आ रहे बदलाव को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में भी कामयाब हो सकते हैं।

महोदय, सब यह भी जानते हैं कि वन की कटाई के कारण जीव-जंतुओं पर असर हुआ है। इसका सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। आज बाघ, हाथी और चील आदि जीव-जंतु लुप्त होते जा रहे हैं। सरकार पर्यावरण की रक्षा के लिए जो भी कदम उठा रही है, यहां मंत्री जी बैठ हुए हैं, उनकी तरफ से भी इस बारे में सुझाव आए हैं कि कैसे हम 2020 तक पर्यावरण को सुधार कर अपने इस विशाल देश को आगे ले जाएंगे। मैं भी इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

आज तमाम राज्यों की समुचित मदद करने की जरूरत है। आज ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं। पहले की अपेक्षा आज ऋतुएं आगे-पीछे हो रही हैं। जिसके कारण जाड़ा, गर्मी या बरसात समय से पहले या समय के बाद आ रही हैं। जैव विविधता संरक्षण की ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें और भी सुधार करने की जरूरत है। वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए उचित प्रबंध करने की जरूरत है। देश की नदियों और झीलों में जो प्रदूषण है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

17.00 hrs

सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वृक्षारोपण है। सरकार इन परियोजनाओं में हमारे नवयुवकों को जोड़कर कार्यक्रम चलाए ताकि प्रदूषण को रोकने के साथ-साथ स्थानीय युवकों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध हों। मेरा सुझाव होगा कि एनएच और रेलवे लाइन्स के दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य बड़े पैमाने पर चलाने की जरूरत है।

अंत में मेरा सुझाव होगा कि सरकार देश के नवयुवकों को इस कार्यक्रम से जोड़े और वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करे। धन्यवाद।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, the Government has already started implementing the T.S.R. Subramanian Committee Report through an Executive Order. This T.S.R. Subramanian Report has gone beyond its mandated review. It has called for a review and complete overhaul of green laws, including National Green Tribunal and Forest Acts. If T.S.R. Subramanian Report is implemented, 97 per cent of our forest area will be opened for mining and only three per cent will remain. Is this the federal approach of the Government in respect of issues which are on the Concurrent List and State List?

Sir, the Government has said that it will have an easy process to provide clearance to industries, but have strict monitoring of compliance. The Ministry of Environment has got Rs. 500 less in comparison to the last year. Their ten regional offices are under staffed. What kind of strict compliance will be there regarding environmental norms? Instead of augmenting manpower and providing funds, now the Government is discussing third-party and self-verification by industries regarding their compliance with environmental norms. This twists the Prime Minister's *mantra* of 'zero effect and zero defect' whereby manufacturing would mean that we shall as a country stop monitoring affects. So, we shall have none.

Sir, Green India Mission requires thousands of crores of rupees. This was a flagship programme to show to the whole world what our efforts are to meet the impact of the climate change. It requires thousands of crores of rupees, but they have given Rs. 64 crore.

What they have given for cleaning up of critical rivers is Rs. 40 crore against a demand of Rs. 294 crore. This is the sum given by them for their conservation. This cannot even be enough to set up one sewage treatment plant.

Paucity of funds is a different thing, but the Government does not even have the political intent or clarity. The Government said that they would not allow any hydro-dam to come up in the eco-fragile area of the River Ganga. Now, they are going to go to the court and saying that there is no need of comprehensive one year study and they will allow the dams to come up. I want to know from the

Government categorically whether they have not given to the World Bank their own statement that they are against the consent clause which is required from a Gram Sabha if a forest land is taken. They have given a written document to the World Bank. Is it also not true that this Government has issued a draft order by the Environment Ministry to the Tribal Ministry saying that the consent clause is not required from a Gram Sabha? Why are they doing this? Why are they creating this difference when Schedule VA says that everything there is a forest area? This is the duplicity of this Government that the Minister says something outside and the draft order and the written submissions made to the World Bank say a completely different thing.

This Government came on a promise of creating jobs. Why is it that out of 675 industries identified in Kanpur, Uttar Pradesh, 310 belong to Muslim minority and dalits? Do they want to close them? They employ four to five people. They are asking them to install a reverse osmosis system which will cost anything between Rs. 30 lakh and Rs. 40 lakh while their yearly turnover is between Rs. 10 lakh and Rs. 12 lakh. What sort of promises have they made to the people? They are making small industries, which employ ten to twelve people, jobless. This will have a great social impact.

Sir, these are the important issues I wanted to raise. I hope that once the Minister stands up, he will reply to these points raised by me.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, we are discussing the Demands for Grants under the control of the Ministry of Environment and Forests at a time when an earthquake has taken place in Nepal and more than 4,000 people are dead.

Yesterday also, the whole House unanimously expressed their concern and also expressed grief and sorrow on the disaster. From Kohima Dam disaster to Nepal Dam disaster, it is very clear that we are not considering or we are not giving significance and prominence to the environment and ecology of our country.

So, keeping this aspect in mind, let us examine the Indian environment scenario. The Government of India is fully honouring the recommendations of the Stockholm Conference of 1972, and you may also kindly see that we are having a very strong constitutional system as well as legal system in order to protect the environment system in our country. The Forest Conservation Act of 1980, Environment Protection Act of 1986, Water Act of 1974, Wildlife Protection Act of 1972, Air Act of 1981 and Forest Act of 1927, these six Acts are the pyramid legislations as far as protection of the environment system in our country is concerned.

In the 42nd Amendment, we have also incorporated a new Article in Directive Principles of State Policy in Part 3 of the Constitution as 48 A directing the Government to protect the forest / wildlife in our country. Another new Article is also incorporated by virtue of the 42nd Amendment, that is, 51 A of the Constitution - fundamental duties of the citizen, and providing that it is the fundamental duty of a citizen to protect the environment, wildlife and our nature. If that be the case, I would like to know this from the hon. Minister, Mr. Prakash Javadekar and from the Government. What is the policy of the Government of India? I reasonably apprehend that there is a drastic shift in the policy of environment protection. Why am I saying this? It is because in the global scenario almost all the countries are making stringent laws for protecting the environment

and ecology. But what is happening in India? After this Government has come to power, my apprehension is that more prominence is given to industry and investment in the name of development ignoring environment protection. This is the apprehension, which I would like to make before this House.

Why is it so? If we go through the Demands for Grants, we find that it is not aiming to address any of the core environmental issues, which is being faced by our country. There is no strategy and perspective, and the only green initiative of the Budget is to increase the cess on coal from Rs. 100 to Rs. 200 per tonne. This is the only green initiative, which we can see in the Budget that was presented by the hon. Finance Minister, Mr. Arun Jaitley. There is no allocation or fiscal measures to control air pollution also.

So, the intention of the Government is very clear, and the intention became clearer when Mr. Owaisi has just now pointed out regarding the TSR Subramanian Committee. First of all, I would like to urge upon the Government to please not to accept any of the recommendations of the TSR Subramanian Committee. If the TSR Subramanian Committee recommendations are accepted, then it will be an environmental disaster for this country. Why this Committee has been appointed? Kindly see the constitution of the Committee. A former Cabinet Secretary, Mr. TSR Subramanian is there, and there is no other environmental expert; no experienced person is there; and within two-and-a-half months they have submitted the Report without having any examination, scientific study, field visit analysis, etc.

Sir, kindly see the terms of reference. The first term of reference is that 'the environment law has to be redefined so as to meet the existing necessity'. The terms of reference of that Committee itself is vague, ambiguous and with some other motive or intention. I am saying this because what is the existing necessity? The existing necessity is not mentioned in the terms of reference. The Committee has found out as to what is the existing necessity. The Committee Report goes to

say that 'to speed up the procedure in giving clearance to the projects'. This is the existing necessity as far as the recommendation is concerned.

The High-Level Committee worked in tune with the interest of the Government to 'ease of doing business', and accordingly submitted the Report with certain recommendations. Kindly see the number one recommendation. If I am wrong kindly correct me. The term forest has to be redefined? What is the existing definition? The existing definition is that 'existing natural forest or any area, which is declared as a forest by the Government'. The recommendation goes to show that areas within a canopy cover of more than 70 per cent should be treated as forest. What would be its impact? Just now, Mr. Owaisi has stated that the National Forest Survey of India Report is there. In the National Forest Survey of India Report, it is very clear. It is 2013 Report; kindly go through it. Above 70 per cent canopy covered forest area is only three per cent. It means 97 per cent is out of the dense forest area. That will be the impact.

The second recommendation is to have a comprehensive legislation which will be called the Environment Law Management Act (ELMA). What is the intention? It will prevail over all contradictory judgments issued by the courts during the past decades and all the provisions of any environmental law which is prevailing in the country. In order to override the Supreme Court verdicts or the judicial verdicts as well as to override the existing provisions of the environmental laws, this Environment Law Management Act is being enunciated.

Another recommendation is to abolish the Central Pollution Control Board and the State Pollution Control Boards. In their places, new authorities will be coming into existence – one is NEMA and another one is SEMA. 'NEMA' stands for 'National Environment Management Authority' and 'SEMA' stands for 'State Environment Management Authority'. The entire authority and powers are being vested with these two authorities so as to give clearance to the projects.

There is no appeal provision against the orders of NEMA and SEMA. There is only a provision for review. Also, the wings of the National Green

Tribunal have been curtailed and there is no original jurisdiction, as far as the NGT is concerned. There also, only the review power is there.

Finally, another recommendation speaks about 'utmost good faith'. It means whatever application for clearance of projects being submitted to the Government, the Government should take into consideration in utmost good faith of the project developers. What does that mean? It means 'ease of doing business'. Further, in *toto*, the High Level Committee Report is a clear attempt to insulate the Government decision from the judicial scrutiny.

If this Report is accepted, it will be a disaster to the country. It will be infringing the constitutional right to a balanced eco system, clean air and clean water to the society. In the name of eliminating Inspector Raj, the High Level Committee reposes complete trust and confidence in the industry and views of the people have no place in this country. It is a clear violation of India's commitment in international treaties and conventions. My only submission to the hon. Minister and the Government is not to accept this Report. I urge upon the Government to reject the Report in *toto.* With these words, I thank you for giving me this opportunity to participate in the debate.

*SHRI ARKA KESHARI DEO (KALAHANDI): I come from district Kalahandi in Odisha. There are many forest areas and wild life sanctuaries. I want to raise a very important issue on wildlife and environment because they are the future and for the next generation to me. The government should give more funding for saving and replanting trees and forestation in Odisha and neighbouring areas. There is a sanctuary named Sonabeda tiger sanctuary which is effected by the Maoists and its being disturbed by timber mafias cutting down the trees. So I request the Minister to take immediate action and give more forces for petrolling those areas.

You must be knowing that natural calamities like cyclone, earthquakes, have been occurring quite often because one of the reasons is cutting of trees and illegal mining and drilling of unwanted borings so the government should take serious steps to stop illegal mining and take serious action against the timber mafias who are main destroyers of environment and forests. I want to request the Minister to declare special package to Sonabeda and Karlapat sanctuaries in Kalahandi district which are being destroyed by timber mafias and increase the patrolling and make check points and give CRPF jawans in every 10 kms. There is a very important mangrove forest Bitharkanika in Odisha which is famous for crocodiles and bird sanctuary. So I request the government to look into those areas and protect the sanctuary.

Recently in Chilka lake which is 180 kms from Bhubaneswar and the biggest lake of India and famous tourist spot and the largest bird sanctuary is being affected by illegal fishing and poaching of migratory ducks which comes from Siberian countries. I must thanks Shri Navin Patnaik ji our CM who has taken special interests in saving wildlife and forest and taken special interest to grow trees besides the highways. One suggestion from my side to the Minister is to make a rule for all the gram panchayats and villages to leave 30 acres of land for growing mango orchards and valuable trees. I also like to say the farmers

* Speech was laid on the Table

must be encouraged by the government and allow them to grow more orchards, fruit bearing trees like there is rule of coffee growers and tea growers there is no sealing of land for coffee growers and tea growers. The government should think seriously to make a rule for mango or any fruit growing orchards should not be limited to certain acres of land. They should be allowed to grow fruit growing trees and herb trees without any sealing of land. There is a major problem for naxals in deep reserve forests. I must request the Home Minister to give more IAP funds in the affected districts of Maoists and specially for growing of trees.

SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): I thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Demands for Grants of the Ministry of Environment and Forests. I would also like to make some comments relating to the Ministry of Environment and Forests.

The present earthquake in Nepal and North India rings an alarm of the great disasters waiting to happen to humanity due to our complete negligence of environmental and ecological security. In the name of development, Governments all around the world are pursuing a disastrous course. None of us are against development. We all want to have sustainable development which will ensure minimum satisfactory component for dignified human survival. Unfortunately, the proponents of development are on a course to maximize their profits. We are witnessing an era of complete corporate loot of nature and natural resources and thereby the very existence of humanity itself.

The NDA Government and its hon. Prime Minister, Mr. Modi, and their policies are detrimental to the very environmental and ecological security of India. When you have promulgated the Land Acquisition Ordinance, you have put another rail on the coffin of India's environmental and ecological security. Your intention in regard to environmental impact assessment and social impact assessment, while acquiring large tracts of agricultural land, is a clear negation of environmental and ecological security. All your grand ideas of huge industrial corridors and smart cities have never thought of its environmental and ecological impacts. While you are forcing the State Bank of India to pay Shri Adani, the largest amount in the history of banking by the public sector State Bank of India for their coal mine project is another clear example of utter disregard on environmental and ecological issues.

A vast majority of Kerala people, cutting across their political and religious differences, oppose the proposed Aranmula Airport. It may be interesting to note that this is the one and the only issue on which the Communists, the BJP, the RSS and all religious organizations stand together in Kerala. I would request the Government not to trample upon the interest of vast majority of people. I would request that for the sake of environment security, such an unwanted project should never be permitted. I would request him to declare it in the Parliament itself.

***श्री अजय टम्टा (अल्मोड़ा) :** किसी भी जीवन को जीने के लिए आक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए वनों की आवश्यकता होती है । अतः वन ही जीवन है ।

मैं भारत सरकार व माननीय वन मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मांगों में इसकी काफी चिंता की गई है ।

सभी माननीय सदस्यों के द्वारा काफी चिंता की जा रही है । प्राकृतिक आपदाये बढ़ रही है । इसमें चिंतन करने की आवश्यकता भी है । मेरा मानना है कि पूरे देश में प्रत्येक प्रदेश को अपने कुल भू-भाग से 40% भू-भाग को वन क्षेत्र घोषित करना चाहिए । प्रदेशों में वृक्षारोपण अभियान चलाकर प्रकृति संतुलन बनाना आवश्यक है ।

मेरा उत्तराखंड प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां देश से भिन्न है । मेरे प्रदेश में लगभग 65% भू-भाग वनों से आच्छादित है । अतः इसका श्रेय उत्तराखंड की जनता को जाता है कि उन्होंने वनों को कटने नहीं दिया । वन क्षेत्र का संरक्षण किया है । इस प्रकार से पूरे भारत की चिंता उत्तराखंड राज्य कर रहा है । इसकी कारण से हिमालय सुरक्षित है । जिससे निकलने वाली नदियों से भारत का बहुत बड़े भू-भाग सिंचित होता है । पीने का पानी मिलता है । भारतीय उपग्रह डेटा के अध्ययन से पता चला है कि संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में 75.779 वर्ग किमी. हिमाच्छादित क्षेत्र में 34.919 हिमनद है । इसी कारण से पूरे देश में गलेशियर आधारित नदियां बहती है ।

जहां उत्तराखंड राज्य देश को इतना कुछ देता है वहीं विकास से पिछड़ता जा रहा है । इसका कारण है कि भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की सारी नियमावली उत्तराखंड राज्य में सख्ताई (कड़ाई) से पालन की जाती है जिससे विकास में पिछड़ता जा रहा है ।

राज्य के मोटर मार्ग/स्वास्थ्य अस्पताल/स्कूल भवनों, जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित फाइलें पत्रावली वर्षो-वर्षो तक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण उत्तराखंड वासियों को सुविधाएं न मिलने के कारण पिछड़ता जा रहा है । अतः मेरा अनुरोध है कि पर्यावरण व वनों की रक्षा करने वाले लोगों को भी सुविधाएं मिले । इसे भी ध्यान देने की आवश्यकता है । अतः मैं वन एवं पर्यावरण की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं ।

***श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू):** मैं डिमांडस फॉर ग्राण्टस अण्डर द् कंट्रोल ऑफ द मिनीस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एण्ड क्लाइमेंट चेंज के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करती हूं। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों जैसे पर्यावरण संरक्षण, वनस्पति जीव-जन्तु, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण तथा सर्वेक्षण, प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण, विकृत क्षेत्रों में वन रोपण एवं पुर्नोत्पत्ति आदि को सुचारू ढंग से चलवाने के लिए बधाई देती हूं।

मेरा संसदीय क्षेत्र झुंझुनू एक शुष्क क्षेत्र है। यहां पर हरित कानूनों को सख्ती से लागू करवाया जाना चाहिए। झुंझुनूं में रिन्यूएबल एनर्जी की पूर्ण भौगोलिक संभावनाएं मौजूद हैं, इस कारण यहां सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, को लागू करने के लिए मांग करती हूं।

वर्तमान दौर में रेडिएसन एक गम्भीर समस्या है अतः आप इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मोबाइल टावर्स को पब्लिक एरिया से दूर स्थापित करने के लिए कदम उठाए।

वन एवं पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण जरूरत पानी की होती है। अतः इसके लिए सरकार झुंझुनूं को नदियों से जोड़ने के लिए कदम उठाए। नगरपालिका क्षेत्रों में होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से निजात दिलाने के लिए पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए जो भी उचित योजनाएं हैं उनको लागू कराने के लिए मदद करें।

---

* Speech was laid on the Table.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : महोदय, मैं पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय की अनुदान माँगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे विरोधी दलों के लोग बहुत सी बातें कह रहे थे कि मोदी जी की सरकार बहुत तेजी से काम क्यों कर रही है? मैं उनको कहना चाहता हूँ कि लोक सभा चुनाव के बाद जिस हालत में देश हम लोगों को अस्त-व्यस्त स्थिति में मिला था, उसके लिए अगर इतनी तेजी से काम नहीं किया जाए तो परिस्थितियाँ इतनी जल्दी सुधरती नहीं हैं। आज निश्चित रूप से पृथ्वी की जलवायु को लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं। जलवायु हमेशा बदलती है, कुछ प्राकृतिक कारणों से बदलती है, कभी-कभी कटाई, उद्योग और परिवहन के कारण भी वायुमंडल में परिवर्तन आते हैं। आज पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर चिंता है। निश्चित रूप से आज सबसे ज्यादा वही देश ग्लोबल वार्मिंग के लिए चिंतित हैं, जो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। हम सब जानते हैं कि यूरोप के तथाकथित विकसित देश और स्वयं अमेरिका ने पिछली सदी में जबरदस्त औद्योगिकीकरण करके दुनिया को इस हालत में पहुँचाया है, लेकिन आज वही देश सबसे ज्यादा भारत और चीन के ऊपर पर्यावरण के इस अंसतुलन के लिए उंगलियाँ उठा रहे हैं।

मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पर्यावरण की शुद्धता के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए काम कर रही है। अभी मोदी जी जब संयुक्त राष्ट्र संघ में गए थे, उन्होंने अपने भाषण में पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की थी। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी फ्रांस और कनाडा गये। वहाँ उन्होंने यूरेनियम के आयात के लिए इन दोनों देशों से जो बड़े समझौते किए, वह भारत के पर्यावरण को सुधारने में, जलवायु को ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम भारत सरकार का सिद्ध होने जा रहा है।

महोदय, हमारे देश में जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना भी हमने बनाई हे, जिसमें आठ मिशन को लिया गया है। उसमें एक मिशन के अनुसार हम लोग वृक्षारोपण और वनावरण, जमीन में ज्यादा से ज्यादा वनों का आवरण हो, इसके लिए हमारी सरकार चिंतित है। 7 लाख 71 हजार 821 वर्ग किलोमीटर में अभी इस देश में वन हैं, जो कुल भू-भाग का 23.48 प्रतिशत ही है। हमारी सरकार ने मनरेगा को ग्रीन इन्डिया मिशन के तहत जोड़ा है। जिसमें हम लोगों ने तय किया है कि वर्ष 2020 तक एक करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा, जिससे 30 लाख लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है। यह भारत सरकार की योजना है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यहाँ पर सरकार से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में जो वन हैं, वनों के अन्दर बहुत सारे गाँव बसे हुए हैं। जिनमें परम्परागत तरीके से बहुत सारे लोग निवास करते हैं, लेकिन उन गाँवों को राजस्व गाँव का दर्जा नहीं प्राप्त है, जिसके कारण वहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है।

वहाँ सड़कें नहीं बन पा रही हैं, वहाँ पर हैंडपम्प और शुद्ध पेय जल उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, वहाँ विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह माँग है कि उन गाँवों को जो जंगलों में परम्परागत रूप से बसे हैं, उनको राजस्व गाँव का दर्जा दिया जाए। जंगल तथा उसके आसपास जो गाँव बसे हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों को घास-फूस, जलौनी लकड़ी और जो वन के उत्पादन होते हैं, उन्हें लेने की छूट दी जाए। उसके साथ-साथ जंगली जानवरों से अपनी फसलों की रक्षा और अपनी जान-माल की रक्षा का अधिकार दिया जाए। जब भी जानवरों के द्वारा घरेलू पशु, गाय-भैंस आदि या मानवों का शिकार होता है, उसका ठीक-ठाक मुआवज़ा दिया जाए। जो फसलें नष्ट हो जाती हैं, उनका मुआवज़ा दिया जाए। पिछले कुछ समय से जो सर्वेक्षण और रिपोर्ट आ रही हैं, वह इशारा करती हैं कि देश और दुनिया की आबो-हवा व जलवायु पर इसका खराब प्रभाव पड़ रहा है, तथा धीरे-धीरे स्थिति भयावह होती जा रही है। परंतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम अपने देश की जलवायु के साथ साथ पूरी दुनिया की जलवायु को शुद्ध करने के लिए जो संभव होगा, वे सारे प्रयास करेंगे और ऐसी प्रतिबद्धता हमारी सरकार और हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी दर्शायी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

*[*] **श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर):** आज वन एवं पर्यावरण संबंधित अनुदान मांगो पर मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं । सर्वप्रथम, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

आज मानवता के समक्ष पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भयावह रूप में खड़ी है । शहरीकरण, औद्योगिकरण, ऑटोमोबाइल्स के बढ़ते प्रयोग, न्यूक्लियर पदार्थों की समस्या, जनसंख्या वृद्धि, वाहनों से निकलने वाला धुंआ और शोर, कल कारखानों से उठने वाला धुंआ, वन संपदा का विनाश, कीटनाशक औषधियां, रासायनिक खाद, अनियोजित व अवैज्ञानिक विकास, विलासी जीवन आदि कारणों से निरंतर पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है । नित्य जीवन में बढ़ते प्लास्टिक का प्रयोग तथा मानवता का प्रकृति से दूर होते चले जाना इत्यादि कारणों ने समस्या को अत्यंत भयावह बना दिया है । ग्रीन हाउसिस गैस के उत्सृजन से ओजोन परत को खतरा उत्पन्न हो गया है । संपूर्ण विश्व इस विषय में चिंता व्यक्त कर रहा है। हमारी प्राचीन संस्कृति में पर्यावरण की रक्षा पर विशेष बल दिया जाता था ।

पांच भूतों (तत्वों) से सृष्टि का निर्माण होता है । इसे मूल प्रकृति भी कहते हैं । ये हैं अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश । इन तत्वों में जल, वायु व पृथ्वी ये तीन ऐसे तत्व हैं जिनका सीधा-सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर होता है । ये दोनों ही हमारे प्रमुख आहार हैं । इसके अतिरिक्त, अन्न, फल, शाक, सब्जी आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं । पृथ्वी में उपस्थित खनिज व रसायनों का प्रभाव इन सभी खाद्य पदार्थों में आता है । अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है तथा जैसा मन होता है वैसा ही कर्म होता है । इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है आहार-शुद्धो सत्व शुद्धि ।

हमारे प्राचीन शास्त्रों में भूमि को माता कहा गया है । वेद कहता है 'माता भूमि पुत्रोहम् पृथिव्याः ।' वेदों में भूमि को माता के समान पवित्र माना गया है । माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान से भूमि की पवित्रता के लिए ही है ।

इसी प्रकार जल को पवित्र माना गया है । जल का मुख्य स्रोत नदी है । ऋग्वेद में नदी को भी माता की तरह श्रेष्ठ माना गया है । कहा है 'नद्यो मातृतयाः ।' शायद इसी से प्रेरणा लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा की सफाई का अभियान किया है । वृक्ष भी वायुमंडल की पवित्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को दस पुत्रों के समान माना गया है - कहा है - दशपुत्रसमं तरूः।

---

[*] Speech was laid on the Table.

इसी पुराण में औषधियों व वनों के विषय में इन्हें नमन किया गया है । वनानां पतये नमः । औषधीनां पतये नमः । वृक्षाणां पतये नमः । अरण्यानां पतये नमः ।

वैदिक ऋषियों ने वायु को आहार कहा है । वायु को पिता के समान रक्षा करने वाली कहा गया है। - प्रण आयूंषि तारिषत् ।

आकाश में शब्द विचरण करते हैं । अतः ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है । अतः ध्वनि में पवित्रता तथा नियंत्रण होना भी आवश्यक है ।

अथर्ववेद के भूमि सूक्त में इन पंच तत्वों की पवित्रता तथा प्रकृति महत्व पर विशेष बल दिया गया है ।

पर्यावरण संतुलन में जीव जंतुओं का भी विशेष महत्व है तथा इन सबकी रक्षा हेतु जंगलों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है । प्रकृति के अनुचित दोहन का परिणाम ही है कि नित्य प्रति अकाल, अति वृष्टि, तूफान तथा भूकंप जैसी त्रासदियां हमें झेलनी पड़ रही है । अतः विकास की सोच के साथ-साथ प्रकृति संतुलन पर गंभीरता से विचार करना होगा । भारत सरकार इस विषय में कार्य कर रही है । सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि इस विषय में महत्वपूर्ण कदम है । अतः मानावता की ही नहीं अपितु प्राणी मात्र की रक्षा हेतु वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमें आधुनिक विज्ञान के साथ-साथ प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान को ध्यान में रखना होगा ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र सीकर व प्रांत राजस्थान में पर्याप्त वन क्षेत्र है परंतु उसमें वृक्षों का अभाव है । इसके अतिरिक्त जहां वन है वे सुरक्षित नहीं है । इन वनों को सुरक्षित करने हेतु तथा गायों की रक्षा हेतु तो अभयारण्य विकसित किए जावे । वनों में ऐसे वृक्ष लगाये जावें जिनसे पक्षियों को भोजन मिल सके तथा औषधि प्राप्त हो सके जैसे नीम, पीपल, वट, बिल्व, जामुन, हरड़, बहेड़ा, आंवला इत्यादि ।

*SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT (JODHPUR): There are many environmental issues in India. Air pollution, water pollution, garbage, and pollution of the natural environment are all challenges for India. The situation was worse between 1947 through 1995. According to data collection and environment assessment studies of World Bank experts between 1995 through 2010, India has made one of the fastest progress in the world, in addressing its environmental issues and improving its environmental quality. Still, India has a long way to go to reach environmental quality similar to those enjoyed in developed economies. Pollution remains a major challenge and opportunity for India. Environmental issues are one of the primary cases of diseases, health issues and long term livelihood impact of India.

Some have cited economic development as the cause regarding the environmental issues. Others believe economic development is key to improving India's environmental management and preventing pollution of the country. It is also suggested that India's growing population is the primary cause of India's environmental degradation. Systematic studies challenge this theory. Empirical evidence from countries such as Japan, England and Singapore, each with population density similar or higher than India, yet each enjoying environmental quality vastly superior than India, suggests population density may not be the only factor affecting India's issues.

Major environmental issues are forest and agricultural degradation of land, resource depletion (water, mineral forest, sand, rocks, etc.), environmental degradation, public health, loss of biodiversity, loss of resilience in ecosystems, livelihood security for the poor.

The major sources of pollution in India include the rampant burning of fuelwood and biomass such as dried waste from livestock as the primary source of energy, lack of organised garbage and waste removal services, lack of sewage treatment operations, lack of flood control and monsoon water drainage system,

---

* Speech was laid on the Table

diversion of consumer waste into rivers, cremation practices near major rivers, government mandated protection of highly polluting old public transport, and continued operation by Indian Government of government owned, high emission plants built between 1950 to 1980.

Air pollution, poor management of waste, growing water scarcity, falling ground water tables, water pollution, preservation and quality of forests, biodiversity loss, and land/soil degradation are some of the major environmental issues India faces today. India's population growth adds pressure to environmental issues and its resources.

There is a long history of study and debate about the interactions between population growth and the environment. According to a British thinker Malthus, for example, a growing population exerts pressure on agriculture land, causing environmental degradation, and forcing the cultivation of land of poorer as well as poorer quality. This environmental degradation ultimately reduces agricultural yields and food availability, causes famines and diseases and death, thereby reducing the rate of population growth.

Population growth, because it can place increased pressure on the assimilative capacity of the environment, is also seen as a major cause of air, water, and solid-waste pollution. The result, Malthus theorised, is an equilibrium population that enjoys low levels of both income and environmental quality. Malthus, suggested positive and preventative forced control of human population, along with abolition of poor laws.

Malthus theory, published between 1798 and 1826, has been analysed and criticised ever since. The American thinker Henry George, for example, observed with his characteristic piquancy in dismissing Malthus: "Both the jayhawk and the man eat chickens; but the more jayhawks, the fewer chickens, while the more men, the more chickens." Similarly, the American economist Julian Lincoln Simon criticised Malthus's theory. He noted that the facts of human history have proven the predictions of Malthus and of the Neo-Malthusians to be flawed. Massive

geometric population growth in the 20th century did not result in a Malthusian catastrophe. The possible reasons include: increase in human knowledge, rapid increases in productivity, innovation and application of knowledge, general improvements in farming methods (industrial/agriculture), mechanization of work (tractors), the introduction of high-yield varieties of wheat and other plants (Green Revolution), the use of pesticides to control crop pests.

More recently scholarly articles concede that whilst there is no question that population growth may contribute to environmental degradation, its effects can be modified by economic growth and modern technology. Research in environmental economics has uncovered a relationship between environmental quality, measured by ambient concentrations of air pollutants and per capita income. This so-called environmental Kuznets curve shows environmental quality worsening up until about $5,000 of per capita income on purchasing parity basis, and improving thereafter. The key requirement, for this to be true, is continued adoption of technology and scientific management of resources, continued increases in productivity in every economic sector, entrepreneurial innovation and economic expansion.

Other data suggests that population density has little correlation to environmental quality and human quality of life. India's population density, in 2011, was about 368 human beings per square kilometre. Many countries with population density similar to higher than India enjoy environmental quality as well as human quality of life far superior than India. For example: Singapore (7148/km2), Hong Kong (6349/km2), South Korea (487/km2), Netherlands (403/km2), Belgium (355/km2), England (395/km2) and Japan (337/km2).

India has major water pollution issues. Discharge of untreated sewage is the single most important issue for pollution of surface and ground water in India. There is a large gap between generation and treatment of domestic waste water in India. The problem is not only that India lacks sufficient treatment capacity but also that the sewage treatment plants that exist do not operate and are not

maintained. The majority of the government-owned sewage treatment plants remain closed most of the time due to improper design or poor maintenance or lack of reliable electricity supply to operate the plants, together with absentee employees and poor management. The waste water generated in these areas normally percolates in the soil or evaporates. The uncollected wastes accumulate in the urban areas causing unhygienic conditions and release pollutants that leaches to surface and groundwater.

According to a World Health Organization study, out of India's 3,119 towns and cities, just 209 have partial sewage treatment facilities, and only 8 have full wastewater treatment facilities. Over 100 Indian cities dump untreated sewage directly into the Ganges River. Investment is needed to bridge the gap between 29000 million litre per day of sewage India generates, and a treatment capacity of mere 6000 million litre per day.

Other sources of water pollution include agriculture run off and small scale factories along the rivers and lakes of India. Fertilizers and pesticides used in agriculture in northwest have been found in rivers, lakes and ground water. Flooding during monsoons worsens India's water pollution problem, as it washes and moves all sorts of solid garbage and contaminated soils into its rivers and wetlands.

Air pollution in India is a serious issue with the major sources being fuelwood and biomass burning, fuel adulteration, vehicle emission and traffic congestion. Air pollution is also the main cause of the Asian brown cloud, which is causing the monsoon to be delayed. India is the world's largest consumer of fuelwood, agriculture waste and biomass for energy purposes. Traditional fuel (fuelwood, crop residue and dung cake) dominates domestic energy use in rural India and accounts for about 90% of the total. In urban areas, this traditional fuel constitutes about 24% of the total. Fuel wood, agri waste and biomass cake burning releases over 165 million tonnes of combustion productions into India's

indoor and outdoor air every year. These biomass-based household stoves in India are also a leading source of greenhouse emissions contributing to climate change.

The annual crop burning practice in northwest India, north India and eastern Pakistan, after monsoons, from October to December, are a major seasonal source of air pollution. Approximately 500 million tons of crop residue is burnt in open, releasing smoke, soot, NOx, SOx, PAHs and particulate matter into the air. This burning has been found to be a leading cause of smog and haze problems through the winter over Punjab, cities such as Delhi, and major population centers along the rivers through West Bengal. In other states of India, rice straw and other crop residue burning in open is a major source of air pollution.

Vehicle emissions are another source of air pollution. Vehicle emissions are worsened by fuel adulteration and poor fuel combustion efficiencies from traffic congestion and low density of quality, high speed road network per 1000 people.

On per capita basis, India is a small emitter of carbon dioxide greenhouse. IN 2009, IEA estimates that it emitted about 1.4 tons of gas per person, in comparison to the United States' 17 tons per person, and a world average of 5.3 tons per person. However, India was the third largest emitter of total carbon dioxide in 2009 at 1.65 Gt per year, after China (6.9 Gt per year) and the United States (5.2 Gt per year). With 17 percent of world population, India contributed some 5 percent of human-sourced carbon dioxide emission; compared to China's 24 percent share.

The Air (Prevention and Control of Pollution) Act was passed in 1981 to regulate air pollution and there have been some measurable improvements. However, the 2012 Environmental Performance Index ranked India as having the poorest relative air quality out of 132 countries.

Trash and garbage is a common sight in urban and rural areas of India. It is a major source of pollution. Indian cities alone generate more than 100 million tons of solid waste a year. Street corners are piled with trash. Public places and

sidewalks are despoiled with filth and litter, rivers and canals act as garbage dumps. In part, India's garbage crisis is from rising consumption. India's waste problem also points to a stunning failure of governance.

In 2000, India's Supreme Court directed all Indian cities to implement a comprehensive waste-management programme that would include household collection of segregated waste, recycling and composting. These directions have simply been ignored. No major city runs a comprehensive programme of the kind envisioned by the Supreme Court.

Indeed, forget waste segregation and recycling directive of the India's Supreme Court, the Organisation for Economic Cooperation and Development estimates that up to 40 percent of municipal waste in India remains simply uncollected. Even medical waste, theoretically controlled by stringent rules that require hospitals to operate incinerators, is routinely dumped with regular municipal garbage. A recent study found that about half of India's medical waste is improperly disposed of. Municipalities in Indian cities and towns have waste collection employees. However, these are unionised government workers and their work performance is neither measured nor monitored.

Some of the few solid waste landfills India has near its major cities are overflowing and poorly managed. They have become significant sources of greenhouse emissions and breeding sites for disease vectors such as flies, mosquitoes, cockroaches, rats and other pests. In 2011, several Indian cities embarked on waste-to-energy projects of the type in use in Germany, Switzerland and Japan. For example, New Delhi is implementing two incinerator projects aimed at turning the city's trash problem into electricity resource. These plants are being welcomed for addressing the city's chronic problems of excess untreated waste and a shortage of electric power. They are also being welcomed by those who seek to prevent water pollution, hygiene problems, and eliminate rotting trash that produces potent greenhouse gas methane. The projects are being opposed by

waste collection workers and local unions who fear changing technology may deprive them of their livelihood and way of life.

Along with waste-to-energy projects, some cities and towns such as Pune, Maharashtra are introducing competition and the privatization of solid waste collection, street cleaning operations and bio-mining to dispose the waste. A scientific study suggests that public private partnership is, in Indian context, more useful in solid waste management. According to this study, government and municipal corporations must encourage PPP-based local management through collection, transport and segregation and disposal of solid waste.

Continuous deforestation and increasing the abuse to natural resources is a big point of concern not only in our country but in the entire world. It is our cumulative responsibility which all of us in this era have to understand that we need to transfer the nature without disturbing it or minimally disturbing to our coming generations. Here we have a point to cheer that From 1990 to 2000, FAO finds India was the fifth largest gainer in forest coverage in the world; whilst from 2000 to 2010, FAO considers India as the third largest gainer in forest coverage but still we have to walk miles together with passion to protect the environment and save the earth.

***श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत):** अगर हमारे देश की फोरेस्ट विभाग की समस्याओं को देखा जाए तो जहां तक मेरी जानकारी है हमारे देश में 20.55 प्रतिशत विस्तार कवर होता है। जबकि आवश्यकता 33 प्रतिशत की होती है। अपने देश में वन्य उत्पादन की जो डिमांड है उससे उत्पादन कम होता है। जैसे कि अपने जंगलों की वार्षिक पैदावार 0.5 क्यूबिक मीटर प्रति हेक्टर है जबकि अमरीका में 1.25 क्यूबिक हेक्टर और जापान में 1.8 क्यूबिक मीटर प्रति हेक्टर और फ्रांस में 3.9 क्यूबिक मीटर प्रति हेक्टर है। इस कारण से जो वन्य चीजों की कटाई होती है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है। मेरा मान्यवर मंत्री महोदय से आग्रह है कि वन्य पेदाशों को बढ़ाने हेतु एवं उसके ऊपर का अवलंबन कम करने हेतु प्रयास किए जाए। साथ ही साथ, वन्य क्षेत्र में उनको मुख्य ग्रामीण एवं शहरी विस्तार से जोड़ने हेतु उचित प्रबंध किए जाए। साथ ही वन्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के अनुरूप उत्पादन एवं चीजों को बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए।

वन्य क्षेत्र में इतनी बारिश होती है वह आम तौर पर पता ही नहीं चलता। जिसके कारण वह पानी जब एक साथ बहता है तो पुर की नौबत आती है। जिसका अनुभव पिछले दिनों में हो चुका है और वन्य संपदा का भी काफी नुकसान हमें झेलना पड़ता है। मेरा आग्रह है कि वन्य विस्तारों में गेज स्टेशनों जैसी व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए ताकि ज्यादा बारिश के बाद होने वाली तबाही से बचा जा सके।

हमारे देश का बहुत ही बड़ी मात्रा में वन्य संपत्ति का नुकसान वन में लगने वाली आग से होता है। मेरा सुझाव है कि वन में रहने वाले एवं आस-पास रहने वाले लोगों को इस विषय में शिक्षित और जागृत किया जाए। जिस तरह से आदमी बीमार होता है उसी प्रकार पेड़-पौधे भी और वन्य जीव जन्तु भी बीमारी का शिकार होते हैं। उस का ध्यान में रखते हुए संशोधन, मैपिंग एवं व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। साथ ही साथ ,वनों के संरक्षण हेतु ज्यादा से ज्यादा विज्ञान का सहारा लेकर व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। वन में रहने वाले लोगों को उनके आस-पास के पेड़-पौधों को रख-रखाव, उस के प्रोडक्ट के ऊपर अधिकार का शिक्षण एवं लाइसेन्स देना चाहिए।, ताकि वन में रहने वाला व्यक्ति ही वन का संरक्षक बने।

* Speech was laid on the Table.

SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants under the control of Ministry of Environment, Forests and Climate Change.

Protecting the environment and forests is essential for our survival. Unless we protect our forests, wildlife, water bodies, and control pollution, we will have nothing for our future generations. As you can imagine, there are many challenges in protecting the forests and environment in India. Without adequate budget, the challenge has become bigger. Sir, I would like to continue my speech in my mother tongue Kannada.

*Sir, I would like to draw the kind attention of the Hon'ble minister of Environment and forests and also the august house towards the problems faced by the state of Karnataka.

Sir, while presenting the budget Hon'ble union finance minister has mentioned that as per the recommendations of the 14th finance commission the union govt has increased the devolution of Central grants to the states by 10%. Accordingly, the state of Karnataka has got Rs 24,000 Crores in the current financial year. If we go by the allocation made under the Centrally Sponsored Schemes my state is losing nearly Rs. 8146 Crores this year. It is due to reduction in allocation of funds to various Centrally sponsored ongoing schemes. Now the burden is on the state government to fund all those programs to complete the works. In this way Karnataka has not been benefited from the 14th finance commission recommendations but facing huge financial burden.

Hon. Deputy Speaker, I would like to mention that the state of Karnataka has abundant forest and wild life resources. I wish to give all the details of the impact of cutting down the allocation of funds. But due to paucity of time I am not going into the details of all these figures. However I would mention certain facts on the floor of the house. The latest tiger census shows that Karnataka has the

* English translation of the speech originally delivered in Kannada.

highest number of tigers in the country. There is about 25% increase in the tiger population in Karnataka state. But the allocation for the project Tiger is reduced by 25%. In the 2015-16 budget, for the Project Tiger you have allocated only Rs. 136.46 Crores. This is a very important project. Therefore, sir, through you, I request the Hon'ble minister to increase the allocation to preserve and conserve the tiger population in the country including Karnataka.

Sir, my next point is about the allocation for Forest Survey. In this budget Rs. 17.61 Crore is allocated for Forest Survey. Whereas it was Rs. 20.39 Crores in the year 2014-15. There has been constant conflicts between the farmers, Revenue and Forest authorities over the land issues in the absence of clear demarcation of boundaries between Revenue and Forest land in the country. Farmers and tribals are suffering for no fault of theirs. Therefore I urge upon the union government to conduct a joint survey involving both Revenue and Forest departments to resolve the issue once for all. This is not possible with the meager allocation of Rs. Rs. 17.61 Crore. Hence I request the hon'ble minster to increase the allocation for the joint survey to demarcate boundaries of Revenue and Forest land.

Sir, I would like to draw the attention of the government towards the need for effective implementation of the provisions of very important legislation passed by the UPA government i.e. the Forest Rights Act-2006. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of ***Forest Rights***) ***Act***, ***2006***, is a key piece of forest legislation brought by the UPA Govt under the visionary leadership of Smt. Sonia Gandhi ji. Our government enacted the law to protect the rights of livelihood of thousands of forest dwellers, tribals, Scheduled Caste and poor people dependant on the forests over the decades. Now, the NDA Govt is not taking any step to change the irregularities in the provisions of the existing law to ensure the benefits to forest dwellers, tribals and Scheduled Castes.

Sir, there were about 2, 60,000 poor people made claims on the forest lands as their cultivating area for decades. Out of this, only 6,800 people were granted the right to those land. Remaining applications were rejected. In this connection I

would like to point out that it is quite evident that the present NDA Govt is not at all working for the poor people and farmers, but favouring the private parties and corporates. That is why I would say this is an anti farmer and anti-people government. It is a matter of great concern that the Govt is not keen on these issues and this has been expressed by all the Hon'ble members who have spoken prior to me. Therefore, I urge the government to take steps to implement this Act under the Vigilance Monitoring Committee (VMC) to ensure that the real beneficiaries are benefitted.

HON. DEPUTY SPEKAER: The Minister has to reply. We are getting late.

SHRI D.K.SURESH: Sir, I am making some observations on a very important issue of the livelihood of our ANNADATA, the farmers. Please give me some more time to finish my speech.

HON. DEPUTY SPEKAER: Now, the Minister may start his reply.

SHRI D.K.SURESH: To save our forest, we need to mitigate the agonies of farmers who are depending on the forest. Sir, It is the first and foremost duty of any Government to protect farmers, forest dwellers and tribals. So I urge upon the Government through you to grant the land rights to forest dwellers without any further delay.

Sir, another very important issue is the increasing incidents of man-animal conflicts. Particularly the Wild Boar menace has created a havoc in Karnataka. The wild boars destroy the standing crops and causing severe loss to farmers. It is a matter of great concern that the government has not made any provision for compensation to farmers in case the crops are destroyed by Wild Boars. Wild Boar is listed in the Wild Life Schedule Even though there is no provision for compensation to a farmer if he or she suffers due the wild boar menace. This is very unfortunate. Therefore, I urge the union government to look into the issue and take steps to provide compensation to the farmers in case the crop is damaged due to wild boar attack.

Similarly there is no provision made to give compensation to people who suffers from Bear attacks and snake bites. Therefore I request the union government take steps to give compensation to these victims, irrespective of where the incidents take place.

Sir, with regard to Masheer fish I would like to mention that Shivanasamudra and Mekedatu are situated on the banks of river Cauvery, which flows through my constituency. It is widely known for famous masheer fish. The Wild Life Association of Southern India (WASI) has protected the Masheer and other wild animals in this region for several decades. In the past decade people from all over the world used to come for Masheer Sport Fishing. It used to provide employment to local people and also generate revenue to the Government. Now, the Cauvery Wildlife Sanctuary has come up and the Forest department has imposed a ban on Masheer fishing sport in the area. Therefore, I urge the government to look into this issue and take steps to encourage masheer fishing and also to promote eco-tourism in this area. Nowadays, the population of Urban areas is increasing rapidly. The unplanned expansion is causing water, air and noise pollution all over the country. The pollution control board has to be given more funds to tackle these issues. In my constituency, there are two rivers near Bangalore City, the Vrishabhavathi and South Pinankini rivers. All the waste and sewage from Bangalore City go into these rivers. As a result Lead/Mercury content is seen in these waters. However, these rivers are not identified as polluted rivers by the Ministry. You have to provide funds for the rejuvenation of these rivers.

Sir, there are incidents of people killed by wild animals while collecting firewood or while they are grazing their cattle. There is no provision to give compensation to such victims. The forest officials deny them compensation saying that the forest area is considered as protected area. In this connection I would like to mention that the forest authorities allowed cattle and sheep grazing and also collecting fire wood. When such unfortunate incidents of deaths of people

due to wild animal attack the very same forest authorities deny compensation saying that it takes place in the protected area. Therefore I urge the union government to contemplate the issue and take steps to give compensation to those people who are losing their lives due to attacks of wild animals in forests, along with protecting the rights of forage and grazing their cattle in these areas.

Sir, Another important issue I would like to mention is that the compensation to people who lost his/ her life due to wild animal attack is fixed at Rs. 2 lakhs. Sir, this is very inadequate and therefore I urge the union Govt to increase the compensation from 2 lakhs to Rs 5 lakhs in case of death of a person due to wild animal attack.

Sir, I would like to point out that there is Hakki-Pikki tribal colony near Bennargatta national park in Bengaluru. It is in the jurisdiction of my Parliamentary constituency. The tribals of this colony have been allotted about 360 acres of land more than50-60 years ago. However there is no entry made in records of both Forest and Revenue authorities. Till date these tribals do not have any piece of document to claim their land, which has been enjoying by them for decades. Now the forest authorities are harassing them and trying to evict them from their land. I wrote several letters to hon'ble minister to look into this issue and ensure the rights of the tribals.

HON. DEPUTY SPEKAER: Cut motions are also there. you have already take more than five minutes.

SHRI D.K.SURESH: Sir I would like to mention that the Hon’ble minister of chemicals and fertilizers Shri. Anant Kumar, who is representing Bangalore South Lok Sabha Constituency, has selected Ragihalli village located near the said colony under the Sansad Adarsh Gram Yojana.

HON. DEPUTY SPEKAER: Please conclude.

SHRI D.K.SURESH: Sir, I am talking about a very important scheme of the hon'ble Prime Minister i.e. Sansad Adarsh Gram Yojana. Kindly allow me to complete my speech.

HON. DEPUTY SPEKAER: Mr. Minister, he is concluding. Please sit down.

SHRI D.K.SURESH: Sir I urge upon the union government to take steps to grant land rights to the tribals living in the Hakki -Pikki colony.

In our country, there are 18 States where there are tigers. Since 1973, tiger is our national animal. There are recent reports that the newly constituted Animal Welfare Board is recommending lion as national animal. Lion is found only in Gujarat. India is not just about Gujarat. So, kindly look into this matter.

Thank you. With these words, I will conclude.

*ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Given the importance and necessity to protect the environment, ecology and forests, there is an approved outlay of Rs. 17,874 crore for the Ministry during the 12th plan over and above 79% of the previous plan. Till the end of third plan year, only Rs. 6903 crore against Rs. 10,724.24 cr. has been allocated, whereas, actual utilization has been only Rs. 5200 crore from these figures, it is evident that the Government is reluctant in allocating funds to the greater cause of environmental concerns and the ministry is apathetic in attitude to utilize the allocated funds.

When we are proceeding from 1997 Kyoto protocol under the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCC) to the Paris Convention in the end of this year, there is greater need to bring clarity as regards the utilization of carbon markets to the benefits of our country especially the indigenous people, the farmers and the marginalized. This is because, under the market based mechanisms of carbon trading, the developed nations are trying to impose environmental colonialism or assisted colonialism in our land. On one end, big industries and governments, in hand with big conservation organizations and financial institutions, are able to buy cheap credits and gain profits whereas the communities, affected by the projects would be affected by land and human right violations, displacement, land grabbing and so on. The conservation initiatives in the Western Ghats through Western Ghats Ecology Expert Panel (WGEEP) Report and High Level Working Group (HLWG) Report is a classical example of conservation aiming at colonization. I urge upon the Government to drop all steps taken on the basis of WGEEP and HLWG Report as regards the conservation of Western Ghats.

The Prime Ministers council on Climate Change convened on 19 January 2015 had discussed the proposal of cutting the emissions from agriculture sector. Over the past few years, the developed countries have been campaigning to force the developing countries to cut emissions from agriculture and livestock. We have

* Speech was laid on the Table

been vehemently opposing to bring farm emissions within the ambit of climate action to safeguard our farmers who are mostly small and marginal landholders. This has been the important component of our international climate position for long. If the new proposal is accepted, the same will dilute our position on the matter. The total contribution of agriculture to the Green House Gas emission is only 14% out of the 2486 million tons of carbon dioxide emitted. We vehemently oppose the US and the European Union proposal to adopt emission targets for agriculture sector during the 2013 Warsaw Climate Change Summit. The historical responsibility of the developed countries should be focused on the negotiation and unfortunately the negotiations are now deliberately focused on the current emission denying the developing countries their basic right to grow and develop. Therefore, we have to act together in securing our right to develop and be energy sufficient.

It is also important to amend various forest and environmental laws to meet the challenges of conservation as well as to meet the aspirations of the people. Since, the forest is not defined in the Forest Conservation Act 1980, the term forest is being interpreted according to the whims and fancies of the concerned and therefore an amendment should be brought in giving clear and unambiguous definitions to 'forest' excluding plantations, farmlands and inhabited areas. The wildlife protection act should be amended incorporating the provision to contain the wildlife, both prey and predators, within the carrying capacity of the sanctuaries, national parks and forests in a scientific manner to avoid man-animal conflicts and ensure sustainable development and sufficient compensation to the farmers in the event of damages due to crop raids by wild life.

The NGT Act 2005 is to be amended preventing legal illiterates from participating in the judicial process being the expert members representing various NGOs and other interest groups.

The wildlife department under the ministry has been used for getting international funding and appropriates the same for the benefit of a privileged few.

In my constituency, the wildlife department was trying to implement a project namely India High Range Mountain Landscape (HRML) with financial aid from Global Environmental Facility (GEF) routed through UNDP, with an objective to deny the right of the agrarian community over their land by way of restrictions and controls. The activities carried out in PTR and other nearby national parks and sanctuaries with the aid of international agencies have no exceptions. The wildlife department is acting as a mafia and the forest department is running a parallel government. If the unruly and clandestine acts of the forest department are not prevented, the same will lead to massive agitations and resistances, and ultimately the initiatives would be counterproductive.

I urge upon the Government to have a comprehensive approach in conserving the nature, environment and ecology giving due consideration to the livelihood options of the farming community by safeguarding their right over the land. I also request the Minister to keep a vigil on the interested groups and organizations trying to impose environmental colonialism or assisted colonialism eyeing on the international funds.

***डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार):** मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने मौसम परिवर्तन जैसे ज्वलंत समस्या से निपटने हेतु व्यापक रणनीति बनाने और उसे क्रियान्वित करने हेतु सरकार की संकल्पबद्धता और प्रतिबद्धता जतायी है। भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मौसम परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर पूरी गम्भीरता से स्पष्ट और सकारात्मक रुख अपनाया जाना हम सबके लिए गौरव का विषय है।

मैं माननीय वन और पर्यावरण मंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं जिनके कुशल नेतृत्व में उनके मंत्रालय द्वारा मौसम परिवर्तन हेतु बजट को बढ़ाकर 10 करोड़ से 16 गुणा बढ़ाकर 160 करोड़ कर दिया गया है।

हमें देश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार के पूर्ण समर्पण का पता इस बात से लग सकता है कि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा इस वर्ष 240 करोड़ रुपए आवंटित किए गए जो कि गत वर्ष से 148 करोड़ अधिक है। इसी श्रृंखला में मैं यह बताना आवश्यक समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी ने विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों में कोयले पर 100 मीट्रिक टन पर स्वच्छ ऊर्जा सेस को 100 रुपए बढ़ाया है जिससे कि देश में स्वच्छ ऊर्जा के लिए चल रहे प्रकल्पों को मदद दी जा सके।

मैं सामरिक और संवेदनशील सीमावर्ती प्रदेश से आता हूं। जहां यह प्रदेश दो-दो विदेशी सीमाओं से घिरा है वहीं यह प्रदेश नियमित रूप से प्राकृतिक आपदा की मार झेलता है। ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्रों में ढांचागत विकास की गम्भीर समस्या है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने इस कठिनाई को कई बार तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं पर्यावरण व वन मंत्री के समक्ष उठाया था। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र से सटी सड़कों के निर्माण हेतु पर्यावरण संबंधी अनुमति की कठिनाइयों को दूर कर दिया गया है। इससे सीमा क्षेत्रों में रह रहे हमारे वे लोग लाभान्वित होंगे जो द्वितीय पंक्ति में देश की रक्षा करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को अपना हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके इस कदम से सीमाक्षेत्रों की हमारी संपर्क मार्ग की योजनाएं बिना विलंब के पूरी हो सकेगी। संवेदनशील और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तराखंड राज्य में जहां 67 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र हैं वहां पर्यावरण की रक्षा के लिए लगभग 12500 वन पंचायतों का गौरवमयी इतिहास रहा है। इन बारह हजार पांच सौ वन पंचायतों में ढाई लाख से अधिक नागरिक तमाम खतरों का सामना करते हुए अपने निजी वनों

* Speech was laid on the Table.

को सुरक्षित रखते हैं। अपने सीमित संसाधनों में भी लोग बच्चों से ज्यादा अपने वनों की चिंता करते हैं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वन पंचायतों को सशक्त बनाने हेतु एक व्यापक कार्य-योजना तैयार की जाए और अन्य पर्वतीय राज्यों में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए वन पंचायतों की अनूठी योजना तैयार की जाए।

मैं वन संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु अभिनव योजनाएं सृजित और क्रियान्वित किए जाने की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने पर्यावरण संरक्षण से प्रदेश की जनता को जोड़ने के लिए कई सफल और अभिनव प्रयोग किए। धर्म और अध्यात्म का विश्व प्रसिद्ध केन्द्र बद्रीनाथ धाम में हमने एकता वन की स्थापना की जिसमें विभिन्न राज्यों के लोगों में अपने राज्यों की तरफ से वृक्ष लगाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। पर्यावरण के क्षेत्र में जिलास्तर पर महत्वपूर्ण कार्य करने वाले विद्यालय और महाविद्यालय को सम्मानित करने की अनूठी योजना बनाई गई। प्रदेश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु एनसीसी और एनएसएस समेत विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लेते हुए मेलों का अयोजन किया गया। विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा अनेक प्रकार के फलदार पौधे उपलब्ध कराकर उन्हें वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्रदेश के सभी विद्यालयों में ईको क्लबों की स्थापना कर विद्यार्थियों को जहां एक ओर पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक किया गया, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। भारतीय सेना के ईको टास्क फोर्स के साथ मिलकर बद्रीनाथ जैसे दुर्गम क्षेत्रों के वृक्षारोपण का व्यापक अभियान हाथ में लिया गया जिसमें सकारात्मक परिणाम निकले हैं। मेरा मानना है कि वन और पर्यावरण मंत्रालय को सतत पर्यावरण विकास के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित कर नवीन और अनूठी योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहिए।

सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र में आ रही भीषण प्राकृतिक विपदाओं के चलते एवं पर्यावरण के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए एवं मौसम परिवर्तन के दुष्प्रभावों को बचाने के लिए हिमनद विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाए। इससे न केवल विदेशी शोध पर हमारी निर्भरता समाप्त होगी और हम अपनी योजनाओं और संसाधनों का समुचित क्रियान्वयन और विकास भलीभांति कर पाएंगे। इस संस्था के माध्यम से जहां हम एशिया के जल टावर का संरक्षण कर पाएंगे, वहीं डैम, जल विद्युत परियोजना, सिंचाई परियोजना, पर्यटन की विभिन्न योजनाओं हेतु संसाधनों का समुचित उपयोग कर पाने में सफल होंगे। सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र में आ रही भीषण आपदाओं के चलते पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु, हिमनदों को मौसम परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए देश में हिमनदों का व्यापक सर्वेक्षण और अध्ययन की नितान्त आवश्यकता है। अपने सर्वेक्षणों और अध्ययन के आधार पर हम अपने जल संसाधनों संबंधी योजनाओं का उचित सृजन एवं क्रियान्वयन कर पाएंगे। यह प्राधिकरण सफलतापूर्वक राज्य सरकारों के साथ मिलकर निगरानी नेटवर्क की

स्थापना कर समुदाय आधारित प्रबंधन मानव संसाधन का विकास करके आपदा प्रबंधन की सफल रणनीति का सृजन एवं क्रियान्वयन कर पाएगा। चूंकि वाटर टावर हिमालय के जल अपवाह में उत्तराखंड के हिमनदों का महत्वपूर्ण योगदान है। मेरा अनुरोध है कि यह महत्वपूर्ण प्राधिकरण उत्तराखंड में ही स्थापित किया जाए। मैंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में हिमनद प्राधिकरण बनाया था लेकिन वर्तमान उत्तराखंड की सरकार उसे आगे नहीं बढ़ा सकी जिसका मुझे दुख है।

जैव वैविध्य के क्षेत्र में हिमालय सबसे अधिक विविधता वाले क्षेत्रों में आता है जो कि देश में 2387590 (तेईस लाख सतासी हजार पांच सौ नब्बे) वर्ग कि.मी. के भू-भाग को आच्छादित करता है। विश्व के 130 करोड़ लोग हिमालयीय संसाधनों और अपवाह पर निर्भर हैं। वनों से आच्छादित इस क्षेत्र के क्षेत्रीय पारिस्थितिकीय के अनुकूल विकास हेतु अलग से योजना का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

हमें यह समझना होगा कि बेहद संवेदनशील हिमालय क्षेत्र की जहां एक ओर अपनी विषम पारिस्थितिकी है, वहीं दूसरी ओर यह सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्गम परिस्थितियों एवं आपदा की निरन्तर मार सहती उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से ग्रस्त है। जहां हम दो-दो विदेशी सीमाओं से घिरे हैं वहीं प्राकृतिक आपदा के कारण व बेरोजगारी के कारण पलायन कर रहे हैं। प्रदेश में 67 प्रतिशत वन क्षेत्र होने के कारण कृषि और उद्योग धंधों की काफी कमी है। भीषण आपदाओं और वन्य जन्तु संरक्षण के तहत जो गांव पूरी तरह प्रभावित होकर पुनर्वास होकर उन्हें तत्काल प्रभाव से पुनर्वासित किए जाने की एक व्यापक कार्य योजना बनाए जने की आवश्यकता है।

जैसाकि आपको विदित है कि ईको टास्क फोर्स एक विशेष बल है जिसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण के साथ स्थानीय जनता को पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरुक करना है। इसके अतरिक्त देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हमारे जाबांज सैनिकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद यह सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करने का उत्तम माध्यम है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि पर्यावरण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत गठित किए जाने वाले ईको टास्क फोर्स की नई बटालियनें सृजित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

मैं आग्रह करना चाहूंगा कि पिछले बजट में प्रस्तावित हिमालयीय मिशन की स्थापना अविलंब की जाए ताकि हिमालय क्षेत्रों के अध्ययन के साथ समग्र विकास हेतु नीतियों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। हिमालय क्षेत्र में आ रही भीषण विपदाओं के मद्देनजर ऐसे संस्थानों की स्थापना अति आवश्यक है। चाहे वह केदारनाथ की 2013 की जल प्रलय रही हो या जम्मू कश्मीर की भयंकर अतिवृष्टि या फिर हाल ही में आया नेपाल का विनाशकारी भूकंप। इन सभी त्रासदियों से हमें हिमालय स्थित

प्राकृतिक संसाधनों के पारिस्थितिकी के अनुरूप दोहन का संदेश मिलता है। हिमालयीय मिशन का यह प्रस्तावित संस्थान क्षेत्र के सुनियोजित विकास की अवधारणा को साकर कर पाएगा।

यह अत्यंत चिंताजनक विषय है कि प्रदेश में कितनी ही जल विद्युत परियोजनाएं कई सौ करोड़ रुपए खर्च करने के बाद बंद कर दी गई हैं। ऐसे में हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं एवं ऊर्जा संकट से निपटने की सरकार की मुहिम को गहरा धक्का लगा है। मेरा आग्रह है कि ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय देश में मिनी एवं माइक्रो हॉइडल परियोजनाओं को बढ़ावा दें ताकि पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ हम ऊर्जा संकट से निजात पा सके।

मैं बताना चाहूंगा कि मेरे प्रदेश में जहां 67 प्रतिशत भाग वन आच्छादित है वहीं लगभग 30 प्रतिशत से कम भूमि कृषि योग्य बचती है। इस बची-खुची भूमि पर हमारे किसानों को बंदर और सुअरों सहित अनेक जंगली जानवरों के आतंक को झेलना पड़ता है। एक ओर इससे हमारे कृषि उत्पादन पर विपरीत असर पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ इन जानवरों के हमलों से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है।

प्रदेश के कई अंचलों में सड़कों की योजनाएं पर्यावरण स्वीकृति के कारण लटकी पड़ी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति लेने की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और उसका समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि सामरिक और संवेदनशील दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों की सड़क योजनाओं की स्वीकृति वरीयता के आधार पर दी जाए।

भीषण आपदाओं और वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम के तहत जो गांव पूरी तरह प्रभावित होकर पुनर्वास के लिए भटक रहे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से पुनर्वासित किया जाए। ऐसे में राज्य सरकारों के साथ मिलकर वन भूमि के समुचित उपयोग हेतु अभिनव योजनाएं भी बनाई जानी चाहिए।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वनों से आच्छदित हिमालयीय प्रदेशों में क्षेत्रीय पारिस्थितिकीय के अनुकूल विकास हेतु अलग से योजाना का प्रावधान ग्रीन बोनस के रूप में किया जाए ताकि वनों से प्रभावित या उन पर निर्भर लोग पलायन न करें। दुर्गम परिस्थितियों और अपदा की निरंतर मार सहती जनता के लिए ग्रीन बोनस के रूप में प्रोत्साहन दिया जाए। इससे न केवल देशभक्त क्षेत्रीय जनता राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रोत्साहित और समर्पित होगी बल्कि वह संवेदनशील हमालयीय पारिस्थितिकी के संरक्षण में बढ़-चढ़कर अपना योगदान देगी। मेरा मानना है कि हिमालयीय प्रदेशों में पर्यावरण संरक्षण और संवर्द्धन में मील का पत्थर साबित होगी।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए विश्वास प्रकट करता हूं कि वह मेरी उपर्युक्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

***श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर)ः** बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इनवायरनमेंट एण्ड फॉरेस्ट्स पर अपने विचार रखने का मौका दिया।

हमारी सरकार का लक्ष्य है- देश को समृद्ध बनाना, किन्तु साथ ही अपनी माँ भूमि एवं पर्यावरण की पूर्ण रूप से रक्षा करना। हमारी सरकार ने , यूपीए सरकार के उलट, पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से गरीबी का दूर करना और गरीबी दूर कर पर्यावरण को संरक्षित करने का जो इस बजट में काम किया है, इसके लिए मैं सांसद के ही नाते नहीं बल्कि एक भारतीय नागरिक के नाते भी उन्हें बहुत-बहुत नमन और साधुवाद देता हूं। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि वन और पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनसे निपटने के लिए हमें जन भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर गंभीरता से विचार करना होगा क्योंकि इस मामले में बिना जन भागीदारी के कुछ भी करना संभव नहीं हो सकेगा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा किया-"सबका साथ, सबका विकास।" यह हमारे देश को आपसी सामंजस्य और सतत् विकास की ओर ले जाने वाला सबसे ठोस कदम होगा।

मैं एनवायर्नमेंट एण्ड फोरैस्ट मिनिस्ट्री की डिमांड फॉर ग्राण्ट्स का पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के एक ट्वीट के साथ समाप्त करता हूं कि 'आइए, हम ट्रस्टी के रूप में काम करें, जहां वर्तमान में अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल करते वक्त आगामी पीढ़ियों की खुशियां भी सुनिश्चित करें। '

---

* Speech was laid on the Table.

***श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत):** मैं माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सोनीपत की ओर दिलाना चाहता हूं।

यमुना नदी मेरे संसदीय क्षेत्र सोनीपत से होकर गुजरती है। यमुना नदी का पानी यमुनानगर में नीला रंग का होता है और यह सोनीपत आते-आते काला, दूषित और जहरीला हो जाता है। जिसके कारण पीने के पानी तथा सिंचाई का पानी दूषित होने के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है।

उद्योगों का गंदा पानी यमुना नदी में गिरने के साथ-साथ नदी में खनन की गतिविधियों का कार्य बहुत अधिक जोर पर चलता है। जिससे बहुत बड़े-बड़े गड्डे बन जाते हैं और आस-पास के पेड़-पौधे भी उखाड़ दिए जाते हैं। इससे भविष्य में और अधिक पर्यावरण को खतरा बढ़ता जा रहा है और पर्यावरण अधिक दूषित होता जा रहा है।

खनन व दूषित पानी के कारण पेड़ों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। जमीन पेड़ विहिन तथा ऊंची-नीची होती जा रही है। जिस कारण पर्यावरण को सुदृढ़ बनाने में कठिनाई पैदा हो रही है।

पर्यावरण में बदलाव के कारण ही भूकम्प और बिन मौसम की बरसात जैसी प्राकृतिक आपदा आती है। जिसके कारण वहां की जनता के साथ-साथ देश को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इसलिए स्वच्छ पर्यावरण का होना अत्यंत आवश्यक है।

अतः मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में पर्यावरण को दूषित करने से बचाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाए।

---

* Speech was laid on the Table.

*SHRI BADRUDDIN AJMAL (DHUBRI): Our country has various kinds of environmental issues including air pollution, water pollution, garbage, and pollution of the natural environment. According to a survey, nearly 30% of India's gross agricultural output is lost every year due to soil degradation, poor land management and counterproductive irrigation. The wetlands and lakes are also being hit hard. Mainly by the industrial boom that hit India a decade ago, the main problems being improper disposal of industrial waste like chemicals etc. this is very alarming revelation for our country.

Air pollution is a serious issue in our country with the major source being fuelwood and biomass burning, fuel adulteration, vehicle emission and traffic congestion. Air pollution is also the main cause of the Asian brown cloud, which is causing the monsoon to be delayed. We need to keep eye on this problem and also create awareness among the people.

We need development, we should set up factories, industries and plants for economical growth of the country but at the same time we need to preserve the environmental issue. We must not ignore the protection of environment that may cause the disaster for the country. We must take action against those who violate the law and rules regarding protection of environment.

The rivers are on the front line of pollution in India. Millions of people depend on them for their livelihoods but they are slowly being polluted and destroyed by sewage, chemicals and other agricultural and industrial waste. Discharge of untreated sewage is the single most important cause for pollution of surface and ground water in the country. The uncollected wastes accumulate in the urban areas cause unhygienic conditions and release pollutants that leaches to surface and groundwater.

According to a World Health Organization study, out of India's 3,119 towns and cities, just 209 have partial sewage treatment facilities, and only 8 have full wastewater treatment facilities. Over 100 Indian cities dump untreated sewage

---

* Speech was laid on the Table

directly into the Ganges River. Flooding during monsoons worsens water pollution problem, as it washes and moves all sorts of solid garbage and contaminated soils into its rivers and wetlands. So we need to find out solution of these problems.

We talk about attracting tourists from all over the world to our country but it is a bitter fact that due to polluted environment, tourists hesitate to come to our country. Tourist centres such as Goa, Mumbai, Delhi and other cities suffer badly due to lack of environmental management and preventing pollution measure. I request Hon'ble Minister to come out with the measures to protect the environment especially in these cities.

The deforestation is another highly serious environmental issue in India. It is predicted that almost 5.3 Million hectares of forest have been destroyed since the Independence. Most of it, being chopped down for housing, industrialization and river projects. It is estimated that the number of Mangrove \forests have more than halved in the last 20 years.

Mountains, Hills and Forests have very importance in their existence. The mountains protect the earth from earthquake and the forests pass the fresh air for the human being. Similarly the animals are important to keep the environment fresh and pure because they eat various types of waste that can affect the pollution and also they filter the air for human beings.

But unfortunately in the name of industrial growth, we are destroying mountains and forest. Similarly, we have failed to protect the animals like tigers and Rhino etc. The poaching of tigers and Rhinos is going on in the country especially in Kaziranga National Park of Assam. Kaziranga National Park is home to the largest population of the endangered one horned rhino in the world. But the poaching at the park has become a big problem over the years.

According to the record, the Kaziranga National Park has 2,186 rhinos out of a total population of 2,505 in Assam. A total of 524 rhinos have been killed for

their horns in that state during last decade. Around 22 rhinos have been killed just this year so far.

I request Hon'ble Minister to give special attention to the issues raised by me and take necessary steps to protect the environment. I also request Hon'ble Minister to pressurize the state governments to implement the existing laws regarding protection of environment and forest.

***श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती)**: मैं अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

सामान्य धारणा यह है कि पर्यावरण और वन अनंत प्राकृतिक उपहार हैं, जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों की सेवा, सहायता तथा उन्हें जीवित रखने की एक चिरकालिक क्षमता है, चाहे उनके साथ कितना भी क्रूर, अपमानजनक और अवेहलनात्मक बर्ताव किया जाए। इस तरह की संतोषजनक अवधारणा तथा निश्चिंततापूर्ण रवैये का परिणाम न केवल अवश्यंभावी बल्कि तत्काल आपदा को निमंत्रण देना है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पर्यावरण और वनों में अलौकिक और अंतर्निहित सामर्थ्य तथा शक्ति यह है कि उनका पुनर्जागरण, पुनर्जन्म, पुनर्मरण तथा पुनरूत्थान हो जाता है, परन्तु यह सामर्थ्य अनंत और चिरकालिक नहीं है। यह प्रक्रिया उतनी तेजी से नहीं हो सकती है, जितनी तेजी से हमारी आवश्यकता के कारण नहीं बल्कि लालच के कारण इस पर निर्भरता और असावधानीपूर्वक कहर ढाया जा रहा है। यहां तक कि आज के परिदृश्य में यदि इसी प्रकार अंधाधुंध बर्बादी होती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि जब न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीवों को जीवन के लिए गंभीर और निश्चित खतरा पैदा हो जाएगा।

मैं देश के उन चंद सौभाग्यशाली लोगों में से हूं, जिनको प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण प्रकृति की गोद में पलने-बढ़ने का अवसर मिला है। मैं उत्तर प्रदेश के जिस श्रावस्ती क्षेत्र में आता हूं, उसके अंतर्गत आने वाले दोनों जिले श्रावस्ती एवं बलरामपुर वन एवं खनिज सम्पदा से परिपूर्ण है। श्रावस्ती में जहां 17 हजार 186 हेक्टेयर रिजर्व फारेस्ट है, वहीं 23 हजार हैक्टेयर सेंचुरी फारेस्ट भी है। इसी प्रकार बलरामपुर में 5 हजार हैक्टेयर रिजर्व फारेस्ट एवं 45 हजार हैक्टेयर सेंचुरी फारेस्ट है।

मैं वनों के बीच पला बढ़ा हूं, इसलिए जंगल एवं वन से हमको बढ़ा लगाव है। परन्तु आज जब मैं वनों के चौतरफा ही रहे विनाश को देखता हूं तो हमें बहुत ही हार्दिक पीड़ा एवं कष्ट होता है। क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो इसकी रखवाली तथा इसको बचा पाना बहुत ही मुश्किल है।

आज उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों, सत्ता पक्ष के नेताओं एवं वन माफियाओं का एक बहुत ही मजबूत गठजोड़ का कॉकस बन गया है जो वनों के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। आज हम देखते हैं कि वनों की अंधाधुंध अवैध कटाई एवं अवैध खनन उक्त गठजोड़ की अवैध कमाई का प्रमुख साधन बन गया है। अगर इसी तरह से अंधाधुंध अवैध कटाई होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब वन एवं जंगल सिर्फ किताबों और किस्से कहानियों में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे, जिसका दुष्परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश में न तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन हो रहा है और न ही सेवा नियमावली का पालन किया जा रहा है। भ्रष्ट अधिकारी एक ही स्थान पर 20-20 साल

---

* Speech was laid on the Table.

जमे रहकर वहीं से प्रमोशन लेकर के रिटायर भी हो जाते हैं। मेरी सरकार से मांग है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का तथा सेवा नियमावली का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करा करके वनों को बचाने एवं संरक्षित करने का काम करें।

हमारे क्षेत्र के भिनगा वन प्रभाग में विजयशाल नामक पेड़ पाया जाता है, जिसकी लकड़ी का गिलास बना करके उसमें पानी भरकर रख दिया जाता है तो वन पानी सुबह लाल रंग का हो जाता है और वह पेट संबंधी बीमारियों की रामबाण दवा है। इसको भी अंधाधुंध अवैध कटाई वन माफियाओं द्वारा की जा रही है, जिसको संरक्षित करने की व्यवस्था की जाए।

भिनगा वन प्रभाग में ही उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है, उनको भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदान की मांगों का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर):** मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए अपने निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं।

पर्यावरण परिवर्तन और कृषि दो संबंधित प्रक्रिया है जो एक वैश्विक पैमाने पर अपनी जगह बना रहे हैं। पर्यावरण परिवर्तन कृषि को अलग-अलग तरीकों जैसे औसत तापमान, वर्षा, कीट और रोगों में परिवर्तन, वायुमंडलीय कार्बन डाईऑक्साइड और जमीनी स्तर पर ओजोन सांद्रता में परिवर्तन और समुद्र के स्तर में परिवर्तन से प्रभावित करता है।

भारत में कृषि और संबद्धित क्षेत्र करीब 18 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पादन में योगदान देते हैं और करीब 70 प्रतिशत भारतीय जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है।

जलवायु परिवर्तन विश्व स्तर पर किसानों के लिए सबसे दीर्घकालिक चुनौतियों में से एक है। जलवायु जोखिम भारतीय कृषि के लिए आम हैं। यह सूखे के लिए अत्यधिक संवेदनशील है क्योंकि 2/3 कृषि भूमि वर्षा पर आधारित है और सिंचित प्रणाली भी मानसून पर निर्भर है। बाढ़ भी बार-बार कई भागों में विशेष रूप से पूर्वी भारत में होती है। उत्तर पश्चिमी भारत में ठंड मध्य और उत्तरी भागों में गर्म तरंगों और पूर्वी तट में चक्रवात का काफी कहर अक्सर पाया गया है।

मेरे संसदीय क्षेत्र 44 अकबरपुर लोक सभा में जनपद कानपुर नगर की कल्याणपुर, महाराजपुर, बिठूर एवं घाटमपुर तथा जनपद कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया विधानसभा सम्मिलित है। मेरी लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत जी.टी. रोड़, कानपुर-सागर राजमार्ग, कानपुर-आगरा राजमार्ग एवं कालपी रोड़ पर कई औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिनमें सैकड़ों औद्योगिक संस्थान स्थापित हैं। इन औद्योगिक संस्थानों से प्रतिदिन 500 टन से अधिक अपशिष्ट पदार्थ एवं लाखों लीटर प्रदूषित जल के साथ-साथ धुएं की धुंध एवं डस्ट निकलती है। पर्यावरण एवं प्रदूषण के निस्तारण के मानकों के लगातार उल्लंघन एवं मिल मालिकों व विभागीय अधिकारियों की सांठ-गांठ से पूरे क्षेत्र में जनजीवन अस्त-व्यस्त एवं गंभीर घातक बीमारियों से ग्रस्त हो गया है।

ज्ञात हो कि कानपुर नगर के ग्राम बिनौर में स्थित महादेव पेपर मिल एवं पी.आर. इंडस्ट्रीज तथा कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया में स्थित कानपुर एडिबल ऑयल, आर.एस.पी.एल. व जैनपुर औद्योगिक क्षेत्र में रनिया में पेप्सिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंसायी नेरोलैक आदि सहित सैकड़ों ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जिनके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों, प्रदूषित जल, पानी के खनन एवं कचरे का यथाउचित निस्तारण न किए जाने के कारण पूरे क्षेत्र में गन्दगी का साम्राज्य कायम हो गया है। जहरीला धुंआ,

* Speech was laid on the Table.

उगलती चिमनियों से आम आदमी का सांस लेना दूभर हो गया है, जिसके संबंध में मैंने जिलाधिकारियों एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड को दिनांक 15.10.2014 को पत्र लिखकर औद्योगिक इकाइयों द्वारा मानकों के विपरीत की जा रही कार्यवाहियों को तत्काल रोके जाने का आग्रह किया था। परन्तु अत्यंत खेद का विषय है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा अभी तक इस गंभीर परिस्थिति को नजरअंदाज कर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

निष्कर्ष स्वरूप पर्यावरण, परिवर्तन फसल उत्पादन को अधिक अविश्वसनीय और कम उम्मीद के मुताबिक कर देगा। आने वाले समय में ज्यादातर फसलों की पैदावार कम होने की संभावना है एवं हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा भयंकर बीमारियों के कारण आमजन के जीवन पर अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुकूल प्रथाओं को प्रभावी बनाने के लिए समय लिया जाए। अतः हमें अब अभिनय की जरूरत है।

***श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा):** मैं वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के अनुदान की मांगों 2015-16 के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं।

वर्ष 2015-16 में प्लान मद में 1446.60 करोड़ रुपए और नॉन प्लान में 235.00 करोड़ सहित 1681.60 करोड़ रखा गया है। आज जलवायु परिवर्तन और स्थायी विकास का मुद्दा वैश्विक हो गया है। 2013 में सम्पूर्ण कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन के संबंध में चीन, यूएसए और यूरोपीय संघ पहले तीन स्थानों पर हैं, जबकि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों का स्थान 196 देशों में से नीचे के 100 देशों में आता है। भारत जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) को सबसे पहले अपनाने वाले देशों में है। हमने अनुकूलन कार्यों के सहायतार्थ 100 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि के साथ "राष्ट्रीय अनुकूलन निधि " स्थापित की है, ताकि कृषि, जल और वन आदि जैसे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना किया जा सके।

समग्र और एकात्म विकास के लिए आवश्यक है कि एथिक्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी का समन्वय और संतुलन मानवीय जरूरतों के अनुरूप हो। मानव समाज और आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए प्रकृति के प्रति सरकार का और हमारा दृष्टिकोण संतुलित होने के साथ-साथ व्यवहारिक होना चाहिए। पर्यावरण के संरक्षण और संतुलन से ही चिरस्थायी विकास की मानववादी संकल्पना साकार हो सकती है।

मेरा लोक सभा क्षेत्र चतरा झारखंड प्रदेश का वन बहुलता वाला क्षेत्र है। मेरे ही क्षेत्र में पलामू टाईगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क अवस्थित है। कृपया इस क्षेत्र में मानव वन्य प्राणी संघर्ष को कम करने के लिए सुविधा और मुआवजा बढ़ाया जाए। रिजर्व वन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की सुरक्षा और आजीविका की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी और वन्य पशु अवलोकन हेतु पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्यक्रम बनाएं। इसमें स्थानीय आबादी की भागीदारी से पर्यावरण और वन जीवों के विकास में सुविधा होगी। वन्य जीवों और पारिस्थितिकीय विकास समर्थित आजीविका को बढ़ावा देने की योजना बनानी चाहिए। संरक्षित वन क्षेत्र (बेतला) में ही स्थित राजा मेदनीराय का किला और कमलदह झील है और यहां प्रतिवर्ष मेला लगता है। कृपया स्थानीय लोगों की जागरूकता पर्यावरण के प्रति बढ़े, इस दृष्टि से पालमू किला, कमलदह झील और मेले को वन पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने की योजना बनाई जाए।

* Speech was laid on the Table.

लातेहार, चतरा और पलामू में वन उत्पादकता, उत्पादन और जैव विविधता के दीर्घकालिक प्रबंधन में सुधार लाया जाए और इसमें स्थानीय लोगों का साथ लाभ में समान भागीदारी के आधार पर हो, वह योजना बने। वन क्षेत्र की भूमि एवं चारागाह का पुनरूद्धार हो तथा वन के किनारों पर बसे गांवों के आसपास सामुदायिक चारागाह और खेल के मैदान विकसित किया जाना चाहिए। वन पर्यटन और वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए ग्राम वन समितियों और संयुक्त वन क्षेत्र प्रबंधन समितियों का निर्माण करना चाहिए।

मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा का पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने की दृष्टि से ग्रीन बोनस की राशि उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि भविष्य में उस राशि से वन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ सके।

मैं माननीय पर्यावरण और वन मंत्री का ध्यान अपने क्षेत्र में स्थित नेतरहाट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। नेतरहाट नैसर्गिक प्राकृतिक सौन्दर्य का अन्यतम उदाहरण है, पर आज अपनी उपेक्षा का दंश झेल रहा है। नेतरहाट को पर्यावरण और वन पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना बनाई जाए। इसमें नेतरहाट का प्रसिद्ध नेतरहाट विद्यालय सहायक होगा, जिसके छात्र आज समाज-जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर हैं। कृपया नेतरहाट में वन एवं पर्यावरण से संबंधित संस्थान की स्थापना की पहल की जाए।

प्रकृति और विकास एक-दूसरे के विरोधी नहीं है। इसलिए मेरे क्षेत्र में उत्तरी कोयल नदी पर मंडल जलाशय योजना जो 1972 से ही प्रस्तावित है और इसका कार्य अधूरा पड़ा है उसे वन विभाग से स्वीकृति देने की कृपा करें। इस योजना से वन का ही संरक्षण होगा। साथ ही, चतरा लोक सभा जो अत्यंत पिछड़ा और चरम उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है उसकी बिजली से संबंधित अनेक योजनाएं स्वीकृति के अभाव में लंबित हैं, उन्हें स्वीकृति प्रदान करें।

उत्तर कोयल नदी के जलग्रहण क्षेत्र का विस्तार 10574 वर्ग किलोमीटर है जबकि उपलब्ध जल की क्षमता 2227 मिलियन घनमीटर है और भूगर्भ जल की क्षमता 680 मिलियन घनमीटर है। इससे 111800 हेक्टेयर जमीन का सिंचन होगा, जिसमें से झारखंड का 11200 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगा। साथ ही लातेहार और पलामू, जहां जल का संकट है, वहां भूगर्भ जलस्तर में सुधार होगा और पेयजल संकट से छुटकारा मिलेगा।

वन भूमि पर स्थानीय लोगों के अधिकार को सुनिश्चित कर उन्हें इसका लाभ दिलाया जाए। बाघ एवं हाथी द्वारा किए गए नुकसान यथा - जीव, कृषि भूमि, फसल इत्यादि में मुआवजा बाजार दर पर दें और इन मामलों का शीघ्र निपटारा हो।

इसके साथ में वन, पर्यावरण और जलवयु परिवर्तन द्वारा सदन में रखे गए अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

***श्री ओम बिरला (कोटा)**: मौजूदा आकलनों के अनुसार भारत में वन क्षेत्र लगभग 78.29 मिलियन हैक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.8 प्रतिशत है। यदि 2009 की तुलना में वर्ष 2011 में जारी की गई रिपोर्ट के आधार पर तुलना की जाए तो देश में लगभग 367 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की कमी आई है।

भारत में वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम 1952 में पहली नीति बनी थी तथा उसके पश्चात् बदलते परिवेश को देखते हुए 1978 में दूसरी वन नीति बनाई गई। 1978 के पश्चात् औद्योगीकरण व विभिन्न कारकों के चलते वर्तमान वन नीति की पुनः समीक्षा कराया जाना आवश्यक है। भारत में खनन, कोयला, राजमार्ग, रेल सेवा, ऊर्जा व अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न प्रोजेक्ट एवं वर्तमान वन एवं पर्यावरण संबंधित नीतियां एक दूसरे की पूरक न होकर प्रायः अर्न्तद्वंद्व प्रकट करती है, जिसके कारण कई महत्ती परियोजनाएं वन विभाग के क्लीयरेंस के अभाव में सालों साल लम्बित हो रही है।

वर्तमान में वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, 1927, सहित विभिन्न अधिनियमों में किए गए कुछ प्रावधान वन्य क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों /वनवासियों के मौलिक अधिकारों की भी उपेक्षा करते हैं। इन क्षेत्रों में सदियों से बसे नागरिकों को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा एवं चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में वन विभाग के नियम आडे आते हैं। इनकी समीक्षा किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि वन सीमा में रह रहे नागरिकों को भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।

इसी प्रकार, दुर्लभ एवं लुप्तप्रायः वन्य जीवों के संरक्षण वाले राष्ट्रीय पार्कों एवं अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन मानचित्र में लाने हेतु गंभीर प्रयास किए जाना आवश्यक है, जिसके कारण न केवल वन्य जीवों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सकेगी, वहीं पर्यटकों के आगमन से ईको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा एवं स्थानीय नागरिकों को रोजगार मिलेगा।

राजस्थान सहित देश के कई कृषि प्रधान इलाकों में रोजडों (नील गाय), जंगली सुअर आदि जानवरों द्वारा बड़ी मात्रा में किसानों की फसलें नष्ट कर दी जाती है जिससे उनको गंभीर आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इस समस्या पर मुझे सहित देश के कई सांसदों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस संबंध में मेरा आग्रह है कि वन्य जीवों से फसलों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों जैसे बाड़ा बंदी, तारबंदी आदि प्रबंधों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाए और फसल बीमा में भी उक्त जोखिम को शामिल करने का प्रयास किया जाए।

* Speech was laid on the Table.

मैं सरकार का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोटा से जुड़े कुछ लम्बित विषयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कोटा, बूंदी, झालावाड व चित्तौड़गढ़ जिलों में दरा अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य व राष्ट्रीय घडियाल अभयारण्य का क्षेत्रफल जोड़कर मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व की घोषणा की गई थी। उक्त रिजर्व में वर्तमान में कोई भी टाईगर बसाया नहीं गया है। वहीं राजस्थान के दूसरे नेशनल टाईगर रिजर्व, सवाई माधोपुर बाघों की बढ़ती हुई संख्या के कारण बाघों के आपसी झगड़े व विस्थापन की समस्या से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में सरिस्का के समान यहां भी बाघों का विस्थापन सवाई माधोपुर से कर दिया जाए तो न केवल बाघों का संरक्षण अच्छे से किया जा सकेगा, वहीं पर्यटन की दृष्टि से एक नया क्षेत्र विकसित होगा।

कोटा के इटावा क्षेत्र, बूंदी के केशवराय पाटन क्षेत्र को जोड़ने के लिए प्रस्तावित महत्वाकांक्षी गेंता माखिदा की पुलिया के निर्माण की स्वीकृति लम्बे समय से लम्बित चल रही है। उक्त स्वीकृति से संबंधित समस्त औपचारिकताएं कई बार पूरी करके राज्य सरकार द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। किंतु विभिन्न छोटे-छोटे आक्षेपों के चलते अब तक स्वीकृति न मिलने से क्षेत्र के लोगों को 130 किलोमीटर की अनावश्यक यात्रा करने को विवश होना पड़ता है। कोटा से मध्य प्रदेश की ओर जाने वाला नेशनल हाईवे संख्या 12 के फोरलेन का कार्य भी वन विभाग की स्वीकृति के अभाव में लम्बित है। जिसका निस्तारण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। बूंदी शहर का अधिकांश भाग जो कि रामगढ़ अभयारण्य की सीमा में आने से सभी मूलभूत आवश्यकताओं व विकास कार्यों से वंचित है, उक्त संबंध में केन्द्रीय समिति द्वारा निरीक्षण करके शहर को वन्य सीमा से मुक्त करने के संबंध में अपनी रिपोर्ट मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत भी कर दी है जो कि विचाराधीन है। उक्त क्षेत्र को यदि वन्य सीमा से मुक्त कर दिया जाए, तो लगभग डेढ़ लाख की आबादी को सीधा-सीधा लाभ मिलेगा।

चम्बल नदी पर घडियालों को संरक्षित करने के दृष्टिकोण से उत्तरी भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के तीन राज्यों के कुल 425 किलोमीटर लम्बाई तक फैले क्षेत्र को राष्ट्रीय चम्बल घडियाल सेन्चुरी के रूप में वर्ष 1979 में घोषित किया गया। चम्बल नदी पर बनाए गए कोटा बैराज की डाउन स्ट्रीम से केशवराय पाटन के बीच के हिस्से को घडियाल सेन्चुरी से मुक्त रखा गया है। किन्तु चम्बल नदी की अपस्ट्रीम से जवाहर सागर की ओर का हिस्सा अभी भी घडियाल सेन्चुरी में आता है। वहां निवास कर रहे लोगों को विभिन्न मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली कनेक्शन, पट्टे व अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। अतः कोटा बैराज के अपस्ट्रीम वाले क्षेत्र तथा केशवराय पाटन से सुल्तानपुर, इटावा वाले क्षेत्र का सर्वे कराकर घडियाल सेन्चुरी का पुर्नसीमांकन कराया जाए और ऐसा क्षेत्र जो कि अत्यधिक जनसंख्या का दबाव और घडियालों के प्रजनन के अनुकूल नहीं है उसे सेन्चुरी से मुक्त किया जाए।

अतः मेरा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए आग्रह है कि उक्त विषयों के संदर्भ में कार्ययोजना बनाई जाए, तो वन एवं वन्य जीवों के संवर्धन सहित वन क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय नागरिकों के जीवन में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी।

*श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर)**:** प्रकृति के पांच तत्व जल, अग्नि, वायु, आकाश एवं पृथ्वी पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं जिनका आपस में गहरा सम्बन्ध है। इन पांचों तत्वों में किसी एक का भी असंतुलन पर्यावरण के लिए अपूर्णनीय क्षतिकारक और विनाशकारी है। पर्यावरण दो शब्दों परि और आवरण से बना है, जिसका अर्थ है चारो ओर का घेरा। हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं, परिस्थितियां या शक्तियां विद्यमान हैं, वे मानवीय क्रियाकलापों का प्रभावित करती है और उसके लिए दायरा सुनिश्चित करती है। इसी दायरे को पर्यावरण कहते हैं।

पर्यावरण के अंग्रेजी शब्द इनवायरमेंट का उद्भव फ्रांसीसी भाषा के इनविरोनिर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है घेरना। इनवायरमेंट का समानार्थक शब्द हैबिटैट है, जो लैटिन भाषा के हैबिटायर शब्द से निकला है। हैबिटैट शब्द पर्यावरण के सभी घटकों को स्थानीय रूप से लागू करता है इसका प्रभाव आवास स्थल तक सीमित है, जबकि इनवायरमेंट शब्द हैबिटैट की तुलना से अधिक व्यापक है।

देखा जाए तो पर्यावरण को दो प्रमुख घटकों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जैविक अर्थात बायोटिक जिसमें समस्त प्रकार के जीव-जन्तु व वनस्पतियां (एक कोशिकाय से लेकर जटिल कोशिकीय तक) हैं।दूसरे प्रकार के घटक में भौतिक अर्थात् अजैविक जिसमें थलमंडल, जलमंडल व वायुमंडल सम्मिलित हैं। इन सभी घटकों में सृष्टि में मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ जीव के रूप में उत्पत्ति की है। अतः मानव सम्पूर्ण जीव जगत का केन्द्र बिंदु है। पर्यावरण के सभी महत्वपूर्ण घटक मानव को परावृत्त करते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी पर्यावरण के प्रभावों को परिलक्षित करती है। वस्तुतः अनुवांशिकी एवं पर्यावरण ये दो महत्वपूर्ण कारक मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव होने के नाते मनुष्य ने प्रकृति की प्राकृतिक सम्पदाओं का सदियों से भरपूर दोहन किया है। लेकिन वर्तमान दौर में बढ़ती जनसंख्या, पश्चिमी उपभोक्तावाद एवं वैश्विक भूमण्डलीकरण के मकड़जाल में फंसकर मनुष्य प्रकृति के नैसर्गिक सुख को खोता जा रहा है। वह नहीं जान पा रहा कि कंकरीट का शहर बसाने की चाहत के बदले में वह अपना भविष्य दांव पर लगा बैठा है।

प्रकृति के समस्त संसाधन प्रदूषण की चपेट में हैं। हवा, जल और मिट्टी जो हमारे जीवन के आधार हैं, जिनके बिना जीवन की कल्पना बेमानी है, आज अपना मौलिक स्वरूप एवं गुण खोते जा रहे हैं। पर्यावरण की छतरी अर्थात् ओजोन परत जो हमें सौरमंडल से आने वाली घातक किरणों से बचाती है उसमें छेद होना, वातावरण में बढ़ती कार्बन डाई-ऑक्साईड की मात्रा से उत्पन्न समस्या, ग्लोबल वार्मिंग, दिनोंदिन

---

* Speech was laid on the Table.

घातक बीमारियों का प्रादुर्भाव व स्वास्थ्य संकट ये सब मानव के समक्ष एक विकराल दानव का रूप ले चुके हैं जो भस्मासुर की तरह समस्त मानव जाति को लीलने को आतुर हैं, जिसमें सावधान होना बहुत जरूरी है।

जैव मंडल में मौजूद संसाधनों में जल सर्वाधिक मूल्यवान है क्योंकि यह केवल मानव ही नहीं अपितु सभी जीवों तथा वनस्पति के लिए उपयोगी है। प्रकृति में जल तीन रूपों में विद्यमान है ठोस, तरल एवं गैस। ठोस के रूप में बर्फ जल का शुद्ध रूप है। इसके बाद वर्षा का जल, पर्वतीय झीलें, नदियां एवं कुएं शुद्धता क्रम में आते हैं। धरातल पर प्रवाहित तथा झीलों, तालाबों आदि के रूप में उपलब्ध स्वच्छ जल की मात्रा केवल 7 प्रतिशत है। लेकिन बढ़ती संख्या, कुकरमुत्ते से उगे बहुमंजिला इमारतों, खेती में रसायनों का उपयोग तथा रासायनिक फैक्ट्रियों से निकला पानी नदियों, तालाबों, झरनों को प्रदूषित कर रहा है, जो मानव जाति सहित जीव-जन्तुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। जल को प्रदूषित करने वाले तत्व जल में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर जल को पीने योग्य नहीं रहने देते।

वसुन्धरा को माता का दर्जा दिया गया है जो अपने गर्भ में मौजूद तमाम आवश्यक धातुओं, अधातुओं, खनिज लवणों के सहयोग से बीज का पोषण कर खाद्य पदार्थ के रूप में विकसित करती है जो समस्त जीव जन्तुओं में जीवन का संचार करते हैं। भूमि या मिट्टी भी जल की भांति सर्वाधिक मूल्यवान संसाधन हैं, क्योंकि विश्व के 71 प्रतिशत खाद्य पदार्थ मिट्टी से ही उत्पन्न होते हैं। यह संसाधन इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता कि सम्पूर्ण ग्लोब के मात्र 2 प्रतिशत भाग में ही कृषि योग्य भूमि है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए खाद्यान्नों की बढ़ती मांग के कारण कृषि उर्वरता बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। जिसके कारण विश्व में खाद्यान्न की समस्या पर काफी हद तक काबू किया जा सका है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग, नित नए रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग के कारण धरती की उर्वरता कम हो गई है। शहरों व महानगरों से निकला अपशिष्ट पदार्थ जैसे पॉलीथिन, कूड़ा-करकट, राख, औद्योगिक अपशिष्ट, दफ्ती, चमड़ा, शीशा, रबड़ आदि के कारण मिट्टी के प्रदूषण को तेजी से बढ़ावा दिया है।

पृथ्वी के चारों ओर गैसों का घेरा है जिसे वायुमंडल कहते हैं। यह वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है जिसमें लगभग 73 प्रतिशत नाइट्रोजन, 21 प्रतिशत ऑक्सीजन एवं .03 प्रतिशत कार्बन डाई-ऑक्साइड है। ये सभी तत्व पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। पृथ्वी पर मौजूद पेड़-पौधे वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाई-ऑक्साइड को अवशोषित कर प्रकाश की उपस्थिति में एवं जड़ों के माध्यम से जल एवं आवश्यक खनिज लवण लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं। बदले में ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। यही ऑक्सीजन वायुमंडल में मिलकर मानव जाति के लिए प्राणवायु का काम करती है। मनुष्य एवं जीव-जन्तु भी जब वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाई-ऑक्साइड छोड़ते हैं

जो कि पेड़-पौधों के लिए भोजन बनाने में सहायक होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण में मौजूद सभी घटक सिम्बायोटिक तरीके से एक दूसरे से सम्बद्ध हैं और इस प्रकार पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन विकसित देशों की प्रभुता की लालसा ने अंधाधुंध परमाणु हथियारों का जखीरा खड़ा करने, रासायनिक हथियार बनाने की होड़ ने मनुष्य को अंधा बना दिया है। बढ़ती जनसंख्या के कारण मनुष्य ने वनों को काटकर कंकरीट की बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर ली। ऐसा कर उसने अपने भविष्य का नाश कर दिया। पेड़ों के कटने के कारण कार्बन डाई-ऑक्साइड का संतुलन बिगड़ने से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिला है। वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाई-ऑक्साइड वातावरण के तापमान को भी नियंत्रित करती है। पेड़ों के कटने के कारण वायुमंडल में कार्बन डाई-ऑक्साइड की निरंतर बढ़ती मात्रा के कारण वातावरण के तापमान को दिनोंदिन बढ़ाती जा रही है जो अप्रत्यक्ष रूप से वर्षा, सर्दी, गर्मी के चक्र को भी प्रभावित कर रही है। निकट भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जलस्तर इस हद तक बढ़ जायेगा कि समुद्र के किनारे बसे समूचे शहरों को लील जाए तो अतिश्योक्ति न होगी।

पर्यावरण के इस असंतुलन की जिम्मेदारी हमारी समस्त मानव जाति है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो विनाश अवश्यंभावी है। इसीलिए वेद मनीषियों ने भी द्यूलोक से लेकर व्यक्ति तक शांति की प्रार्थना की है।

औ द्यौः शांतिरन्तरिक्षं शांतिः पृथ्वी शान्तिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः
शान्तिर्ब्रहम शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव
शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।। (शुक्ल यजुर्वेद)

*__श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):__ राजस्थान में खेजड़ी महत्वपूर्ण वृक्ष है । खेजड़ी आस्था और श्रद्धा का भी विषय है राजस्थान के रेगिस्तान इलाके के लोग खेजड़ी को पूजते भी है । खेजड़ी पर उगने वाली सांगरी मनुष्य भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली भी है । अतः खेजड़ी की सुरक्षा व संरक्षण के लिए कोई पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है ।

* Speech was laid on the Table

***श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा):** प्रदूषण देश के समक्ष एक बड़ी समस्या है और इसके साथ ही विकास की चुनौतियां है। ऐसी विषम स्थितियों में भी सरकार पर्यावरण रक्षा का झंडा और विकास एजेंडा लिए चल पड़ी है। मैं ऐसी सरकार को धन्यवाद देती हूं।

पर्यावरण की रक्षा को जन आन्दोलन का रूप दिया जाना चाहिए। देश में वन क्षेत्र दिनोंदिन कम होता जा रहा है। जंगलों में अवैध कटानों एवं अतिक्रमण पर तत्काल प्रतिबंध लगायी जाए, घने वन और अच्छी वर्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं, अधिक से अधिक क्षेत्र पर वनों का विकास करें तथा सामाजिक वानिकी पर विशेष ध्यान दें। वनीय क्षेत्रों को गैर-कानूनी खनन से बचाने तथा दुर्लभ औषधीय पौधों को बचाने के लिए कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए। भू-क्षरण को रोकने हेतु प्रभावी इंतजाम जरूरी है। पौध रोपण की महत्ता और जरूरत के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के दैनिक आचरण एवं क्रियाकलापों में शामिल होना चाहिए। स्थानीय लोगों के कल्याण हेतु वनों का सतत् प्रबंधन किया जाना तथा वनों का संरक्षण करना हमारा दायित्व होना चाहिए। कैम्पा फंड की राशि राज्यों को मिलनी चाहिए, वन बंधु योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। पर्यावरण के संरक्षण और संतुलन से ही स्थायी विकास संभव है आज छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्य हाथियों की समस्या से ग्रसित हैं - क्यों?

पर्यावरण संबंधी सरकारी मानदंडों का कड़ाई से पालन करते हुए ही परियोजनाओं को मंजूरी दिया जाना चाहिए। जो उद्योग नदियों को प्रदूषित करते हैं उन पर भारी दंड लगाना चाहिए, उनके लाइसेंस रद्द किए जाने चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाने पर उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन आवश्यक है। उद्योगों की स्थापना में अपनी अप्रयुक्त श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान करना चाहिए।

वायु प्रदूषण मानसून में विलम्ब का कारण है और ग्रीन हाऊस का प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण में नियंत्रण आवश्यक है।

मैं आपका ध्यान छत्तीसगढ़ की ओर ले जाना चाहती हूं जो धान का कटोरा है, प्रचुर मात्रा में खनिज सम्पदा है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण से जंगली जानवरों विशेषकर हाथियों के कारण जशपुर, सरगुजा, कोरबा जैसे कुछ क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

मेरे संसदीय क्षेत्र जांजगीर-चाम्पा, प्रदेश में सबसे अधिक 76 प्रतिशत कृषि सिंचित है, पावर प्लांटों के कारण वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या सामने आ रही है।

---

* Speech was laid on the Table.

सरकार औद्योगिक प्रदूषण कम करने, वायु गुणवत्ता बनाए रखने, ठोस अपशिष्टों का उचित उपयोग करने, सड़कों का डाबरीकरण करने, वृक्षारोपेणी करने, नेशनल ग्रीन कोर कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के चार हजार स्कूलों में इको क्लब गठन करने, पालीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए।

मैं सरकार से पर्यावरण संवर्धन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से जो बजट डिमांड है, उन्हें अनुपूरक मांगों में शामिल किए जाने की मांग करती हूं।

*DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Over a period of time it has been observed that our earth is facing a very deteriorating climatic condition from the view point of environmental pollution, deforestation subsequently leading to the climate change. The reason is industrialization, urbanization and lack of steps initiated for sustainable development of natural resources along with the regaining of forest cover. We are talking about development by planting industries all over the country which is helpful for any country to generate growth and employment, but that should not be at the cost of our environment and health. Forest management practices which includes afforestation, reforestation and forest restoration, etc. is not being followed by the policies and programmes appropriately. We know that sustainable management practices can ensure to maintain the capacity to provide benefit for current as well as future generations. Hence, management practices need to be actively planned, tailored to each specific ecosystem and evolving situations, so as to avoid overexploitation and forest degradation. Forest management plans and practices will also need to be adapted to modifications caused by climate change. As far as I am concerned, the adaptive forest management will be essential to address arising challenges and reduce forest vulnerability.

I have come across the situation in my own Parliamentary Constituency, Jagatsinghpur, where the industrial set ups like Fertilizer companies, Indian Oil Companies Limited etc. have been polluting the environment severely but they are not meeting the expected policies of corporate social responsibilities. They are also not installing the latest technology to reduce the level of pollution. So it is necessary on part of Government as well as various industrial set ups to look into the problems in order to save the environment. Now days the scenario of natural calamities is taking place everywhere thereby affecting the very nature of our earth. In this deteriorating process the most affected section is the poor people of our country as they do not get any profit out of that rather they suffer from health

* Speech was laid on the Table

hazards directly and indirectly too. Hence, my sincere request is that the Government should come forward to be vigilant from the viewpoint of pollution caused by the industrial set ups and remedial measures are invited with adequate amount of funds to the concerned States.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारे सदन का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया है। आज मुझे बहुत खुशी है कि सदन में सभी पार्टियों के हमारे 22 साथियों ने भाषण दिये। श्री निनोंग ईरिंग हमारे मित्र हैं, उन्होंने शुरूआत की, श्री भगत सिंह कोशियारी, श्री राधाकृष्णन, श्रीमती ममता संघमित्रा, श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान, श्री राहुल शिवाले, श्री विश्वेश्वर रेड्डी, श्री एम.बी. राजेश, श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी, कु. सुष्मिता देव, श्री दुष्यन्त सिंह, श्री जयप्रकाश नारायण यादव, श्री धर्मवीर गांधी, प्रो. प्रेमसिंह चन्दूमाजरा, योगी आदित्यनाथ, श्री दुष्यन्त चौटाला, श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्री ओवेसी, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, श्री जयदेवन, श्री अजय मिश्रा, श्री डी.के. सुरेश, I am really thankful to all of you because you have expressed your opinion and given your valuable suggestions which we value much.

जो मुद्दे यहां उठाए गए हैं, उनमें से बहुत से मुद्दों का तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन अभी बीस मिनट का ही समय है। जिसका जवाब यहां नहीं दिया जा सकेगा, उसे हम लिखित रूप में भेजेंगे। चार-पांच माननीय सदस्यों ने लिखित भाषण भी दिए हैं। कल ही पार्लियामेंटरी स्टैण्डिंग कमेटी की रिपोर्ट आयी है, जिसके चेयरमैन अश्विनी कुमार जी हैं। इस रिपोर्ट का भी मैंने पूरा अध्ययन किया है। सभी ने पर्यावरण के प्रति जो चिंता जताई है और प्रेम व्यक्त किया है, यही मुझे आगे जाने का आधार लगता है।

सभी ने एक चिंता और व्यक्त की है कि इसमें बजट कम हो गया है। बजट के कम होने का दो-तीन रेफरेंस है। इसे समझना चाहिए। पहला तो यह है कि हमारे पास गंगा नदी के रिवर बेसिन डेवलपमेंट का कार्यक्रम है। लेकिन, नई सरकार के आने के बाद गंगा नदी के लिए अलग मंत्रालय बना तो हमारे मंत्रालय का गंगा का बजट 800-1000 करोड़ रुपये का होता था और गंगा का बजट अब उस नए मंत्रालय में गया है। इसलिए हमारा बजट कम नहीं हुआ है, बल्कि यह बढ़ा है। यह कैसे बढ़ा है, यह भी मैं बताऊंगा। जिन कार्यक्रमों में बजट कम हुआ है, ऐसा लगता है, उसमें मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि दो बार पूरक मांगें होंगी। पर्यावरण की रक्षा के लिए इस देश में फण्ड्स की कमी नहीं होगी, यह भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

एक और भी बात कहना चाहता हूं कि नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज को 100 करोड़ रुपये, क्लाइमेट चेंज एण्ड अडैप्टेशन के लिए 175 करोड़ रुपये, नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए 100 करोड़ रुपये, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के लिए 164 करोड़ रुपये और 539 करोड़ रुपये नए कार्यक्रमों के लिए है। जब हम सबको मिलाकर देखते हैं तो बजट में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। एक ही बदलाव हुआ है कि 14वें वित्त आयोग के बाद सेंट्रल स्कीम्स को स्टेट्स के साथ फण्डिंग शेयर

करने का पैटर्न बदल गया है। उतना ही बदलाव आया है और बाकी कोई कमी नहीं की है। मैं आपको बताऊंगा कि पर्यावरण के प्रति हम ज्यादा सजग हैं। आपके साथ चलकर हम और आगे बढ़ना चाहते हैं और उसमें फाइनैंस की कोई कमी नहीं होगी।

17.32 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था - "We have not inherited this earth from our ancestors. It is on loan from future generations. And, therefore, we must return them the earth as we inherited or actually making it better". That is what Mahatma Gandhi ji said. That is our ideal principle on which we want to 'Walk the Talk'. पांच तत्वों - आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि - का अनेक लोगों ने उल्लेख किया। इसी से हम बने हैं, सारी सृष्टि बनी है। प्राणी, वनस्पति, हम सब इसी से बने हैं। मुझ से अगर कोई पूछता है कि आपके इनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का मैनडेट क्या है तो मैं हमेशा एक जवाब देता हूं कि इन पांच तत्वों की रक्षा करना और इन पांच तत्वों के बीच संतुलन पैदा करना - यही हमारा मैनडेट है। अगर इसे दूसरी भाषा में कहूं तो अभी-अभी वेंकैया जी आए हैं और जैसे वेंकैया जी कहते हैं - 'एक हाथ में पर्यावरण का झंडा, दूसरे हाथ में विकास का एजेंडा।' इसका एक बड़ा मिथ तैयार किया गया कि मानो विकास पर्यावरण के खिलाफ है। पर्यावरण की रक्षा का मतलब विकास को बंद करना - ऐसा नहीं है। हमारी धारणा है - environment protection and development both. Development without destruction is our motto. इसलिए इसका कार्यक्रम क्या है? जो आप सभी ने बताया, वही इसका कार्यक्रम है - clean air, clean water, clean energy, clean environment and more green. मुझे लगता है कि ये ही हमारे पांच सूत्र हैं, जिनके आधार पर हम चलना चाहते हैं।

अब मैं लीगेसी की बात नहीं करूँगा कि कैसे मिला, लेकिन कभी-कभी गलत जानकारी के आधार पर या असत्य जानकारी के आधार पर लोग कुछ भी कहना शुरू करते हैं तो उससे बहुत प्रॉब्लम आती हैं। वे बोले कि आप आने के बाद क्लियरेंस ही देने लगे हैं। मैं केवल तीन आँकड़े बताता हूँ और जिन्होंने यह उठाया है, वे इसे ध्यान में रखें। वर्ष 2012 में 1,522 परमीशंस दी गईं और एरिया डायवर्ट हुआ 25 हजार हैक्टेअर, वर्ष 2013 में नम्बर ऑफ प्रपोजल्स 1,317 को मान्यता दी गई, एरिया डायवर्टेड किया 41 थाउजेंड हैक्टेअर्स, वर्ष 2014 में नम्बर ऑफ प्रपोजल्स सैंक्शंड 783 हैं, क्योंकि पिछले साल चुनाव भी था और बाद में हम आए तो इतना ही हुआ है। पहले तीन महीने में वीरप्पा मोइली जी थे और एरिया डायवर्टेड 35 हजार हैक्टेअर, यह कम हुआ है तो 1500, 1300 और 783 हुए हैं। लेकिन क्या परमीशन देना गुनाह

होता है? पर्यावरण की रक्षा की शर्तें रखकर, पहले क्या होता था और आज फर्क इतना ही हुआ कि हमने प्रोसेस ट्रांसपेरेंट किए हैं। हमने प्रक्रियाएं पारदर्शी तरीके से की हैं, ऑनलाइन कर दी हैं। ऑफिस-ऑफिस खेल बन्द कर दिया है। इसलिए लोगों को जो टैक्स देना पड़ता था, वह नहीं देना पड़ता है। ...(व्यवधान) This is mission without commission. That is the difference. That is what we are doing. ...(व्यवधान)

गौरव भाई, मैं इस पर भी आता हूं। मैं मूल मुद्दे पर कहना चाहता हूं कि हम काम क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि फारेस्ट राइट डाइलूट किया। अरे भाई, फारेस्ट राइट के मंत्री इधर बैठे हैं, फॉरेस्ट राइट का डोमेन उनका है, मैं उनके कानून बदल नहीं सकता हूं। कहीं भी वर्ल्ड बैंक को हमने कुछ लिखकर नहीं दिया। कुछ भी पेपर में आ गया, उसे सच समझकर हम बोलने लगें तो जरा गड़बड़ होती है। एनबीडब्ल्यूएल के लिए कहा कि यह पूरी हुई ही नहीं, एनबीडब्ल्यूएल पूरी हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी मुझे मिले। हमने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की। मनमोहन सिंह जी ने 17 प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करके रखा था। एनबीडब्ल्यूएल की 17 महीने बैठक ही नहीं हुई थी, मैंने बैठक की। ...(व्यवधान) पहले ही दिन, मैं झगड़े के मूड में नहीं कहना चाहता, आपसे अपील कर रहा हूं, ...(व्यवधान) आप समझ लीजिए, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। ये 17 प्रोजेक्ट्स पहले ही दिन, क्योंकि पहले से ही एजेंडा था, पूर्व प्रधानमंत्री जी के प्रायोरिटाइज 17 प्रोजेक्ट्स देश के हित के थे, लेकिन उनके समय में मान्यता नहीं मिली थी, हमने वह पहले ही दिन दे दी। हमने क्या गलत किया?

अब रक्षा की बात आती है। पूरे भारत की सीमा, सीमा सुरक्षा के रास्ते, बार्डर रोड्स 6 हजार किलोमीटर के पेंडिंग थे। Why are they pending for years? हमने कहा कि पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए, देश बचेगा तो पर्यावरण बचेगा। हमने पॉलिसी डिसीजन लेकर सारी बार्डर रोड्स को जनरल अप्रूवल दे दिया, 6 किलोमीटर की रोड्स दिए, लेकिन पर्यावरण की शर्तों के साथ समझौता नहीं किया।

कारवार में आपरेशन सी-बर्ड प्रोजेक्ट है, जो नेवी के लिए महत्वपूर्ण है। दस साल से नेवी उसे मांग रही है। आपके भी सदस्य मेरे साथ रक्षा मंत्रालय की कमेटी में थे। हम देख रहे थे कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। कभी भी हमला होता है, we need two centres other than Mumbai. इसलिए एक कारवार का करना था, इसके प्रोजेक्ट की फाइल तीन साल पेंडिंग रही, मैंने तीन दिन में क्लियर किया, मुझे नहीं लगता है कि हमने कोई गलत काम किया। यह देश कि लिए किया। इसमें क्या गलत है? This must be done. हम सबको करना चाहिए।

फॉरेस्ट डेफिनिशन की बात की गई। हमने कोई फॉरेस्ट डेफिनिशन नहीं बदली है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि फॉरेस्ट की डेफिनिशन क्या होनी चाहिए? हम स्टेट को पूछ रहे हैं। सभी स्टेट्स के जवाब आए हैं। सब राज्यों के जवाब को हम सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे कि सभी राज्यों ने यह कहा है कि ऐसा होना चाहिए। कोई व्यक्ति खुद प्लांटेशन करेगा, उसको भी फॉरेस्ट मानोगे, ऐसा पहले कोई अर्थ लगाया था। यह गलत है। Green cover is outside the forest.

यह कहा गया कि ट्राइबल की ग्राम सभा का राइट रद्द कर दिया, हमने ऐसा नहीं किया। Show me one document where we have done away with the Gram Sabha. हमने ऐसा नहीं किया है। आदिवासियों के लिए मैंने काम किया। ...(व्यवधान)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, with your permission, I would like to submit that earlier there was a decision that we will have Guillotine at six o'clock today and by that time the hon. Minister has to complete his reply. But many of the hon. Members had met me in the morning and also in the afternoon and just now saying that Health is also an important subject and the Government is not taking up discussion on the Demands of the Health Ministry and instead it is being guillotined. What I am suggesting is that we will continue the discussion and we will take up discussion on the Demands of the Health Ministry also and then we will have Guillotine at the same time tomorrow and then take up the Finance Bill day after tomorrow… (*Interruptions*) We may complete this by 5.30 p.m. tomorrow and then take up other business… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, I have a point… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Venugopal, I have not called your name. झगड़ा नहीं। But first I have called Shrimati Teacher.

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): I want to speak for a few minutes on the discussion for Demands of Grants for the Ministry of Health and Family Welfare… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam, the Business Advisory Committee already decided that Guillotine will take place at 6 p.m. on 28th April, 2015. It has even been listed in today's Order Paper. Since yesterday we have been arguing for a detailed discussion but the Government argued that there is scarcity of time and that it is not possible to discuss the Demands for the Health Ministry. What is the urgency now for the Government to go for the discussion on the Demands for the Health Ministry?… (*Interruptions*) Now the Government is saying that the discussion on the Demands for the Health Ministry will be taken up tomorrow and every time the Government is doing that. The House is being taken for granted. The Business Advisory Committee has no role… (*Interruptions*) Is there any inconvenience for the Government to bring the Finance Bill tomorrow? Let them tell that… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Instead of appreciating the Government you are blaming the Government… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Is there an inconvenience on the part of the Government to bring the Finance Bill tomorrow?… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: This is surprising. The Members and the Parliament is supreme. When the hon. Members of the House want to discuss the Demands for the Health Ministry and I am agreeing to that, what is your problem?… (*Interruptions*) I am not able to understand… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: I am putting a question. Earlier we argued for it and at that time the Government did not agree for it… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मैं हाउस की राय ले लेती हूं। Shri Venugopal, I have heard you as well. No more discussion on that. Not only Shrimati Teacher, there were so many requests for this. The hon. Members wanted that the discussion on the Demands for the Ministry of Health and Welfare should also be taken up. I discussed that matter with the Minister of Parliamentary Affairs, or, you can say the Government.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :मैंने उनसे भी बात की है और कहा है कि अगर हाउस के बहुत सारे माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, आप इसके लिए तैयार हैं, आपका इस पर कोई ऑब्जैक्शन नहीं है और हाउस इसके लिए एग्री करता है तो we will have Guillotine tomorrow and day after tomorrow the House will take up the Finance Bill. That is why they have agreed. Now, if the House agrees today we will complete this Ministry.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): A decision was taken in the Business Advisory Committee and if that comes to the House, then the House will take a decision. House is supreme and we have time till the 30th of this month to pass the Finance Bill. So time is there. If the Government is agreeing to have discussion on Demands for Grants of the Ministry of Health and Family Welfare, it is well and good.

HON. SPEAKER: For you I actually discussed with him and he has agreed to it and if you want then we will complete it.

… (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I had previously requested that the Demands for all the six Ministries have to be discussed in the House. Therefore, let us take up the Demands for the Ministry of Health and Family Welfare also. As was said, this House is supreme. The House is meant for discussion. The Minister in that case will find an opportunity to reply. It is here that the Reports of the Standing Committees are presented. The Minister is not a part of the Standing Committees. This time we have taken up six Ministries. I would like to request the hon. Speaker

to take up more Ministries in the next Budget Session so that the Members get more opportunities to discuss the Demands in the House and the Minister concerned will reply, which will help Members get information. … (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam Speaker, it is not a unilateral decision. Some hon. Members met the hon. Speaker; some Members met me and talked with me.

HON. SPEAKER: I made a request because you were also requesting.

… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I can share with Shri Venugopal that I have a practical problem. Our Minister has been asked to go to Bihar tomorrow for looking after relief measures. Still, I told him that, as this is a popular demand from the Members, he may stay back and participate in the discussion on the Ministry of Health and Family Welfare. That being the case, when the Members make a request, the House is supreme and it can decide about it.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Venugopal, I am not allowing you to speak.

… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Then you have more time for the discussion on the Ministry of Environment and Forests. You could have extended the time for it.… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Health is wealth.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I would like to take the sense of the House now. If the House thinks it proper, we may take up the discussion on the Demands for Grants relating to the Ministry of Health and Family Welfare and then, around 5.30 p.m. tomorrow, we will have the guillotine.

Is this the sense of the House?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री प्रकाश जावड़ेकर : दो-तीन मुद्दे और उठाए गए। मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं जानकारी देने के लिए जवाब दे रहा हूं। It is because I do not want to win argument here; I want to win your confidence because all of us have to protect environment. That

is why, I am telling you the true story. Regarding T.S.R. Subramanian Committee Report, लोगों को ऐसे लगा जैसे कानून बन गया है। नहीं बना है। This is one major input. कहीं तो शुरुआत होगी। बीस-बीस साल पुराने कानून हो गए हैं। परिस्थितियां बदल गई हैं। इनवायरमैंट पर ज्यादा खतरा है। कानून में सख्त बदलाव जरूरी है कि इनवायरमैंट की रक्षा करें। उसके लिए अगर हम एक कमेटी नियुक्त करते हैं तो Committee becomes the basis of our discussion. मैंने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा, सुब्रह्मणियम कमेटी की रिपोर्ट भेजी, सबकी राय ली है। जिनकी नहीं आई है, 30 अप्रेल तक वह भी आ जाएगी। So, we are consulting everybody. This is not the law.

Regarding Aranmula Airport, my friend from Kerala knows the situation that there is the Indian Constitution. यूपीए सरकार ने अरनमुला एयरपोर्ट को परमिशन दी थी। एन्ज़ीटी ने उसे निरस्त किया। The Supreme Court also upheld the NGT's decision. लेकिन कानून में उन्हें पुन: ऐप्लीकेशन देने की परमिशन है। उसे मैं नहीं निकाल सकता। So, they have applied but we have not approved even the TOR. कहीं मुद्दा है। एयरपोर्ट से हवाई जहाज तुरंत दौड़ने लगे, ऐसे मत कहिए। कुछ नहीं हुआ है। ओवेसी जी हमारे मित्र हैं। टेनरी, कानपुर, गंगा मैली हो गई। पहले गाना था कि गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते-धोते। यह सच नहीं है। गंगा मैली इसलिए हो गई है या देश में सभी नदियां मैली हो गई हैं। सीएजी की एक रिपोर्ट है। हमने सीएजी के 2जी, कोल और बाकी रिपोर्ट पढ़ीं, लेकिन Water pollution status in India, यह बेहतरीन रिपोर्ट तीन साल पहले दी। उसमें उन्होंने कहा है that nearly one-third of the industrial pollution goes untreated into the water bodies; one half of domestic waste, because it is not properly managed, ultimately goes into the water bodies; two-thirds of agricultural waste caused due to excessive use of fertilisers, pesticides percolate down below and goes to the water bodies. This is the cause of water pollution in India. फ्लोराइड बढ़ा है, आर्सनिक बढ़ा है, पानी जो खराब हुआ है, उसकी यह कहानी है। आप सीएजी की रिपोर्ट पढ़िए। मुद्दा है कि अगर इसे ठीक करना है तो हमें नदी में सारे प्रदूषण आने से रोकने चाहिए। टेनरी की स्थिति मालूम है कि सब बड़े उद्योगपति नहीं हैं। टेनरी के लिए हमने स्पैशल पैकेज किया। उनके साथ मीटिंग हुई। राज्य सरकार भी साथ है। 40 प्रतिशत केन्द्र सरकार दे रही है। वह कुछ कौन्ट्रीब्यूट कर रही है, कुछ स्टेट गवर्नमैंट देगी। यह सब मिलकर होना है। जहां लोन्स की फैसीलिटी है, वह होगी। लेकिन पानी शुद्ध रखना है या नहीं। आपने आह्वान किया कि पानी शुद्ध रखिए। उसके लिए उपाय करेंगे तो थोड़ी कॉस्ट लगेगी।

लोग कॉस्ट भी देने के लिए तैयार हैं इसलिए आप दिक्कत पैदा न करें। आज देश और दुनिया की हवा बहुत ही खराब है। सारी दुनिया में पोल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में ही पोल्यूशन है और दुनिया के बाकी शहर पाक-साफ हैं। यह सैंकड़ों शहरों की बीमारी है। हर पांच से आठ साल में व्हिकलों की संख्या बढ़ जाती है। दिल्ली के आसपास जो स्टबल बर्निंग होता है उससे भी पोल्यूशन होता है। दिल्ली की हवा में खराबी आने का एक और कारण कंस्ट्रक्शन से निकलने वाली डस्ट है। आप सभी को सदन से पूछना चाहिए कि इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हो?

मैं बताऊंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने दो सप्ताह पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स लांच किया, जिसमें केवल एक पैरामीटर नहीं है बल्कि आठ पैरामीटर बनाए गए हैं। जिसका उल्लेख मेरे एक मित्र ने किया है, इसमें एसओएक्स-नॉक्स, बेंजाइन, पीएम पार्टिकल 2.5 सबको मिलाकर एक कम्प्रिहेन्सिव एयर क्वालिटी, एक कलर, एक कोड में मिलता है। दस शहरों में इसकी शुरूआत हुई है। हम एक साथ सात शहरों का बुलेटिन रोज सुबह 12 बजे देंगे कि पिछले 24 साल की हवा कैसी थी। उसका पूरा विस्तार से बुलेटिन होगा, उसे भी आप छापें। यह ऑफियल डाटा होगा। हमें जनता से कुछ भी छिपाना नहीं है। जनता को अवेर करना है, उन्हें भी पार्टिसिपेट कराना है, इस एक्शन में उनकी भी सहभागिता जरूरी है। हमने कंस्ट्रक्शन के रूल्स तैयार किए हैं। हमने अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई। हम मैट्रो का काम देखने गए थे। मैट्रो में रोज टनेलिंग होती है, लेकिन उससे धूल नहीं निकलती है, क्यों? श्रीधरन ने उसके लिए नियम-कानून ठीक बनाएं। अगर मैट्रो का कारोबार अच्छी तरह से चलता है तो हम क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन बेस्ड रूल्स बना सकते हैं? हमारा ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है, वह जल्द ही वेबसाइट पर आ जाएगा और जल्द ही कंस्ट्रक्शन बेस्ड रूल्स लागू हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन बेस्ड धूल दिल्ली की हवा खराब नहीं कर पाएगी। हरियाणा और पंजाब सरकार ने स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए प्रोत्साहन दिया। उत्तर प्रदेश के मंत्री ने इसे रोकने के लिए काम करने का भरोसा दिलाया है। स्टबल बर्निंग नहीं होने से हम स्वच्छ हवा ले सकते हैं। हरियाणा में तीन जगहों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। हम सब को मिलकर एक्शन लेना है। मैंने दो मीटिंग की, डीडीए, दिल्ली गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार, तीनों कॉरपोरेशन और ट्रैफिक पुलिस इन सभी का इसकी रोकथाम मे अह्म रोल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक दिन साइकिल चलाओ, साइकिल चलाना चाहिए। इन्होंने शुरू भी किया है, इनकी सेहत भी अच्छी हो गई है। जनता को भी लेन डिसीजन का पालन करना चाहिए। It is a public action which will clear the air. सीमेंट इंडस्ट्री के नियम को हमने काफी स्ट्रीन्जेंट किया है, पहले यह काफी पोल्यूटेड इंडस्ट्री थी। 1,75,000 रिन्यूएबल इनर्जी क्रिएट करने के लिए हमने सात

साल का कार्यक्रम बनाया है। दुनिया में किसी देश ने ऐसा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नहीं बनाया है। इससे 350 मिलियन टन इमिशन कम होगा। हम एनर्जी एफीशेंसी बढ़ा रहे हैं।

मैडम आपको पता होगा कि अंडमान में 70 मेगावाट बिजली लगती है, जो डीजल से पैदा होती है। उससे प्रदूषण होता है। अंडमान में हम बायो मास एनर्जी को वुडवेस्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। We are starting a pilot project this year. मुझे विश्वास है कि दो साल में हम दुनिया को ग्रीन कोल क्या होता है, यह दिखायेंगे। हम अंडमान को पूरी तरह से बायो मास एनर्जी दे सकते हैं। हम इस तरह के कार्यक्रम करना चाहते हैं और यह हमारी प्रतिबद्धता है। मैंने भी इसमें काम किया है। मैंने जल संवर्धन का काम किया है। मैं देहात में रहा हूं और मैंने आदिवासियों के साथ भी काम किया है। मैं जंगल में भी रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है। मैं दुनिया के दूसरे ग्रह से नहीं आया हूं। मैंने पानी की शुद्धता के बारे में बात की। कुछ लोगों ने तालाब, झील, वेटलैंड्स आदि बहुत अच्छे सुझाव दिये। इनकी रक्षा के लिए भी जन-आंदोलन, जल साक्षरता चाहिए, क्योंकि लोगों को पानी की बचत करने के बारे में सीखना चाहिए। साथ ही साथ पानी को साफ रखने के लिए भी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। हम नया तंत्र ज्ञान में भी लायेंगे, नये कार्यक्रम भी लायेंगे और जनता का भी सहभाग लेंगे। हम नदियां भी साफ करेंगे। गंगा की सफाई तो अभी शुरूआत है। बाकी नदियों की सफाई भी क्रम से शुरू होगी। स्वच्छ भारत का यही अर्थ है। हमारा मिशन ही क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया है, इसलिए हम इसे करेंगे।

महोदया, पानी के बाद वेस्ट बड़ा प्रॉब्लम है। हम समझ नहीं रहे, जैसे एक बहन ने सीवरेज ट्रीटमैंट का उल्लेख किया। उन्होंने सच कहा कि हमारे देश में कैपसिटी कितनी है? हमारे देश में लगभग 35-40 फीसदी ट्रीटमैंट की कैपेसिटी है और वे भी आधी-अधूरी चल रही हैं, यानी सब नहीं चल रही हैं। सीवरेज ट्रीट नहीं होता, तो वह नदियों में जाकर मिलता है, इसलिए पानी खराब है। हमने इसका बड़ा कार्यक्रम लिया है। प्रधान मंत्री जी ने शौचालय के निर्माण में बहुत जोर दिया। वह भी हैल्थ का मुद्दा है। हमे इसे भी करना है। अब हम सॉलिड वेस्ट कैसे करेंगे? मैं आपसे कहूंगा कि आप आज कृपया हमारी वेबसाइट एमओईएफ पर जाइये। इस मिनिस्ट्री का पहले मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरन्मेंट एंड फॉरेस्ट नाम था, इसलिए अभी तक वेबसाइट का नाम वही है। आप एमओईएफ.ओआरजी में जाइये। मैं आपको सर्कुलेट करूंगा। हमने अपनी मिनिस्ट्री वेबसाइट पर पांच नये ड्राफ्ट रूल्स प्रकाशित किये हैं--सॉलिड वेस्ट रूल, बायो मेडिकल वेस्ट रूल, ई वेस्ट रूल, अब ई वेस्ट की समस्या भी हमें समझनी चाहिए। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे देश में सौ करोड़ मोबाइल फोन हो गये। अब सौ करोड़ मोबाइल फोन हो गये तो तीन साल में ये सौ करोड़ मोबाइल कचरे में जाने वाले हैं। यदि आज वे कूड़े में जाते हैं, तो वे उसका कूड़े में केवल प्रैशियस

मेटल निकालते हैं और बाकी सारी चीजें लीच करके सारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं। इस ई वेस्ट को कौन ठीक करेगा? हम नये रूल्स लेकर आये हैं। प्लास्टिक वेस्ट, जैसे मैंने कहा था कि 15 हजार टन रोज प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से नौ हजार टन कलैक्ट होता है और छः हजार टन वैसे ही पड़ा रहता है। हमने इस पर काम नहीं किया तो हमें आगे बताना पड़ेगा। आपसे कोई पूछेगा कि अरे, आप कहां रहते हो, तो हम कहेंगे कि वह प्लास्टिक का बड़ा ढेर है, हम उसके पीछे रहते हैं। हमें यह काम करना पड़ेगा। हमने प्लास्टिक वेस्ट के रूल किये हैं, बायो मेडिकल वेस्ट के रूल किये हैं, हैज़र्डस वेस्ट के रूल किये हैं। ये सारे ड्राफ्ट्स हैं। अभी डेढ़ महीना उसका बाकी है, इसलिए आप भी उसे पढ़िये और सुझाव दीजिए। यह कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा नहीं है, यह देश है। हमें देश के वेस्ट को ट्रीट करना है। यही पर्यावरण की रक्षा है। मैं और किरीट सौमेया मुम्बई के डंपिंग ग्राउंड में गये। वहां 10 हजार टन वेस्ट इकट्ठा होता है। इस 10 हजार टन वेस्ट पर हजारों रैगपीकर्स थे। मैंने उन सबसे बात की। मैंने कहा कि आप प्लास्टिक क्यों नहीं उठाते, तो उन्होंने कहा कि छोटा प्लास्टिक जो पतली पनी का है, उसे यदि हम चार सौ इकट्ठा करेंगे तब जाकर हमारा एक किलो वजन होता है। उससे हमारा पेट नहीं भरता और चार सौ बार हमें झुकना पड़ता है। देश में जब कोई व्यवस्था नहीं थी तब से रैगपीकर्स ने इस देश में अच्छे कूड़े-कचरे की व्यवस्था की। मैं रैगपीकर्स को सम्मानित करना चाहता हूं। हम उन्हें सम्मान देंगे, सुरक्षा देंगे और स्किलिंग भी करेंगे। यह करने की जरूरत है। …(व्यवधान) वे दोनों बैठे हैं और एक दूसरे का दर्द भी समझते हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक का लेफ्ट हैंड है और दूसरे का राइट हैंड है।

…(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : हां, स्वास्थ्य मंत्री जी उनकी देखभाल कर रहे हैं। …(व्यवधान)

18.00 hrs

सबने उल्लेख किया, हम कैबिनेट के सामने कैम्पा बिल ला रहे हैं। 35,000 करोड़ रुपए जमा हैं। दस साल प्रश्न क्यों नहीं उठा, यह मुझे आप सबसे पूछना है।

माननीय अध्यक्ष : छः बज गए हैं। अगर आप सबकी अनुमति हो तो यह पूरा होने तक हाउस एक्सटेंड कर देते हैं।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां, कर दीजिए।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: कैम्पा फंड का 35,000 करोड़ रुपया राज्यों को बांटा जाएगा। 35,000 रुपए राज्यों को बांटने की चर्चा हो रही थी, इसमें से 90 परसेंट बांटने की बात थी। …(व्यवधान) बिल क्यों लाना पड़

रहा है क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हम राज्यों का पैसा राज्यों को देना चाहते हैं, वहां एफोरेस्टेशन होगा, वाइल्ड लाइफ के केयर होगी, बाकी स्कीम्स में पैसा मिलेगा। राज्य सरकार के बजट का कुछ भी हिस्सा कम नहीं करना चाहिए। एडीशनल फंड एडीशनल एफोरेस्टेशन के लिए होना चाहिए। उत्तराखंड के बारे में पूछा गया, 35,000 करोड़ रुपए में से इसके लिए 2400 करोड़ है, आंध्र प्रदेश के लिए 2700 करोड़, अरुणाचल प्रदेश के लिए 1400 करोड़ रुपया है। हर राज्य का पैसा मिलेगा। मुद्दा यह है कि हम कैम्पा फंड को बांटना चाहते हैं क्योंकि हम एक्शन में बिलीव करते हैं। हम ग्रीनरी ज्यादा एग्रेसिवली चाहते हैं इसलिए डिग्रेडिड फोरेस्ट को ग्रीन करने की अनेक योजनाएं बना रहे हैं। हमें इसमें आप सबका सहयोग चाहिए।

एक बड़ी दिक्कत यह थी कि जंगल की प्रोटेक्टिड एरिया की सीमा कितनी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जब तक राज्य और केंद्र सरकार बफर जोन का सही सीमांकन नहीं करेंगी तब तक दस किलोमीटर का दायरा होगा। दस किलोमीटर तो ठप्प हो गया। हमने इस प्रॉसेस को जल्दी शुरु किया। हमने सब राज्यों से बात की, वर्कशाप्स ली। मैंने कहा कि पत्राचार से काम नहीं होगा, सबको बुलाओ, आमने-सामने बैठकर जो कमियां हैं उसे दूर करो लेकिन जस्टीफाइड बफर जोन तैयार करो। बफर जोन तैयार हुआ, हमने 130 बफर जोन की परमिशन दी है और डिफाइन किया है। इसकी सराहना कोर्ट ने भी की कि ऐसे काम होना चाहिए था, इतने सालों से नहीं हुआ, अब हो रहा है, अच्छा है।

माननीय सदस्य ने कार्बन क्रेडिट का उल्लेख किया। हम तो ग्रीन क्रेडिट देना चाहते हैं। कोश्यारी जी ने इसका सुझाव दिया। यह तो ऐसे हुआ कि पाप करो, कार्बन पैदा करो, हवा में छोड़ो और पैसे देकर पाप से मुक्ति पाओ। ऐसे नहीं होता है। आपको ग्रीन क्रेडिट ग्रीन एक्शन से मिलेगा, हम इस ग्रीन क्रेडिट के बारे में सोच रहे हैं। फोरेस्ट कवर कैसे बढ़े? इसमें एन्क्रोचमेंट की समस्या है। डिग्रेडिड फोरेस्ट लैंड लगभग तीन करोड़ हैक्टेयर है। हमें तीन करोड़ हैक्टेयर लैंड को ग्रीन करना है। शहरों में जंगल जमीन पर एन्क्रोचमेंट होता है। हमने कम्पाउंड करने का निर्णय लिया। जनता की सहभागिता से स्मृति वन का काम शुरु किया। लोग पैसा भी देंगे, पेड़ भी लगाएंगे। प्रिय लोग, जो आज दुनिया में नहीं हैं, उनके स्मरण में लगाएंगे। अर्बन ग्रीन, रूरल ग्रीन करेंगे। डिग्रेडिड फोरेस्ट को घना करेंगे और कैम्पा फंड भी देंगे। एफोरेस्टेशन का काम करेंगे क्योंकि सारे देश को हरा भरा करना है।

वाइल्ड लाइफ की चिंता यहां पर अनेक लोगों ने की। यह सही है कि हमने अभी दो नये टाइगर पास किये। एक देश को अभिमान होना चाहिए कि आज दुनिया के 70 फीसदी बाघ अपने भारत देश में है और भारत दूसरों को दे भी सकता है क्योंकि 2026 हैं और उसमें 1700 बाघों की तस्वीरें हमारे पास हैं। यह आइडेंडिटी अलग अलग होती है। ये आज एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। आपने बजट की बात पूछी।

एक्सटिंक्ट होने वालों के लिए हम पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट कंपनियों के पास भी गये और हरेक ने एक एक बर्ड के रीहैबिलिटेशन का काम लिया है, इंटरेस्ट दिखाया है। हम इसको आगे ले जाएंगे। एक एक जो एक्सटिंक्ट होने वाली प्रजाति है, उसकी हमें रक्षा करनी है। यह पब्लिक पार्टिसिपेशन से भी होगा। हम भी उस पर ध्यान देंगे, कोआर्डिनेट करेंगे।

अब जैसे ह्यूमन एनीमल कांफलिक्ट है, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। वर्ष 2014 में 500 लोग प्राणियों के हमले में मरे हैं। हम लोग उस बारे में कोई चर्चा कभी नहीं करते। क्या मनुष्य जीवन का कोई महत्व नहीं है? किसी अन्य देश में 500 लोग मरे होते तो उन देशों ने क्या किया होता? लेकिन हम इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? मुझे लोगों ने बताया कि सर, प्राणी इसलिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि अंदर पानी नहीं मिल रहा है या घास नहीं मिल रही है तो इस कारण से वहां प्रे नहीं आते हैं। इसलिए हम अभी यह व्यवस्था कर रहे हैं कि जंगल में घास ज्यादा पैदा हो और पानी ज्यादा रहे। हम इस वाइल्ड लाइफ की तरफ ध्यान देंगे। हम इसको अच्छा बनाएंगे।

हमें एक प्रैशर समझना चाहिए। आप सब लोग इस बात को कृपया याद रखें कि दुनिया का केवल 2.5 प्रतिशत ही लैंड मास हमारे पास है। We have only 2.5 per cent of the land mass. But we have 17 per cent of human population and 17 per cent of cattle population of the world. दुनिया की 17 फीसदी आबादी ढ़ाई फीसदी जमीन पर रह रही है तो प्रैशर तो बनेगा। लेकिन इसका मतलब जंगल की एक इंच जमीन भी हम किसी को नहीं दे रहे हैं। जंगल की जमीन अगर हम नहीं देंगे और अगर कहीं डाइवर्ट होता है तो उसके बदले में दुगुनी जमीन उसको देनी पड़ती है। वह नियम कायम है और यह बॉयोडाइवर्सिटी ऐसी है कि दुनिया की आठ फीसदी बॉयोडाइवर्सिटी हमारे देश में है। कितनी प्रजातियां हैं? कितने प्राणी और कितने फूल हैं तथा कितने नये प्राणियों की जानकारी तेलंगाना में दी गई।

मैं अभी श्रीशेलम में गया था। वह बॉर्डर में है। वह थोड़ा आन्ध्र प्रदेश में है और थोड़ा तेलंगाना में है। मैं वहां पर गया और वहां पर भी मैंने नयी प्रजातियां देखीं। यह नोगोया प्रोटोकोल जो हुआ, अभी 6 महीने पहले नोगोया प्रोटोकोल में बॉयोडाइवर्सिटी का प्रोटैक्शन और बैनेफिट एक्सैस तथा हमारे देश में इतनी अपार सम्पदा है, उसका फायदा भी हमें मिलेगा अगर दुनिया उसका यूज करेगी। इसलिए नोगोया प्रोटोकोल को भी पचास देशों ने रैटिफाइ किया है, वह लागू हो गया है। हम राज्यों को ताकत देना चाहते हैं। 40 हेक्टर फॉरैस्ट का अगर डाइवर्जन करना है तो हर फाइल मेरे पास आती थी। एक हैक्टर, दो हैक्टर, मैंने कहा कि यह क्या हो रहा है? ये राज्यों के पास क्यों नहीं होता? वहां व्यवस्था विकेन्द्रित होनी चाहिए। इस

पर एक अधिकारी ने कहा कि सर, अपने पास फिर फाइल ही नहीं आएगी। मैंने कहा कि नहीं आने दो। मुझे फाइल में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट काम जल्दी होने में है।...(व्यवधान) इसलिए हमने सारी रीजनल कमेटियां बनाईं जिसमें हर राज्य के प्रिंसिपल सैक्रेटरी, जिसमें फॉरैस्ट के और रेवेन्यू के दोनों अधिकारी उसके मैम्बर्स रहेंगे। हमने एक मल्टी स्टेट होल्डर कमेटी बनाई। उस कमेटी के आधार पर Ninety per cent of the file work is now delegated to Regional and State Centres. That is what we are doing. हम अपने पास नहीं रख रहे हैं। हमने काम खुला किया है कि काम प्रामाणिकता से करो। लोगों ने चिंता व्यक्त की कि हम कहीं विश्व मंच के दबाव में तो नहीं आ रहे हैं। ओबामा जी के सामने एक पत्रकार ने मोदी जी से पूछा: 'Mr. Prime Minister, is there any pressure?' The Prime Minister said, 'There is no pressure and we do not take pressure. But there is a pressure, pressure of climate change and pressure on future generations.' उसके लिए हम काम करते हैं और उसमें हमारे जो एक्शंस हैं, आज दुनिया सराह रही है कि आज भारत इतना एक्शन कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लीमा में जो लड़ाई आखिरी दो दिन हुई, मैं बाकी किसी के लिए नहीं कहता कि कौन क्या करता था, मैं पहले दिन से सुबह 9 बजे से रात तक जब भी समाप्त होगा, मैं वहां बैठा रहा। सब देशों से बात करता रहा। सबसे नाता जोड़ा, नैट-वर्किंग की। पिछले महीने में 58 अफ्रीकन देशों की कांफ्रेस हुई। उनके सभी पर्यावरण मंत्री थे। उन्होंने अफ्रीका के बाहर के केवल दो नेशंस बुलाए। उसमें एक फ्रांस था क्योंकि वह पेरिस का होस्ट है और एक ही कंट्री बाहर की बुलाई जो कि भारत था। हमें अभिमान होना चाहिए क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे हमदर्द हैं। हमने हमदर्दी दिखाकर वह काम किया और नेटवर्किंग की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेंट चेंज (UNFCCC) का मेनडेट है, जो सीबीडीआर है, जो इक्विटी है, इन प्रिंसीपल्स को ही हमने दुनिया को बताया है कि इसके अलावा नहीं चलेगा। फाइनल ड्राफ्ट में वही आया है। यूएनएफसीसीसी की इक्विटी भी आई, सीबीडीआर भी आया, मिटिगेशन भी आया, रेपुटेशन भी आया, फाइनेंस भी आया, टेक्नोलोजी भी आया, कैपेसिटी भी आया। आज हम काम करके बताते हैं कि हम 2020 के पहले इतना एक्शन ले रहे हैं। हम कहते हैं कि आप भी आगे जा कर यह काम करो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पर्यावरण भारतीय लोगों की 'वे आफ लाइफ' है और इसे आगे ले कर जाना हम सब का काम है। पृथ्वी का और पांच तत्वों की रक्षा करना और संतुलन करना हमारा काम है। विकास बनाम पर्यावरण रक्षा का झगड़ा मत पैदा कीजिए, ऐसा नहीं है। दोनों काम साथ हो सकते हैं, दोनों की जरूरत है और हम दोनों एक साथ करेंगे। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: I will allow one clarification only from one Member. Shri Gaurav Gogoi.

SHRI GAURAV GOGOI : Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, the Minister had talked about the Government's proposal to introduce the Air Quality Index which is being introduced in 10 cities in 37 different locations. The proposal seems to be incomplete because already the Ministry of Earth Sciences has its own air monitoring device. The category of air pollution of the Ministry of Earth Sciences is different from the Air Quality Index of the Ministry of Environment. The categories of air pollution of these two Ministries are different from the global standards. जनता कन्फ्यूज है कि वह अर्थ साइंसिज़ पर, पर्यावरण पर या ग्लोबल हैल्थ पर किस पर विश्वास रखे। अगर हम यह सब डेटा ले भी लें तो हमें जनता को बताना पड़ेगा कि इतने प्रदूषण का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या जनता मास्क पहनना शुरू करे? जनता को कैसे प्रिकाशन और पोटेक्शन चाहिए The air is quite hazardous. हमें इस बात से भागना नहीं चाहिए। We should have the courage to confront it. हमें सिटिजन्स में मास अवेयरनेस पैदा करनी है, उसके लिए इस बजट में क्या प्रोग्राम है। जो खतरनाक हवा है, उससे हम जनता को कैसे बचा सकते हैं, इसे जनता को बताना पड़ेगा।

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Madam Speaker, I would like to seek a clarification from the hon. Minister. My heart is with him. He is the brain; that is why I am seeking a clarification from one of my best friends.

Our nation is using more and more electronic gadgets and electronic materials. Not only that, we have started using the CFL bulbs all over the nation. Constantly we have been promoting the use of the CFL lamps. In the schools also, the teachers tell to the school children, 'Do not use the *gundu* bulbs; you use the CFL lamps'. So the clarification I seek from you, through the hon. Speaker, is this. When we are using more and more mercury lamps and CFL lamps, anyway that creates another ecological hazard. It is because, as you have stated in the House, mercury is a highly poisonous and hazardous material. So a CFL lamp which has become defunct, which cannot be used any more, which cannot be lit,

what the people do is that they throw it outside the house. They dump it somewhere on the ground or in the water resource. Even a small piece of mercury lamp or a CFL lamp can create hazardous waste for the coming generations also by polluting land and also water. If there are any laws, those laws are not being implemented. So, I would like to know whether we can adopt a method just like in some European nations. There, the Government asks the sellers to collect back the material, to give some incentive to the people to bring it back to the shops. So such a type of user-vendor relation, such a method can be adopted here in India also.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, देश में बमुश्किल 30-35 ऐसे जिले होंगे, जिन्होंने रिज़र्व फॉरेस्ट रखा है। मैंने चार क्षेत्रों से चुनाव लड़ा है, जहाँ पर रिज़र्व फॉरेस्ट है। 48 प्रतिशत फॉरेस्ट वाला क्षेत्र- बालाघाट, छिन्दवाड़ा, सिवनी और वर्तमान में दमोह है, जहाँ पर दो अभ्यारण्य हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आप ग्रीन क्रेडिट की बात करते हैं, ऐसे जिले देश में बमुश्किल 50 होंगे, क्या इनको ग्रीन क्रेडिट मिलेगी? हमें सड़क के परमिशन के लिए भी आना पड़ता है।

दूसरी बात, जो टाइगर रिज़र्व है, सर्वाधिक टाइगर रिज़र्व मध्य प्रदेश में है, उसके बावजूद भी, पुरानी परम्परा है कि लोग उसकी हत्या करते हैं, इसलिए उसकी तस्करी होती है और अमूल्य चीजों को जलाने का काम करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उन जिलों को उनके विकास के लिए वही रास्ता मिलेगा और जो शेरों के अंग-प्रत्यंग जलाये जाते हैं, क्या उनको सरकार प्रेज़र्व नहीं कर सकती है? इतनी बहुमूल्य चीजों को क्यों जलाना चाहिए? सिर्फ इस डर से कि उनकी तस्करी होगी। इस कारण से ऐसे कानून बनते हैं, क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much Madam Speaker. I fully appreciate the efforts made by the Government of India in the Lima Conference. I do appreciate the stand taken by the Government as well as the efforts personally made by the hon. Minister Mr. Javadekar. But I would like to express the concern that we are experiencing in our country. All the environmentalists and the entire nation would like to know whether the TSR Subramanian Committee recommendations will be accepted by the Government. I specifically spoke in my speech that if this TSR Subramanian Committee Report is

implemented or accepted by the Government it will definitely be an environmental disaster to the country. It will be a violation of the Constitutional obligations as well as the legal obligations which we have committed to the international forum.

I would like to seek a clarification or a specific answer from the hon. Minister as to what is the response of the Government in respect of TSR Subramanian Committee recommendations.

DR. M. THAMBIDURAI: The hon. Minister knows very well that India is facing the problem of shortage of drinking water. Why are we facing this problem? It is because all the rivers are polluted. It is not only Ganga and Cauvery but other rivers in India are also polluted. Why are they polluted? It is because the industries are discharging their effluents into the rivers. Apart from that, whatever drainage we have in our municipalities that also is going into the rivers.

I want to know from the hon. Minister whether the Government is going to bring any legislation at the national level to stop the industries from discharging their effluents into the rivers and to get pure drinking water for the future generation.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक नैशनल पार्क, एक टाइगर रिज़र्व और एक अभ्यारण्य- ये तीन फॉरेस्ट रिज़र्व हैं और लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्र वन भूमि है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि घास और पानी की व्यवस्था करूँगा। मेरे क्षेत्र में उन जंगलों को खड़ा रखने के लिए एक सिंचाई योजना पिछले 42 साल से वन कानूनों के कारण लम्बित है। उससे 1,11,800 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी साथ ही साथ जंगल भी बचेंगे। लेकिन उस योजना को वर्ष 1972 में स्वीकृति मिली थी, तब टाइगर प्रोजेक्ट नहीं लगा था। आज टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर उस योजना को पिछले 42 वर्षों से लम्बित रखा जा रहा है। यह चतरा में लातेहार जिले की योजना है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के योजनाओं की स्वीकृति कैसे होगी?

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I would not have asked you time, if you were allowing us to speak on one of the Cut Motions given by us. That is why I have to ask time from you. I had given a Cut Motion at serial no. 3.

माननीय अध्यक्ष : नहीं, कट मोशन पर नहीं बोलना है।

PROF. SAUGATA ROY : I will not read the Cut Motion. There is a need to take effective measures to control vehicular pollution in the metropolitan cities including New Delhi. The hon. Minister has taken us on a trip around the world including what happened in Lima, in South America and how he stayed up till 2 o'clock at night from the morning. I appreciate all that.

HON. SPEAKER: Hon. Member, just ask your clarification.

PROF. SAUGATA ROY: Madam, please listen to me. I am quoting from the Report of the Standing Committee.

It says:

"The concentration of PM 2.5 fine respirable particles which is considered most dangerous for health is highest in Delhi at 153 micrograms per cubic meter as against the WHO standard of 10 micrograms per cubic meter. The concentration of PM 10 (coarse particles) in Delhi is about 286 micrograms per cubic meter, …."

HON. SPEAKER: Prof. Saugata Roy ji, you can ask only one clarification.

PROF. SAUGATA ROY: Madam, I shall finish it in one minute. I am speaking on a very limited subject, on which I have given a Cut Motion.

I would just like to ask the Minister one question. As per the Report of the Standing Committee, the Ministry, in a recent affidavit filed before the Delhi High Court, has stated that as yet, there is no finalized Action Plan to tackle the challenge of air pollution in New Delhi. The Standing Committee also suggested that there should be an effective public transportation system. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You conclude now.

PROF. SAUGATA ROY: Please allow me to speak. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You are reading it from the Standing Committee Report. You can ask only a clarification. That is all.

PROF. SAUGATA ROY: Madam, unless I create the context, how can I ask? … (*Interruptions*) I do not ask any irrelevant question. It is not my habit.

I would like to know specifically from the hon. Minister about the steps that are being taken to reduce air pollution in New Delhi according to the standards set by the World Health Organization. Is there any plan to reduce vehicles to improve public transport? How can you make the life of the citizens of Delhi a little healthier?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, very recently, the tiger enumeration result had come out. In that enumeration result, it was mentioned that the tiger population has gone exorbitantly high. We have no quarrel with that but it all mentioned that the population of tigers in Odisha had come down which was there three years earlier. Our Forest Department and the Odisha Government objected to that, and categorically stated – I think, the hon. Minister is aware of this – that these are three forests - Satkoshia Forest of Nawapara, Similipal Biosphere of Mayurbhanj, Keonjhar and Balsore – where actual enumeration has not taken place and the method in which the tigers are being counted is doubtful.

Madam, I have given a notice for a discussion on this issue and drew the attention of the Minister but anyway that has not come. We are taking so much credit on enumeration that has taken place. The statement that our tiger population has increased manifold within this period has become doubtful by our own Forest Department. To make it more relevant, will the Minister take steps and come out with a foolproof enumeration and also come up with the facts which State is having how many tigers today?

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि गांवों से लगे हुए वनों में इस वक्त रोज़ और सुअरों की संख्या बहुत बढ़ गयी है, क्योंकि उनमें छः महीने में प्रजनन होता है। रोज़ नीलगाय को कहते हैं। उनका प्रजनन इतना ज्यादा हो गया है कि वे किसानों के लिए समस्या बन गए हैं। इस समस्या के बारे में क्या माननीय मंत्री जी कोई समाधान कर रहे हैं?

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, मैं उसी क्षेत्र से आता हूं जो वन का इलाका है - बांका। वन की कटाई से, जलवायु में परिवर्तन से तथा पर्यावरण में प्रदूषण से देश का भारी नुकसान हो रहा

है। इसकी रोकथाम के लिए कौन से व्यापक एवं बड़े उपाय किए गए हैं? क्या दुनियाभर के वैज्ञानिकों से समन्वय करके इससे बचाव के उपाय करने के बारे में सरकार कोई विचार रखती है, क्योंकि तभी मेक इन इंडिया सफल होगा?

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Madam, I take this opportunity to thank the hon. Minister, Shri Javadekar. Telangana is an electricity deficient State. We had a 6,500 Mega Watt Ultra Mega Thermal Power Project. All the hon. Members may note that the hon. Minister has given the forest clearance for 2,000 acre in only 45 days. I am really thankful to the hon. Minister.

At the same time, his Department is working north and south. The Environment Minister is working so fast in clearing the projejcts. In my own Constituency, there is a black top road. In Hyderabad there is a forest area. For the last eight years, in the black top roads, a lot of pits were there. Our Government has released the Budget for the black top road. I have talked to the DFO. It is already an existing road. It is a BT road. But they never allow the road on the existing road. It is a contradictory Department, I think. His style of action should percolate down to the ground level also. That is my appeal.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Madam, I have a specific question. In Mumbai, Sanjay Gandhi Rashtriya Udyan is there. A lot of encroachment has taken place there. The compound wall is also broken. Encroachment is continuing. Doors are being constructed. But no measures are being taken there. That is one primary question, on which I would like to know from the hon. Minister.

My second query is regarding the Nuclear Power Plant. In Ratnagiri District, Jaitapur Nuclear Power Project is coming up. That Nuclear Project is under seismic zone. This is the Report of the Geological Department of the Government which says that ninety-two earthquakes have taken place ranging form 3.5 to 5.5 Richter scale from 1985 to 2005. I want the response from the hon. Minister.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदया, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह विश्व में बायोडायवर्सिटी में नम्बर एक पर है। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में 90 प्रतिशत फारेस्ट है, करीब छः से सात प्रतिशत अंडमान में रेवेन्यू/फारेस्ट लैंड पर आबादी है। मेरे दो सवाल हैं। नितिन गडकरी जी ने हाल ही में वहां का दौरा किया था, तो उन्होंने कहा था कि देश में एक लाख करोड़ पाम ऑयल पड़ोसी देशों से आयात किया जाता है, जिसमें थाइलैंड और म्यांमार प्रमुख हैं। मेरी मांग है कि अंडमान में निकोबार आइलैंड में ग्रीन ग्रास लैंड है, डेजर्ट लैंड है, क्या वहां वृक्षारोपण की इजाजत देंगे या पोर्टब्लेयर में इसकी इजाजत देंगे? अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर डीम्ड फारेस्ट की घोषणा की थी कि उसे दोबारा डीरिजर्व किया जाएगा, करीब 61 हेक्टेयर लैंड है, क्या उसे डीफारेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अंडमान-निकोबार के फारेस्ट को बचाया जाए, यह मेरा तीसरा प्रश्न है।

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): काजीरंगा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। मंत्री जी अभी असम गए थे, तो हमने उनसे कहा था कि असम में राइनो जो कि बहुत ही रेयर स्पीशीज है, उसे मारकर खत्म किया जा रहा है। पिछले दस साल में कितने ही राइनो मारे गए हैं। आप वहां के न्यूजपेपर्स में पढ़ सकते हैं कि रोजाना दो-तीन राइनो की हत्या होती है। इसके अलावा टाइगर्स मारे जा रहे हैं, हाथी मारे जा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इस मामले में मंत्री जी क्या एक्शन ले रहे हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam, with regard to Climate Change, there is one Panchayat in my Parliamentary Constituency, which is called Mandru Islands. Recently, the sea water has entered into the habitat area. A lot of houses have been demolished. Roads have also been damaged. May I know from the hon. Minister, whether the Government of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change has conducted any study there and found out any solution.

SHRI K.N. RAMACHANDRAN : There is a panic and pathetic situation regarding e-waste. We are at the fifth place in the globe in regard to e-waste. I would like to know from the hon. Minister whether there is any concrete solution to this panic and pathetic situation of e-waste.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि हजारों-लाखों सालों से यह माना गया है कि अगर हवा की शुद्धि करनी है, हवा को अगर

प्योरिफाई करना है तो उसके लिए सबसे बड़ा साधन यज्ञ और हवन है। यह कोई धार्मिक विधि नहीं है, लेकिन हवा और पर्यावरण को शुद्ध करने का सबसे इफैक्टिव मैथड है।

क्या माननीय मंत्री जी यज्ञ और हवन को ऑफिशियल रूप से मान्यता देंगे और उसे बढ़ावा देंगे?

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : महोदया, हमारे देश में वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटैक्शन एक्ट 1974 है। हिली एरियाज में जंगली जानवर खासकर बंदर, सूअर और नीलगाय बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मैं हिमाचल की बात कहूं तो आज वहां पर 70 प्रतिशत किसानों ने खेती करना बंद कर दिया है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आवारा कुत्ते इतने ज्यादा बढ़ गये हैं कि वे लोगों पर हमला कर रहे हैं और अगर कुत्ते पागल हो रहे हैं तो वहां की म्युनिसिपैलिटी या पंचायत उन पर काबू नहीं पा रही है। अभी हाल ही में पिछले महीने शिमला के मॉल रोड पर, जो सबसे ज्यादा प्रोटैक्टिड एरिया है, वहां पर पचास लोगों को पागल कुत्ते ने काट लिया और वहां की लोकल म्युनिसिपैलिटी कुछ नहीं कर सकी। क्योंकि वहां का कानून उन्हें मारना अलाऊ नहीं करता है।

इसलिए मंत्री जी मेरा यह कहना है कि वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटैक्शन एक्ट के तहत जो जंगली जानवरों को बचाया जा रहा है, क्या उसमें आप कोई संशोधन करेंगे?

SHRI SURESH C. ANGADI (BELAGAVI): It is a very important issue in regard to the human beings. The Khanapur has a very dense forest in Karnataka. It is surrounded by Maharashtra, Goa and Belgaum. Two months ago, a tiger had come to the fields in the open area from the forest. Some elephants had also come on the road. I want to know whether any protection is being given to those farmers. Already one lady was killed because a tiger attacked the lady. Still the Government has not made any enquiry. A CBI inquiry should be made in this regard.

श्री प्रकाश जावड़ेकर : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिये, सबकी बात आ गई है।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : मैं बहुत लम्बा उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन सब मुद्दे बताऊंगा। CPCB has already developed guidelines for safe disposal of CFL lamp. इसके अलावा जो ई.-वेस्ट रूल्स है, जो ड्राफ्ट है, उसे सम्पत जी आप भी पढ़िये। सम्पत जी, आप अच्छे हो तो उसे पढ़ो और हमें सुझाव दो और अगर कुछ बदलाव करना है तो बताइये, हम वह करेंगे।

दूसरी बात यह है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी का जो मुद्दा है, एक्शन यह तय किया है। यहां चार कारणों से पॉल्युशन होता है, एक व्हीकुलर पॉल्यूशन, दूसरा स्टबल बर्निंग, तीसरा कंस्ट्रक्शन वेस्ट और चौथा जो धूल आती है, जो रेगिस्तान से भी आती है, ऐसे बहुत से कारण हैं। इसके अलावा दिल्ली में जो बायोमास जलाते हैं तो हम दिल्ली में बायोमास न जलायें, इसके लिए स्वीपर्स के प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिल्ली सरकार और कारपोरेशंस ने तय किया है। उसमें सबको अवेयर भी करेंगे और लोगों को यह भी कहा गया है कि व्हाट्स एप पर तुरंत लेकर बताइये और लोगों ने दिखाना शुरू भी किया है और उस पर तुरंत एक्शन भी हो रहा है। ...(व्यवधान) व्हीकुलर पॉल्यूशन की बाबत फ्यूल की एफिशिएंसी और यूरो नॉर्म्स को लीपफ्रॉग करना है, यह एक बड़ा इश्यु है। Both the Minister concerned and Ministries are seized of the matter. Let us hope that it will bring a good news very soon. That is second thing.

एन.एच.ए.आई. और हरियाणा सरकार ने जो रिंग रोड बनाने की जरूरत है कि नॉन-डेस्टाइन व्हीकल्स दिल्ली में नहीं आने चाहिए, जो दस हजार की संख्या में आते हैं। वे बाहर से ही जाएं, इसके लिए दो साल में यह रास्ता पूरा होगा, तब होगा। सौगत राय जी आपको मालूम है कि दिल्ली की हवा दस महीने में नहीं बिगड़ी। यह बहुत सालों का परिणाम है। इसलिए अब हमने एक्शन शुरू किया है और इसका परिणाम आएगा, आप देखेंगे। पहला परिणाम तीन महीने का एक्शन प्रोग्राम है, उसका रिव्यु हम जुलाई में ले रहे हैं। ...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: You bring it up to WHO standards.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: That is what I tell you. Saugata Roy Ji, I have highest regard for you. हमारी साइक्लॉजी ऑक्सिर इलाज की है। एक बार दिल्ली के प्रदूषण की बहुत चर्चा हुई, उस समय जगमोहन जी मंत्री थे, लोगों ने कहा उद्योगों से प्रदूषण होता है, उन्होंने उद्योग बाहर किए। ...(व्यवधान) दूसरी बार फिर हुआ कि प्रदूषण बढ़ता रहा तो फिर कोर्ट ने आदेश दिया कि सीएनजी लागू की जाए तो सीएनजी आ गई, फिर लोगों को लगा कि अब प्रदूषण का खतरा खत्म हुआ है। ऐसा नहीं होता है। फिर आया कि पब्लिक ट्रांस्पोर्ट को बदलना चाहिए तो मैट्रो आई। अब तीस लाख लोग मैट्रो से जा रहे हैं। It is a clean travel but still that does not rein the problem. You have to do everyday reforms and action, and we will continue to do that in association with you. यह हम करेंगे। एयर क्वालिटी के बारे में गौरव जी ने पूछा है। इन दोनों विभागों में कोई अंतर नहीं है, हम एक साथ काम कर रहे हैं। जो अभी नए इंडेक्स की सारी जानकारी आ रही है, we are in

sync with that. कभी-कभी पेपर में आधी जानकारी के आधार पर न्यूज़ आती है, उस पर हमें अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। दूसरा, सबने सवाल पूछा है कि जंगलों में जब प्राणी बढ़ते हैं तो खेती के किसानों को नुकसान होता है, यह एक सही प्राब्लम है, इसके लिए हमने आदेश दिया है कि राज्य सरकार स्पेसिफिक क्षेत्र में स्पेसिफिक महीनों के लिए या एक साल के लिए अगर कहेगी कि तो हम इसको करेंगे। पहले तो यह ब्लू बुल है, उसको गाय मत कहो, वह रोज है, जो भी शब्द यूज़ करना है करो, लेकिन वह गाय नहीं है। ...(व्यवधान) इसलिए इनको वर्मिंग डिक्लियर करने का प्रस्ताव राज्य सरकार भेजती है तो हम तुरंत बंदर हो या रोज हो, जहां आतंक है, वह तुरंत हम उसको मंजूरी दे रहे हैं। उस पर लोकल एक्शन होगा। ...(व्यवधान) आपने जंगल में सड़क के बारे में पूछा है, जो उदाहरण आपने हैदराबाद का बताया है, मैं तुरंत चेक करूंगा, क्योंकि छह महीने पहले हमने आदेश निकाला है। National Board of Wildlife की मीटिंग हुई, पहले यह नियम बनाया था कि जंगल में अगर सड़क बनी है तो कभी भी उसे रिपेयर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसमें गड्ढे हो गए हैं। मैंने बैठक में पूछा कि यह तो आदिवासियों के ऊपर अन्याय है। आदिवासी रहते हैं, क्या उसको अच्छा रास्ता नहीं चाहिए? पॉलिसी डिसीज़न ले कर upgradation of existing roads को हमने अलाऊ किया है, जहां पर नैशन हाईवे बहुत जरूरी हैं, अगर वहां नैशन हाईवे हैं, तो उसकी वाइडनिंग को भी मंजूर किया है, with adequate mitigation measures. उसमें रेलवे भी है। All linear projects, चाहे इरिगेशन के लिए पानी ले जाना हो, पीने के लिए पानी लेना हो या ट्रांस्मिशन तार ले जानी हो, transmission lines or all pipelines और रोड़ एण्ड रेल, ये लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं, जो जाएंगे। मिटिगेशन मेज़र्स लेंगे और दोनों की रक्षा करेंगे, तो इसमें अभी यह नहीं रखा है। रिवर पॉल्युशन एक अहम मुद्दा है। इसके लिए हमने दो मैथड बनाए हैं। जो नदी के किनारे उद्योग हैं, उनको हम 24/7 घंटे चलने वाली pollution monitoring devices, से जोड़ेंगे। यह नई टैक्नोलॉजी है, ये 11 यंत्र अलग-अलग टाईप के अभी आए हैं, लोग चूज़ कर सकते हैं, तो ये यंत्र लगा कर जहां से एफ्युलेंट बाहर निकलता है, वहां लगा सकते हैं। आपको मालूम है कि पॉल्युशन बोर्ड के अधिकारी जब जाते हैं, उस दिन एकदम साफ पानी बहता है। जब वे वापस जाते हैं तो फिर गंदा पानी निकलना शुरू हो जाता है। यह न हो इसलिए उस टैक्नोलॉजी से 24 घंटे स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड में और हमारे पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड में दोनों जगह दिखेगा और अगर पांच मिनट भी उसका पॉल्युशन ज्यादा हुआ तो एसएमएस जाएगा और 15 मिनट ज्यादा होगा तो उस पर लीगल एक्शन शुरू होगा। टैक्नोलॉजी के आधार पर भी क्रप्शन को खत्म कर सकते हैं। यह जो फजिंग था, उसको भी समाप्त कर सकते हैं, यह मैकेनिज्म हम ला रहे हैं। इरिगेशन के बारे में जो पूछा, वह एकदम सही है। मैं तेलंगाना में गया था तो कृष्णा-भीमावरम् प्रोजेक्ट है, उसमें यह

हुआ कि प्रोजेक्ट तैयार है, इरिगेशन डैम तैयार है, आदिवासियों को पानी मिलना है, पानी है, सब कुछ है, कैनाल रेडी है, लेकिन पांच साल से पड़ा है, उपयोग में हो रहा है। एक कैनाल बनाने में एक जंगल की जमीन जा रही थी, तो परमीशन लेने के पहले उन्होंने काम शुरू कर दिया, वाइलेशन हो गया। अब किसी अधिकारी पर क्रिमिनल जिम्मेदारी डालनी है, अधिकारी खुद थोड़े ही क्रिमिनल जिम्मेदारी लेते हैं, वह फाइल घूम रही है, लोगों पर क्राइम हो रहा है, हमने इसको बदला है, हमने परमीशन दी है। इस तरह के वाइलेशन का कोई अर्थ नहीं होता है।

दूसरा, एक रिवर रेग्युलेटरी मैनेजमेंट जोन यानी रिवर रेग्युलेशंस भी कुछ कर रहे हैं कि किनारे पर क्या हो और क्या न हो। टाइगर का जो है ओडिशा का, उसके संबंध में एक क्वेश्चन राज्य सभा में भी है, हम उसका डिटेल उत्तर परसों दे रहे हैं, लेकिन उसमें कैमरा ट्रैप में और जो तीन प्रकार से उसकी काउंटिंग चलती है, वह काउंटिंग सारे देश में ठीक हुई, लेकिन एक जंगल में जहाँ बाघ ज्यादा है, वहाँ फॉल्ट समझ में भी आया और उसके करेक्शन के लिए ऑलरेडी सरकार को बताया है। वहाँ के अधिकारी वह काम कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आते ही वह एजेंडा जोड़ा जाएगा।

टेक्नॉलाजी के संबंध में मैंने कहा। संजय गाँधी पार्क और जैतापुर का ईश्यू है, वह कोई नया प्रपोजल नहीं है, यह इनक्रोचमेंट है, यह एक बड़ा ईश्यू है। देश में लगभग तीन लाख हेक्टेअर वन जमीन पर अतिक्रमण हुआ है और यह अतिक्रमण बढ़ रहा है। यह नहीं बढ़ना चाहिए, इसके लिए हमने बहुत कुछ सोचा है और वह आप सबके सहयोग से करेंगे।

काजीरंगा के बारे में माननीय सदस्य ने जो कहा, पिछले साल 22 डेथ्स हुई हैं, लेकिन हमारे पास संख्या भी तीन हजार है। वहाँ 20 राइनो का पोचिंग हुआ, लेकिन 22 पोचर्स को भी मार गिराया गया है। बंदूकों का उपयोग करके पोचर्स को मार भी गिराया है तो सख्त एक्शन भी चल रहा है, यह भी हमें समझना चाहिए। जो मनरो आइलैंड के बारे में आपने कहा, सुंदरवन के बारे में भी चर्चा में कहा, इन आइलैंड्स को बचाने के लिए हम जरूर अलग से काम कर रहे हैं। मेरी वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से बात भी हुई है। सुंदरवन के लिए भारत और बांग्लादेश, दोनों को मिलकर कुछ काम करना पड़ेगा, इसके बारे में भी हमारी चर्चा चल रही है। सारे विषयों का मैंने जवाब दिया है, जो बचे हैं, उनका जवाब मिलेगा।...(व्यवधान) अंडमान के बारे में मैंने कहा है। अंडमान में पॉम का ट्री लगाने में मुझे नहीं लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई मुद्दा है।...(व्यवधान) अगर है तो आप जरूर प्रपोजल भेजिए, आप आइए, हम चाय पिएंगे और आपको सोल्यूशन भी देंगे।...(व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. SPEAKER: A number of cut motions have been moved by Members to the Demand for Grant relating to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change. I shall now put all the cut motions to the vote of the House together.

If you agree, I will put them separately.

SHRI JAI PRAKASH NARAYAN YADAV: Yes, Madam am pressing my Cut Motion No.1. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put Cut Motion No.1 moved by Shri Jai Prakash Narayan Yadav to the vote of the House.

The cut motion was put and negatived.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put Cut Motion Nos.8 to 13 moved by Shri Kodikunnil Suresh to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put Cut Motion No.14 moved by Shri K.C. Venugopal to the vote of the House.

The cut motion was put and negatived.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put all the other Cut Motions, which have been moved together to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put the Demand for Grant relating to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change to the vote of the House.

The question is:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2016, in respect of the head of Demand entered in the Second column thereof against Demand No. 32 relating to the Ministry of Environment, Forests and Climate change."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The Demand for Grant relating to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change is passed.

18.46 hrs

OBSERVATION BY THE SPEAKER

HON. SPEAKER: Before the House adjourns, I would like to inform the hon. Members that as has been agreed, the Demands for Grants of the Ministry of Health and Family Welfare will be taken up tomorrow and the guillotine will be held at 5.30 p.m.

The Finance Bill, 2015 will now be discussed on 30th April, 2015 instead of 29th April, 2015.

Now, the House stands adjourned at meet again tomorrow, the 29th April, 2015 at 11.00 a.m.

18.47 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Wednesday, April 29, 2015/Vaisakha 9, 1937 (Saka).